



करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

जून, 2019

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम	11
➤ दो नई कैबिनेट समितियाँ	11
➤ त्रि-भाषा फॉर्मूला	12
➤ स्वच्छ सर्वेक्षण 2020'	13
➤ नीति आयोग का पुनर्गठन	14
➤ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस	15
➤ राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी	16
➤ नेशनलिस्ट पीपुल्स पार्टी (NPP)	17
➤ संसद में विधेयकों का व्यपगमन	19
➤ क्यू.एस. वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग	20
➤ धारा 376E और शक्ति मिल मामला	21
➤ भारत में धार्मिक स्वतंत्रता	21
➤ स्कूलों में छात्रों के बीच खेल को बढ़ावा देना	22
➤ सीलिएक रोग	24
➤ लोकसभा अध्यक्ष (Lok Sabha Speaker)	25
➤ आर्थिक घटनाक्रम	26
➤ व्यापारियों के लिये पेंशन योजना	26
➤ अमेरिका ने वापस लिये भारत के GSP लाभ	26
➤ भारत में मुद्रास्फीति	27
➤ ड्राफ्ट कॉपीराइट संशोधन नियम, 2019	29
➤ डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिये सिफारिशें	29
➤ आर्थिक जनगणना-2019	31
➤ तमिलनाडु स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम	32
➤ राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक	33
➤ ग्लोबल इकनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स	34
➤ निर्माण-परिचालन-हस्तांतरण	35

➤	मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट	36
➤	क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी	38
➤	वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2019	38
➤	कर्मचारी राज्य बीमा	40
➤	RBI के ऋण समाधान मानक	41
➤	भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ता डिजिटल लेन-देन	42
➤	औपचारिक क्षेत्र में 70 लाख रोजगार अवसरों का सृजन	44
➤	मुद्रा योजना के तहत जमानत मुक्त ऋण	44
➤	अरविंद सुब्रमण्यन के शोधपत्र पर PMEAC का विस्तृत नोट	46
➤	किसानों की आय दोगुनी करने के लिये प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण	46
➤	साइड पोकेटिंग	48
➤	राज्यों में बेरोजगारी की असमान दर	49
➤	जल शक्ति अभियान	49
➤	MSMEs हेतु तनावग्रस्त परिसंपत्ति कोष	51
➤	हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का तरलता संकट	52
➤	भारत में होगा भुगतान से संबंधित डेटा का संचयन	53
➤	म्यूच्युअल फंड हेतु सेबी के नए नियम	54
➤	विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2019	55
➤	WPI में संशोधन के लिये कार्यदल का गठन	55
➤	RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	56
➤	गुणवत्तापूर्ण बीज और कृषक आय	57
➤	WTO का भारत के पक्ष में निर्णय	58
➤	लोरेंज वक्र और गिन्नी गुणांक	59
➤	पूंजीगत लाभ कर	59

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

61

➤	अमेरिकी वीजा प्रक्रिया में बड़ा बदलाव	61
➤	स्पाइस बम-2000	62
➤	किम्बर्ले प्रक्रिया की अंतर-सत्रीय बैठक 2019	62
➤	SCO शिखर सम्मेलन 2019	64
➤	वैश्विक शांति सूचकांक-2019	65
➤	घाना का डबल ट्रैक सिस्टम (Double Track System)	66
➤	हॉन्गकॉन्ग प्रोटोस्ट	67
➤	भूटान में पर्यटन : 'एक समस्या'	68

➤ भारत को नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने का प्रस्ताव	69
➤ रोहिंग्या संकट और संयुक्त राष्ट्र	70
➤ 'जीरो चांस' अभियान	71
➤ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सीट	72

विज्ञान एवं प्रद्योगिकी 73

➤ क्वांटम ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक	73
➤ जीन एडिटिंग और अंतर्राष्ट्रीय विवाद	74
➤ 5G तकनीक	76
➤ भारत का पहला अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास	77
➤ सभी दवाओं की बारकोडिंग अनिवार्य	78
➤ ट्रैफिक इंडेक्स 2018	80
➤ हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल	81
➤ चावल में शीथ ब्लाइट रोग	83
➤ भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन	84
➤ सेलेनियम-ग्रैफीन उत्प्रेरक	84
➤ स्पेक्ट्रम-रॉन्टजेन-गामा दूरबीन	86
➤ कार्बन क्वांटम डॉट्स	87
➤ सिरैमिक फिल्टर और झिल्ली	88
➤ सौर और पवन ऊर्जा क्षेत्र के लिये विवाद निपटारा प्रणाली	89
➤ मलेरिया के लिये नए बायोमार्कर की पहचान	90
➤ सुपरबग का प्रसार	91
➤ लूनर एवाक्यूसन सिस्टम	92
➤ पिपेरिन' (Piperine)	92
➤ नए ग्रहों की खोज	93

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 94

➤ रामसर स्थल के टैग हेतु धनौरा का समर्थन	94
➤ भारत का प्रथम बीएस-VI प्रमाण पत्र जारी	95
➤ वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 2% की वृद्धि	95
➤ वायु प्रदूषण और जीवन प्रत्याशा	96
➤ फॉस्फीन एक सुरक्षित और प्रभावी फ्यूमिगेंट	97
➤ अरुणाचल प्रदेश में सुनहरी बिल्ली की नई प्रजातियाँ	99
➤ बालसम में समृद्ध पूर्वी हिमालयी क्षेत्र	100

➤ महासागरीय प्लास्टिक कचरे से निपटने हेतु नया कार्यान्वयन ढाँचा	101
➤ विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2019	103
➤ जलवायु परिवर्तन एवं भारत की प्रमुख फसलों पर उसका प्रभाव	105
➤ भारत की स्वच्छता पर बड़ी छलांग	106
➤ बिटकॉइन के उपयोग से बड़ी मात्रा में CO2 का उत्सर्जन	107
➤ जलवायु परिवर्तन का विकासशील छोटे द्वीपीय राष्ट्रों पर प्रभाव	108
➤ वुली राइनो या महाकाय की विलुप्ति का कारण	109
➤ समुद्री कचरे के निपटान हेतु आसियान देशों की प्रतिबद्धता	110
➤ सामान्यीकृत अंतर-वनस्पति सूचकांक	112
➤ सीमेंट प्रदूषण	112
➤ स्मारकों के संरक्षण में सहायक बैक्टीरियल स्प्रे	113
➤ जीरो डे	114
➤ काप्पाफाइक्स अल्वारेजी	115
➤ कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य	116
भूगोल एवं आपदा प्रबंधन	117
➤ संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास सभा	117
➤ गोदावरी पेन्ना इंटरलिंकिंग परियोजना बाधित	118
➤ भारत में मानसून में देरी के कारण	119
➤ भारत में जनसंख्या विस्फोट	120
➤ ओडिशा का बाढ़ अनुमान एटलस	121
➤ केरल का जलवायु अनुकूलता कार्यक्रम	123
सामाजिक मुद्दे	124
➤ उच्च शिक्षा नीति में पुनर्गठन का प्रस्ताव	124
➤ स्तन कैंसर के इलाज में बड़ी उपलब्धि	125
➤ गर्भावस्था में मधुमेह परीक्षण अनिवार्य	126
➤ विकलांगता शिखर सम्मेलन, 2019'	127
➤ ग्लोबल चाइल्डहुड रिपोर्ट 2019 और भारत	128
➤ यौन उन्मुखीकरण और लैंगिक पहचान: यूनेस्को	130
➤ भूख से निपटने में पंजाब और केरल सबसे आगे	131
➤ निपाह वायरस और फ्रूट बैट	133
➤ बिहार में सार्वभौमिक वृद्धावस्था पेंशन लागू	134
➤ अवेयर	136

➤ मानव तस्करी एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा	137
➤ मिर्गी पर डब्ल्यू.एच.ओ. की रिपोर्ट	138
➤ महिलाओं में एनीमिया	139
➤ द इंडिया सोशल डेवलपमेंट रिपोर्ट- 2018	140
➤ नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक	141
➤ वैश्विक श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी	142

कला एवं संस्कृति 144

➤ रॉक आर्ट/शैल चित्र का विनाश	144
➤ बाल साहित्य पुरस्कार 2019 तथा युवा पुरस्कार 2019	145
➤ इम्फाल युद्ध की 75वीं वर्षगांठ	146
➤ ओट्टम थुलाल	146
➤ वलसा देवरालु	147
➤ राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय	147
➤ सागरमाला परियोजना	148
➤ कुटियाट्टम	148
➤ अंबुबाची मेला	149
➤ आंध्र प्रदेश में पाए गए बौद्ध अवशेष	149
➤ गो ट्राइबल कैम्पेन	149

आंतरिक सुरक्षा 151

➤ असम में विदेशी अधिकरण और एन.आर.सी.	151
➤ एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन 2019	152

चर्चा में 153

व्यक्ति 153

➤ बीरेंद्र सिंह धनोआ	153
➤ मोहम्मद नशीद	153
➤ तिजानी मोहम्मद बंदे	153
➤ राजीव महर्षि	153
➤ अनीता भाटिया	154
➤ मोहना सिंह	154
➤ गिरीश कर्नाड	154
➤ मृत्युंजय महापात्र	154
➤ कुमार अच्यर	154

➤ युवराज सिंह	155
➤ राफेल नडाल	155
➤ शरद कुमार	155
➤ सुन वीदोंग	155
➤ कासिम-जोमार्ट टोकायेव	155
➤ जुजाना कैपुतोवा	156
➤ जोशना चिनप्पा	156
➤ मोहम्मद मोर्सी	156
➤ डॉ. रंजना अग्रवाल	156
➤ छ्यू दोंग्यू	156
➤ सामंत कुमार गोयल	157
➤ महाराजा रणजीत सिंह	157
स्थान	158
➤ सिनाबंग ज्वालामुखी	158
➤ सतोपंथ	158
➤ नागरी का ऐतिहासिक क्लॉक टॉवर	158
पुरस्कार	160
➤ कान फिल्म महोत्सव	160
➤ स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी'	160
➤ ऑर्डर ऑफ द एजटेक ईगल	160
➤ 54वाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार	160
➤ डैनी काये ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड	161
➤ ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड	161
➤ स्टार ऑफ यरुशलम	161
➤ गंगा क्वेस्ट पुरस्कार, 2019	161
➤ राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार, 2019	162
दिवस	163
➤ विश्व दुग्ध दिवस	163
➤ विश्व साइकिल दिवस	163

➤ विश्व पर्यावरण दिवस	163
➤ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस	163
➤ बाल श्रम निषेध दिवस	164
➤ अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस	164
➤ विश्व रक्तदान दिवस	164
➤ पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस	164
➤ विश्व शरणार्थी दिवस	165
➤ विश्व बुजुर्ग दुर्ब्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस	165
➤ विश्व संगीत दिवस	165
➤ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस	165
➤ यौन हिंसा उन्मूलन दिवस	166
➤ यौन हिंसा उन्मूलन दिवस	166
➤ अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस	166
➤ अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस	166
➤ विश्व महासागर दिवस	166
➤ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस	167
➤ विश्व शरणार्थी दिवस	168
खेल	169
➤ FIH महिला सीरीज फाइनल्स प्रतियोगिता	169
➤ पुरुष एशियाई स्क्रकर चैंपियनशिप	169
➤ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति	169
सुरक्षा	170
➤ समुद्री डकैती रोधी गश्त	170
➤ खरगा प्रहार	170
➤ गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय	170
➤ निर्भया स्क्वाड	171
➤ रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी	171
➤ वरुणास्त्र	171
➤ ऑपरेशन सनराइज 2'	172
➤ ऑपरेशन संकल्प (Operation Sankalp)	172
विविध	173
➤ पहला एयर स्क्वाड्रन	173
➤ जीव-जंतुओं को विधिक दर्जा	173

➤ वित्तीय साक्षरता सप्ताह	173
➤ ओरांगुटान (वनमानुष) बिन्नी	173
➤ द्वितीय ग्लोबल डिसबिलिटी समिट	174
➤ राष्ट्रीय सुशासन केंद्र	174
➤ G-20 की मंत्रिस्तरीय बैठक	174
➤ टाटा पॉवर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड	174
➤ बायोडीजल	175
➤ मिजो रेन स्लेक	175
➤ डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी	175
➤ समुद्रीय सूचना साझाकरण कार्यशाला	175
➤ 16वाँ एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन 2019	175
➤ इंटेलीजेंट क्लाउड हब	176
➤ DGX-2	176
➤ मंदारिन	176
➤ रावन-1	177
➤ ति आयोग	177
➤ राष्ट्रीय रणनीतिक योजना	177
➤ दत्त प्रसाद जोग	177
➤ नम्मा कोल्हापुरी चप्पल	177
➤ बम्बल रोबोट	178
➤ गो ट्राइबल अभियान	178
➤ राष्ट्रीय रक्षा निधि	178
➤ किसानों के लिये पेंशन योजना	179
➤ पीएम-किसान	179
➤ सुपरनोवा विस्फोट	179
➤ औसुडू झील	180
➤ अनिषेक जनन (Parthenogenesis)	180
➤ वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन	181
➤ वर्ल्डवाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस	181
➤ चीन का अंतरिक्ष रॉकेट	181
➤ ऐडा रोबोट	181
➤ न्यू स्टार्ट संधि	182
➤ निर्वाचन और नियम 49MA	182

➤ सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच	182
➤ कर-मुक्त बॉण्ड	183
➤ समुद्रीय सूचना साझाकरण कार्यशाला 2019	183
➤ अल साल्वाडोर के जंगल 'जीवित-इकाई' घोषित	183
➤ खीर भवानी मेला	183
➤ मिन्कीलेट्टा एशानी	184
➤ काले धन कानून के तहत नए मानदंड	184
➤ स्पिट्जर स्पेस टेलिस्कोप	185
➤ लिब्रा	185
➤ ग्रे वुल्फ	185
➤ राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय	186
➤ कैट फॉक्स	186
➤ इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम	186
➤ सोलेनम प्लास्टिसेक्सम	187
➤ वाशी पेपर/कागज	188
➤ कैसिया ओकिडेंटलिस प्लांट और AES	188
➤ 'आरोग्यपात्रा'	189
➤ गिलयोमा	189
➤ लुलिकोनाजोल	190
➤ मनौरिया इम्प्रेस्सा	190
➤ 'जल ही जीवन है' योजना	190
➤ पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना	191
➤ मांसाहारी डायनासोर	191
➤ सेक्रेड लंगूर	191
➤ ड्रैगनफ्लाई' ड्रोन	192

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

दो नई कैबिनेट समितियाँ

चर्चा में क्यों ?

देश की अर्थव्यवस्था में व्याप्त मंदी और बढ़ती बेरोजगारी पर नई सरकार बराबर नज़र रखे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था में सुधार तथा बेरोजगारी जैसे मुद्दों से निपटने के लिये दो विशेष कैबिनेट समितियों का गठन किया है।

दो नई कैबिनेट समितियाँ

1. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित पाँच सदस्यीय कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ अर्थव्यवस्था को फिर से रफ्तार देने के विकल्पों पर विचार करेगी। कैबिनेट की यह विशेष समिति अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी निवेश बढ़ाने के लिये जरूरी विकल्पों पर भी अपने सुझाव देगी। इस कमेटी के सदस्यों में गृहमंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हैं।
2. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली दूसरी समिति कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के विकल्पों पर विचार करेगी। इसमें कुल 10 सदस्य होंगे जिनमें गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल शामिल हैं।

6 समितियों का पुनर्गठन

- इसके अलावा 6 अन्य प्रमुख समितियों का पुनर्गठन किया गया है। इनमें मंत्रिमंडल की नियुक्ति, आवास, आर्थिक मामलों, संसदीय मामलों, राजनीतिक मामलों, सुरक्षा, निवेश और विकास तथा रोजगार और कौशल विकास समितियाँ शामिल हैं।
- सुरक्षा मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और राजनाथ सिंह, अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और निर्मला सीतारमण इसके सदस्य होंगे। यह समिति राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश मामलों से संबंधित मुद्दों को देखेगी।
- मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करेंगे और अमित शाह के अलावा नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल इसके सदस्य होंगे।
- आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे और इसके सदस्यों के तौर पर राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, सदानंद गौड़ा, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद तथा हरसिमरत कौर बादल शामिल होंगी। इसके अलावा एस. जयशंकर, पीयूष गोयल एवं धर्मेन्द्र प्रधान भी इसमें शामिल होंगे।
- संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता अमित शाह करेंगे और निर्मला सीतारमण, रामविलास पासवान, नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, थावर चंद गहलोत, प्रकाश जावड़ेकर और प्रहलाद जोशी इसके सदस्य होंगे। यह समिति संसद का सत्र बुलाने के लिये तारीखों की सिफारिश करती है। अर्जुनराम मेघवाल और वी. मुरलीधरन इसके विशेष आमंत्रित सदस्य हैं।
- महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर सरकार की मदद करने वाली राजनीतिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, रामविलास पासवान, नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, हरसिमरत कौर बादल, हर्षवर्धन, अरविंद सावंत और प्रह्लाद जोशी इसके सदस्य होंगे।
- प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह और आवास एवं शहरी कार्य मंत्री एवं नागर विमानन मंत्री हरदीप पुरी आवास समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।
- इनके अलावा कौशल विकास की मंत्रिमंडलीय समिति तथा विकास मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति का भी पुनर्गठन किया गया।

नोट :

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जब इन समितियों का पुनर्गठन हुआ तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को केवल दो समितियों (सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति और आर्थिक मामलों की समिति) का सदस्य बनाया गया था, लेकिन इसके बाद हुए एक घटनाक्रम में राजनाथ सिंह को चार और समितियों में शामिल किया गया। वह संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, निवेश एवं विकास मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के साथ-साथ रोजगार एवं कौशल विकास मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के सदस्य भी बनाए गए हैं।

क्यों किया जाता है पुनर्गठन ?

- गौरतलब है कि मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन या पुनर्गठन तब किया जाता है जब नई सरकार काम-काज संभालती है या मंत्रिमंडल में फेरबदल होते हैं। इन समितियों के माध्यम से मंत्रिमंडल को अपना काम करने में सुविधा होती है। ये समितियाँ संविधानेतर हैं अर्थात् संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं है, तथापि इनकी स्थापना हेतु कार्य संचालन संबंधी नियमावली का प्रावधान है।

दो प्रकार की होती हैं समितियाँ

- मंत्रिमंडलीय समितियाँ दो प्रकार की होती हैं- स्थायी समिति और तदर्थ समिति। स्थायी समिति अपने नाम के अनुरूप होती है तथा तदर्थ समिति अस्थायी प्रकृति की होती है।
- कुछ विशेष समस्याओं से निपटने के लिये समय-समय पर तदर्थ समितियाँ गठित की जाती हैं तथा कार्य समाप्त होने के बाद इनका अस्तित्व नहीं रहता है।
- मंत्रिमंडल समितियों का गठन प्रधानमंत्री द्वारा समय और परिस्थिति के अनुसार किया जाता है, इसलिये इनकी संख्या, इनके नाम और रचना समय-समय पर भिन्न होती है।
- इन समितियों में प्रायः कैबिनेट स्तर के मंत्री या स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री शामिल होते हैं। केवल संबद्ध विषय से संबंधित प्रभारी मंत्री ही नहीं, बल्कि अन्य वरिष्ठ मंत्री भी इनमें शामिल होते हैं।
- इन समितियों की अध्यक्षता प्रायः प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, लेकिन कभी-कभी गृह मंत्री तथा वित्त मंत्री भी इन समितियों की अध्यक्षता करते हैं, किंतु प्रधानमंत्री यदि समिति का सदस्य है तो उसकी अध्यक्षता वही करता है।
- ये समितियाँ केवल मामलों का निपटान ही नहीं करतीं, बल्कि मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्ताव भी तैयार करती हैं और निर्णय भी लेती हैं।
- मंत्रिमंडल इन समितियों द्वारा लिये गए निर्णय की समीक्षा कर सकता है।

त्रि-भाषा फॉर्मूला

चर्चा में क्यों ?

वैज्ञानिक डॉ. कस्तूरिरंगन (Dr. Kasturirangan) की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार किये गए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (Draft National Education Policy), 2019 के मसौदे में त्रि-भाषा के फॉर्मूले (Three-Language Formula) को अपनाने की सिफारिश की गई है।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में प्राथमिक स्तर पर इस फॉर्मूले को अपनाने की सिफारिश की गई है।

त्रि-भाषाई फॉर्मूला

- पहली भाषा: यह मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी।
- दूसरी भाषा: हिंदी भाषी राज्यों में यह अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेज़ी होगी। गैर-हिंदी भाषी राज्यों में यह हिंदी या अंग्रेज़ी होगी।
- तीसरी भाषा: हिंदी भाषी राज्यों में यह अंग्रेज़ी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। गैर-हिंदी भाषी राज्यों में यह अंग्रेज़ी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी।

त्रि-भाषाई सूत्र की आवश्यकता क्यों है ?

- समिति की रिपोर्ट के अनुसार, भाषा सीखना बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका प्राथमिक उद्देश्य बहुउद्देश्यीयता (Multilingualism) और राष्ट्रीय सद्भाव (National Harmony) को बढ़ावा देना है।

इसके कार्यान्वयन में आने वाली समस्याएँ

- तमिलनाडु, पुडुचेरी और त्रिपुरा जैसे राज्य अपने स्कूलों में हिंदी सिखाने के लिये तैयार नहीं हैं। और न ही किसी हिंदी भाषी राज्य ने अपने स्कूलों के पाठ्यक्रम में किसी भी दक्षिण भारतीय भाषा को शामिल किया है।
- इतना ही नहीं बल्कि अक्सर राज्य सरकारों के पास त्रि-स्तरीय भाषाई फॉर्मूले को लागू करने के लिये पर्याप्त संसाधन भी उपलब्ध नहीं होते हैं। संसाधनों की अपर्याप्तता संभवतः इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।

संवैधानिक प्रावधान

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। अनुच्छेद में कहा गया है कि नागरिकों के किसी भी वर्ग "जिसकी स्वयं की विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है" को उसका संरक्षण करने का अधिकार होगा।"
- अनुच्छेद 343 भारत संघ की आधिकारिक भाषा से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार, हिंदी देवनागरी लिपि में होनी चाहिये और अंकों के संदर्भ में भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का अनुसरण किया जाना चाहिये। इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि संविधान को अपनाए जाने के शुरुआती 15 वर्षों तक अंग्रेजी का आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग जारी रहेगा।
- अनुच्छेद 346 राज्यों और संघ एवं राज्य के बीच संचार हेतु आधिकारिक भाषा के विषय में प्रबंध करता है। अनुच्छेद के अनुसार, उक्त कार्य के लिये "अधिकृत" भाषा का उपयोग किया जाएगा। हालाँकि यदि दो या दो से अधिक राज्य सहमत हैं कि उनके मध्य संचार की भाषा हिंदी होगी, तो आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का उपयोग किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 347: किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में एक भाषा को चुनने की शक्ति प्रदान करता है, यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकता है कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिये, जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।
- अनुच्छेद 350A प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 350B भाषाई अल्पसंख्यकों के लिये एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है। विशेष अधिकारी को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा, यह भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जाँच करेगा तथा सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपेगा। तत्पश्चात् राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है या उसे संबंधित राज्य/राज्यों की सरकारों को भेज सकता है।
- अनुच्छेद 351 केंद्र सरकार को हिंदी भाषा के विकास के लिये निर्देश जारी करने की शक्ति देता है।
- भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2020'

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs) ने आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली में शहरी भारत के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के पाँचवें संस्करण 'स्वच्छ सर्वेक्षण 2020' (Swachh Survekshan 2020) की शुरुआत की।

- उल्लेखनीय है कि इस सर्वेक्षण में गंदे पानी की सफाई तथा इसके पुनः उपयोग और मल गाद प्रबंधन से संबंधित मानकों पर विशेष फोकस किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रालय के अनुसार, देश में शहरों और नगरों की स्वच्छता का तिमाही मूल्यांकन किया जाएगा; अप्रैल-जून 2019, जुलाई-सितंबर 2019 तथा अक्टूबर-दिसंबर 2019। प्रत्येक तिमाही का भारांक 2000 होगा।
- इसका मूल्यांकन एसबीएम-यू (Server Message Block-U) की ऑनलाइन मासिक नवीनतम जानकारी (Management Information System-MIS) तथा 12 सेवा स्तर प्रगति सूचकों के नागरिक सत्यापन के आधार पर किया जाएगा।
- एक साथ दोनों मानक शहरों की तिमाही रैंकिंग का निर्धारण करेंगे, जिसकी रैंकिंग दो श्रेणियों में की जाएगी। पहली श्रेणी एक लाख और उससे ऊपर की आबादी वाले शहरों की तथा दूसरी श्रेणी एक लाख से कम आबादी वाले नगरों की होगी।

पृष्ठभूमि

- शहरों में बेहतर स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने की दिशा में कदम उठाते हुए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने पहली बार जनवरी 2016 में 'स्वच्छ सर्वेक्षण-2016' आयोजित किया था। इसके अंतर्गत 73 शहरों की रैंकिंग की गई थी।
- इसके बाद जनवरी-फरवरी 2017 के दौरान 'स्वच्छ सर्वेक्षण-2017' कराया गया था जिसके तहत 434 शहरों की रैंकिंग की गई।
- सर्वेक्षण के तीसरे चरण अर्थात् 'स्वच्छ सर्वेक्षण-2018' का बड़े पैमाने पर आयोजन किया गया। इसके तहत 4203 शहरों एवं कस्बों में सर्वेक्षण कराया गया जिसे 66 दिनों की रिकॉर्ड अवधि में पूरा किया गया।
- इसके साथ ही यह विश्व में अब तक का सबसे व्यापक स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया जिसके दायरे में लगभग 40 करोड़ लोग आते हैं।

'स्वच्छ सर्वेक्षण 2019' के संदर्भ में

- इस सर्वेक्षण को ऑनलाइन एमआईएस (Management Information System-MIS) के जरिये पूरी तरह से डिजिटल रूप प्रदान किया गया है।
- 4 बड़े स्रोतों जैसे कि 'सेवा स्तर पर प्रगति, प्रत्यक्ष अवलोकन, नागरिकों से मिली प्रतिक्रिया और प्रमाणन' के आधार पर आँकड़ों का संग्रह किया गया।
- 'सेवा स्तर पर प्रगति' के तहत विभिन्न अवयवों को संशोधित भारांक (वेटेज) दिया गया। इसके अलावा एक नया अवयव 'उप नियम' भी जोड़ा गया।
- प्रमाणन (कचरा मुक्त शहरों और खुले में शौच मुक्त प्रोटोकॉल की स्टार रेटिंग): आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरों के 'प्रमाणन' का एक महत्वपूर्ण अवयव शुरू किया है।

नीति आयोग का पुनर्गठन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने नीति आयोग (National Institution for Transforming India- NITI Aayog) के पुनर्गठन को मंजूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन निम्नलिखित रूप में करने को मंजूरी दी है-

अध्यक्ष	प्रधानमंत्री
उपाध्यक्ष	राजीव कुमार
पूर्णकालिक सदस्य	1. वी के सारस्वत 2. प्रो. रमेश चंद 3. डॉ. वी के पॉल
पदेन सदस्य (Ex-officio Members)	1. राज नाथ सिंह, रक्षा मंत्री 2. अमित शाह, गृह मंत्री 3. निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री 4. नरेन्द्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री

विशेष आमंत्रित सदस्य

1. नितिन गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
2. थावरचंद गहलोत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री
3. पीयूष गोयल, रेलमंत्री
4. राव इंद्रजीत सिंह, सांख्यिकी मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

नीति आयोग

- 1 जनवरी, 2015 को थिंक टैंक के रूप में अस्तित्व में आए नीति आयोग (National Institution for Transforming India- NITI) का मुख्य कार्य न्यू इंडिया के निर्माण का विज्ञान एवं इसके लिये रणनीतिक मसौदा बनाना तथा कार्य योजनाएँ तैयार करना है।
- केंद्र सरकार की नीति निर्धारण संस्था के रूप में नीति आयोग देशभर से सुझाव आमंत्रित करके जन-भागीदारी एवं राज्य सरकारों की भागीदारी से नीतियाँ बनाने का काम करता है।
- अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री ने योजना आयोग को भंग करने की घोषणा की थी और उसके बाद योजना आयोग के भंग होने के साथ ही पंचवर्षीय योजना का युग भी समाप्त हो गया।
- नीति आयोग की स्थापना के बाद योजना के अंतर्गत व्यय और गैर-योजनांतर्गत व्यय का अंतर समाप्त हो चुका है। अब केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को धनराशि का हस्तांतरण केवल केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर होता है।
- उल्लेखनीय है कि नीति आयोग योजना आयोग की भाँति भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सृजित एक निकाय है। इस प्रकार यह न तो संवैधानिक और न ही वैधानिक निकाय है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह एक संविधानेत्तर निकाय होने के साथ ही एक गैर-वैधानिक (जो संसद के किसी अधिनियम द्वारा अधिनियमित न हो) निकाय भी है।
- नीति आयोग के कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत:
 - ◆ अंत्योदय (पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय विचारों पर आधारित)
 - ◆ समावेशिता
 - ◆ ग्राम (विकास प्रक्रिया से गाँवों को जोड़ना)
 - ◆ जनसहभागिता इत्यादि।

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस**चर्चा में क्यों ?**

7 जून, 2019 को पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस (World Food Safety Day) मनाया गया। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2018 में खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से अपनाया गया था।

प्रमुख बिंदु

- 2019 के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम 'खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार' (Food Safety, Everyone's Business) है।
- इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सुरक्षित खाद्य मानकों को बनाए रखने के में जागरूकता पैदा करना और खाद्य जनित बीमारियों के कारण होने वाली मौतों को कम करना है।
- संयुक्त राष्ट्र ने अपनी दो एजेंसियों - खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization- FAO) तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) को दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये नामित किया है।

- 'खाद्य सुरक्षा क्यों आवश्यक है और इसे कैसे हासिल किया जा सकता है?' इस पर चर्चा करने के लिये संयुक्त राष्ट्र ने दिशा-निर्देश विकसित किये हैं। इसके पाँच मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं-
- सरकारों को सभी के लिये सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करना चाहिये।
- कृषि और खाद्य उत्पादन में अच्छी प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता है।
- व्यापार करने वालों लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि खाद्य पदार्थ सुरक्षित है।
- सभी उपभोक्ताओं को सुरक्षित, स्वस्थ और पौष्टिक भोजन प्राप्त करने का अधिकार है।
- खाद्य सुरक्षा एक साझा ज़िम्मेदारी है।
- 'सुरक्षित, पौष्टिक और पर्याप्त भोजन' अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के साथ ही भूख जैसी समस्या को समाप्त कर सकता है।

सरकारी पहलें

- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India-FSSAI) ने राज्यों द्वारा सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराए जाने के प्रयासों के संदर्भ में पहला राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स (State Food Safety Index-SFSI) विकसित किया है।
- इस इंडेक्स के माध्यम से खाद्य सुरक्षा के पाँच मानदंडों पर राज्यों का प्रदर्शन आँका जाएगा। इन श्रेणियों में निम्नलिखित मानदंड शामिल हैं-
 - ◆ मानव संसाधन और संस्थागत प्रबंधन
 - ◆ कार्यान्वयन, खाद्य जाँच-अवसंरचना और निगरानी
 - ◆ प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
 - ◆ उपभोक्ता सशक्तीकरण
- एक अभिनव और बैट्री से चलने वाले 'रमन 1.0' नामक उपकरण का शुभारंभ भी किया है। यह उपकरण खाद्य तेलों, वसा और घी में की गई मिलावट का एक मिनट से भी कम समय में पता लगाने में सक्षम है।
- स्कूलों तक खाद्य सुरक्षा का मुद्दा ले जाने के लिये 'फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स' नामक नवाचारी समाधान की भी शुरुआत की गई है।
- स्वयं ही खाने में मिलावट की जाँच करने वाले इस किट में एक मैनुअल और एक उपकरण लगा है।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने विश्वविद्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों, संस्थानों, कार्यस्थलों, रक्षा/अर्द्ध सैनिक प्रतिष्ठानों, अस्पतालों और जेलों जैसे 7 परिसरों को 'ईट राइट कैंपस' के रूप में घोषित किया है।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India-FSSAI) ने खाद्य कंपनियों और व्यक्तियों के योगदान को पहचान प्रदान करने के लिये 'ईट राइट अवार्ड' की स्थापना की है, ताकि नागरिकों को सुरक्षित और स्वास्थ्यकर खाद्य विकल्प चुनने में सशक्त बनाया जा सके।

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (National Testing Agency-NTA) ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित किया है। यह एजेंसी नीट (National Eligibility Cum Entrance Test-NEET), जेईई, कैट यूजीसी नेट, जी-पैट जैसी प्रतियोगी परीक्षाएँ संपन्न कराती है।

स्थापना

- राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की स्थापना भारतीय संस्था पंजीकरण अधिनियम- 1860 के तहत की गई थी।
- यह एक स्वायत्त संस्था है जो देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश एवं छात्रवृत्ति हेतु प्रवेश परीक्षाएँ आयोजित कराती है।

उद्देश्य

- इस एजेंसी का उद्देश्य प्रवेश और भर्ती हेतु उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करने के लिये कुशल, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर परीक्षण करना है।

कार्य

- यह ऑनलाइन माध्यम में परीक्षा आयोजित करवाता है जिसके लिये इसे ऐसे विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों का चयन करना होता है जहाँ पर सभी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध हों और परीक्षा के आयोजन से उनके शैक्षणिक दिनचर्या पर कोई प्रभाव न पड़े।
- अत्याधुनिक तकनीकी की सहायता से सभी विषयों का प्रश्न-पत्र बनाना।
- एक मजबूत अनुसंधान एवं विकास की संस्कृति के साथ-साथ परीक्षण हेतु विषय विशेषज्ञों का एक पैनल तैयार करना।
- भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में समय-समय पर प्रशिक्षण प्रदान करना और सलाहकार सेवाएँ उपलब्ध कराना।
- एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विसेज (Educational Testing Services) जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करना।
- विभिन्न मंत्रालयों एवं केंद्र सरकार के विभागों तथा राज्य सरकारों द्वारा किसी परीक्षा के आयोजन का दायित्व सौंपे जाने कि स्थिति में उसका संचालन करना।
- स्कूलों, बोर्ड तथा अन्य निकायों में प्रशिक्षण के साथ-साथ सुधार सुनिश्चित करना एवं प्रवेश परीक्षाओं के परीक्षण संबंधी मानकों की समय-समय पर जाँच करना।

प्रशासन

- NTA का अध्यक्ष एक प्रख्यात शिक्षाविद् होता है एवं इसकी नियुक्ति मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की जाती है।
- इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer-CEO) एक महानिदेशक होता है जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
- इसमें एक बोर्ड ऑफ़ गवर्नर होगा जिसमें परीक्षा आयोजित करवाने वाले संस्थानों के सदस्य भी शामिल होंगे।

महत्त्व

- NTA जैसी विशिष्ट परीक्षण एजेंसी की स्थापना से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education-CBSE), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (All India For Technical Education-AICTE) जैसी संस्थाओं से परीक्षा आयोजित कराने का बोझ कम हुआ है।
- NTA प्रत्येक वर्ष ऑनलाइन माध्यम से कम-से-कम दो बार परीक्षाओं का आयोजन करता है जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिये प्रवेश के अवसर बढ़ जाते हैं।
- NTA ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच बढ़ाने के लिये तथा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु जिला स्तर एवं उप-जिला स्तर पर अपने केंद्र स्थापित कर रहा है।
- राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने एक मोबाइल एप प्रारंभ करने के साथ ही अभ्यास परीक्षण केंद्रों की स्थापना की है जिसकी सहायता से अभ्यर्थी अपने स्मार्टफोन पर भी मॉक टेस्ट (Mock Test) देकर अपना परीक्षा पूर्व मूल्यांकन कर सकते हैं।

नेशनलिस्ट पीपुल्स पार्टी (NPP)**चर्चा में क्यों ?**

हाल ही में निर्वाचन आयोग (Election Commission) द्वारा मेघालय के मुख्यमंत्री 'कॉनराड के संगमा' (Conrad K Sangma) के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी (National People's Party- NPP) को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

- इसके साथ ही नेशनल पीपुल्स पार्टी पूर्वोत्तर क्षेत्र से पहली पार्टी बन गई, जिसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी गई है।
- उल्लेखनीय है कि नेशनल पीपुल्स पार्टी ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव और अरुणाचल प्रदेश के राज्य विधानसभा चुनाव में एक राष्ट्रीय पार्टी के लिये निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा किया है।

नेशनल पीपुल्स पार्टी (National People's Party- NPP)

- मेघालय के मुख्यमंत्री के पिता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, दिवंगत पूर्णो अगितोक संगमा (Purno Agitok Sangma) द्वारा इस पार्टी का गठन 2013 में किया गया था।
- हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में संपन्न विधानसभा चुनाव के दौरान इस पार्टी ने 5 सीटों पर विजय प्राप्त की जिसके फलस्वरूप इसे अरुणाचल प्रदेश में भी राज्य पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया।
- नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिह्न किताब' है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाने के बाद देश में किसी भी अन्य राजनीतिक दल या प्रत्याशी को नेशनल पीपुल्स पार्टी का 'किताब' वाला चुनाव चिह्न आवंटित नहीं किया जा सकेगा।
- राष्ट्रीय राजनीतिक दल को दिल्ली में पार्टी कार्यालय और राजनीतिक गतिविधियों के लिये जमीन आवंटन सरकार की तरफ से किया जाता है।

चुनाव आयोग की समीक्षा 2019

- पार्टी ने 14.55% वैध मत प्राप्त किये हैं।
- पार्टी ने विधानसभा की साठ सीटों में से पाँच सीटें हासिल की हैं।
- अपने प्रदर्शन के फलस्वरूप ही इसने अरुणाचल प्रदेश में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त की।
- पार्टी पहले से ही मणिपुर, मेघालय और नगालैंड राज्यों में एक मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी थी।
- अरुणाचल प्रदेश में राज्य पार्टी के रूप में अपनी पहचान के बाद अब यह चार राज्यों यानी मणिपुर, मेघालय, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश में मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी बन गई है।
- इस प्रकार पार्टी ने कम-से-कम चार राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करते हुए राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिये निर्देशित पात्रता शर्त को पूरा कर लिया।
- परिणामस्वरूप चुनाव आयोग ने 'नेशनल पीपुल्स पार्टी' को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान की है।

भारत निर्वाचन आयोग Election Commission

- भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन के लिये जिम्मेदार है।
- संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, यह आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का चुनाव आयोजित करता है।
- वर्तमान में सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं।

निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ और कार्य

- संसद, राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपतियों के निर्वाचन के संदर्भ में इसकी शक्तियाँ एवं कार्य निम्नलिखित हैं-
 - ◆ प्रशासनिक
 - ◆ सलाहकारी
 - ◆ अर्द्ध- न्यायिक
- निर्वाचन की तिथि और समय सारिणी निर्धारित करने एवं नामांकन पत्रों के परीक्षण के अलावा इसका प्रमुख कार्य राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना तथा उन्हें निर्वाचन चिह्न आवंटित करना है।
- राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और चुनाव चिह्न संबंधी विवाद के समाधान के मामले में इसे न्यायालय के समान ही शक्ति प्राप्त है।

संसद में विधेयकों का व्यपगमन

चर्चा में क्यों ?

सरकार एक बार फिर से उन सभी विधेयकों को प्रस्तुत करने की योजना बना रही है जो 16वीं लोकसभा के विघटन के बाद समाप्त/व्यपगत/लैप्स (Lapse) हो गए थे। उल्लेखनीय है कि 22 ऐसे विधेयक हैं जिन्हें लोकसभा में फिर से प्रस्तुत किया जाना है क्योंकि वे व्यपगत/समाप्त (Lapse) हो गए हैं।

- इन लैप्स विधेयकों में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2018 [Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill] उपभोक्ता संरक्षण विधेयक (Consumer Protection Bill), डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) [DNA Technology (Use and Application) Regulation Bill] विनियमन विधेयक जैसे कुछ प्रमुख विधेयक भी शामिल हैं।

स्मरणीय बिंदु

- केवल लोकसभा और विधानसभाओं का विघटन होता, राज्यसभा और राज्य विधानपरिषद के विघटन का कोई प्रावधान नहीं है।
- जब लोकसभा विघटित की जाती है तो इसके सारे कार्य जैसे- विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस, याचिका आदि समाप्त हो जाते हैं।
- इनसे संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 और 108 में दिये गए हैं।
- व्यपगत/लैप्स होने वाले कुछ प्रमुख विधेयक:
- मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2018 [The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2018]
- आधार और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक [Aadhaar and Other Laws (Amendment) Bill]
- कंपनी (संशोधन) विधेयक [Companies (Amendment) Bill]
- अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक, 2018 [Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill]
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक [Micro, Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill]
- मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक [Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill]
- उपभोक्ता संरक्षण विधेयक [Consumer Protection Bill]
- चिट फंड (संशोधन) विधेयक [Chit Funds (Amendment) Bill]
- डी.एन.ए. प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक [DNA Technology (Use and Application) Regulation Bill]

कोई विधेयक व्यपगत/समाप्त कब होता है ?

- ऐसे विचाराधीन विधेयक जो लोकसभा में हैं (चाहे लोकसभा में रखे गए हों या राज्यसभा द्वारा हस्तांतरित किये गए हों)।
- ऐसे विधेयक जो लोकसभा में पारित हो चुके हैं लेकिन राज्यसभा में विचाराधीन हैं।
- ऐसे विधेयक जो राज्यसभा में प्रस्तुत किये गए हों तथा पारित भी हो गए हों लेकिन लोकसभा में विचाराधीन हों, लोकसभा के विघटन के साथ ही समाप्त हो जाते हैं।
- एक ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में प्रस्तुत और पारित होने के बाद लोकसभा में भेजा जाता है लेकिन लोकसभा द्वारा इसे संशोधन के साथ राज्यसभा को लौटा दिया जाता है और तब इसे राज्यसभा की मंजूरी नहीं मिलती है, तो निचले सदन के विघटन की तिथि को इस विधेयक को समाप्त माना जाता है।

विधेयक कब समाप्त नहीं होता ?

- ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित न हो।
- ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये विचाराधीन हो।
- ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिये लौटा दिया गया हो।
- लंबित विधेयक और सभी लंबित आश्वासन जिनकी जाँच सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा की जानी है।

क्यू.एस. वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग (QS World University Rankings) लिस्ट जारी की गई जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे (Indian Institute of Technology-IIT Bombay) ने 152वाँ स्थान हासिल किया है और लगातार दूसरे वर्ष भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बना हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Massachusetts Institute of Technology- MIT) ने लगातार आठवें वर्ष क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
- IIT बॉम्बे के अलावा दो अन्य भारतीय विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (Indian Institute of Technology-IIT Delhi) और भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलूरु (Indian Institute of Science, IISc Bengaluru) ने विश्व स्तर के 200 प्रमुख संस्थानों की सूची में जगह बनाई है। ये दोनों संस्थान क्रमशः 182वें तथा 184वें स्थान पर हैं।
- शीर्ष 500 में शामिल विश्वविद्यालयों में अन्य भारतीय संस्थान इस प्रकार हैं-

संस्थान	क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग
IIT-मद्रास	271
IIT-खड़गपुर	281
IIT- कानपुर	291
IIT- रुड़की	383
दिल्ली विश्वविद्यालय	474
IIT- गुवाहाटी	491

- वैश्विक स्तर पर शीर्ष 1,000 शैक्षणिक संस्थानों की सूची में कुल 23 भारतीय संस्थान शामिल हैं। इसमें अधिकांश सरकार द्वारा वित्तपोषित विश्वविद्यालय तथा पाँच निजी वित्तपोषित विश्वविद्यालय भी हैं।
- मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन (Manipal Academy of Higher Education) की रैंकिंग 701-750 के बीच है, जो इस सूची में देश का शीर्ष निजी विश्वविद्यालय है।
- निजी संस्थानों के संदर्भ में शिक्षक-छात्र अनुपात, अंतर्राष्ट्रीय संकाय और छात्र आबादी जैसे मानक तय किये गए थे जिनके आधार पर इन्होंने शीर्ष सूची में स्थान प्राप्त किया है।

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग QS World University Rankings

- QS एक ऐसा वैश्विक मंच है जो महत्वाकांक्षी पेशेवरों को उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु एक प्रमुख वैश्विक कैरियर और शिक्षा नेटवर्क प्रदान करता है।
- QS संस्थानों में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर तुलनात्मक डेटा संग्रह और विश्लेषण के तरीकों को विकसित करता है और उनकी स्थिति को सुनिश्चित करता है।
- QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय रैंकिंग का प्रकाशन करता है।

धारा 376E और शक्ति मिल मामला

संदर्भ

हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 376 E को सही ठहराया है। धारा 376E के आधार पर शक्ति मिल गैंगरेप के तीन दोषियों को मृत्यु दंड दिया गया है।

क्या है 376 E?

- वर्ष 2012 के दिल्ली गैंगरेप के बाद जस्टिस वर्मा समिति का गठन किया गया था, जिससे ऐसे मामलों में कम समय में पीड़ितों को उचित न्याय दिलाया जा सके। समिति की सिफारिशों के आधार पर आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 लाया गया। इस कानून में बलात्कार की परिभाषा को व्यापक रूप दिया गया तथा अन्य धाराओं के साथ-साथ धारा 376 E को भी जोड़ा गया। ऐसे अपराधी जो धारा 376, 376A तथा 376D के अंतर्गत बार-बार अपराध (Repeat Offender) करते हुए पाए जाते हैं, उनके लिये धारा 376E के तहत मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 376A में पीड़ित के हत्या के कारण तथा 376D में गैंगरेप के दोषी की सजा (20 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा) का प्रावधान है।

शक्ति मिल गैंग रेप केस

- शक्ति मिल गैंग रेप में ऐसे तीन अभियुक्त शामिल थे जो इससे पहले भी बलात्कार के अन्य मामले में शामिल रहे थे। इस प्रकार इन अभियुक्तों को रिपीट ओफेंडर माना गया तथा धारा 376 E के अंतर्गत न्यायालय ने इन अभियुक्तों को फाँसी की सजा का निर्णय दिया।

निर्णय के खिलाफ दोषियों की अपील का आधार

- इस निर्णय के विरुद्ध बॉम्बे उच्च न्यायालय में अपील की गई। अपील में कहा गया कि अभियुक्तों (Accused) को दिया गया मृत्यु दंड एक असंगत दंड है, जो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 21, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार अथवा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही वंचित किया जा सकता है तथा अनुच्छेद 14 जिसमें विधि के समक्ष समानता का प्रावधान किया गया है, का यह निर्णय उल्लंघन करता है। इसके साथ ही अपील में अमेरिका तथा कनाडा के कानून के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय के पुराने निर्णयों का भी हवाला दिया गया।
- अपील में यह भी कहा गया कि भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code-IPC) के अंतर्गत धारा 302 (मृत्यु के लिये दंड) में हत्या के अपराध के लिये न्यूनतम दंड आजीवन कारावास है तथा अधिकतम दंड के लिये मृत्यु दंड का प्रावधान है। लेकिन धारा 376E न्यूनतम दंड के रूप में आजीवन कारावास का प्रावधान करता है, जिसमें किसी भी प्रकार के परिहार (Remission) अथवा क्षमा की संभावना भी नहीं है तथा अधिकतम दंड के रूप में मृत्यु दंड का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में भारत में ऐसा कानून है जिसमें एक से अधिक बार बलात्कार के लिये जो कि मृत्यु का कारण भी नहीं है, के लिये मृत्यु के अपराध के दंड से भी अधिक तीव्र दंड का प्रावधान करता है।

न्यायालय का निर्णय

एमिकस क्युरी ने धारा 376E को ऐसे अपराधों (बलात्कार, गैंगरेप) को कम करने के लिये एक सही प्रयास माना किंतु शक्ति मिल केस में इस धारा के उपयोग की तर्कसंगतता पर प्रश्न चिह्न खड़ा किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय के जस्टिस बी धर्माधिकारी और रेवती मोहिते-डेरें ने IPC की धारा 376E को संविधान के तर्कसंगत माना तथा इस केस में भी इसकी उपयोगिता को सही ठहराया।

भारत में धार्मिक स्वतंत्रता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रकाशित अमेरिकी विदेश मंत्रालय के राज्य विभाग की एक रिपोर्ट में यह कहा गया था कि भारत सरकार अल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा करने में विफल रही है। इसके प्रत्युत्तर में भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी देश को भारत के जीवंत लोकतंत्र और विधि के शासन के बारे में आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है।

प्रमुख बिंदु

- यह रिपोर्ट इसलिये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस रिपोर्ट को व्यक्तिगत रूप से जारी करने वाले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की हाल ही में आधिकारिक यात्रा भी प्रस्तावित है। इसको जारी करने के दौरान धार्मिक स्वतंत्रता को 'बेहद व्यक्तिगत' (deeply personal) प्राथमिकता के रूप में संदर्भित किया गया।
- रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र और विभिन्न राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने मुस्लिम समुदाय को परेशान करने वाले कदम उठाए।
- गाय के संबंध में भीड़ द्वारा हिंसा और हत्याओं के साथ ही अल्पसंख्यक धार्मिक संस्थानों को कमजोर करने, इलाहाबाद जैसे शहरों के नाम परिवर्तित कर प्रयागराज करने से भारतीय बहुलवादी संस्कृति को चोट पहुँची है, जैसे बिंदुओं को रिपोर्ट ने प्रमुखता से प्रस्तुत किया है।
- रिपोर्ट में भाजपा और उसके कई नेताओं को अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ भड़काऊ भाषण, असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizen- NRC) और राज्यों में मुस्लिम समुदाय को लक्षित करने संबंधी विशिष्ट बिंदुओं का भी उल्लेख किया गया है।
- सरकार ने इसके जबाब देते हुए कहा है कि "भारत एक जीवंत लोकतंत्र है, जहाँ संविधान धर्मनिरपेक्षता का परिचायक है तथा मौलिक अधिकारों के माध्यम से धार्मिक स्वतंत्रता को संरक्षण प्रदान करता है और साथ ही लोकतांत्रिक शासन और विधि के शासन को बढ़ावा भी देता है।"

भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान

- भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है क्योंकि संविधान किसी धर्म विशेष को मान्यता नहीं देता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है क्योंकि पश्चिम की पूर्णतया अलगाववादी नकारात्मक अवधारणा के बजाय भारत में समग्र रूप से सभी धर्मों का सम्मान करने की संवैधानिक मान्यता प्रचलित है।
- भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता शब्द को शामिल किया गया।
- किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जायेगा (अनु 14), साथ ही किसी भी व्यक्ति से धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। (अनु.15)
- सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे (अनु.16) ।
- प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म के अनुपालन की स्वतंत्रता है और इसमें पूजा अर्चना की भी व्यवस्था शामिल है। (अनु 25)
- किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में किसी भी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिये जा सकते हैं। (अनु 28)
- राज्य सभी नागरिकों के लिये समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) बनाने का प्रयास करेगा। (अनु 44)
- इसके अतिरिक्त मूल अधिकारों को अनुच्छेद 32 के तहत विशेष रूप से संरक्षित किया गया है।

स्कूलों में छात्रों के बीच खेल को बढ़ावा देना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (Department of School Education and Literacy) ने सभी स्तरों पर समावेशी, न्यायसंगत एवं गुणवत्तापरक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिये 'स्कूल शिक्षा- समग्र शिक्षा' (School Education- Samagra Shiksha) नामक एक एकीकृत योजना लागू की है।

- उल्लेखनीय है कि इस एकीकृत योजना में सर्व शिक्षा अभियान (Sarva Shiksha Abhiyan- SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan- RMSA) और शिक्षक शिक्षा (Teacher Education- TE) तीनों को शामिल किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- बच्चों के संपूर्ण विकास को ध्यान में रखते हुए खेल, शारीरिक गतिविधियों, योग, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों (Co-curricular activities) आदि को प्रोत्साहित करने हेतु पहली बार समग्र शिक्षा के तहत खेल एवं शारीरिक शिक्षा के घटकों को शुरू किया गया है।

- साथ ही सरकारी स्कूलों में खेल उपकरणों के लिये अनुदान का प्रावधान किया गया है जिसके तहत प्रतिवर्ष अनुदान के रूप में प्राथमिक विद्यालयों को 5000 रुपए, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 10,000 रुपए तथा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को 25,000 रुपए दिये जाएंगे।
- वर्ष 2018-19 के बजट में 894307 सरकारी स्कूलों के लिये खेल अनुदान के तहत 506.90 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई।
- मंत्रालय ने खेल अनुदान के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र/दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
- इन दिशा-निर्देशों में सरकारी स्कूलों के लिये यथोचित आयु के आधार पर उपकरणों की एक सांकेतिक सूची जारी की गई है। खेल संबंधी विशेष उपकरण भी स्कूलों द्वारा चुने जा सकते हैं, जो स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता पर आधारित होते हैं, जैसे- प्लेफील्ड की उपलब्धता आदि।
- राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनके पारंपरिक/क्षेत्रीय खेलों को शामिल करने की सलाह दी गई है।
- प्रत्येक स्कूल में एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक (Physical Education Teacher- PET) नियुक्त किया गया है, जो खेल उपकरणों की देखभाल करने और उनके स्टॉक को बनाए रखने के लिये जिम्मेदार होता है।
- राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, 2005 (National Curriculum Framework, 2005) के अनुसार, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को कक्षा I से X तक एक अनिवार्य विषय बनाया गया है।
- NCERT ने कक्षा VI, VII और VIII के लिये शिक्षक मार्गदर्शिका कक्षा IX के पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के लिये एक अनिवार्य विषय का प्रावधान किया है।
- केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Examination- CBSE) ने 9वीं-12वीं तक की कक्षा के छात्रों के लिये स्कूलों में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा हेतु एक सुव्यवस्थित और बेहतर ढंग से डिजाइन किया गया है तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा (Health and Physical Education- HPE) कार्यक्रम पेश किया है।
- स्कूलों को स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के लिये प्रतिदिन एक निश्चित समयावधि निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है। यह कार्यक्रम CBSE के सभी संबद्ध स्कूलों में अनिवार्य किया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान

- इसका कार्यान्वयन वर्ष 2000-2001 से किया जा रहा है।
- यह एक निश्चित समयावधि के भीतर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भारत सरकार का एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है।
- इस अभियान को देश भर में राज्य सरकारों की सहभागिता से चलाया जा रहा है।
- 86वें संविधान संशोधन, 2002 द्वारा 6-14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों के लिये प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना आवश्यक बना दिया गया है।
- सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य सार्वभौमिक सुलभता के साथ प्रारंभिक शिक्षा में बालक-बालिका एवं सामाजिक श्रेणी के अंतर को दूर करना तथा अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- इसके अंतर्गत विविध प्रयास किये जा रहे हैं, जैसे- नए स्कूल खोलना तथा वैकल्पिक स्कूली सुविधाएँ प्रदान करना, स्कूलों एवं अतिरिक्त क्लासरूम का निर्माण किया जाना, प्रसाधन-कक्ष एवं पेयजल सुविधा प्रदान करना, निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें एवं ड्रेस वितरित करना आदि।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan- RMSA)

- 15-16 वर्ष की आयु के सभी युवाओं को अच्छी गुणवत्तायुक्त माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराने, शिक्षा तक पहुँच तथा इसे वहनीय बनाने के उद्देश्य से मार्च 2009 में इस योजना की शुरुआत की गई।
- इस योजना में सभी माध्यमिक स्कूलों के लिये निर्धारित मानकों का निर्धारण करके महिला-पुरुष, सामाजिक-आर्थिक भेदभाव और निःशक्तता की बाधा को हटाने पर विशेष बल दिया गया है।
- वर्ष 2013-14 में केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे- स्कूलों में आई.सी.टी., बालिका छात्रावास, माध्यमिक स्तर पर निःशक्तजनों के लिये समावेशी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा का राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत समावेशन कर दिया गया।

शिक्षक शिक्षा (Teacher Education- TE)

- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (Right to Education- RTE) अधिनियम, 2009 (यह 1 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ) के बेहतर कार्यान्वयन के लिये शिक्षकों की शिक्षा को अत्यन्त महत्वपूर्ण माना गया है।
- भारत में शिक्षक शिक्षा नीति को समय के हिसाब से निरूपित किया जाता रहा है।
- यह कई शिक्षा समितियों/आयोगों की विभिन्न रिपोर्टों में निहित सिफारिशों पर आधारित है, जैसे-
 - ◆ कोठारी आयोग (1966)
 - ◆ चट्टोपाध्याय समिति (1985)
 - ◆ राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन पी ई 1986/92)
 - ◆ आचार्य राममूर्ति समिति (1990)
 - ◆ यशपाल समिति (1993)
 - ◆ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढाँचा (एन सी एफ, 2005)

सीलिएक रोग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में किये गए अध्ययन के अनुसार, भारत में प्रत्येक 140 लोगों में एक व्यक्ति सीलिएक रोग से ग्रसित है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है इसे व्हीट एलर्जी (Wheat Allergy) भी कहा जाता है, जो एक क्रोनिक डिजीज (Chronic Disease) है एवं इसके कारण छोटी आँत में सूजन आ जाती है। यह सूजन ग्लूटेन नामक प्रोटीन के कारण होता है। आमतौर पर यह बीमारी किसी व्यक्ति में आनुवंशिक रूप से भी हो सकती है।
- ग्लूटेन सामान्यतः गेहूँ, राई, जौ और ट्रिटिकेल (triticale), गेहूँ और राई का संकर उत्पाद) में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है।
- ग्लूटेन प्रोटीन भोजन के आकार को बनाए रखने में मदद करता है, गॉद के रूप में कार्य करता है जो भोजन में पोषक तत्वों को एक साथ मिलाये रखता है।

सीलिएक रोग का शरीर पर प्रभाव

- जब सीलिएक रोग से ग्रसित रोगी ग्लूटेन का सेवन करते हैं, तो उनके शरीर में एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया होती है जिससे छोटी आँत बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है, जोकि इसके स्व-प्रतिरक्षित रोग होने का संकेत भी है।
- इस प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया से सबसे अधिक क्षति विली (Villi, ये विली, छोटी आँत की सतह पर उपस्थित ऊँगली के आकार के उभार होते हैं जो भोजन में से पोषक पदार्थों का अवशोषण करते हैं) को पहुँचती है।
- जब विली नष्ट हो जाती हैं तो शरीर में भोजन से पोषक पदार्थों का अवशोषण नहीं हो पाता है।
- इसके अलावा, आधुनिक गेहूँ जोकि अधिक एंटीजेनिक होते हैं, शरीर में प्रविष्ट होने पर एंटीबॉडी के उत्पादन को उत्तेजित करते हैं।
- सीलिएक रोग से ग्रसित रोगियों में कोरोनरी धमनी से संबंधित रोग का दोगुना और छोटे आँत में कैंसर के चार गुना अधिक खतरे की संभावना होती है।
- वर्तमान में, सीलिएक रोग का एकमात्र उपचार ग्लूटेन मुक्त आहार का सेवन करना है। लोगों को ग्लूटेन मुक्त रहने हेतु गेहूँ, राई, जौ, ब्रेड और बीयर जैसे खाद्य पदार्थों के सेवन से बचना चाहिये।
- कई लोग जिन्हें सीलिएक रोग नहीं है, वे भी ग्लूटेन के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं, जिसे गैर-सीलिएक ग्लूटेन संवेदनशीलता (Non Celiac Gluten Sensitivity) के रूप में जाना जाता है।

ग्लूटेन मुक्त आहार से संबंधित मुद्दे

- वे लोग जो सीलिएक रोग से ग्रसित नहीं हैं, वे भी वजन घटाने, बेहतर पाचन जैसी बातों के मद्देनजर इस प्रकार के मोटे अनाजों को छोड़ रहे हैं।
- गेहूं जैसे मोटे अनाज जोकि फाइबर का एक अच्छा स्रोत होने के साथ ही आँत के बेहतर तरीके से कार्य करने के लिये आवश्यक है।
- ग्लूटेन मुक्त आहार के सेवन से हृदय रोग का खतरा भी बढ़ सकता है।

स्व-प्रतिरक्षित रोग (Autoimmune Disease)

- हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, जिसमें कुछ विशेष कोशिकाओं और अंगों का एक जटिल नेटवर्क होता है तथा जो शरीर को रोगाणु एवं अन्य बाहरी प्रतिजनों के विरुद्ध प्रतिरक्षी बनकर हमारे शरीर को रोगों से बचाता है।
- स्व-प्रतिरक्षित रोग से पीड़ित शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ही शरीर के ऊतकों और अंगों पर आक्रमण करती है।
- ऑटोइम्यून बीमारी के प्रकार के आधार पर शरीर के अंग प्रभावित होते हैं। उनमें से कुछ जैसे-मल्टीपल स्केलेरोसिस (Multiple Sclerosis), ल्यूकोडर्मा (Leucoderma) आदि हैं।

लोकसभा अध्यक्ष (Lok Sabha Speaker)

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद ओम बिरला को सर्वसम्मति से 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थीं।

लोकसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (The Speaker and The Deputy Speaker)

- लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है।
- लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने के नाते अलग से किसी शपथ की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। वह लोक सभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है।
- यदि लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष उसकी भूमिका का निर्वाह करता है। संविधान के अनुच्छेद [95(1)] में यह प्रावधान है कि- अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष या यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति द्वारा लोक सभा के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है।
- अनुच्छेद 95(2) में यह प्रावधान है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में वह व्यक्ति कार्य करेगा, जो लोकसभा द्वारा इस कार्य हेतु निर्दिष्ट किया गया हो।
- ऐसे में लोक सभा अध्यक्ष की भूमिका में लोकसभा सदस्य को वो सभी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त होती हैं।

अध्यक्ष की शक्तियाँ तथा कार्य (Powers and Functions of the Speaker)

- लोकसभा अध्यक्ष का प्राथमिक कार्य बैठकों का संचालन करना तथा कार्यवाही को व्यवस्थित व नियंत्रित करना है। मतभेद की अवस्था में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।
- कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।
- दोनों सदनों में किसी विधेयक के संदर्भ में गतिरोध की स्थिति में सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है।
- किसी प्रस्ताव के पक्ष व विपक्ष में बराबर मत पड़ने पर लोक सभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता है।
- दल-बदल विरोधी कानून के तहत लोक सभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह किसी सदस्य के संबंध में दल-बदल संबंधी शिकायत मिलने पर उसकी निरर्हता (Disqualification) पर फैसला करें।
- लोक सभा अध्यक्ष यह भी तय करता है कि सदन में कौन सदस्य कितनी अवधि तक बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा।
- लोक सभा की बैठक के लिये यदि गणपूर्ति (कुल सदस्य संख्या के कम-से-कम 1/10 सदस्य) नहीं है तो बैठक को तब तक के लिये स्थगित कर दें, जब तक कि गणपूर्ति न हो जाए। (सभा के कुल सदस्यों की संख्या का दसवाँ भाग अनुच्छेद 100(3) के अंतर्गत सभा की बैठक के लिये गणपूर्ति माना जाता है।)

आर्थिक घटनाक्रम

व्यापारियों के लिये पेंशन योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई योजना को मंजूरी दी है जिसके तहत 60 वर्ष की आयु के बाद छोटे दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार करने वाले लोगों के लिये न्यूनतम ₹3000 प्रतिमाह की पेंशन सुनिश्चित की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- यह कार्य सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के सरकार के प्रयासों के हिस्से के रूप में किया जा रहा है।
- 18-40 वर्ष की आयु के सभी छोटे दुकानदार और स्व-नियोजित व्यक्ति तथा 1.5 करोड़ रुपए से कम जीएसटी टर्नओवर वाले खुदरा व्यापारी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये अपना नामांकन कर सकते हैं।
- इस योजना से 3 करोड़ से अधिक छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है।
- यह योजना स्व-घोषणा पर आधारित है क्योंकि इसमें आधार और बैंक खाते को छोड़कर किसी भी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। इच्छुक व्यक्ति देश भर में स्थित 3,25,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर्स (Common Service Centres) के माध्यम से अपना नामांकन कर सकते हैं।
- इस योजना में भारत सरकार भी बराबर का योगदान देगी। उदाहरण के लिये, यदि 29 वर्ष की आयु का व्यक्ति प्रतिमाह 100 रुपए का योगदान देता है, तो केंद्र सरकार भी हर महीने ग्राहक के पेंशन खाते में उतनी ही राशि का योगदान करेगी।

अमेरिका ने वापस लिये भारत के GSP लाभ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिका ने सामान्य प्राथमिकता प्रणाली (Generalized System of Preferences- GSP) के तहत भारतीय उत्पादों को शुल्क में मिलने वाली छूट आगे और जारी न रखने का एलान किया है। गौरतलब है कि यह छूट 5 जून, 2019 से समाप्त हो जाएगी।

भारत का रुख

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) के अनुसार, विशेष रूप से आर्थिक संबंधों के क्षेत्र में ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें समय-समय पर आपस में ही हल कर लिया जाता है। भारत इस मुद्दे को नियमित प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में ही देखता है और वह अमेरिका के साथ आर्थिक तथा जनसंबंध दोनों ही क्षेत्रों में मजबूत संबंध बनाने का प्रयास भी जारी रखेगा।

क्या है GSP?

- GSP विकसित देशों (प्राथमिकता देने वाले या दाता देश) द्वारा विकासशील देशों (प्राथमिकता प्राप्तकर्ता या लाभार्थी देश) के लिये विस्तारित एक अधिमानी प्रणाली है।
- वर्ष 1974 के ट्रेड एक्ट (Trade Act) के तहत वर्ष 1976 में शुरू की गई GSP व्यवस्था के अंतर्गत विकासशील देशों को अमेरिका को निर्यात की गई कुछ सूचीबद्ध वस्तुओं पर करों से छूट मिलती है।
- GSP अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी व्यापार तरजीही (Business preferential) योजना है, जिसका उद्देश्य हज़ारों उत्पादों को आयात शुल्क में छूट देकर विकासशील देशों को आर्थिक विकास में मदद करना है।
- इस प्रणाली के तहत विकासशील देशों को विकसित देशों के बाज़ार में कुछ शर्तों के साथ न्यूनतम शुल्क या शुल्क मुक्त प्रवेश मिलता है।

- विकसित देश इसके जरिये विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं।
- नामित लाभार्थी विकासशील देशों के लगभग 30-40 प्रतिशत उत्पादों के लिये वरीयता शुल्क मुक्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। भारत भी एक लाभार्थी विकासशील देश है।
- ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस, कनाडा, यूरोपीय संघ, आइसलैंड, जापान, कजाखस्तान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, रूसी संघ, स्विट्ज़रलैंड, तुर्की और अमेरिका GSP को प्राथमिकता देने वाले देशों में प्रमुख हैं।
- ◆ GSP को 1 जनवरी, 1976 को अमेरिका के ट्रेड एक्ट-1974 के तहत शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दुनियाभर के विकासशील देशों के बाजारों को सहारा देना था। इस कार्यक्रम में शामिल देशों को अमेरिका में अपने उत्पाद बेचने पर किसी तरह का आयात शुल्क नहीं देना होता है। इस कार्यक्रम में भारत सहित 121 देशों को शामिल किया गया है।
- ◆ सरल शब्दों में कहें तो अमेरिका कुछ देशों से आयात होने वाली वस्तुओं पर ड्यूटी नहीं लगाता है अर्थात् जिन देशों को GSP की सुविधा मिलती है, वे बिना किसी शुल्क के अपनी कुछ वस्तुएँ अमेरिकी बाजार में पहुँचा सकते हैं। इसे व्यापार की भाषा में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जब कोई देश किसी अन्य देश को कुछ सामान बेचता है तो उसे ड्यूटी अदा करनी पड़ती है। ऐसे में सामान की कीमत बढ़ जाती है और जब ड्यूटी नहीं लगती तो कीमत कम रहती है एवं वह वस्तु अधिक बिकती है। इससे मुनाफा तो बढ़ता ही है, व्यापार में भी वृद्धि होती है।

भारत और GSP

- भारत GSP का सबसे बड़ा लाभार्थी है, जिसे वर्ष 2017-18 में 19 करोड़ डॉलर का फायदा हुआ था।
- GSP के तहत भारत ने 5.6 अरब डॉलर का निर्यात किया था, जो कुल निर्यात का 11% है।
- GSP के तहत 3700 उत्पादों को छूट मिली हुई है, परंतु भारत केवल 1900 उत्पादों का निर्यात करता है।

अमेरिका की चिंताएँ

- भारत को होने वाले GSP लाभों के तहत अमेरिका प्रतिवर्ष 190 मिलियन डॉलर की कर छूट दे रहा था। लेकिन भारत को अपने यहाँ से निर्यात होने वाले स्टैंट जैसे कुछ मेडिकल उपकरणों को लेकर वह समय-समय पर चिंताएँ जाहिर करता रहा है। भारत सैद्धांतिक रूप से मेडिकल उपकरणों के बारे में अमेरिका की चिंताओं को हल करने के लिये तैयार था।
- इसी प्रकार दुग्ध उत्पादों की बाजार पहुँच से जुड़े मुद्दों पर भारत ने स्पष्ट किया कि इनके लिये यह प्रमाणित होना आवश्यक है कि स्रोत पशुधन को अन्य पशुधन से प्राप्त रक्ताहार कभी नहीं दिया गया है। यह भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए है और इसके बारे में कोई वार्ता संभव नहीं है।
- अल्फाफा, चैरी और पोर्क जैसे उत्पादों के बारे में अमेरिकी बाजार पहुँच के अनुरोधों की स्वीकार्यता से अवगत कराया गया था। भारत ने स्पष्टतः अमेरिका के हितों से जुड़ी विशेष वस्तुओं पर कर में रियायत देने की इच्छा से अवगत कराया।
- गौरतलब है कि तेल और प्राकृतिक गैस तथा कोयला जैसे सामानों की खरीद बढ़ने से भारत के साथ अमेरिकी व्यापार घाटे में वर्ष 2017 और वर्ष 2018 में काफी कमी हुई है। वर्ष 2018 में 4 बिलियन डॉलर से अधिक कमी का अनुमान है।
- भारत में ऊर्जा और विमानों की बढ़ती मांग जैसे घटकों के परिणामस्वरूप भविष्य में इसमें और भी कमी होने का अनुमान है। अरबों डॉलर के राजस्व वाली अमेरिकी सेवाओं और एमेज़न/अमेज़न, उबर, गूगल तथा फेसबुक आदि जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों के लिये भी भारत एक महत्वपूर्ण बाजार है।

भारत में मुद्रास्फीति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) ने औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक [Consumer Price Index: Industrial Labour (CPI:IW)] जारी किया।

भारत में मुद्रास्फीति की माप

थोकमूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index-WPI)

- यह भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक (Inflation Indicator) है।
- इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) के आर्थिक सलाहकार (Office of Economic Adviser) के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
- इसमें घरेलू बाजार में थोक बिक्री के पहले बिंदु किये जाने-वाले (First point of bulk sale) सभी लेन-देन शामिल होते हैं।
- इस सूचकांक की सबसे प्रमुख आलोचना यह है कि आम जनता थोक मूल्य पर उत्पाद नहीं खरीदती है।
- वर्ष 2017 में अखिल भारतीय WPI के लिये आधार वर्ष 2004-05 से संशोधित कर 2011-12 कर दिया गया है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index-CPI)

- यह खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य परिवर्तन को मापता है।
- यह चयनित वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा मूल्यों के स्तर में समय के साथ बदलाव को मापता है, जिस पर एक परिभाषित समूह के उपभोक्ता अपनी आय खर्च करते हैं।
- CPI के चार प्रकार निम्नलिखित हैं:
 1. औद्योगिक श्रमिकों (Industrial Workers-IW) के लिये CPI
 2. कृषि मजदूर (Agricultural Labourer-AL) के लिये CPI
 3. ग्रामीण मजदूर (Rural Labourer-RL) के लिये CPI
 4. CPI (ग्रामीण/शहरी/संयुक्त)
- इनमें से प्रथम तीन को श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो (labor Bureau) द्वारा संकलित किया गया है। जबकि चौथे प्रकार की CPI को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation) के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (Central Statistical Organisation-CSO) द्वारा संकलित किया जाता है।
- CPI का आधार वर्ष 2012 है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाम थोक मूल्य सूचकांक

- थोक मूल्य सूचकांक (WPI) का उपयोग थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों का पता लगाने के लिये किया जाता है। अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को मापना या पता लगाना वास्तव में असंभव है। इसलिये थोक मूल्य सूचकांक में एक नमूने को लेकर मुद्रास्फीति को मापा जाता है। इसके पश्चात् एक आधार वर्ष तय किया जाता है जिसके सापेक्ष में वर्तमान मुद्रास्फीति को मापा जाता है।
- भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर महँगाई की गणना की जाती है।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में मुद्रास्फीति की माप खुदरा स्तर पर की जाती है जिसमें उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं। यह पद्धति आम उपभोक्ता पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को बेहतर तरीके से मापती है।
- WPI, आधारित मुद्रास्फीति की माप उत्पादक स्तर पर की जाती है जबकि और CPI के तहत उपभोक्ता स्तर पर कीमतों में परिवर्तन की माप की जाती है।
- दोनों बास्केट व्यापक अर्थव्यवस्था के भीतर मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति (मूल्य संकेतों की गति) को मापते हैं, दोनों सूचकांक अलग-अलग होते हैं जिसमें भोजन, ईंधन और निर्मित वस्तुओं का भारांक (Weightage) निर्धारित किया गया है।
- WPI सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को शामिल नहीं करता है, जबकि CPI में सेवाओं की कीमतों को शामिल किया जाता है।
- अप्रैल 2014 में, RBI ने मुद्रास्फीति के प्रमुख मापक के रूप में CPI को अपनाया था।

ड्राफ्ट कॉपीराइट संशोधन नियम, 2019

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT) ने ड्राफ्ट कॉपीराइट (संशोधन नियम), 2019 जारी किया।

- डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी की प्रगति को देखते हुए कॉपीराइट अधिनियम का सहज और दोषरहित परिपालन सुनिश्चित करने और कानून को प्रासंगिक विधानों के समकक्ष लाने के लिये भारत सरकार के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग ने कॉपीराइट संशोधन नियम, 2019 को लागू करने का प्रस्ताव किया है।
- भारत में कॉपीराइट शासन, कॉपीराइट अधिनियम, 1957 और कॉपीराइट नियम, 2013 द्वारा शासित है।
- कॉपीराइट नियम, 2013 को पिछली बार वर्ष 2016 में कॉपीराइट नियम, 2016 के माध्यम से संशोधित किया गया था।

ड्राफ्ट नियमों में प्रस्ताव

- कॉपीराइट बोर्ड (Copyright Board) को बदलने के लिये एक अपीलिय बोर्ड (Appellate Board) का गठन किया जाएगा।
- बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999 (Trade Marks Act, 1999) के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।
- यह उन तरीकों को भी संशोधित करने का प्रस्ताव करता है जिसकी सहायता से कॉपीराइट सोसायटी (Copyright Societies) अपनी टैरिफ योजनाओं (Tariff Schemes) को सुनिश्चित करती हैं।
- कॉपीराइट सोसायटी एक कानूनी निकाय है जो वाणिज्यिक प्रबंधन के रचनात्मक लेखकों को उनके हितों की सुरक्षा का आश्वासन है।
- ये सोसायटी लाइसेंस जारी करती हैं और टैरिफ स्कीम के अनुसार रॉयल्टी जमा करती हैं।
- DPIIT ने संशोधनों में प्रस्ताव दिया है कि कॉपीराइट सोसायटी टैरिफ का निर्धारण करते समय "क्रॉस-सेक्शनल टैरिफ तुलना", आर्थिक अनुसंधान, लेखन के उपयोग की प्रकृति और विस्तार, उपयोग संबंधी अधिकारों का व्यावसायिक मूल्य एवं लाइसेंस धारियों को लाभ" आदि पहलुओं पर विचार कर सकती है।

प्रस्तावित संशोधनों अनुसार, कॉपीराइट सोसायटी द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये 'वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट' (The Annual Transparency) प्रकाशन अनिवार्य किया जाना चाहिये।

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिये सिफारिशें

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिये गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट जारी की है। इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में गठित इस समिति ने कारोबारियों, धारकों और ग्राहकों हेतु लागत घटाने एवं इसकी स्वीकार्यता से जुड़े बुनियादी ढाँचे का विस्तार करने की सिफारिश की है ताकि देश के डिजिटल वित्तीय समावेशन में सुधार किया जा सके।

समिति की सिफारिशें

- समिति के अनुसार, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिये सरकार को किये गए किसी भी डिजिटल भुगतान पर लगने वाले शुल्क को हटाना चाहिये।
- ◆ राज्य द्वारा संचालित संस्थाओं और केंद्रीय विभागों को किये गए डिजिटल भुगतान के लिये उपभोक्ताओं पर कोई सुविधा शुल्क नहीं होना चाहिये।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) और सरकार को मिलकर डिजिटल भुगतान व्यवस्था की निगरानी के लिये एक उचित व्यवस्था स्थापित करनी चाहिये।

- डिजिटल फाइनेंशियल इनक्लूजन इंडेक्स
 - ◆ इसके साथ ही समिति ने यह भी कहा है कि एक डिजिटल फाइनेंशियल इनक्लूजन इंडेक्स (Digital Financial Inclusion Index) भी तैयार किया जा सकता है, जिससे कि सामान्य पैमाने के साथ-साथ किसी क्षेत्र विशेष में होने वाली प्रगति के बारे में भी जानकारी हासिल की जा सके और असंतुलन की स्थिति में सुधार के लिये उचित कदम उठाए जा सकें।
- मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (MDR)
 - ◆ समिति की सिफारिशों के अनुसार, मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट को कम किया जाना चाहिये।

क्या है MDR?

- मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (Merchant Discount Rate- MDR) वह शुल्क है, जो कार्ड से भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारी बैंक को चुकाते हैं।
- मास्टरकार्ड, वीजा जैसा पेमेंट गेटवे और पॉइंट ऑफ सेल/कार्ड स्वाइप मशीन जारी करने वाले बैंकों को MDR में मुआवजा/छूट प्राप्त होता है।
- इसे बैंक और व्यापारी के बीच एक पूर्व निर्धारित अनुपात में साझा किया जाता है एवं लेन-देन के प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है।

डिजिटल भुगतान पर MDR का प्रभाव

- बैंक ज्यादा-से-ज्यादा पॉइंट ऑफ सेल (PoS)/कार्ड स्वाइप मशीन जारी करना चाहते हैं किंतु छोटे व्यापारियों के लिये पॉइंट ऑफ सेल/कार्ड स्वाइप मशीन रखना ज्यादा खर्चीला है क्योंकि उन्हें बैंकों को MDR के रूप में एक निश्चित राशि का भुगतान करना पड़ता है, जबकि नकद लेन-देन में ऐसी किसी राशि का भुगतान नहीं करना पड़ता है।
- समिति ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिये 'डिजिटल लेन-देन' पर वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax- GST) को कम करने की सिफारिश की है।

कुछ अन्य सिफारिशें

- ध्यातव्य है कि देश में डिजिटल भुगतान के माहौल में उल्लेखनीय प्रगति हुई है इसलिये वर्तमान समय में मांग या स्वीकार्यता के पक्ष में वातावरण तैयार किया जाना चाहिये।
- समिति के अनुसार, नकदी का इस्तेमाल आसान होने, सार्वभौमिक स्वीकार्यता और उपलब्धता, ग्राहकों पर कम लागत तथा KYC की जरूरत न होने की इसमें अहम भूमिका है।
- समिति ने यह पाया कि भुगतान में सबसे बड़ी साझेदारी सरकार की होती है, ऐसे में भुगतान के डिजिटलीकरण में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पहल की जानी चाहिये।
- वर्तमान स्थिति को दर्शाते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी भी नकदी का दबदबा है, क्योंकि डिजिटल भुगतान की स्वीकार्यता का माहौल नहीं है और यह अल्पविकसित है।
- समिति ने कहा है कि डिजिटल क्रेडिट और डिजिटल डेबिट के बीच अंतर को कम किया जाना चाहिये।
- समिति ने रीयल टाइम ग्राँस सेटलमेंट (RTGS) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) जैसी प्रणालियों में भी उचित सुधार लाने की सिफारिशें की हैं।

नीलेकणि समिति

- जनवरी, 2019 में RBI ने नीलेकणि की अध्यक्षता में इस पाँच सदस्यीय समिति का गठन किया था।
- इस समिति का मुख्य उद्देश्य देश में डिजिटलीकरण के जरिये वित्तीय समावेशन तथा और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के संबंध में परामर्श देना था।

रीयल टाइम ग्राँस सेटलमेंट

- भारतीय रीयल टाइम ग्राँस सेटलमेंट (Real Time Gross Settlement- 'RTGS') एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जिसमें बैंकों के बीच भुगतान निर्देश दिन भर में (रीयल टाइम आधार पर) व्यक्तिगत रूप से और लगातार संसाधित (Processed) होते हैं।

- यह सुविधा 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा की राशि के लेन-देन हेतु उपलब्ध है। देश के उच्च मूल्य लेन-देन वाले 95% भुगतान इसी प्रणाली के माध्यम से किये जाते हैं।

नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर

- नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (National Electronic Funds Transfer-NEFT) देश के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण प्रणालियों में से एक है। इसकी शुरुआत नवंबर 2005 में की गई थी।

आर्थिक जनगणना-2019

चर्चा में क्यों ?

7वीं आर्थिक जनगणना (Seventh Economic Census-7th EC) की तैयारियाँ प्रगति पर हैं। गौरतलब है कि आर्थिक जनगणना के तहत छोटे और घरेलू स्तर पर होने वाली आर्थिक गतिविधियों के साथ ही सभी आर्थिक इकाईयों/प्रतिष्ठानों की गणना की जाएगी।

- देश भर में गणनाकारों द्वारा शुरू किये जाने वाले प्रक्षेत्र कार्य (Field Work) की तैयारी के लिये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Program Implementation) द्वारा कई कार्यक्रमों की योजना तैयार की गई है।

आर्थिक जनगणना के बारे में

- आर्थिक जनगणना भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर स्थित सभी प्रतिष्ठानों का संपूर्ण विवरण है।
- आर्थिक जनगणना देश के सभी प्रतिष्ठानों के विभिन्न संचालनगत एवं संरचनागत परिवर्ती कारकों पर भिन्न-भिन्न प्रकार की सूचनाएँ उपलब्ध कराती है।
- आर्थिक जनगणना देश में सभी आर्थिक प्रतिष्ठानों की आर्थिक गतिविधियों के भौगोलिक विस्तार/क्लस्टरों, स्वामित्व पद्धति, जुड़े हुए व्यक्तियों इत्यादि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध कराती है।
- आर्थिक जनगणना के दौरान संग्रहित सूचना राज्य एवं जिला स्तरों पर सामाजिक-आर्थिक विकास संबंधी योजना निर्माण के लिये उपयोगी होती है।

आर्थिक जनगणना-2019

- वर्ष 2019 में 7वीं आर्थिक जनगणना का संचालन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
- वर्तमान आर्थिक जनगणना में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 7वीं आर्थिक जनगणना के लिये कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्पेशल पर्पज व्हिकल्स, कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (Common Service Center e-Governance Services India Limited) के साथ साझेदारी की है।
- 7वीं आर्थिक जनगणना में आँकड़ों के संग्रहण, सत्यापन, रिपोर्ट सृजन एवं प्रसार के लिये एक आईटी आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा।
- 7वीं आर्थिक जनगणना के परिणामों को प्रक्षेत्र कार्य के प्रमाण एवं सत्यापन के बाद उपलब्ध कराया जाएगा।
- आर्थिक जनगणना के तहत गैर-फार्म कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्र में वस्तुओं/सेवाओं (स्वयं के उपभोग के एकमात्र प्रयोजन के अतिरिक्त) के उत्पादन या वितरण में जुड़े घरेलू उद्यमों सहित सभी प्रतिष्ठानों को शामिल किया जाएगा।

पुरानी आर्थिक जनगणना

- अभी तक केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 6 आर्थिक जनगणनाएँ (Economic censuses) संचालित की हैं।
 - ◆ पहली आर्थिक जनगणना, वर्ष 1977 में
 - ◆ दूसरी आर्थिक जनगणना, वर्ष 1980 में

- ◆ तीसरी आर्थिक जनगणना, वर्ष 1990 में
- ◆ चौथी आर्थिक जनगणना, वर्ष 1998 में
- ◆ पाँचवीं आर्थिक जनगणना, वर्ष 2005 में
- ◆ छठी आर्थिक जनगणना, वर्ष 2013 में

कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ इंडिया लिमिटेड (CSC e-Governance Services India Limited)

- CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ इंडिया लिमिटेड को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है जिसका उद्देश्य CSC योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करना है।
- योजना को प्रणालीगत व्यवहार्यता और स्थिरता प्रदान करने के अलावा यह CSC के माध्यम से नागरिकों को सेवाओं की डिलीवरी हेतु एक केंद्रीकृत और सहयोगी रूपरेखा भी प्रदान करता है।

तमिलनाडु स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार, तमिलनाडु सरकार एवं विश्व बैंक ने तमिलनाडु स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम (Tamil Nadu Health System Reform Program) के कार्यान्वयन हेतु 287 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य तमिलनाडु में स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता में सुधार लाना, गैर-संक्रामणीय रोगों (Non-communicable Diseases- NCDs) के बोझ को कम करना एवं प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में समानता अंतरालों को को कम करना है।

प्रमुख बिंदु

- नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक (NITI Aayog Health Index) में तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है जो व्यापक रूप से उन्नत स्वास्थ्य परिणामों को परिलक्षित करता है।
- तमिलनाडु की मातृत्व मृत्यु दर वर्ष 2005 के प्रति 100,000 सप्राण प्रसव (Live Births) 90 मौतों की तुलना में वर्ष 2015-16 में घटकर 62 मौतों पर आ गई हैं, जबकि इसी अवधि में नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 सप्राण प्रसव 30 मौतों से घटकर 20 मौतों पर आ गई है।
- इन प्रभावी लाभों के बावजूद, कई जिलों में स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता एवं प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य देखभाल में अंतर सहित स्वास्थ्य देखभाल में कुछ चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं।
- तमिलनाडु गैर-संक्रामणीय रोग के बढ़ते बोझ से भी जूझ रहा है क्योंकि राज्य में होने वाली लगभग 69 प्रतिशत मौतों में इनकी भी हिस्सेदारी होती है।
- तमिलनाडु स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रकार से सहायता प्रदान करेगा:
 - ◆ नैदानिकी प्रोटोकॉल एवं दिशा-निर्देशों का विकास।
 - ◆ सार्वजनिक क्षेत्र में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये राष्ट्रीय मान्यता अर्जित करना।
 - ◆ नियमित चिकित्सकीय शिक्षा के माध्यम से चिकित्सकों, परिचारिकाओं एवं परा-चिकित्सकों को सुदृढ़ करना।
 - ◆ आम लोगों को गुणवत्ता एवं अन्य आँकड़ों की सुविधा उपलब्ध कराते हुए नागरिकों एवं राज्य के बीच फीडबैक लूप को सुदृढ़ बनाना।
- पारदर्शिता बढ़ाने तथा जवाबदेही को मजबूत बनाने के लिये इस कार्यक्रम के जरिये तमिलनाडु के अच्छे प्रचलनों एवं नवोन्मेषणों को बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही विश्व के अन्य नवोन्मेषणों को भी अंगीकार किया जा रहा है।'
- यह कार्यक्रम एक प्रोग्राम-फॉर-रिजल्ट्स (Program for Results-PforR), लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिये इनपुट की जगह परिणामों पर फोकस करता है।

राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक

चर्चा में क्यों ?

भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation of Indian Industry-CII) ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत बजट की गुणवत्ता का आकलन करने के लिये एक राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक Fiscal Performance Index) पेश किया है।

प्रमुख बिंदु

- CII द्वारा विकसित समग्र 'राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक' (FPI) एक अभिनव साधन है जो केंद्र और राज्य स्तरों पर बजट की गुणवत्ता की जाँच करने के लिये कई संकेतकों का उपयोग करता है।
- इस सूचकांक को तैयार करने के लिये संयुक्त विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme-UNDP) की मानव विकास सूचकांक प्रक्रिया (Human Development Index Methodology) को अपनाया गया है। राजकोषीय प्रदर्शन का प्रस्तावित समग्र सूचकांक सरकारी बजट की गुणवत्ता के आकलन हेतु छह घटकों पर आधारित है।
 - ◆ राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) की गुणवत्ता का आकलन जीडीपी में ब्याज भुगतान, सब्सिडी, पेंशन और रक्षा मद में भुगतान के मुकाबले राजस्व व्यय की हिस्सेदारी से किया गया है।
 - ◆ पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) की गुणवत्ता का आकलन जीडीपी में (रक्षा को छोड़कर) पूंजी व्यय की हिस्सेदारी से किया गया है।
 - ◆ राजस्व (Revenue) गुणवत्ता का आकलन जीडीपी के अनुपात में शुद्ध कर राजस्व (राज्यों के मामले में स्वयं कर राजस्व) के आधार पर किया गया है।
 - ◆ राजकोषीय समझदारी I (Fiscal Prudence) के स्तर का आकलन जीडीपी के अनुपात में राजकोषीय घाटा के स्तर से किया गया है।
 - ◆ राजकोषीय समझदारी II (Fiscal Prudence) के स्तर का आकलन जीडीपी के अनुपात में राजस्व घाटा के स्तर से किया गया है।
 - ◆ कर्ज सूचकांक (Debt Index) का आकलन जीडीपी के अनुपात में ऋण और गारंटी में परिवर्तन के आधार पर किया गया है।

इंडेक्स के प्रमुख बिंदु

- CII ने राजकोषीय अनुशासन के पैमाने पर राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिये वर्ष 2004-05 से लेकर वर्ष 2016-17 की अवधि में नॉन-स्पेशल कैटेगरी में शामिल 18 राज्यों का 'राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक' तैयार किया।
- व्यय की गुणवत्ता के संदर्भ में आर्थिक रूप से समृद्ध राज्यों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। कम आय वाले राज्यों में बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा ने व्यय में गुणवत्ता लाते हुए हाल के कुछ वर्षों में निरंतर राजकोषीय प्रदर्शन सूचकांक पर शानदार प्रदर्शन किया है।
- बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे कम आय वाले राज्यों में उच्च राजकोषीय घाटे का अनुपात अच्छा रहा है। बिहार ने गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे संपन्न राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं राजकोषीय अनुशासन के संदर्भ में सबसे खराब प्रदर्शन पश्चिम बंगाल, पंजाब और केरल का रहा है।
- नए सूचकांक के अंतर्गत बुनियादी ढाँचा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय को आर्थिक वृद्धि के लिये लाभकारी माना जा सकता है। साथ ही कर राजस्व (Tax Revenues) एक बारगी आय के स्रोत (One-Time Income Sources) की तुलना में अधिक टिकाऊ स्रोत हैं।

भारतीय उद्योग परिसंघ की सिफारिशें

- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (Fiscal Responsibility and Budget Management-FRBM) अधिनियम, जो राजकोषीय घाटे को कम करने हेतु सरकारों के लिये लक्ष्य निर्धारित करता है, को केवल एक घटक पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिये।
 - ◆ इसके बजाय इस अधिनियम के अंतर्गत सभी संस्थाओं के समग्र प्रदर्शन पर व्यय गुणवत्ता, राजस्व प्राप्तियों की गुणवत्ता, और राजकोषीय समझदारी (Fiscal Prudence) के दृष्टिकोण से आकलन किया जाना चाहिये।

भारतीय उद्योग परिसंघ

- भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) सलाहकार और परामर्श संबंधी प्रक्रियाओं के माध्यम से भारत के विकास, उद्योग, सरकार और नागरिक समाज के बीच साझेदारी के लिये अनुकूल वातावरण बनाने का काम करता है।
- CII एक गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी, उद्योगों को नेतृत्व प्रदान करने वाला और उद्योग-प्रबंधित संगठन है जो भारत की विकास प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।
- वर्ष 1895 में स्थापित भारत के इस प्रमुख व्यापार संघ के निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों से SME और MNC सहित लगभग 9000 सदस्य हैं तथा लगभग 276 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय उद्योग/निकायों के 300,000 से अधिक उद्यमों की अप्रत्यक्ष सदस्यता है।

ग्लोबल इकॉनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व बैंक ने “ग्लोबल इकॉनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स: हाईटेन टेंशन, सबड्यूडेड इन्वेस्टमेंट” (Global Economic Prospects: Heightened Tensions, Subdued Investment) रिपोर्ट जारी किया है।

प्रमुख बिंदु

- ग्लोबल इकॉनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स एक द्वैमासिक रिपोर्ट है। इससे पहले यह जनवरी, 2019 में प्रकाशित हुई थी।
- विश्व बैंक ने 2019-20 के लिये वैश्विक विकास की संभावनाओं को 0.3% घटाकर 2.6% कर दिया है।
- इसका कारण वर्ष 2019 की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश अपेक्षित मात्रा से बेहद कम होना है।
- हालाँकि, विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि इसके पश्चात् वृद्धि दर बढ़ेगी एवं वर्ष 2021 तक 2.8% तक पहुँच सकती है।
- वैश्विक वृद्धि के कम होने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिरोधों के बढ़ने की संभावना है साथ ही, सरकारों के ऊपर ऋण के बढ़ने एवं कई मुख्य क्षेत्रों में मंदी की भी संभावना है।
- अमेरिका में वर्ष 2018 में अनुमानित वृद्धि दर, 2.9% से गिरकर इस वर्ष 2.5% तक रहने की उम्मीद है एवं वर्ष 2020 और 2021 में क्रमशः 1.7% और 1.6% तक रहने की उम्मीद है।
- अमेरिकी नीतियों में अनिश्चितता विकास और निवेश को नुकसान पहुँचा सकती है क्योंकि संरक्षणवादी उपाय वैश्विक व्यापार एवं उद्योगों को प्रभावित करते हैं।
- ब्रेकिजट (Brexit) के मुद्दे को लेकर ब्रिटेन और इसके यूरोपीय व्यापारिक भागीदारों पर गंभीर प्रभाव देखने को मिल सकता है।

भारत के संदर्भ में

- विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 तथा इसके बाद के वर्ष के लिये भारत की वृद्धि दर को 7.5 % पर बनाए रखा है।
- हालाँकि, रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि भारत-पाकिस्तान के बीच फरवरी, 2019 के हालिया तनाव फिर से बढ़ने के कारण क्षेत्र में अनिश्चितता बढ़ सकती है एवं निवेश पर प्रभाव पड़ सकता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के लक्ष्य के नीचे मुद्रास्फीति होने के साथ उपभोग बढ़ाने एवं ऋण में वृद्धि को मजबूत करने से निजी खपत और निवेश को फायदा होगा।
- रिपोर्ट के अनुसार, वस्तु एवं सेवा कर (GST) अभी भी पूरी तरह से स्थापित होने की प्रक्रिया में है जिससे सरकारी राजस्व के अनुमानों के बारे में अनिश्चितता पैदा होती है।

निर्माण-परिचालन-हस्तांतरण

चर्चा में क्यों ?

ढाँचागत क्षेत्र (Infrastructure Sector) में बढ़ते व्यय को देखते हुए सरकार ने राजमार्ग परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु BOT मॉडल (Build-Operate-Transfer Model) को पुनः अपनाने का फैसला किया है। इस मॉडल के अंतर्गत बनने वाली परियोजनाओं में सरकार को अपने खजाने से पूंजी नहीं लगानी होती है। वर्ष 2015 में सरकार ने राजमार्ग परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु हाइब्रिड-एन्युटी-मॉडल (Hybrid-Annuity Model- HAM) को अपनाया था परंतु बैंकों ने इस परियोजना में पूंजी लगाने में उदासीनता दिखाई जिसके कारण इसकी महत्ता में कमी आई।

महत्वपूर्ण बिंदु

- BOT मॉडल के तहत निजी निवेश में वृद्धि होगी।
- BOT ढाँचे के तहत बनने वाली परियोजनाओं में सरकार को अपने खजाने से पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है।
- अब तक अपनाए गए HAM मॉडल के तहत केंद्र सरकार राजमार्ग परियोजना लागत का 40 प्रतिशत स्वयं वहन करती थी, जबकि 60 प्रतिशत राशि की व्यवस्था डेवलपर द्वारा की जाती थी।
- वर्ष 2015 में ढाँचागत क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से HAM मॉडल को लाया गया था। बैंकों द्वारा दिये जा रहे ऋण के कारण यह मॉडल सफल रहा परंतु ऋण अदा करने में कोताही बरतने के साथ ही इसका महत्व कम हो गया।
- बैंकों द्वारा ऐसी परियोजनाओं को ऋण प्रदान करना आरक्षण के दायरे में आता था। परंतु मामला तब विपरीत हो गया जब बैंकों को इस बात का पता चला कि बगैर इक्विटी के ये निजी कंपनियाँ अपने संपूर्ण 60 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिये ऋण की मांग कर रही हैं। कंपनी के इस रवैये के विरुद्ध बैंकों ने ऋण जारी करने पर आपत्ति शुरू कर दी।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले साल त्वरित सुधार कार्रवाई के तहत 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बुनियादी ढाँचा परियोजना हेतु ऋण प्राप्त करने के लिये अधिकृत किया था।
- बाद में गैर निष्पादित परिसंपत्ति की स्थिति को देखते हुए उनके ऋण देने के अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया गया था। हालाँकि उनमें से कुछ बैंकों को PCA सूची से बाहर कर दिया गया था।
- BOT के तहत निजी निवेशक परिसंपत्ति को सरकार को वापस करने से पूर्व निश्चित अवधि हेतु सड़क का निर्माण, संचालन और रखरखाव करते हैं।
- राजमार्ग परियोजना में निजी कंपनियों ने काफी रुचि दिखाई है जिसके कारण सरकार BOT मॉडल के लिये लगने वाली बोलियों (Bid) के प्रति बेहद आशान्वित है।
- विशेषज्ञों के अनुसार सरकार ने विगत चार वर्षों में बुनियादी ढाँचे में निवेश के मामले में भारी फेर-बदल की है इसलिये अब बुनियादी ढाँचे के लिये निजी निवेश प्राप्त करना महत्वपूर्ण होगा।

BOT मॉडल के पुनर्जीवन से निजी निवेश में वृद्धि होगी जिससे बाजार की अनिश्चितता और जोखिम में कमी आएगी।

BOT मॉडल

- BOT निजी-सार्वजनिक भागीदारी (Public Private Partnership) मॉडल है जिसके अंतर्गत निजी साझेदार के पास अनुबंधित अवधि के दौरान ढाँचागत परियोजना के डिजाइन, निर्माण एवं परिचालन की पूरी जिम्मेदारी होती है।
- BOT अनुबंध के तहत, आमतौर पर एक सरकारी इकाई, निजी कंपनी को ढाँचागत परियोजना के निर्माण का उत्तरदायित्व सौंपती है।
- एक निजी कंपनी को इस परियोजना के वित्तपोषण, निर्माण और संचालन हेतु कुछ रियायत प्रदान की जाती है।
- कंपनी को परियोजना में किये गए निवेश को पुनः प्राप्त करने हेतु एक निश्चित अवधि जैसे-20 या 30 वर्ष का समय दिया जाता है।
- परियोजना के पूर्ण होने के बाद पुनः इसे सरकार को सौंप दिया जाता है।

HAM मॉडल

- HAM मॉडल BOT और EPC (Engineering, Procurement and Construction) का मिश्रित रूप है।
- EPC मॉडल के तहत NHAI निजी कंपनी को सड़क बनाने का कार्य सौंपती है।
- BOT के विपरीत सड़क का रखरखाव, टोल संग्रह या स्वामित्व निजी कंपनी के पास न होकर सरकार के पास होता है।
- BOT मॉडल में जहाँ संपूर्ण वित्त-व्यवस्था की जिम्मेदारी निजी कंपनियों की होती है वहीं HAM मॉडल में सरकार से टोल राजस्व या वार्षिक शुल्क एकत्र किया जाता है।
- HAM मॉडल के तहत केंद्र सरकार राजमार्ग परियोजना लागत का 40 प्रतिशत स्वयं वहन करती है, जबकि 60 प्रतिशत राशि की व्यवस्था डेवलपर द्वारा की जाती है।

PPP मॉडल के तहत संचालित होने वाले कुछ अन्य मॉडल:

- Build-Own-Operate (BOO)
 - Build-Operate-Lease-Transfer (BOLT)
 - Design-Build-Operate-Transfer (DBFOT)
 - Lease-Develop-Operate (LDO)
- निजी-सार्वजनिक सहयोग से चलने वाले ये मॉडल निवेश, स्वामित्व, जोखिम प्रबंधन के मामले में एक-दूसरे से भिन्न होते हैं-
- BOO (Build-Own-Operate): इस मॉडल के अंतर्गत निर्मित नई सुविधाओं का स्वामित्व निजी साझेदार के पास होता है। प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत निर्मित वस्तुओं और सेवाओं की खरीद निर्धारित नियमों एवं शर्तों के आधार पर की जाती है।
 - BOLT (Build-Operate-Lease-Transfer): इस मॉडल में सरकार एक निजी साझेदार को सार्वजनिक हित की सुविधाओं के निर्माण हेतु कुछ रियायतें देती है, साथ ही इसके डिजाइन, स्वामित्व, सार्वजनिक क्षेत्र के पट्टे का अधिकार भी देती है।
 - DBFOT (Design-Build-Operate-Transfer): इस मॉडल में अनुबंधित अवधि के लिये परियोजना के डिजाइन, उसके विनिर्माण, वित्त और परिचालन का उत्तरदायित्व निजी साझेदार पर होता है।
 - LDO (Lease-Develop-Operate): इस प्रकार के निवेश मॉडल में या तो सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के पास नवनिर्मित बुनियादी ढाँचे की सुविधा का स्वामित्व होता है।

मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट

चर्चा में क्यों ?

“मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट”(Milk Fortification Project) नामक पहल की शुरुआत विश्व बैंक (World Bank), टाटा ट्रस्ट (Tata Trusts) और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (National Dairy Development Board-NDDDB) ने उपभोक्ताओं में विटामिन की कमी को दूर करने के उद्देश्य से की थी। उल्लेखनीय है कि पिछले दो वर्षों के दौरान इसमें महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एवं भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा निर्मित मानकों के आधार पर फोर्टिफिकेशन किया जाता है।
- वर्तमान में देश के 20 राज्यों में लगभग 25 दुग्ध फेडरेशन, निर्माता कंपनियाँ या दुग्ध संघ प्रतिदिन लगभग 55 लाख लीटर दूध का उत्पादन कर रहे हैं।
- अब तक लगभग 1 मिलियन टन दूध को फोर्टिफाई किया जा चुका है।

मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट (Milk Fortification Project)

- इस परियोजना की शुरुआत 5 सितंबर 2017 को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (National Dairy Development Board-NDDB) ने विश्व बैंक और टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर की थी।
- इस परियोजना का लक्ष्य 30 मिलियन ग्राहकों की दुग्ध तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये लगभग 2 मिलियन टन दूध की प्रोसेसिंग करना है।
- इस परियोजना की के लिये निर्धारित अवधि 23 माह है तथा इसका वित्तपोषण दक्षिण एशिया खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पहल (South Asia Food and Nutrition Security Initiative-SAFANSI) द्वारा किया गया है और यह विश्व बैंक द्वारा प्रशासित है।
- SAFANSI का उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के मानकों में सुधार करना तथा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में वृद्धि करते हुए दीर्घकालिक कुपोषण की समस्या को हल करना है।
- इस परियोजना को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, विश्व-बैंक के लिये परामर्शदाता की भूमिका का भी निर्वहन करता है। यह परियोजना के कार्यान्वयन (जैसे- दूध के फोर्टिफिकेशन और परीक्षण के लिये SOPs का विकास; गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता नियंत्रण; परीक्षण, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और प्रचार सामग्री विकसित करना) हेतु दुग्ध संघों, दुग्ध-निर्माता कंपनियों एवं इस परियोजना से जुड़े अन्य निकायों को तकनीकी और वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराता है।

Micronutrient malnutrition

- माइक्रोन्यूट्रीएंट मैलन्यूट्रीशन (Micronutrient malnutrition) का तात्पर्य आहार में विटामिन और खनिज पदार्थों की कमी के कारण होने वाले रोगों से है।
- माइक्रोन्यूट्रीएंट मैलन्यूट्रीशन में सामान्यतः विटामिन-A, आयरन और आयोडीन की कमी से होने वाले रोग शामिल होते हैं।
- गरीबी, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की अनुपलब्धता, बेहतर आहार प्रणालियों के बारे में जानकारी का अभाव और संक्रामक रोगों की अधिकतम घटनाएँ आदि कुछ ऐसे कारक हैं जो माइक्रोन्यूट्रीएंट कुपोषण का कारण बनते हैं।
- सामाजिक स्तर पर कुपोषण के इस स्वरूप का विस्तार बहुत तीव्रता से हो रहा है। जिससे लोगों की कार्यक्षमता क्षीर्ण हो रही है इसके साथ ही लोगों में बीमारी और विकलांगता की दर तेजी से बढ़ रही है जो मानव समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
- खाद्य संवर्द्धन ही इस समस्या से निपटने का एक मात्र उपाय है। फोर्टिफिकेशन के अंतर्गत दूध, चावल, नमक इत्यादि की गुणवत्ता सुधारने हेतु कृत्रिम विधियों से इनमें आयरन, जिंक, आयोडीन, और विटामिन A और D को बढ़ाना है।
- भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। जिसकी प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता वर्ष 2017-18 में बढ़कर 375 ग्राम प्रति दिन हो गई है। दूध का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन एवं व्यापक वितरण की व्यवस्था, संतुलित आहार का अभिन्न अंग होने के कारण संवर्द्धन का सबसे बेहतर विकल्प साबित हुआ है।

माइक्रोन्यूट्रीएंट मैलन्यूट्रीशन और भारत

- भारत में विटामिन A की कमी से ग्रसित शिशुओं की संख्या वैश्विक स्तर पर इस रोग से ग्रसित शिशुओं की संख्या का एक-चौथाई है जबकि आयोडीन की कमी से लगभग 13 मिलियन शिशु इससे ग्रसित हैं।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (National Family Health Survey-4) के आँकड़ों के मुताबिक, भारत में पाँच साल से कम उम्र के बच्चों में 38.4% बच्चों का वजन कम है, 21% बच्चे वेस्टिंग से पीड़ित हैं और 35.7% बच्चों का वजन सामान्य से कम हैं।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB)

- राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना वर्ष 1965 में शोषण के स्थान पर सशक्तीकरण, परंपरा के स्थान पर आधुनिकता और स्थिरता के स्थान पर विकास लाने के लिये की गई थी। इसका उद्देश्य डेयरी उद्योग को भारत के ग्रामीण लोगों के विकास के साधन के रूप में परिवर्तित करना है।
- प्रारंभ में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, सोसायटी अधिनियम 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत था। बाद में NDDB अधिनियम, 1987 के अंतर्गत भारतीय डेयरी निगम (कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत एवं स्थापित) के साथ इसका विलय हो गया जो 12 अक्टूबर, 1987 से प्रभावी हुआ। इस नव-निर्मित कॉर्पोरेट संस्था को राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान घोषित किया गया।
- इसके बाद से, डेयरी बोर्ड ने भारत में डेयरी उद्योग के विकास हेतु डेयरी कार्यक्रमों की योजना बनाई। जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में इस उद्योग के विकास दायित्व उन दुग्ध उत्पादकों को सौंप दिया जो समितियों के प्रबंधन के लिये पेशेवरों की नियुक्ति करते हैं।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय एवं चीनी वरिष्ठ अधिकारियों के बीच नई दिल्ली में बैठक हुई, इस बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु एक-दूसरे के बाजार तक पहुँच पर आम सहमति बनाना था।

प्रमुख बिंदु

- क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership- RCEP) भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सहित आसियान देशों के बीच किया जाने वाला एक मुक्त व्यापार समझौता है।
- प्रभाव में आने के पश्चात् यह विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता होगा, जिसमें विश्व की 45 प्रतिशत आबादी शामिल होगी व इसकी संयुक्त GDP लगभग 21.3 ट्रिलियन डॉलर होगी। साथ ही यह विश्व व्यापार के लगभग 40 प्रतिशत भाग को कवर करेगा।
- हालाँकि इन सब के बावजूद भारत अन्य देशों खासकर चीन से आयातित वस्तुओं के लिये बाजार उपलब्ध कराने पर सहमत नहीं है।
- भारत ने चीन को अन्य सदस्यों जैसे- आसियान, जापान और दक्षिण कोरिया की अपेक्षा बाजार के कम हिस्से तक पहुँच प्रदान करने की पेशकश की है जिसे चीन स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है।
- इस दो दिवसीय बैठक में वस्तुओं, सेवाओं और निवेश जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। चीन ने अपनी मांगों को अलग से रखते हुए सेवाओं के संदर्भ में सकारात्मक रुख अपनाया है, फिर भी वस्तुओं तथा निवेश के संदर्भ में अभी चर्चा होना बाकी है।
- भारत ने आने वाले समय में चीन से आयातित 70-80 प्रतिशत वस्तुओं पर पहले ही प्रशुल्क हटाने की पेशकश की है, तथा वह और छूट देने के लिये तैयार नहीं है क्योंकि इससे भारतीय बाजार के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है।
- चीन पहले से ही भारत के साथ लगभग 60 बिलियन डॉलर से अधिक के व्यापार अधिशेष में है और भारत के घरेलू उद्योगों को चीनी वस्तुओं के कारण भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।
- आसियान और चीन भारत पर जल्द-से-जल्द RCEP से संबंधित निर्णय लेने का दबाव बना रहे हैं ताकि इस वर्ष के अंत तक RCEP पर वार्ता को पूरा किया जा सके।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP)

- क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) एक प्रस्तावित मेगा मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement-FTA) है, जो आसियान के दस सदस्य देशों तथा छह अन्य देशों (ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड) के बीच किया जाना है।
- ज्ञातव्य है कि इन देशों का पहले से ही आसियान से मुक्त व्यापार समझौता है।
- वस्तुतः RCEP वार्ता की औपचारिक शुरुआत वर्ष 2012 में कंबोडिया में आयोजित 21वें आसियान शिखर सम्मेलन में हुई थी।
- RCEP को ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (Trans Pacific Partnership- TPP) के एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।
- RCEP के सदस्य देशों की कुल जीडीपी लगभग 21.3 ट्रिलियन डॉलर और जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 45 प्रतिशत है।
- सदस्य देश: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड सहभागी (Partner) देश हैं।

वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2019

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Conference on Trade and Development- UNCTAD) द्वारा जारी की गई वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2019 (World Investment Report 2019) के अनुसार, वर्ष 2018 में भारत को लगभग 42 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investments- FDI) मुख्यतः विनिर्माण, संचार और वित्तीय क्षेत्रों में प्राप्त हुआ था। भारत के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्प्रवाह (Inflow) में लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

मुख्य निष्कर्ष

- वर्ष 2018 में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में आने वाले कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 77 प्रतिशत हिस्सा भारत को प्राप्त हुआ।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की संभावनाएँ मुख्यतः भारत में होने वाले निवेश पर निर्भर करती हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि का मुख्य कारण सीमा पार से विलय और अधिग्रहण (Cross-border Merger and Acquisitions - M&As) रहा। गौरतलब है कि भारत ने वर्ष 2017 के निवेश के मुकाबले लगभग 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।
- अमेरिकी कंपनी वालमार्ट (Walmart) द्वारा भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट (Flipkart) का अधिग्रहण, सीमा पार से विलय और अधिग्रहण तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में सबसे बड़ी घटना थी।
- अन्य दक्षिण एशियाई देशों जैसे- बांग्लादेश और श्रीलंका में भी क्रमशः 3.6 बिलियन डॉलर और 1.6 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देखने को मिला।
- एशिया के विकासशील देशों में पिछले वर्ष लगभग 3.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।
- रिपोर्ट में इस बात को भी रेखांकित किया गया है कि संपूर्ण विश्व में लगभग 5400 विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zones) मौजूद हैं और जिनमें से लगभग 4000 विशेष आर्थिक क्षेत्र एशिया के विकासशील देशों में हैं।
- एशिया में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की सूची में प्रथम स्थान चीन का है जिसके पास कुल 2543 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, इसके पश्चात् फिलीपींस और भारत का स्थान आता है जिनके पास क्रमशः 528 और 373 विशेष आर्थिक क्षेत्र मौजूद हैं।
- नए विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास निवेश गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है, जो विशेष रूप से औद्योगिक प्रतिष्ठानों और विद्युत उत्पादन में परिलक्षित होता है। दक्षिण एशिया में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की संख्या आने वाले वर्षों में काफी हद तक बढ़ने वाली है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment- FDI)

- यह एक समूह द्वारा किसी एक देश के व्यवसाय या निगम में स्थायी हितों को स्थापित करने के इरादे से किया गया निवेश होता है।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment - FDI) आर्थिक विकास का एक प्रमुख वाहक और देश में आर्थिक विकास के लिये गैर-ऋण वित्त का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से घरेलू अर्थव्यवस्था में नई पूंजी, नई प्रौद्योगिकी आती है और रोजगार के मौके बढ़ते हैं।

व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD)

- 1964 में स्थापित, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Conference on Trade and Development- UNCTAD) विकासशील देशों के विकास के अनुकूल उनके एकीकरण को विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देता है।
- यह एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है।
- इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है।
- इसके द्वारा प्रकाशित कुछ प्रमुख रिपोर्टें:
 - ◆ व्यापार और विकास रिपोर्ट (Trade and Development Report)
 - ◆ विश्व निवेश रिपोर्ट (World Investment Report)
 - ◆ न्यूनतम विकसित देश रिपोर्ट (The Least Developed Countries Report)
 - ◆ सूचना एवं अर्थव्यवस्था रिपोर्ट (Information and Economy Report)
 - ◆ प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट (Technology and Innovation Report)
 - ◆ वस्तु तथा विकास रिपोर्ट (Commodities and Development Report)

विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zones - SEZ)

- विशेष आर्थिक क्षेत्र अथवा सेज (SEZ) विशेष रूप से पारिभाषित उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं, जहाँ से व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है।

- ये क्षेत्र देश की सीमा के भीतर विशेष आर्थिक नियम-कायदों को ध्यान में रखकर व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिये विकसित किये जाते हैं।
- भारत उन शीर्ष देशों में से एक है, जिन्होंने उद्योग तथा व्यापार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये विशेष रूप से ऐसी भौगोलिक इकाइयों को स्थापित किया।
- भारत पहला एशियाई देश है, जिसने निर्यात को बढ़ाने के लिये 1965 में कांडला में एक विशेष क्षेत्र की स्थापना की थी। इसे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन (EPZ) नाम दिया गया था।

कर्मचारी राज्य बीमा

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (Employees' State Insurance Act) कानून के अंतर्गत एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अंशदान (Contribution) की दर को 6.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने का फैसला किया है।

- इससे नियोक्ता का अंशदान (Employers' share) 4.75 प्रतिशत से घटाकर 3.25 प्रतिशत और कर्मचारी का अंशदान (employees' share) 1.75 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत हो जाएगा।
- घटी हुई दरें 1 जुलाई, 2019 से प्रभावी होंगी।
- सरकार के इस कदम से 3.6 करोड़ कर्मचारी और 12.85 लाख नियोक्ता लाभान्वित होंगे।

प्रभाव:

- अंशदान की घटी हुई दर से कामगारों को राहत मिलेगी तथा इससे और अधिक कामगारों को ESI योजना के अंतर्गत नामांकित कर पाना तथा ज्यादा-से-ज्यादा श्रम बल को औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत लाना सुगम हो सकेगा।
- नियोक्ता द्वारा किये जाने वाले अंशदान में कमी होने से प्रतिष्ठानों के वित्तीय उत्तरदायित्व में कमी होगी, जिससे इन प्रतिष्ठानों की व्यावहारिकता में सुधार होगा। इससे कारोबार की सुगमता (Ease of Doing Business) में और अधिक बढ़ोत्तरी होगी।
- संभवतः ESI अंशदान की दर में कटौती से ESI अधिनियम के बेहतर अनुपालन का मार्ग प्रशस्त होगा।
- योजना के विस्तार हेतु सरकार द्वारा पूर्व में किया गया प्रयास
- सरकार ने अधिक-से-अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने के लिये दिसंबर 2016 से जून 2017 तक नियोक्ता और कर्मचारियों के विशेष पंजीकरण का कार्यक्रम शुरू किया एवं विभिन्न चरणों में योजना का कवरेज लाभ देश के सभी जिलों तक बढ़ाने का फैसला किया। 1 जनवरी, 2017 से कवरेज में वेतन की सीमा 15,000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 21,000 रुपए प्रतिमाह कर दी गई।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (Employees' State Insurance Act 1948)

- सरकार द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (Employees' State Insurance Act 1948) रूग्णता (Sickness), प्रसूति (Maternity), रोजगार संबंधी दुर्घटना के कारण अस्थायी अथवा स्थायी शारीरिक निःशक्तता (जिसके कारण मजदूरी अथवा अर्जन क्षमता समाप्त हो गई हो) और मृत्यु, जैसी आकस्मिकताओं में कामगार के हित की सुरक्षा करने के उद्देश्य से लागू किया गया।
- ESI कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employees' State Insurance Corporation-ESIC) द्वारा प्रशासित है। ESI अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाले लाभ नियोक्ताओं और कर्मचारियों द्वारा किये गए अंशदान के माध्यम से वित्तपोषित होते हैं।
- ESI अधिनियम के अंतर्गत नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही अपना-अपना योगदान देते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour & Employment) के जरिये सरकार ESI अधिनियम के अंतर्गत अंशदान की दर तय करती है। वर्तमान में अंशदान की दर वेतन का 6.5 प्रतिशत है, जिसमें नियोक्ता का अंशदान 4.75 प्रतिशत और कर्मचारी का अंशदान 1.75 प्रतिशत है। उल्लेखनीय है कि अंशदान की यह दर 1 जनवरी, 1997 से लागू है।

RBI के ऋण समाधान मानक

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र में गैर-निष्पादित संपत्ति अथवा (Non Performing Assets- NPA) से निपटने के लिये एक नया मानक जारी किया है।

प्रमुख बिंदु

- संकल्प योजनाएँ जैसे- कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन योजना, रणनीतिक ऋण पुनर्गठन योजना, स्वामित्व में परिवर्तन, तनावग्रस्त संपत्तियों की स्थायी संरचना, संयुक्त ऋणदाता मंच और मौजूदा दीर्घकालिक ऋणों की लचीली संरचना आदि को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वापस ले लिया गया है और इनके स्थान पर संशोधित मापदंड जारी किये गये हैं।
- ये नए मानदंड बैंकों के अलावा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, लघु वित्त बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों पर भी लागू होंगे।

संशोधित मानदंड:

- संशोधित मानदंडों के अनुसार, ऋणदाताओं को संकल्प रणनीति का ढाँचा तैयार करने के लिये 30 दिनों की समीक्षा अवधि दी जाएगी, इसके विपरीत पुराने मानदंड ऋणदाताओं को डिफॉल्ट के संदर्भ में संकल्प रणनीति तैयार करने के लिये मजबूर करते थे चाहे डिफॉल्ट एक दिन पुराना ही क्यों न हो।
- किसी भी संपत्ति के डिफॉल्ट होने पर ऋणदाताओं को उस ऋण खाते से होने वाले प्रभाव की पहचान उसे कुछ विशेष उल्लेख खातों (Special Mention Accounts - SMA) में वर्गीकृत करके करनी होगी:
 - ◆ SMA-0: यदि कोई व्यक्ति/कंपनी 0-30 दिनों के भीतर लिये हुए ऋण के मूलधन या ब्याज को चुकाने में विफल रहता है तो उसे SMA-0 में वर्गीकृत किया जाएगा और इस श्रेणी के डिफॉल्ट पर दिवालिया संकल्प लागू किया जा सकता है।
 - ◆ SMA-1: यदि कोई व्यक्ति/कंपनी 31-60 दिनों के भीतर लिये हुए ऋण के मूलधन या ब्याज को चुकाने में विफल रहता है तो उसे SMA-1 में वर्गीकृत किया जाएगा और इस श्रेणी में डिफॉल्ट पर Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) के तहत कार्यवाही की जाएगी।
 - ◆ SMA-3: यदि कोई व्यक्ति/कंपनी 31-60 दिनों के भीतर लिये हुए ऋण के मूलधन या ब्याज को चुकाने में विफल रहता है तो उसे SMA-3 में वर्गीकृत किया जाएगा और इस श्रेणी में डिफॉल्ट के विरुद्ध नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (National Company Law Tribunal-NCLT) में मुकदमा चलाया जाएगा।
- नए मापदंडों के अनुसार किसी भी संपत्ति के स्वामित्व में परिवर्तन, जिसकी कुल जोखिम मात्रा 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, के लिये रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किसी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (Credit Rating Agencies-CRAs) से स्वतंत्र क्रेडिट मूल्यांकन (Independent Credit Evaluation-ICE) करवाना आवश्यक होगा।
 - ◆ ऐसे ऋण खाते जिनकी कुल जोखिम मात्रा 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, को नए मापदंडों के अनुसार ऐसे 2 स्वतंत्र क्रेडिट मूल्यांकन (independent credit evaluation- ICE) करने अनिवार्य हैं।
- ऋणदाताओं को 5 करोड़ रुपए से अधिक कुल जोखिम वाले उधारकर्ताओं के डिफॉल्ट होने की स्थिति में रिज़र्व बैंक को हर हफ्ते एक साप्ताहिक रिपोर्ट देनी होगी।
- दिवालिया घोषित करने की कार्यवाही में देरी होने के कारण अतिरिक्त प्रावधान के रूप में दंडात्मक कार्यवाही की व्यवस्था:
 - ◆ इस संदर्भ में अतिरिक्त प्रावधान बैंकों द्वारा बचे हुए ऋण के अनुपात में बनाए जाएंगे।
 - ◆ यदि समीक्षा अवधि की समाप्ति के 180 दिनों के भीतर संकल्प पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाता है तो बैंकों को इसके लिये कुल 20 प्रतिशत अतिरिक्त प्रावधान बनाने होंगे।
 - ◆ यदि समीक्षा अवधि की समाप्ति के 365 दिनों के भीतर भी संकल्प पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाता है तो बैंकों को इसके लिये कुल अतिरिक्त 15 प्रतिशत प्रावधान (जिसका कुल योग 35 प्रतिशत होगा) बनाने होंगे।

- यदि ऋणदाताओं द्वारा किसी उधारकर्ता के ऋण खातों की वास्तविक स्थिति को छुपाने के उद्देश्य से कुछ कार्यवाही की जाती है तो यह कार्यवाही उच्चतर प्रावधान के निर्माण तथा ऋणदाता पर मौद्रिक दंड की उत्तरदायी होगी।
- ऋणदाताओं को संकल्प परियोजना लागू करने के लिये समीक्षा अवधि के दौरान एक आंतरिक लेनदार समझौते (inter creditor agreement- ICA) पर हस्ताक्षर करने होंगे, जो संकल्प परियोजना के अंतिम रूप और कार्यान्वयन के लिये नियम बनाएगा।

क्रेडिट रेटिंग (Credit Rating)

क्रेडिट रेटिंग किसी भी देश, संस्था या व्यक्ति की ऋण लेने या उसे चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन होती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को एएए, बीबीबी, सीए, सीसीसी, सी, डी श्रेणियों में रेटिंग दी जाती है। इन श्रेणियों के निहितार्थ हैं:

एएए: सबसे मजबूत सबसे बेहतर।

एए: वादों को पूरा करने में सक्षम।

ए: वादों को पूरा करने की क्षमता, पर विपरीत परिस्थितियों का पड़ सकता है असर।

बीबीबी: वादों को पूरा करने की क्षमता, लेकिन विपरीत परिस्थितियों से आर्थिक स्थितियाँ प्रभावित होने की संभावना अधिक।

सीसी: वर्तमान में बहुत कमजोर।

डी: ऋण लौटाने में असफल।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ (Credit Rating Agencies- CRAs)

- ऐसी स्वतंत्र कंपनियाँ जो देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिये क्रेडिट रेटिंग जारी करें, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ कहलाती हैं। जैसे- फिच, मूडीज़ और एस एंड पी इत्यादि।

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (National Company Law Tribunal - NCLT)

- नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 18 के तहत किया गया था।
- नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है जो भारतीय कंपनियों से संबंधित मुद्दों पर निर्णय देती है।
- NCLT में कुल ग्यारह बेंच हैं जिसमें नई दिल्ली में दो (एक प्रमुख) तथा अहमदाबाद, इलाहाबाद, बंगलूरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में एक-एक है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ता डिजिटल लेन-देन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-2019 में डिजिटल लेन-देन की मात्रा में 58.8 प्रतिशत तथा मूल्य मात्रा में 19.5 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, यह नगद रहित अर्थव्यवस्था (Cashless Economy) की ओर भारत का मजबूत कदम है। रिपोर्ट के अनुसार, रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2021 तक डिजिटल लेन-देन में 4 गुना वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

मुख्य बिंदु

- RBI के अनुसार, डिजिटल लेन-देन की मूल्य मात्रा में कुल 19.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है जो की पिछले वित्तीय वर्ष में 22.2 प्रतिशत थी।
- डिजिटल लेन-देन की इस वृद्धि में एक बड़ा हिस्सा RTGS (82.2 प्रतिशत) का है वहीं RTGS (Real Time Gross Settlement System) तथा अंतरबैंक लेन-देन (Interbank Transactions) के अतिरिक्त अन्य घटकों के कारण डिजिटल लेन-देन में 59.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।
- चेक (Cheque) के उपयोग की वर्तमान प्रवृत्ति को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने यह अनुमान लगाया है कि वर्ष 2021 तक चेक आधारित लेन-देन में 2 प्रतिशत की कमी आने की संभावना है।

- इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख किया गया है की वर्ष 2021 तक एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (Unified Payment Interface - UPI) जैसी भुगतान प्रणालियों में सालाना लगभग 100 प्रतिशत औसत वृद्धि दर होने की संभावना है।
- RBI के अनुसार, बीते कुछ वर्षों में भुगतान तथा निपटान (Payment and Settlement) प्रणालियों में काफी नवीनीकरण हुआ है, मोबाइल वॉलेट्स (Mobile Wallets) ने सभी के लिये बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता को बहुत आसान कर दिया है, इसके अतिरिक्त बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण (Biometric Authentication) ने भी बैंकिंग सेवाओं को और अधिक सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- वित्तीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के उपयोग ने भी एक नई दिशा प्रदान की है, आज इस क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग काफी व्यापक स्तर पर हो रहा है जिसने इसे ओर भी सुविधाजनक बना दिया है।
- रिपोर्ट में निकट क्षेत्र संचार (Near field Communication - NFC) तकनीक और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (Central Bank Digital Currencies - CBDC) को वित्तीय क्षेत्र के अग्रणी नवाचारों के रूप में परिभाषित किया गया है।
- RBI के अनुसार, UPI से होने वाले भुगतानों की मात्रा मार्च 2019 में अपने शीर्ष स्तर 799.5 मिलियन पर पहुँच गई है जो मार्च 2018 से 4.5 प्रतिशत अधिक है।
- वर्ष 2018-2019 में डेबिट कार्ड की आयतन तथा मूल्य मात्रा में क्रमशः 19.5 और 16.3 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
- हालाँकि क्रेडिट कार्ड की आयतन तथा मूल्य मात्रा में पिछले वर्ष के मुकाबले कम वृद्धि दर्ज की गई है। जहाँ पिछले वर्ष इसकी आयतन मात्रा में कुल 29.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, वहीं इस वित्तीय वर्ष यह सिर्फ 25.4 प्रतिशत ही रही और मूल्य मात्रा में इस वर्ष 31.4 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई जबकि यह बीते वर्ष यह 39.7 प्रतिशत थी।

भारतीय रिज़र्व बैंक :

- भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 1935 को हुई थी।
- यद्यपि प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला था, वर्ष 1949 में RBI के राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है।
- रिज़र्व बैंक का कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। भारत सरकार के भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड की नियुक्ति चार वर्षों के लिये होती है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य :
 - ◆ मौद्रिक प्रधिकारी
 - ◆ वित्तीय प्रणाली का विनियामक और पर्यवेक्षक
 - ◆ विदेशी मुद्रा प्रबंधक
 - ◆ मुद्रा जारीकर्ता
 - ◆ सरकार का बैंकर
 - ◆ बैंकों के लिये बैंकर

एकीकृत भुगतान प्रणाली (UPI) क्या है ?

- यह एक ऐसी प्रणाली है जो एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कई बैंक खातों का संचालन, विभिन्न बैंकों की विशेषताओं को समायोजित, निधियों का निर्बाध आवागमन और एक ही छतरी के अंतर्गत व्यापारियों का भुगतान कर सकता है।
- यह "पीयर टू पीयर" अनुरोध को भी पूरा करता है जिसे आवश्यकता और सुविधा के अनुसार निर्धारित कर भुगतान किया जा सकता है।
- उल्लेखनीय है कि UPI का पहला संस्करण अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था।

औपचारिक क्षेत्र में 70 लाख रोज़गार अवसरों का सृजन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में फ्लेक्सी-स्टाफिंग उद्योग (Flexi-Staffing Industry) की संस्था भारतीय कर्मचारी महासंघ (Indian Staffing Federation-ISF) ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार बीते तीन वर्षों में हुए बड़े सुधारों और महत्वपूर्ण नीतियों के अनुपालन के कारण वर्ष 2015 से वर्ष 2018 के बीच लगभग 70 लाख रोज़गार अवसरों का सृजन हुआ है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

- यह रिपोर्ट “रोज़गार के सृजन और फ्लेक्सी-स्टाफिंग पर प्रमुख सुधारों का प्रभाव” (Impact of key reforms on job formalisation and flexi-staffing) के नाम से जारी की गई है।
- यहाँ पर फ्लेक्सी-स्टाफिंग का अर्थ अस्थायी भर्तियों से है।
- रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था ISF के अध्यक्ष के अनुसार, बीते तीन वर्षों में कई नीतियों जैसे- मज़दूरी भुगतान अधिनियम (Payment of Wages Act) और EPF आदि में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन और संशोधन हुए हैं तथा औपचारिक क्षेत्र पर भी इसके प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिले हैं।
- ISF का मानना है कि औपचारिक क्षेत्र में सृजित हुए इन 70 लाख रोज़गारों के पीछे का प्रमुख कारण यही प्रभाव है।
- रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2015 से अभी तक 1.2 मिलियन कर्मचारियों को अस्थायी कर्मचारियों के रूप में रोज़गार से जोड़ा गया है।
- इसके अलावा अगले तीन वर्षों में 1.53 मिलियन अतिरिक्त कर्मचारी भी अस्थायी कर्मचारी के रूप में रोज़गार से जोड़े जाएंगे।
- रिपोर्ट के अनुसार, औपचारिकरण (Formalisation), औद्योगीकरण (Industrialisation), शहरीकरण (Urbanisation), वित्तीयकरण (Financialisation) और स्किलिंग (Skilling) के माध्यम से कुल मांग में वृद्धि करके रोज़गार सृजन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।
- रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि वर्ष 2021 तक भारत के पास 6.1 मिलियन अस्थायी कर्मचारी मौजूद होंगे।
- रसद (logistics), बैंकिंग (Banking), वित्तीय और बीमा (Financial and Insurance), आई.टी. (IT) एवं सरकार पाँच ऐसे क्षेत्र हैं जो वर्ष 2021 तक कुल रोज़गार का 55 प्रतिशत हिस्सा सृजित करेंगे।

क्या है ISF?

- ISF एक सर्वोच्च संस्थान है जिसकी स्थापना का उद्देश्य निजी रोज़गार सेवाओं का प्रतिनिधित्व करना है।
- इसे कर्मचारी उद्योगों की ओर से सरकार तथा अन्य व्यापार संस्थाओं के साथ तालमेल बैठाने और बातचीत करने के लिये अधिकृत किया गया है।
- ISF द्वारा सभी सदस्य कंपनियों के लिये आचार-संहिता तैयार की गई है जिसका पालन करना सभी के लिये अनिवार्य है।

मुद्रा योजना के तहत ज़मानत मुक्त ऋण

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (Micro, Small and Medium Enterprises-MSMEs) पर गठित विशेषज्ञों की एक समिति ने यह सुझाव दिया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वयं सहायक समूहों और MSMEs के तहत दिये जाने वाले ज़मानत मुक्त (Collateral-Free) ऋणों की अधिकतम सीमा को 20 लाख रुपए तक बढ़ा दिया जाना चाहिये। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में इन योजनाओं के तहत 10 लाख रुपए तक के ज़मानत मुक्त (Collateral-Free) ऋण प्रदान किये जा रहे हैं।

मुख्य बिंदु:

- यदि केंद्रीय बैंक विशेषज्ञों के इस सुझाव को मंजूरी प्रदान करता है तो बैंकिंग नियामकों (Banking Regulator) को 1 जुलाई, 2010 के अपने परिपत्र (Circular) में संशोधन करना होगा जो जमानत मुक्त ऋणों की सीमा को 10 लाख रुपए तक निर्धारित करता है।
- उपरोक्त सुझाव उस रिपोर्ट का एक हिस्सा है जिसे RBI द्वारा गठित आठ सदस्यीय समिति (भारत में MSMEs के ढाँचे की समीक्षा करने के लिये गठित समिति) द्वारा तैयार किया गया है।
- समिति द्वारा यह रिपोर्ट SEBI के पूर्व अध्यक्ष यू. के. सिन्हा के नेतृत्व में तैयार की गई है। समिति ने MSMEs की आर्थिक व वित्तीय स्थिरता के लिये कई सारे दीर्घकालीन सुझाव प्रस्तुत किये हैं।
- समिति के सुझाव ऐसे समय में आए हैं जब सरकार MSMEs की परिभाषा को बदलने पर विचार कर रही है।
- MSMEs के संदर्भ में वर्ष 2006 की परिभाषा के अनुसार,
 - ◆ विनिर्माण इकाई के लिये
 - 25 लाख रुपए से कम निवेश वाली इकाइयाँ सूक्ष्म उद्योग कहलाती हैं,
 - 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक के निवेश वाली इकाइयाँ लघु उद्योग कहलाती हैं, और
 - 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए के निवेश वाली इकाइयाँ मध्यम उद्योग कहलाती हैं।
 - ◆ सेवा इकाई के लिये
 - 10 लाख रुपए से कम निवेश वाली इकाइयाँ सूक्ष्म उद्योग कहलाती हैं,
 - 10 लाख से 2 करोड़ रुपए तक के निवेश वाली इकाइयाँ लघु उद्योग कहलाती हैं, और
 - 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक के निवेश वाली इकाइयाँ मध्यम उद्योग कहलाती हैं।
- परिभाषा में परिवर्तन करने का प्रारूप कैबिनेट द्वारा मंजूर कर दिया गया है, परंतु इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है।
- नई परिभाषा के अनुसार,
 - ◆ उद्योग निर्धारण के लिये निवेश के स्थान पर कुल सालाना बिक्री को आधार माना जाएगा।
 - ◆ विनिर्माण इकाई और सेवा इकाई में कोई अंतर नहीं होगा।
 - ◆ 5 करोड़ रुपए की कुल बिक्री वाली इकाइयाँ सूक्ष्म उद्योग होंगी।
 - ◆ 75 करोड़ रुपए की कुल बिक्री वाली इकाइयाँ लघु उद्योग होंगी, और
 - ◆ 250 करोड़ रुपए की कुल बिक्री वाली इकाइयाँ मध्यम उद्योग होंगी।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

- इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इसके तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों के उद्योगों को जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तीन प्रकार के ऋणों की व्यवस्था है:
 - ◆ शिशु - 50,000 रुपए तक के ऋण
 - ◆ किशोर - 50,001 से 5 लाख रुपए तक के ऋण
 - ◆ तरुण - 500,001 से 10 लाख रुपए तक के ऋण
- आँकड़ों के अनुसार, इस योजना के तहत वर्ष 2018-19 में लगभग 60 मिलियन ऋण प्रदान किये गये थे जिनका मौद्रिक मूल्य 3 खरब (Trillion) रुपए से भी अधिक था।
- यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस योजना की 75 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएँ हैं।

अरविंद सुब्रमण्यन के शोधपत्र पर PMEAC का विस्तृत नोट

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद (Prime Minister's Economic Advisory Council - PMEAC) ने हाल ही में 'भारत में GDP आकलन- परिप्रेक्ष्य और तथ्य' (GDP estimation in India- Perspectives and Facts) नाम से एक विस्तृत नोट जारी किया है जिसमें पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन द्वारा जारी किये गए पेपर में GDP आकलन की पद्धति का खंडन किया गया है।

मुख्य बिंदु

- अरविंद सुब्रमण्यन ने हाल ही में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से प्रकाशित अपने शोध-पत्र में यह कहा था कि वर्ष 2011 से 2017 के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को 2.5 प्रतिशत अधिक प्रस्तुत किया गया था। उनके अनुसार इस अवधि में भारत की वास्तविक GDP 4.5 प्रतिशत होनी चाहिये थी जबकि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार यह दर 7 प्रतिशत थी।
- सुब्रमण्यन के इसी शोध-पत्र का खंडन करते हुए प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद ने इस संदर्भ में एक विस्तृत नोट जारी किया है जिसमें PMEAC ने कहा है कि इस शोध-पत्र में कठोरता का अभाव है।
- अरविंद सुब्रमण्यन ने 17 सूचकों के विश्लेषण के आधार पर ही GDP में कमी होने का दावा दिया था, परंतु PMEAC ने अपने नोट में यह स्पष्ट किया है कि उन्होंने जिन सूचकों का प्रयोग किया है वे अर्थव्यवस्था में सिर्फ उद्योगों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि हमारी अर्थव्यवस्था में GDP को प्रभावित करने वाले कई अन्य कारक जैसे - सेवा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र भी हैं।
- PMEAC के अनुसार अरविंद सुब्रमण्यन ने अपने विश्लेषण में कर (Tax) को शामिल नहीं किया है, क्योंकि उनका मानना है कि "कर में हुए बड़े परिवर्तनों ने GDP के साथ उसके संबंध को अस्थायी कर दिया है", परंतु कर GDP का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और सुब्रमण्यन जिन बड़े परिवर्तनों (GST) की बात कर रहे हैं वे उनकी विश्लेषण अवधि के बाद हुए हैं।
- परिषद ने अपने नोट का अंत यह कहते हुए किया है कि "भारत में GDP आकलन की पद्धति पूरी तरह से सटीक नहीं है और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय आर्थिक आँकड़ों की सटीकता को बेहतर बनाने के विविध पहलुओं पर काम कर रहा है।"

प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद (Prime Minister's Economic Advisory Council- PMEAC)

- प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद या 'PMEAC' भारत में प्रधानमंत्री को आर्थिक मामलों पर सलाह देने वाली समिति है।
- इसमें एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य होते हैं।
- इसके सदस्यों का कार्यकाल प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बराबर होता है।
- आमतौर पर प्रधानमंत्री द्वारा शपथ ग्रहण के बाद सलाहकार समिति के सदस्यों की नियुक्ति होती है।
- प्रधानमंत्री द्वारा पद मुक्त होने के साथ ही सलाहकार समिति के सदस्य भी त्यागपत्र दे देते हैं।

किसानों की आय दोगुनी करने के लिये प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण

चर्चा में क्यों ?

सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिये प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण पर बल दिया है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है।

प्रमुख बिंदु

- इसके अंतर्गत किसानों की आय दोगुनी करने से संबंधित मुद्दों की जाँच करने और वास्तविक रूप से किसानों की आय दोगुनी करने के लिये रणनीति की सिफारिश करने हेतु एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है।
- समिति के अनुसार, इस क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, जो ग्रामीण भारत में कृषि गतिविधियों को अंजाम देने, इसे आधुनिक बनाने और व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

- प्रौद्योगिकियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence), बिग डेटा एनालिटिक्स (Big Data Analytics), ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी (Block chain Technology), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (Internet of Things) आदि शामिल हैं।
- सरकार ने प्रौद्योगिकियों के प्रसार के लिये जिला स्तर पर 713 कृषि विज्ञान केंद्र और 684 कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसियों की स्थापना की है।
- इसके अलावा, किसानों को केंद्रित प्रचार अभियान, किसान कॉल सेंटर, कृषि-क्लीनिक और कृषि-व्यवसाय केंद्रों के उद्यमी योजना, कृषि मेलों और प्रदर्शनियों, किसान एसएमएस पोर्टल इत्यादि के माध्यम से जानकारी प्रदान की जाती है।
- मंत्रालय की योजनाओं को सफल बनाने हेतु प्रौद्योगिकी का प्रसार बहुत महत्वपूर्ण है। प्रमुख प्रौद्योगिकी कार्य निम्नलिखित हैं:
 - ◆ किसानों को महत्वपूर्ण मापदंडों पर सूचना के प्रसार के लिये किसान सुविधा मोबाइल एप्लिकेशन को विकसित किया गया है, उदाहरण के लिये मौसम, बाजार मूल्य, पौध संरक्षण, इनपुट डीलर (बीज, कीटनाशक, उर्वरक) फार्म मशीनरी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card), कोल्ड स्टोरेज और गोदाम, पशु चिकित्सा केंद्र और डायग्नोस्टिक लैब्स आदि।
 - ◆ आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों को बाजार की जानकारी के साथ उपज बेचने के लिये बाजारों के बारे में बेहतर जानकारी दी जाती है, साथ ही बाजार की मौजूदा कीमतें और बाजार में वस्तुओं की मांग की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे किसान उचित मूल्य और सही समय पर उपज बेचने के लिये उचित निर्णय ले सकते हैं।
 - ◆ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agriculture Research-ICAR) ने राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (State Agricultural Universities) और कृषि विज्ञान केंद्रों (Krishi Vigyan Kendras) द्वारा विकसित 100 से अधिक मोबाइल एप्लिकेशन भी विकसित किये हैं जो इनकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
 - ◆ ये मोबाइल ऐप फसलों, बागवानी, पशु चिकित्सा, डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्य पालन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और एकीकृत विषयों के क्षेत्रों में किसानों को बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं, जिसमें विभिन्न वस्तुओं के बाजार मूल्य, मौसम से संबंधित जानकारी, सेवाएँ आदि शामिल हैं।
 - ◆ पंजीकृत किसानों को SMS के माध्यम से विभिन्न फसल संबंधी मामलों पर सलाह भेजने के लिये mKisan पोर्टल (www.mkisan.gov.in) का विकास।
 - ◆ किसानों को इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिये ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-National Agriculture Market- e-NAM) पहल की शुरुआत की गई है।
 - ◆ कृषि उत्पादन के भंडारण, प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद और उत्पादन के पश्चात होने वाले फसल नुकसान को कम करने के लिये वैज्ञानिक तरीके से भंडारण क्षमता को बढ़ाया जाएगा, इसके लिये कृषि बाजार से जुड़ी एकीकृत कृषि योजनाओं को क्रियाविंत किया जाएगा।
 - ◆ देश भर के सभी किसानों को 2 वर्ष के चक्र के भीतर एक बार मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने में राज्य सरकारों की सहायता की जा रही है इसके माध्यम से किसानों को मृदा के पोषक तत्वों की स्थिति की जानकारी प्रदान की जाती है। फसल उत्पादकता में वृद्धि करने तथा मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिये किसानों को उचित पोषक तत्वों का उपयोग करने की सलाह भी दी जाती है।
 - ◆ किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ऑयल सीड्स और ऑयल पाम) के तहत बीज उपलब्ध करवाना, तकनीक का अंतरण (Transfer) करना, उत्पादन इकाइयों तथा जल संसाधन का उपयोग करने के लिए आवश्यक उपकरणों को भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध की जा रही है जिससे किसानों को कृषि से संबंधित प्रशिक्षण भी प्राप्त हो सके ताकि किसान फसल का उत्पादन बढ़ा कर आर्थिक लाभ में वृद्धि कर सकें।
 - ◆ कृषि-मौसम विज्ञान और भूमि आधारित अवलोकन परियोजना, बागवानी आकलन और प्रबंधन पर समन्वित प्रोग्राम के लिये भू-सूचना विज्ञान का उपयोग, राष्ट्रीय कृषि विकास आकलन और निगरानी प्रणाली जैसी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

देश में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य

- सरकार ने 2022-23 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है और इसके लिये कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग के राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रिस्तरीय समिति गठित की है। इस समिति को किसानों की आय दोगुनी करने से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और वर्ष 2022 तक सही अर्थों में किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये एक उपयुक्त रणनीति की सिफारिश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

- समानांतर रूप से सरकार आय में वृद्धि को केंद्र में रखते हुए कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने पर विशेष ध्यान दे रही है। किसानों के लिये शुद्ध धनात्मक रिटर्न सुनिश्चित करने हेतु राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के जरिये निम्नलिखित योजनाओं को बड़े पैमाने पर क्रियान्वित किया जा रहा है:
- ◆ मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, नीम लेपित यूरिया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना (e-NAM), बागवानी के एकीकृत विकास के लिये मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इत्यादि।
- ◆ इनके अलावा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर खरीफ और रबी दोनों ही फसलों के लिये MSP को अधिसूचित किया जाता है। यह आयोग खेती-बाड़ी की लागत पर विभिन्न आँकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण करता है और फिर MSP से जुड़ी अपनी सिफारिशें पेश करता है।
- ◆ किसानों की आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 2018-19 के सीजन के लिये सभी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि की थी। गौरतलब है कि वर्ष 2018-19 के बजट में MSP को उत्पादन लागत का कम-से-कम 150 फीसदी तय करने की बात कही गई थी।

साइड पोकेटिंग

संदर्भ:

साधारण शब्दों में साइड पोकेटिंग का अर्थ उस तंत्र से है जो म्यूचुअल फंड्स को अपनी- अपनी ऋण योजनाओं (Debt Schemes) के अंतर्गत खराब परिसंपत्तियों को अलग निवेश सूची में रखने की अनुमति देता है।

- व्यापक तौर पर इस तंत्र की शुरुआत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (The Securities and Exchange Board of India - SEBI) द्वारा दिसंबर 2018 में की गई थी। खराब परिसम्पत्तियों से संबंधित यह तंत्र मुख्यतः SEBI द्वारा IL&FS की नाकामयाबी के बाद प्रस्तुत किया गया था।

यह कैसे काम करता है ?

- पूंजी बाजार नियामकों ने यह निर्धारित किया है कि निवेशकों की यह अलग सूची केवल तभी बनाई जा सकती है जब अपने आरंभिक चरण में ऋण या मुद्रा बाजार प्रपत्र (money market instrument) निर्धारित 'निवेश श्रेणी (Investment Grade)' से नीचे होता है।

निवेशकों को लाभ :

- साइड पोकेटिंग खराब परिसंपत्तियों को अलग सूची में विभाजित कर देता है। जिसके बाद योजना से जुड़े हुए सभी निवेशकों को मुख्य सूची की तरह इस सूची से भी एक समान मात्रा में इकाइयाँ आवंटित कर दी जाती हैं, इस प्रकार कुल पोर्टफोलियो में खराब संपत्तियों का असर नहीं पड़ता और पोर्टफोलियो का निवल परिसंपत्ति मूल्य (net asset value) भी बरकरार रहता है।
- इसके अतिरिक्त यदि कभी खराब संपत्तियों से मूल्य प्राप्त होता है तो निवेशकों को अपना वो पैसा भी मिल जाता है।

क्या साइड पोकेटिंग का दुरुपयोग संभव है ?

- जब साइड पोकेटिंग अस्तित्व में आया था तो विशेषज्ञों का मानना था कि फंड हाउस (Fund Houses) इसका प्रयोग अपने गलत निवेश निर्णयों को छुपाने के लिये कर सकते हैं।
- लेकिन इस संदर्भ में SEBI ने जाँच और संतुलन तंत्र का निर्माण किया है जो समय-समय पर इसके दुरुपयोग की जाँच करता है।
- इसके अतिरिक्त नियामकों मानना है कि सभी फंड हाउस के संरक्षकों को एक ऐसा ढाँचा बनाना होगा जो उन सभी लोगों की आय व प्रोत्साहन राशि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करे जो उस निवेश योजना के निर्णय से संबंधित हैं।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

- यह एक बाजार नियामक तथा भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है।

- इसकी स्थापना 1992 के अधिनियम के तहत 12 अप्रैल, 1992 में की गई थी।
- इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

इसके प्रमुख कार्य

- प्रतिभूति बाजार का नियमन करना तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का प्रावधान करना।
- प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना।
- प्रतिभूति बाजार के विकास का उन्नयन करना।

राज्यों में बेरोज़गारी की असमान दर

चर्चा में क्यों ?

संसद के वर्तमान मानसून सत्र में सरकार ने बेरोज़गारी से संबंधित [वर्ष 2017-2018 में किये आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (The Periodic Labour Force Survey) के] आँकड़े प्रस्तुत किये हैं, जिनके अनुसार देश में नगालैंड में बेरोज़गारी दर सबसे अधिक 21.4 प्रतिशत है, वहीं मेघालय में बेरोज़गारी दर सबसे कम सिर्फ 1.5 प्रतिशत है।

मुख्य बिंदु :

- रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक बेरोज़गारी वाले राज्य नगालैंड और सबसे कम बेरोज़गारी वाले राज्य मेघालय के बीच विचलन या अंतर बहुत अधिक है।
- सर्वाधिक बेरोज़गारी में नगालैंड के बाद दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः गोवा और मणिपुर का है।
- यदि इन आँकड़ों में केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल कर दिया जाए तब भी नगालैंड इस सूची में सबसे ऊपर है, परंतु 0.6 प्रतिशत की दर के साथ दादर और नगर हवेली सबसे कम बेरोज़गारी वाला प्रदेश बन जाएगा।
- महिला और पुरुष बेरोज़गारों की अलग-अलग सूची देखें तो इनमें भी नगालैंड और मेघालय अपने-अपने स्थान पर बरकरार हैं।
- राज्यों से संबंधित आँकड़े निम्नलिखित हैं:

राज्य	महिला बेरोज़गारी दर (%)	पुरुष बेरोज़गारी दर (%)
बिहार	2.8	7.4
मध्यप्रदेश	2.1	5.3
राजस्थान	2.3	6.0
उत्तर प्रदेश	3.1	6.9

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (The Periodic Labour Force Survey)

- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की शुरुआत वर्ष 2017 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (National Sample Survey Organisation) द्वारा की गई थी।
- इससे पूर्व सरकार रोजगार और बेरोज़गारी से संबंधित आँकड़े जानने के लिये रोजगार-बेरोज़गारी सर्वेक्षण कराती थी।
- इसका उद्देश्य रोजगार और बेरोज़गारी के तिमाही आँकड़े प्राप्त करना है।

जल शक्ति अभियान

चर्चा में क्यों ?

केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय (Department of Personnel and Training) ने पानी की कमी से जूझ रहे देश के 255 जिलों में वर्षा जल के संचयन और संरक्षण हेतु 1 जुलाई, 2019 से 'जल शक्ति' अभियान की शुरु करने की घोषणा की है।

- उल्लेखनीय है कि जल से संबंधित मुद्दे राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं लेकिन इस अभियान को केंद्र सरकार के संयुक्त या अतिरिक्त सचिव रैंक के 255 IAS अधिकारियों द्वारा समन्वित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस अभियान में अंतरिक्ष, पेट्रोलियम एवं रक्षा क्षेत्रों से अधिकारियों को शामिल किया जाएगा।
- इस अभियान को दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा प्राप्त करने वाले राज्यों में 1 जुलाई से 15 सितंबर तक जबकि उत्तर-पूर्व मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाले राज्यों में 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक संचालित किया जाएगा।
- इसके अंतर्गत गंभीर रूप से जल स्तर की कमी वाले 313 ब्लॉक शामिल किये जाएंगे। 1,186 ऐसे ब्लॉक भी शामिल किये जाएंगे जहाँ भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ है। साथ ही 94 जिले ऐसे हैं जहाँ भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है।
- जल शक्ति अभियान का उद्देश्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और ग्रामीण विकास मंत्रालय के एकीकृत जलसंभरण प्रबंधन कार्यक्रम के साथ-साथ जल शक्ति और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही मौजूदा जल पुनर्भरण और वनीकरण योजनाओं के तहत जल संचयन, संरक्षण और पुनर्भरण गतिविधियों में तेजी लाना है।
- मोबाइल एप्लिकेशन के जरिये इस कार्यक्रम की रियल टाइम निगरानी की जा सकेगी तथा इसे indiawater.gov.in के डैशबोर्ड पर भी देखा जा सकेगा।
- इस योजना के तहत ब्लॉक और जिला स्तर पर जल संरक्षण योजना का मसौदा तैयार किया जाएगा।
- बेहतर फसल विकल्पों एवं सिंचाई के लिये जल के अधिक कुशल उपयोग को बढ़ावा देने हेतु किसान विज्ञान केंद्र द्वारा मेले का आयोजन किया जाएगा।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

- (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee scheme- MGNREGs)
- भारत में लागू यह एक रोजगार गारंटी योजना है।
- राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में इसकी शुरुआत 2 फरवरी, 2006 को आंध्रप्रदेश से की गई।
- 2 अक्टूबर, 2009 से इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) कर दिया गया।
- यह कानून किसी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वैसे सभी वयस्क सदस्यों को, जो अकुशल श्रम के लिये तैयार हों, 100 दिन के रोजगार (सूखा प्रभावित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों में 150 दिनों का रोजगार) की गारंटी प्रदान करता है।
- इस कानून के अनुसार, लाभार्थियों में कम-से-कम 33 प्रतिशत महिलाएँ अवश्य होनी चाहिये।
- इस योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है तथा लाभ प्राप्तकर्ता इकाई परिवार है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय (Rural Development Ministry- RDM)

- अक्टूबर, 1974 के दौरान ग्रामीण विकास विभाग (Department of Rural Development) खाद्य और कृषि मंत्रालय (Ministry of Food and Agriculture) के अंग के रूप में अस्तित्व में आया। 18 अगस्त, 1979 को इसे ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय (Ministry of Rural Reconstruction) नाम दिया गया।
- 23 जनवरी, 1982 को इस मंत्रालय का नाम ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) कर दिया गया।
- 2 जुलाई, 1992 को इस मंत्रालय के अधीन बंजर भूमि विकास विभाग (Department of Wasteland Development) के नाम से एक विभाग का गठन किया गया।

कार्य

- यह मंत्रालय व्यापक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करके ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव लाने का कार्य करता आ रहा है।
- इन कार्यक्रमों का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, अवसंरचना विकास तथा सामाजिक सुरक्षा है।
- इसके दो विभाग हैं- ग्रामीण विकास विभाग (Department of Rural Development) तथा भूमि संसाधन विभाग (Department of Land Resources)।

जलशक्ति मंत्रालय (Jalshakti Ministry)

- जलशक्ति मंत्रालय (Jalshakti Ministry) का सृजन दो मंत्रालयों का विलय करके किया गया है, ये दोनों मंत्रालय हैं:
- जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय (Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)
- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (Ministry of Drinking Water and Sanitation)
- जल संबंधी सभी कार्य अब इस मंत्रालय के दायरे में आते हैं।
- इससे पहले कई केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा जल संबंधी कार्यों का निर्वहन अलग-अलग किया जाता था जैसे- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय' के तहत अधिकांश नदियों के संरक्षण का कार्य किया जाता है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय' द्वारा शहरी जलापूर्ति की देख-रेख की जाती है तथा सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएँ कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं।

MSMEs हेतु तनावग्रस्त परिसंपत्ति कोष

चर्चा में क्यों ?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को समर्थन देने के लिये RBI पैनल ने 5,000 करोड़ रुपए की तनावग्रस्त परिसंपत्ति कोष (Stressed Asset Fund) तथा एक गैर-लाभकारी विशेष प्रयोजन व्हीकल (SPV) की स्थापना की सिफारिश की है। यह बैंकों को 20 लाख रुपये तक संपाश्विक मुक्त लोन (Collateral Free Loan) का विस्तार करने और क्राउड फंडिंग में मदद करेगा।

प्रमुख बिंदु :

- सेबी के पूर्व चेयरमैन यू.के. सिन्हा की अध्यक्षता में MSMEs पर गठित विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया है कि यह कोष उन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के क्लस्टर इकाइयों को सहायता प्रदान करेगा जो बाह्य कारकों जैसे-प्लास्टिक पर प्रतिबंध, निर्यात के माध्यम से सामानों की डंपिंग आदि के कारण गैर निष्पादक होती जा रही हैं।
- बड़ी संख्या में MSME बंद हो रहे हैं। यह कोष, दिवालिया और बंद हो चुकी इकाइयों को उभरने हेतु इक्विटी निवेश के लिये भी उपलब्ध होगा और इन्हें पुनर्जीवित करने में सहायक होगा, अर्थात् इनको डूबने से बचाएगा।
- समिति ने कहा कि MSME मंत्रालय विभिन्न एजेंसियों द्वारा MSME के लिये विशेष रूप से अनुकूल व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र के लिये मार्ग प्रशस्त हेतु एक गैर-लाभकारी विशेष प्रयोजन व्हीकल (SPV) स्थापित करने पर विचार कर सकता है।
- राष्ट्रीय परिषद
- इसके अलावा, इसने नीतियों के अभिसरण और एक समर्थक उद्यम तंत्र के निर्माण के लिये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिये एक राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की सिफारिश की है, जिसमें MSME के मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, ग्रामीण विकास, रेलवे और सड़क परिवहन मंत्री भी सदस्य के रूप में शामिल होंगे। यह भी कहा गया है कि सभी राज्यों में भी MSME के लिये इसी तरह की परिषदें होनी चाहिये।
- समिति के अनुसार, MSME को इक्विटी सहायता प्रदान करने के लिये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को एक नोडल एजेंसी के रूप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिये जिसमें विभिन्न उद्यम पूंजी कोष भाग ले सकें। इस संबंध में, समिति ने MSME क्षेत्र में निवेश करने वाली उद्यम पूंजी/निजी इक्विटी फंडों का समर्थन करने के लिये एक सरकार-प्रायोजित निधियों की निधि (Fund of Funds) स्थापित करने की सिफारिश की है।
- समिति ने यह भी सिफारिश की कि बैंकिंग लोन पोर्टल (PSBLoansIn59Minutes) जो अभी तक केवल मौजूदा उद्यमियों तक ही सीमित है, को नए उद्यमियों की सेवा करने की अनुमति दी जानी चाहिये जिसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड-अप इंडिया के तहत ऋण के लिये आवेदन करने वाले लोग भी शामिल हों और ऋण की सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए किया जाना चाहिये।
- समिति की सिफारिशों के अनुसार, सभी क्रेडिट गारंटी योजनाएँ जैसे- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिये क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट और राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी, RBI विनियमन और पर्यवेक्षण के अधीन होने चाहिये।

विशेष प्रयोजन व्हीकल/ इकाई (SPV)

विशेष प्रयोजन इकाई या SPV किसी कंपनी की एक सहायक कंपनी होती है जो मुख्य संगठन को दिवालिया होने से बचाती है।

- SPV ज्यादातर बाजार से फंड जुटाने के लिये बनाई जाती है। तकनीकी रूप से SPV एक कंपनी की तरह ही कार्य करती है।
- इसे कंपनी अधिनियम में निर्धारित कंपनी के नियमों का पालन करना होता है।
- एक कंपनी की तरह, SPV एक कृत्रिम व्यक्ति है। इसमें एक कानूनी व्यक्ति के सभी गुण निहित होते हैं।
- यह SPV, शेयर लेने वाले सदस्यों से स्वतंत्र होती है।

क्राउड फंडिंग (Crowd Funding): यह एक बड़े जन समूह से वित्त जुटाने का एक तरीका है। परंपरागत रूप से, एक व्यवसाय, परियोजना या उद्यम को लाभ पहुँचाने के लिये अधिक लोगों को इसमें शामिल किया जाता है।

MSMEs क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु अन्य प्रयास...

- निर्यात संवर्द्धन परिषद
- आर्थिक शिथिलता और क्षतिपूर्ति
- MSMEs सेक्टर के लिये सहयोग एवं संपर्क कार्यक्रम

हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का तरलता संकट

चर्चा में क्यों ?

हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (Housing Finance Companies) के तरलता संकट (Liquidity Crisis) को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India - RBI) ने यह निर्णय लिया है कि वह दैनिक आधार पर इन कंपनियों की तरलता स्थिति, परिसंपत्ति-देयता (Asset-Liability) का अंतर और पुनः भुगतान अनुसूची (Repayment Schedules) की निगरानी करेगा।

- तरलता संकट ऐसी वित्तीय स्थिति को दर्शाता है जिसमें तरलता प्रवाह में कमी आ जाती है। किसी एक कंपनी के लिये इसका अर्थ है कि उसके पास तरलता परिसंपत्तियों की कमी हो जाना जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी अपने ज़रूरी कार्य जैसे कर्मचारियों के वेतन, ऋणों के भुगतान आदि को भी चुकाने की स्थिति में नहीं होती।

मुख्य बिंदु

- सामान्यतः इस प्रकार की कंपनियों को राष्ट्रीय आवास बैंक (National Housing Bank- NHB) द्वारा विनियमित और संचालित किया जाता है, परंतु चूँकि इनका तरलता संकट बैंकों सहित वित्तीय क्षेत्र के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है और इससे अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिरता में भी परिवर्तन आने की संभावना होती है, ऐसे में RBI द्वारा इन पर नज़र रखना आवश्यक हो जाता है।
- इस कार्य के लिये NHB के जनरल मैनेजर को RBI के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (Department of Non-Banking Supervision) के मुख्य महाप्रबंधक के साथ नियमित संचार और सहयोग करने लिये कहा गया है।
- IL&FS के डिफॉल्टर हो जाने के बाद से गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र, बैंकों के साथ विश्वास के संकट (Trust Deficit) से जूझ रहा है।
- RBI ने NBFS के संकट से जूझते हुए अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने पर जोर दिया है।

राष्ट्रीय आवास बैंक (National Housing Bank- NHB)

- NHB की स्थापना संसदीय अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 1987 में की गई थी।
- इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर हाउसिंग फाइनेंस संस्थानों को बढ़ावा देना है।
- NHB हाउसिंग फाइनेंस संस्थानों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करने वाली एक प्रमुख संस्था के रूप में कार्य करती है।
- NHB हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का पंजीकरण, विनियमन और संचालन भी करता है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC)

- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी उस संस्था को कहते हैं जो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत होती है और जिसका प्रमुख कार्य उधार देना तथा विभिन्न प्रकार के शेयरों, प्रतिभूतियों, बीमा कारोबार तथा चिटफंड से संबंधित क्षेत्र में निवेश करना होता है।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ भारतीय वित्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं।
- यह संस्थाओं का विजातीय समूह है (वाणिज्यिक सहकारी बैंकों को छोड़कर) जो विभिन्न माध्यमों से वित्तीय मध्यस्थता का कार्य करता है जैसे –
 - ◆ जमा स्वीकार करना
 - ◆ ऋण और अग्रिम देना
 - ◆ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में निधियाँ जुटाना
 - ◆ अंतिम व्ययकर्ता को उधार देना
 - ◆ थोक और खुदरा व्यापारियों तथा लघु उद्योगों को अग्रिम ऋण देना।

भारत में होगा भुगतान से संबंधित डेटा का संचयन

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भुगतान से संबंधित नए निर्देश जारी किये हैं। अब किसी भी प्रकार का डेटा एवं सूचनाएँ, जो भुगतान (Payment transactions) से संबंधित हो, उनका भारत में ही भंडारण किया जाएगा।

मुख्य बिंदु

- इस निर्देश के बाद भुगतान से संबंधित डेटा का भारत में ही संचय किया जाएगा। यदि भुगतान से संबंधित ऐसा कोई डेटा या सूचना देश से बाहर संसाधित हो रहा है, तो उसको भी एक व्यापार दिवस अथवा 24 घंटे, जो भी पहले हो, के भीतर भारत में वापस लाया जाएगा तथा संसाधित स्रोत पर उसे नष्ट करना भी जरूरी होगा।
- भुगतान सेवा प्रदाता कंपनियाँ निर्बाध डेटा प्रवाह के पक्ष में हैं तथा इसके लिये पैरवी भी कर रहीं हैं। उनका तर्क है कि यह उपभोक्ताओं के हितों में है।
- सरकार डेटा मिर्रिंग (Data Mirroring) द्वारा आसानी से डेटा-स्थानीयकरण (Data Localisation) को आगे बढ़ा रही है लेकिन इससे संबंधित सरकार की नीति इस बजट सत्र में आने वाले डेटा संरक्षण विधेयक के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
- हालाँकि RBI का कहना है कि भारत में ही डेटा के संचयन के बावजूद कंपनियाँ उपभोक्ता से संबंधित विवादों को सुलझाने में डेटा का उपयोग कर सकती हैं। साथ ही यदि भुगतान अंतर्देशीय है, तो ऐसे डेटा की एक प्रति देश से बाहर भी रखी जा सकती है। यदि आवश्यक होगा तो ऐसे डेटा को RBI की सहमति के पश्चात् विदेशी विनियामकों के साथ भी शेयर किया जा सकता है।
- विदेश में डेटा प्रसंस्करण को लेकर RBI का रुख स्पष्ट होने से कंपनियों को भविष्य के संदर्भ में अपनी प्रणाली में बदलाव करने में आसानी होगी लेकिन कंपनियों की दृष्टि से सिर्फ भारत में ही डेटा का संचयन समस्या पैदा कर सकता है।
- RBI ने अप्रैल 2018 में डेटा स्थानीयकरण के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये थे और कंपनियों को इन नियमों के अनुपालन के लिये छः माह का समय दिया गया था। इन नियमों के संबंध में कंपनियों के विरोध के बावजूद केंद्रीय बैंक ने अपने निर्देशों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया। अब भुगतान क्षेत्र से संबंधित कंपनियाँ इन नियमों के अनुसार अपनी प्रणाली में बदलाव कर रही हैं।

डेटा-स्थानीयकरण (Data Localisation)

- डेटा स्थानीयकरण का अर्थ है कि भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी या सूचनाओं का संकलन भारत में ही प्रसंस्कृत एवं संचित किया जाएगा। कोई भी कंपनी न तो देश के बाहर डेटा को ले जा सकती है और न ही देश से बाहर इसका उपयोग कर सकती है।

डेटा मिर्रिंग (Data Mirroring)

- वास्तविक समय में एक स्थान से एक संग्रहण डिवाइस (Storage Device) में डेटा की प्रतिलिपि बनाने का कार्य।
- इस प्रक्रिया से डेटा पर निगरानी रखी जा सकती है, साथ ही किसी आपात स्थिति के कारण यदि डेटा नष्ट हो जाता है तो दोबारा डेटा को उत्पन्न किया जा सकता है।

म्यूच्युअल फंड हेतु सेबी के नए नियम

चर्चा में क्यों ?

निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिये भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (Securities and Exchange Board of India -SEBI) ऐसे सभी म्यूच्युअल फंड के विरुद्ध कार्यवाही करेगा जिसमें डिफॉल्ट होने वाली कंपनी के प्रवर्तकों को शेयर के बदले ऋण दिया गया हो। इसके अतिरिक्त SEBI ने म्यूच्युअल फंड हाउसेस (MF houses) के लिये कुछ नए और सख्त निवेश मापदंडों को भी मंजूरी दी है।

मुख्य बिंदु

- विशेषज्ञों के अनुसार SEBI द्वारा उठाए गए इस कदम का मुख्य उद्देश्य उधारकर्ताओं के डिफॉल्ट हो जाने की स्थिति में उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम से निवेशकों की रक्षा करना है।
- वर्तमान में म्यूच्युअल फंड उद्योग एक भारी वित्तीय संकट का सामना कर रहा है जिसके लिये उन फंड प्रबंधकों को जिम्मेदार ठहराया गया है जो ऋण योजनाओं के माध्यम से कंपनी प्रवर्तकों को उधार देते हैं।
- 'फंड हाउस' (fund houses) ने कंपनी प्रवर्तकों के साथ ऐसे समझौते किये हैं जिनके अनुसार, 'डिफॉल्ट की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी वे कंपनी के अंशों को किसी एक निश्चित समय तक बेंच नहीं सकते हैं।'
- परन्तु SEBI ने ऐसे किसी भी समझौते को मान्यता नहीं दी है।
- SEBI के अनुसार म्यूच्युअल फंड बैंक नहीं होते हैं इसलिए उन्हें ऋण देने के बजाय बाजार में निवेश करना चाहिये। कौन होता है प्रमोटर या प्रवर्तक ?
- प्रवर्तक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जो कंपनी के प्रवर्तन के बारे में कार्य करते हैं। सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है कि व्यापार/कंपनी शुरू करने वाले व्यक्ति को ही प्रवर्तक कहते हैं।

नए निवेश मापदंड

- म्यूच्युअल फंड अब केवल सूचीबद्ध ऋण या इक्विटी (Debt or Equity) में ही निवेश कर सकते हैं।
- नए मापदंडों के अनुसार अब से जोखिम की गणना परिशोधन (Amortisation) के आधार पर नहीं बल्कि मार्क-टू-मार्केट (mark-to-market) आधार पर की जाएगी।
- किसी भी म्यूच्युअल फंड को ऋण में निवेश करने के लिये चार गुना कवर प्रदान करना होगा और इसे इक्विटी द्वारा भी सुरक्षा प्रदान करनी होगी।
- इसके अतिरिक्त तरल म्यूच्युअल फंड योजनाओं (MF Liquid Schemes) को अपनी कुल निवेश परिसंपत्ति का 20 प्रतिशत हिस्सा नकद या गिल्ट फंड के रूप में बनाए रखना होगा, जो उन्हें प्रतिदान/शोधन/मोचन (Redemptions) में मदद कर सकता है। तरल म्यूच्युअल फंड योजना वह म्यूच्युअल फंड योजना है जिसकी अधिकतम परिपक्वता अवधि मात्र 90 दिनों की होती है।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (Securities and Exchange Board of India)

- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल, 1992 को हुई थी।
- इसका मुख्यालय मुंबई में है।

- इसके मुख्य कार्य हैं -
 - ◆ प्रतिभूतियों (securities) में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना।
 - ◆ प्रतिभूत बाजार (securities market) के विकास का उन्नयन करना तथा उसे विनियमित करना और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का प्रावधान करना।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2019

चर्चा में क्यों ?

राज्य सभा ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2019 [Special Economic Zones (Amendment) Bill, 2019] को मंजूरी दे दी है जो उद्योगों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में इकाइयों की स्थापना की अनुमति प्रदान करता है।

प्रमुख बिंदु

- यह विधेयक मार्च 2019 में प्रवर्तित विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) अध्यादेश, 2019 का स्थान लेगा एवं राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद कानून बन जाएगा।
- सरकार का मानना है कि SEZ अधिनियम, 2005 (SEZs Act, 2005) के वर्तमान प्रावधान, व्यापारिक संस्थाओं को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में व्यापारिक इकाइयाँ स्थापित करने की अनुमति नहीं देते हैं। लेकिन विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2019 SEZ में इकाइयाँ स्थापित करने के लिये अनुमति देने पर विचार किया जा सकेगा।
- यह संशोधन केंद्र सरकार को किसी व्यक्ति या किसी भी संस्था को परिभाषित करने के संबंध में लचीलापन प्रदान करेगा जिसे केंद्र सरकार समय-समय पर अधिसूचित कर सकती है। सरकार का मानना है कि इस संशोधन से SEZ में किये जाने वाले निवेश में भी वृद्धि होगी।
- कानून के अनुसार, एक व्यक्ति, एक हिंदू विभाजित परिवार, एक कंपनी, सहकारी समिति या एक फर्म को 'व्यक्ति' की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।
- वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, यह एक छोटा सा संशोधन है जिसका निवेश, नौकरी और विकास पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone) क्या है ?
- विशेष आर्थिक क्षेत्र अथवा सेज़ (SEZ) उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं, जहाँ से व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है।
- ये क्षेत्र देश की सीमा के भीतर विशेष आर्थिक नियम-कायदों को ध्यान में रखकर व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिये विकसित किये जाते हैं।
- भारत उन शीर्ष देशों में से एक है, जिन्होंने उद्योग तथा व्यापार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये विशेष रूप से ऐसी भौगोलिक इकाइयों को स्थापित किया।
- भारत पहला एशियाई देश है, जिसने निर्यात को बढ़ाने के लिये वर्ष 1965 में कांडला में एक विशेष क्षेत्र की स्थापना की थी। इसे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन (EPZ) नाम दिया गया था।

WPI में संशोधन के लिये कार्यदल का गठन

चर्चा में क्यों ?

वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index - WPI) श्रृंखला में संशोधन के लिये सरकार ने एक कार्यदल का गठन किया है।

संशोधन की आवश्यकता क्यों है ?

- ज्ञातव्य है कि WPI का वर्तमान आधार वर्ष (2011-12) को मई 2017 में लागू किया गया था।
- वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, इस श्रृंखला का आधार वर्ष बहुत पुराना है और वर्ष 2011-12 से अब तक हमारी अर्थव्यवस्था में कई महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन हो चुके हैं, जिनके कारण आधार वर्ष को संशोधित करना आवश्यक है।

संशोधन के विचारार्थ विषय (Terms of Reference-ToR)

- कार्यदल के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित विषय शामिल हैं:
 - ◆ थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index - WPI) और निर्माता मूल्य सूचकांक (Producer Price Index - PPI) के लिये सर्वाधिक न्यायोचित आधार वर्ष का निर्धारण करना।
 - ◆ वर्तमान WPI श्रृंखला की कमोडिटी बास्केट (Commodity Basket) की समीक्षा करना और उसमें अब तक हुए आर्थिक परिवर्तनों के आधार पर कुछ वस्तुओं को जोड़ने या घटाने का सुझाव देना।
 - ◆ वर्तमान मूल्य संग्रह प्रणाली (Price Collection System) की समीक्षा करना और उसमें सुधार का सुझाव देना।
 - ◆ WPI और PPI की गणना हेतु नई पद्धति की खोज करना।

कार्यदल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

सरकार द्वारा गठित यह कार्यदल नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद की अध्यक्षता में कार्य करेगा।

इसमें केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (Central Statistical Office), वित्त मंत्रालय (Ministries of Finance), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Petroleum and Natural Gas), कृषि विभाग (Department of Agriculture) और उपभोक्ता मामलों के विभाग (Department of Consumer Affairs) के सदस्य भी शामिल होंगे।

- कार्यदल में शामिल अन्य सदस्य:
 - ◆ भारतीय रिजर्व बैंक का एक प्रतिनिधि
 - ◆ सौम्य कांति घोष, SBI समूह की मुख्य अर्थशास्त्री
 - ◆ सुरजीत भल्ला, PMEAC के पूर्व सदस्य
 - ◆ शमिका रवि, PMEAC की सदस्य
 - ◆ धर्मकृती जोशी, क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री
 - ◆ नीलेश शाह, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट के प्रबंध निदेशक
 - ◆ इंद्रनील सेनगुप्ता, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के सह-प्रमुख और अर्थशास्त्री

थोक मूल्य सूचकांक :

- यह भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक (Inflation Indicator) है।
- इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) के आर्थिक सलाहकार कार्यालय (Office of Economic Adviser) द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
- इसमें घरेलू बाजार में थोक बिक्री के पहले बिंदु पर किये जाने-वाले सभी लेन-देन (First point of bulk sale) शामिल होते हैं।
- इस सूचकांक की सबसे बड़ी आलोचना यह है कि आम जनता थोक मूल्य पर उत्पाद नहीं खरीदती है।
- वर्ष 2017 में WPI के लिये आधार वर्ष को वर्ष 2004-05 से संशोधित कर वर्ष 2011-12 कर दिया गया है।

RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने अपनी छमाही वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा है कि बैंकिंग प्रणाली में सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (Non-Performing Assets- NPA) में लगातार दूसरी छमाही में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि ऋण देने की रफ्तार बढ़ रही है।

प्रमुख बिंदु:

- कॉर्पोरेट शासन में सुधार की आवश्यकता के मद्देनजर रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकिंग प्रणाली को सरकारी सहायता पर कम निर्भर रहते हुए पूंजी निर्माण के लिये बाजार से निजी पूंजी जुटाने का प्रयास करना चाहिये।

- मार्च 2019 में 20% से अधिक सकल एनपीए (NPA) कम करने वाले बैंकों की परिसंपत्ति की गुणवत्ता में व्यापक सुधार हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण में 9.6% की वृद्धि हुई, जबकि निजी बैंकों के लिये यह वृद्धि 21% रही। कुल ऋण वृद्धि सितंबर 2018 में 13.1% से मार्च 2019 में मामूली बढ़त के साथ 13.2% हो गई। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (Scheduled Commercial Banks-SCBs) की ऋण वृद्धि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ दोहरे अंकों में पहुँच गई।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार द्वारा पुनर्पूँजीकरण के बाद, वाणिज्यिक बैंकों का समग्र पूँजी पर्याप्तता अनुपात सितंबर 2018 के 13.7% से बढ़कर मार्च 2019 में 14.3% हो गया तथा इसी अवधि के दौरान राज्य द्वारा संचालित बैंकों का पूँजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio-CAR) 11.3% से बढ़कर 12.2% हो गया। लेकिन निजी क्षेत्र के बैंकों के CAR में मामूली गिरावट दर्ज की गई है।

पूँजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio-CAR)

- CAR, बैंक की उपलब्ध पूँजी का एक माप है जिसे बैंक के जोखिम-भारित क्रेडिट एक्सपोजर के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।
- पूँजी पर्याप्तता अनुपात को पूँजी-से-जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (capital-to-risk Weighted Assets Ratio-CRAR) के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग जमाकर्ताओं की सुरक्षा और विश्व में वित्तीय प्रणालियों की स्थिरता और दक्षता को बढ़ावा देने के लिये किया जाता है।
- व्यापक आर्थिक पैमाने पर देखें तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि निजी खपत कमजोर हो गई है और चालू खाते घाटे (Current Account Deficit- CAD) ने राजकोषीय मोर्चे पर दबाव बढ़ा दिया है। इससे सरकार के बाज़ार से कर्ज लेने और बाज़ार के ब्याज दरों पर भी असर पड़ता है। निजी निवेश की मांग को दोबारा पटरी पर लाना भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है।
- ऐसे में कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के बेहतर समन्वय से प्रणालीगत स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सकता है।

रिपोर्ट के बारे में

- वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Financial Stability Report- FSR) भारतीय रिज़र्व बैंक का एक अर्द्धवार्षिक प्रकाशन है जो भारत की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता का समग्र मूल्यांकन प्रस्तुत करती है।
- FSR वित्तीय स्थिरता के लिये जोखिम, साथ ही वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (Financial Stability and Development Council- FSDC) की उप-समिति के समग्र आकलन को दर्शाती है।
- यह रिपोर्ट वित्तीय क्षेत्र के विकास और विनियमन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा करती है।

गुणवत्तापूर्ण बीज और कृषक आय

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ (International Seed Testing Association- ISTA) का 32वाँ सम्मेलन हैदराबाद में संपन्न हुआ।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर भारत सरकार ने कहा कि भारत में वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने में गुणवत्तापूर्ण बीजों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने का प्रयास भी राज्य सरकारों के साथ मिलकर किया जा रहा है।
- विभिन्न चुनौतियों के बावजूद भारत के किसानों ने दुनिया में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन किया है।
- इसके अलावा सरकार ने गुणवत्तापूर्ण बीज के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने तथा वैश्विक बीज बाजार में भारत के योगदान को बढ़ाने पर बल दिया।
- वर्तमान में तेलंगाना वैश्विक बीज हब के रूप में विकसित हो रहा है एवं भारत के पास यह अवसर है कि वह यूरोप के समकक्ष देशों की तरह बीज निर्यात कर सके।

- इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार की बीज गुणवत्ता सुधार योजना के तहत बीज की गुणवत्ता का पता लगाने के लिये बार कोड और क्यूआर कोड को जून 2020 तक अनिवार्य कर दिया जायेगा ।
- ISTA के अधिकारियों की सदस्य संख्या बढ़ाने के बजाय बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं पर अधिक ध्यान की बात कही गयी ।
- भारत में कृषि संभावनाओं के मद्देनजर उपयुक्त कृषि जलवायु , 130 बीज परीक्षण प्रयोगशालाएँ , 25 बीज प्रमाणीकरण प्राधिकरण मौजूद हैं, इसके अलावा भारत दुनिया का 5वाँ सबसे बड़ा बीज बाजार भी है।

अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ (International Seed Testing Association-ISTA)

- ISTA एक गैर लाभकारी स्वायत्त संगठन है जो बीज की गुणवत्ता में सुधार करता है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1924 में की गई थी।
- बीज परीक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से सहमत मानक प्रक्रियाओं (नियमों) को विकसित एवं प्रकाशित करता है साथ ही बीज विश्लेषण प्रमाण पत्र और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है।
- इसका सचिवालय स्विट्जरलैंड में स्थित है।

WTO का भारत के पक्ष में निर्णय

चर्चा में क्यों ?

सितंबर 2016 में अमेरिका के खिलाफ WTO के विवाद निवारण तंत्र में भारत द्वारा दायर याचिका में भारत के पक्ष में निर्णय लिया गया है।

मुख्य बिंदु

- भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में WTO के विवाद निवारण तंत्र के समक्ष एक अपील दायर की थी।
- इस अपील में अमेरिका के घरेलू सामग्री आवश्यकता (Domestic Content Requirements) से संबंधित नियम और अमेरिका के अपने 8 राज्यों को दी गई सब्सिडी का मुद्दा उठाया गया था।
- WTO के विवाद निवारण पैनल ने भारत के पक्ष में निर्णय दिया तथा अमेरिका के नियमों और सब्सिडी को विश्व व्यापार नियमों का उल्लंघन माना।
- भारत ने वर्ष 2016 में अपील करते समय यह तर्क दिया था कि अमेरिका का यह तरीका असंगत है, क्योंकि ये नियम आयातित उत्पाद के प्रति भेदभावपूर्ण रूप से लागू हैं तथा राज्यों को दी जाने वाली सब्सिडी घरेलू उत्पाद को आर्थिक रूप से अधिक आकर्षक बनाती है जिससे आयातित उत्पाद को हानि होती है।
- पैनल ने अपने निर्णय में कहा कि अमेरिका के ये उपाय टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते (General Agreement on Tariffs and Trade- GATT) के प्रावधानों से असंगत है। GATT विश्व व्यापार संगठन का एक समझौता है जो सीमा शुल्क जैसी व्यापार बाधाओं को कम या समाप्त करने के लिये प्रोत्साहित करता है।
- हालाँकि WTO के अपीलीय निकाय में इस निर्णय को चुनौती दी जा सकती है। उल्लेखनीय है यह अपीलीय निकाय WTO के विवाद निवारण तंत्र का ही एक हिस्सा है।
- यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब भारत-अमेरिका के मध्य व्यापार को लेकर तनाव बना हुआ है। ज्ञात हो कि अमेरिका ने GSP के तहत भारत को दी जाने वाली छूट को समाप्त कर दिया है। वहीं भारत ने भी 28 अमेरिकी उत्पादों पर सीमा शुल्क में वृद्धि कर दी है।
- भारत और अमेरिका व्यापार से संबंधित अन्य विवादों में भी शामिल है। अमेरिका ने भारत के निर्यात को प्रोत्साहित करने वाली कुछ योजनाओं को चुनौती दी है तो वहीं भारत ने अमेरिका द्वारा कुछ स्टील एवं एल्युमीनियम उत्पादों पर बढ़ाए गए एकतरफा सीमा शुल्क को चुनौती दी है।

विश्व व्यापार संगठन

- विश्व व्यापार संगठन विश्व में व्यापार संबंधी अवरोधों को दूर कर वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1995 में मराकेश संधि के तहत की गई थी।
- इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
- वर्तमान में विश्व के अधिकतम देश इसके सदस्य हैं। सदस्य देशों का मंत्रिस्तरीय सम्मलेन इसके निर्णयों के लिये सर्वोच्च निकाय है, जिसकी बैठक प्रत्येक दो वर्षों में आयोजित की जाती है।

लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक

लॉरेंज वक्र विधि (Lorenz Curve Method)

- लॉरेंज वक्र द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आय विषमता को ज्ञात किया जाता है।
- इस वक्र का प्रत्येक बिंदु उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है, जो एक निश्चित आय के प्रतिशत के नीचे होते हैं।
- यदि समाज के 10 प्रतिशत लोगों के पास कुल आय का 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत लोगों के पास 20 प्रतिशत हो एवं इसी अनुपात में आगे भी बढ़ रहा हो तो इन्हें प्रदर्शित करने वाली रेखा 45° रेखा होगी।
- इसे हम 'पूर्ण समता रेखा' या 'निरपेक्ष समता रेखा' भी कहते हैं।
- लॉरेंज वक्र जितना ही निरपेक्ष समता रेखा के पास होगा, आय की विषमता उतनी ही कम होगी।
- लॉरेंज वक्र को वर्ष 1905 (कहीं-कहीं पर इस संदर्भ में वर्ष 1906 का भी जिक्र किया गया है) में मैक्स ओ-लॉरेंज ने विकसित किया था। इन्हीं के नाम पर इसे लॉरेंज वक्र नाम दिया गया।

गिनी गुणांक (Gini Coefficient)

- गिनी गुणांक को वर्ष 1912 में इटैलियन सांख्यिकीविद् कोरेडो गिनी (Corrado Gini) ने विकसित किया।
- यह गुणांक आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि है, जो आय के प्रत्येक युग्म के बीच आय अंतर की माप करती है।
- यह वास्तविक लॉरेंज वक्र तथा निरपेक्ष रेखा के बीच का क्षेत्रफल तथा निरपेक्ष समता रेखा के नीचे के संपूर्ण क्षेत्र के बीच अनुपात प्रदर्शित करता है।
- गिनी गुणांक का अधिकतम मूल्य 1 के बराबर होगा तथा न्यूनतम मूल्य शून्य के बराबर होगा।
- गिनी गुणांक में यदि 100 से गुणा कर दें तो हम गिनी सूचकांक प्राप्त कर सकते हैं।

पूंजीगत लाभ कर

- किसी 'पूंजीगत परिसंपत्ति' की बिक्री से हमें जो भी लाभ प्राप्त होता है उसे 'पूंजीगत लाभ' कहा जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार इस लाभ को 'आय' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- इसीलिए संपत्ति हस्तांतरित करने वाले व्यक्ति को अपने द्वारा कमाए गए लाभ पर आय के रूप में कर देना होता है जिसे 'पूंजीगत लाभ कर' कहा जाता है।
- 'पूंजीगत लाभ कर' अल्पकाल तथा दीर्घकाल दोनों प्रकार का हो सकता है।
- **दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर** : यह कर उन परिसंपत्तियों पर लगाया जाता जिन्हें एक साल या उससे अधिक समयावधि के लिये रखा गया हो। इसके लिए दरें 0%, 15% और 20% हैं।
- **अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर** : यह कर उन परिसंपत्तियों पर लगाया जाता जिन्हें एक साल से कम समयावधि के लिये रखा गया हो। इस पर सामान्य आयकर की दरें ही लागू होती हैं।

- यदि कोई परिसंपत्ति अपने खरीद मूल्य (purchase price) से कम मूल्य पर बेची जाती है तो दोनों मूल्यों के अंतर को 'पूंजीगत हानि' कहा जाता है और जब 'पूंजीगत लाभ' में से 'पूंजीगत हानि' को घटाया जाता है तो हमें शुद्ध पूंजीगत लाभ (net capital gains) प्राप्त होता है।

'पूंजीगत परिसंपत्ति'

- 'पूंजीगत परिसंपत्ति' वह संपत्ति होती है जिसे सामान्य तौर पर बेचने के लिए नहीं रखा जाता है और जिसके मूल्य में प्रतिवर्ष मूल्य-हास होता है। भूमि, भवन, गृह संपत्ति, वाहन, पेटेंट, ट्रेडमार्क, मशीन और आभूषण इस प्रकार की संपत्ति के प्रमुख उदाहरण हैं।

संपादित लाभ (Realized Gain)

यदि किसी संपत्ति को उसके खरीद मूल्य (purchase price) से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो दोनों मूल्यों के अंतर को संपादित लाभ कहते हैं।

विरासती संपत्ति (Inherited Property):

- 'पूंजीगत लाभ' का सिद्धांत विरासत में मिली संपत्ति पर लागू नहीं होता है, क्योंकि इस स्थिति में कोई भी संपत्ति बेची नहीं जाती सिर्फ हस्तांतरित की जाती है।
- आयकर अधिनियम में खासतौर पर उन संपत्तियों को कर से छूट प्रदान की गई है जो वसीहत के माध्यम से उपहार के रूप में प्रदान होती हैं।

दृष्टि
The Vision

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

अमेरिकी वीजा प्रक्रिया में बड़ा बदलाव

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने अपने वीजा नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए वीजा आवेदन हेतु लोगों को अपने विवरण में सोशल मीडिया का विवरण देने का प्रावधान किया है।

प्रमुख बिंदु

- नए नियमों के तहत अब आवेदकों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट का नाम और उसके पाँच सालों के रिकॉर्ड की जानकारी जमा करवानी होगी। साथ ही उसे अपना ईमेल अड्रेस और फोन नंबर भी देना होगा। अमेरिकी ग्रह मंत्रालय द्वारा इन नियमों को लाने का मुख्य उद्देश्य आतंकवादियों और अन्य खतरनाक लोगों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना है।
- अमेरिका में पढ़ाई करने और नौकरी के लिये वीजा का आवेदन करने वाले लोगों को नए नियमों के तहत ये सभी सारी जानकारी मुहैया करानी होगी। हालाँकि आधिकारिक और राजनयिक वीजा के लिये किये जाने आवेदनों को इन नियमों में शामिल नहीं किया जाएगा।
- सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करने वाले आवेदकों के पास यह विकल्प उपलब्ध होगा, जिसमें वे यह बता सकें कि वे इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं।
- इन नियमों के तहत अस्थायी आगंतुकों समेत सभी वीजा आवेदकों को अन्य जानकारियों के साथ-साथ एक ड्रॉप डाउन मेनू (Drop-Down Menu) में अपने सोशल मीडिया पहचानकर्ताओं को भी सूचीबद्ध करना होगा। अभी तक इस ड्राप डाउन मेनू में केवल बड़ी सोशल मीडिया वेबसाइटों की जानकारी शामिल थी, लेकिन अब इसमें आवेदकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सभी वेबसाइटों की जानकारी देने की सुविधा दी जाएगी।
- ◆ हालाँकि गलत जानकारी दिये जाने के संबंध में गंभीर आत्रजन परिणाम (Serious Immigration Consequences) भी भुगतने पड़ सकते हैं।

इन नए नियमों के अनुपालन से सालाना करीब 15 मिलियन लोगों के प्रभावित होने की आशंका है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले यह नियम केवल उन लोगों पर लागू होता था जो आतंकवादी संगठनों से प्रभावित क्षेत्रों से अमेरिका जाना चाहते थे। जैसा की हम सभी जानते हैं कि आतंकवादी विचारों और गतिविधियों के प्रचार-प्रसार के लिये सोशल मीडिया एक प्रभावी साधन है। ऐसे में अमेरिका का यह कदम सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होगा।

उद्देश्य

- इस परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य अमेरिका में प्रवेश करने की मांग करने वाले लोगों की निगरानी को बढ़ाना है, सुरक्षा दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया गया है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2016 में राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आप्रवासन (Immigration) के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए चुनाव जीतने के बाद अवैध प्रवासियों को शरण नहीं देने की बात कही थी। साथ ही आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों पर निगरानी व्यवस्था को और अधिक सख्त बनाने पर भी बल दिया गया था। स्पष्ट रूप से सोशल मीडिया के विवरण की मांग इसी का परिणाम है।

भारत पर प्रभाव

- प्रत्येक वर्ष भारत से बड़ी संख्या में लोग शिक्षा एवं नौकरी की तलाश में अमेरिका जाते हैं, नए नियमों से लगभग 10 से 12 लाख भारतीय नागरिकों के प्रभावित होने की संभावना है।

स्पाइस बम-2000

चर्चा में क्यों ?

नव-निर्वाचित केंद्र सरकार ने 6 जून, 2019 को पहला सामरिक समझौता किया जो इजराइल (Israel) के साथ संपन्न हुआ। इसके अंतर्गत भारत इजराइल से उच्च विस्फोटक क्षमता वाले स्पाइस बमों की खरीद करेगा जिससे भारतीय वायु सेना की सामरिक स्थिति को मजबूती मिलेगी।

प्रमुख बिंदु

- यह स्पाइस-2000 बमों (Spice bombs) का नवीनीकृत प्रसंस्करण है जो दुश्मनों के बंकरों और उनके ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम है। हाल ही में स्पाइस-2000 बमों का प्रयोग पाक अधिकृत कश्मीर के बालाकोट में स्थित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कैंपों पर एयर स्ट्राइक में किया गया था।
- मार्क-84 वॉरहेड के साथ इन स्पाइस बमों की खरीद की जाएगी एवं इजराइल द्वारा 3 माह में भारत को इनकी आपूर्ति की जाएगी।
- एयर स्ट्राइक के समय प्रयुक्त इन बमों की विशेषता यह है कि यदि इन बमों को लड़ाकू विमान द्वारा किसी इमारत पर गिराया जाता है तो यह इमारत की छत में छेद कर अंदर घुसता है तथा एक घातक विस्फोट करता है।
- स्पाइस बमों की मारक क्षमता सटीक होने साथ ही यह लक्ष्य को 60 किलोमीटर/घंटा की गति से भेध सकता है।

स्पाइस बम (SPICE bomb) क्या हैं ?

- स्पाइस बम जिसका पूरा नाम स्मार्ट, प्रीसाइज इम्पैक्ट, कॉस्ट इफेक्टिव (Smart, Precise Impact, Cost-Effective-SPICE) है, की स्टैंड ऑफ या तटस्थ क्षमता 60 किमी. है। यह एयर-टू-ग्राउंड ऑपरेशन के लिये इस्तेमाल किये जाने वाले हथियारों से सुसज्जित होता है। भारत वर्ष 2015 से फ्रांस द्वारा विकसित लड़ाकू विमान, मिराज-2000 पर SPICE-2000 बम का उपयोग कर रहा है।

स्पाइस-2000:

- भारतीय वायुसेना ने मजबूत और भूमिगत कमांड सेंटर्स के खिलाफ उपयोग के लिये सटीकता और पैठ वाले सटीक-निर्देशित बमों का अधिग्रहण किया है। रक्षा मंत्रालय के वर्ष 2015 के एक नोट के अनुसार, इस हथियार का परीक्षण किया गया है और इसकी क्षमताओं को भारतीय वायुसेना (IAF) के फायरिंग रेंज में मान्य किया गया है।
- स्पाइस बम के किट में अचूक सटीकता के लिये जड़त्वीय नेविगेशन, उपग्रह मार्गदर्शन और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सेंसर शामिल हैं।
- इनमें हथियारों के लिये एक और अतिरिक्त किट जोड़ा गया है- MKH-84, APW, RAP-2000 और BLU-109।
- रडार पर इन परिष्कृत बमों का पता लगा पाना मुश्किल होता है।
- छोटे आकार के कारण इन बमों का उपयोग स्टैंड-ऑफ रेंज से परे किसी लक्ष्य को नष्ट करने के लिये किया जा सकता है। इसके अलावा, बहुत अधिक बादल या खराब मौसम का असर उनके परिणाम पर बहुत कम पड़ता है।

किम्बर्ले प्रक्रिया की अंतर-सत्रीय बैठक 2019

चर्चा में क्यों ?

किम्बर्ले प्रक्रिया (Kimberley Process) की अंतर-सत्रीय बैठक का आयोजन 17 से 21 जून, 2019 के बीच मुंबई में किया जा रहा है।

- इस बैठक के दौरान में किम्बर्ले प्रक्रिया प्रमाणन योजना (Kimberley Process Certification Scheme- KPCS) की विभिन्न समितियों और कार्य समूहों की बैठकों के अलावा हीरा शब्दावली और पारंपरिक खनन (Diamond Terminology and Artisanal Mining) के लिये 'छोटे कदम-बड़े परिणाम' (Small Steps to Larger Outcomes) पर विशेष सत्र भी आयोजित किया जाना है।
- इस पाँच दिवसीय बैठक में भारत तथा सदस्य देशों के करीब 300 प्रतिनिधियों के साथ-साथ उद्योग जगत और नागरिक समाज के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे।

भारत और किम्बर्ले प्रक्रिया प्रमाणन योजना (KPCS)

- भारत, किम्बर्ले प्रक्रिया प्रमाणन योजना के संस्थापक सदस्यों में से एक है।
- वर्ष 2019 में भारत KPCS की अध्यक्षता कर रहा है। रूसी संघ को KPCS का उपाध्यक्ष बनाया गया है।
- इससे पहले भारत ने 2008 में KPCS की अध्यक्षता की थी।

किम्बर्ले प्रक्रिया प्रमाणन योजना (KPCS)

- वर्तमान में KPCS के 55 सदस्य 82 देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसमें यूरोपीय संघ के 28 सदस्य देश भी शामिल हैं।
- किम्बर्ले प्रक्रिया प्रमाणन योजना की अध्यक्षता की जिम्मेदारी सदस्य देशों को बारी-बारी से सौंपी जाती है।
- इसका उपाध्यक्ष आमतौर पर किम्बर्ले प्रक्रिया प्लेनेरी (Kimberley Process Plannery) द्वारा प्रत्येक वर्ष चुना जाता है, जिसे अगले वर्ष अध्यक्ष बना दिया जाता है।
- वर्ष 2003 के बाद से भारत सक्रिय रूप से KPCS की प्रक्रियाओं में भाग ले रहा है और वह इसके लगभग सभी कार्यकारी समूहों का सदस्य है।
- देश के वाणिज्य विभाग को KPCS का नोडल विभाग बनाया गया है तथा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद (Gem & Jewellery Export Promotion Council- GJEPC) को भारत में KPCS के आयात और निर्यात प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है।
- रत्न और आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद को किम्बर्ले प्रक्रिया प्रमाणपत्र जारी करने का काम दिया गया है, साथ ही यह देश में प्राप्त किये जाने वाले किम्बर्ले प्रक्रिया प्रमाणपत्रों का संरक्षक भी है।

उद्देश्य

- किम्बर्ले प्रक्रिया (Kimberley Process) हीरे के दुरुपयोग को रोकने के लिये कई देशों, उद्योगों और नागरिक समाजों की संयुक्त पहल है।
- यह ऐसे हीरों के व्यापार पर अंकुश लगाने की प्रक्रिया है जिनका इस्तेमाल विद्रोही गुटों द्वारा चुनी हुई सरकारों के खिलाफ संघर्ष एवं युद्ध के वित्तपोषण के लिये किया जाता है।
- हालाँकि इस किस्म के हीरों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अलग से व्याख्या की गई है।

किम्बर्ले प्रक्रिया प्रमाणन योजना (KPCS) की कार्य प्रणाली

- KPCS के मूल नियमों के आधार पर किम्बर्ले प्रक्रिया को विभिन्न कार्यसमूहों और सीमितियों द्वारा संचालित किया जाता है जो निम्नलिखित हैं:
 - ◆ निगरानी के लिये कार्यसमूह (Working Group on Monitoring- WGM)- इस कार्यसमूह को भागीदार देशों में योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करने का भार सौंपा गया है। इसकी समीक्षा के उपरांत ही कार्यसमूह अपने सुझाव देता है।
 - ◆ आँकड़े इकट्ठा करने वाला कार्यसमूह (Working Group on Statistics- WGS)- यह कार्यसमूह सदस्य देशों में कच्चे हीरों के उत्पादन, आयात और निर्यात के आँकड़े एकत्र करता है।
 - ◆ हीरा विशेषज्ञों का कार्यसमूह (Working Group on Diamond Experts- WGDE)- इसका काम कच्चे हीरों के संबंध में विश्व सीमा शुल्क संगठनों को एक सर्वसम्मत कूटनीतिक प्रणाली विकसित करने में आने वाली तकनीकी बाधाओं के संबंध में सुझाव देना तथा हीरों के मूल्यांकन हेतु एक सरल पद्धति विकसित करने में मदद करना है।
 - ◆ हीरों के घरेलू उत्पादन पर कार्यसमूह (Working Group on Domestic Production On Diamond- WGDPD)- यह कार्यसमूह घरेलू स्तर पर हीरों के उत्पादन और व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण रखता है।
 - ◆ भागीदारी और अध्यक्षता पर समिति (Committee on Participation and Chairmanship- CPC)- यह समिति किम्बर्ले प्रक्रिया के अध्यक्ष को नए सदस्य देशों को शामिल करने तथा मौजूदा सदस्य देशों द्वारा प्रक्रिया की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने संबंधी मामलों में मदद करता है।
 - ◆ नियम और प्रक्रियाओं की समिति (Committee on Rules and Procedure- CRP)- यह समिति किम्बर्ले प्रक्रिया के नियम और तौर-तरीके तय करती है, साथ ही इसमें समय-समय पर बदलाव भी करती है।

समीक्षा और सुधारों पर तदर्थ समिति (Ad Hoc Committee on Review and Reform- AHCR)

- इस समिति का गठन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में वर्ष 2017 में KPCS के प्लेनेरी सत्र में किया गया था। जिसकी अध्यक्षता भारत ने की थी।
- हालाँकि भारत ने वर्ष 2019 में केपीसीएस की बैठक की अध्यक्षता करने के लिये बेल्जियम में वर्ष 2018 में आयोजित KPCS के प्लेनेरी सत्र में इस तदर्थ समिति की अध्यक्षता छोड़ दी।

KPCS के तहत कच्चे हीरों का व्यापार

- KPCS की योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जरिये कच्चे हीरों का आयात और निर्यात सीलबंद कंटेनरों में किम्बर्ले प्रक्रिया प्रमाणपत्र के साथ किया जाना है।
- हीरों की कोई भी ऐसी खेप केवल KPCS के भागीदार देशों को ही भेजी जा सकती है। साथ ही बिना प्रमाणपत्र के कच्चे हीरों की कोई भी खेप KPCS के सदस्य देशों को नहीं भेजी जा सकती।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 1998 में अफ्रीका में (सिएरा लियोन, अंगोला, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और लीबिया) कुछ विद्रोही गुटों ने अन्य वस्तुओं के अलावा इस किस्म के हीरों का इस्तेमाल चुनी हुई सरकारों के खिलाफ अपने संघर्ष के वित्तपोषण के लिये किया था।
- इस तरह के हीरों के व्यापार पर रोक लगाने के लिये विश्व के हीरा उद्योग, संयुक्त राष्ट्र, कई देशों की सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों ने मिलकर नवंबर, 2002 में स्विट्ज़रलैंड में किम्बर्ले प्रक्रिया उपायों का मसौदा तैयार किया।
- अब तक 50 से ज्यादा देश इसको मंजूरी दे चुके हैं।
- KPCS 1 जनवरी, 2003 से प्रभावी है। इसके तहत गलत कार्यों के लिये हीरों के व्यापार को रोकने हेतु एक प्रभावी प्रणाली बनाई गई है।

SCO शिखर सम्मेलन 2019

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation-SCO) का 19वाँ शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें भारत सहित तमाम सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में भाग लिया और एशियाई क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे आतंकवाद पर अपनी चिंता भी जाहिर की।

मुख्य बिंदु :

- 19वें शिखर सम्मेलन में आतंकवाद प्रमुख मुद्दा रहा जिस पर सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने गहरी चिंता व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हेतु एक साथ आने पर भी जोर दिया गया।
- जुलाई 2015 के बाद यह पहला मौका था जब भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधि द्विपक्षीय वार्ता के लिये एक साथ एक ही मंच पर मौजूद थे।
- सम्मेलन में सदस्य देशों के मध्य क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया जो कि SCO का एक प्रमुख उद्देश्य है।
- भारत और चीन के प्रतिनिधियों ने भविष्य में अपने बहुपक्षीय संबंधों को और मजबूती प्रदान करने के तरीकों पर भी चर्चा की। ज्ञातव्य है कि चीन की आतंकवाद समर्थित नीति, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (Belt and Road Initiative) तथा चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर (China-Pakistan Economic Corridor - CPEC) के कारण दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव पैदा हुआ है।
- साथ ही चीन ने अमेरिका की व्यापार संरक्षणवाद नीति (Trade Protectionism Policy) तथा प्रशुल्क (Tariff) को एक हथियार के रूप में प्रयोग करने पर चिंता जाहिर की और इसके विरुद्ध एकजुट होने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
- चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है जिसका प्रमुख उदाहरण हाल ही में अमेरिका द्वारा चीनी कंपनी हुवाई (Huawei) पर कड़े व्यापार प्रतिबंध लगाना है।

शंघाई सहयोग संगठन

- शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation-SCO) एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है जिसकी स्थापना चीन, कजाखिस्तान, किर्गिजस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा 15 जून, 2001 को शंघाई (चीन) में की गई थी।
- उज्बेकिस्तान को छोड़कर बाकी देश 26 अप्रैल, 1996 में गठित 'शंघाई पाँच' समूह के सदस्य हैं।
- वर्ष 2005 में भारत और पाकिस्तान इस संगठन में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए थे।
- भारत और पाकिस्तान को वर्ष 2017 में इस संगठन के पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया।

बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)

- इस परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की थी। हालाँकि चीन इस बात से इनकार करता है, लेकिन इसका प्रमुख उद्देश्य चीन द्वारा वैश्विक स्तर पर अपना भू-राजनीतिक प्रभुत्व कायम करना है।
- यह एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका के बीच भूमि और समुद्री क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिये परियोजनाओं का एक सेट है।
- BRI को 'सिल्क रोड इकॉनॉमिक बेल्ट' और 21वीं सदी की सामुद्रिक सिल्क रोड के रूप में भी जाना जाता है।
- विश्व की 70% जनसंख्या तथा 75% ज्ञात ऊर्जा भंडारों को समेटने वाली यह परियोजना चीन के उत्पादन केंद्रों को वैश्विक बाजारों एवं प्राकृतिक संसाधन केंद्रों से जोड़ेगी।
- इस योजना का प्रमुख उद्देश्य चीन को सड़क मार्ग के जरिये पड़ोसी देशों के साथ-साथ यूरोप से जोड़ना है, ताकि वैश्विक कारोबार को बढ़ाया जा सके।

चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर (CPEC)

- CPEC पाकिस्तान के ग्वादर से लेकर चीन के शिनजियांग प्रांत के काशगर तक लगभग 2442 किलोमीटर लंबी एक वाणिज्यिक परियोजना है।
- इस परियोजना की कुल लागत लगभग 50 अरब डॉलर आँकी जा रही है।
- चीन का यह निवेश दशकों से खराब हालात में चल रही पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के लिये वरदान साबित हुआ है।
- इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य रेलवे और हाइवे के माध्यम से तेल और गैस का कम समय में वितरण सुनिश्चित करना है।
- एक अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2030 तक करीब 7 लाख लोगों को इस परियोजना से प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा।

वैश्विक शांति सूचकांक-2019

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जारी किये गए वैश्विक शांति सूचकांक/ग्लोबल पीस इंडेक्स, 2019 (Global Peace Index 2019-GPI) के अनुसार, भारत 163 देशों में से 141वें स्थान पर है, जबकि वर्ष 2018 में भारत की रैंकिंग 136वीं थी।

ग्लोबल पीस इंडेक्स

ग्लोबल पीस इंडेक्स (Global Peace Index-GPI) की शुरुआत एक ऑस्ट्रेलियाई प्रौद्योगिकी उद्यमी और समाज-सेवक स्टीव किल्लेले (Steve Killelea) ने की थी।

- यह सूचकांक ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकॉनॉमिक्स एंड पीस (Australian think tank Institute for Economics & Peace) द्वारा जारी किया जाता है।
- इसमें निम्नलिखित तीन प्रमुख शर्तों के अनुसार देशों की रैंकिंग की जाती है:
 - ◆ सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा का स्तर
 - ◆ देशों में होने वाले आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष के आधार पर
 - ◆ सैन्यीकरण की सीमा के आधार पर
- संभावित जलवायु परिवर्तन को भी इसके अंतर्गत एक नए मानक के रूप में शामिल किया गया है।

रिपोर्ट के परिणाम

- सबसे शान्तिपूर्ण देशों की सूची में पहला स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है, यह देश वर्ष 2008 से लगातार अपने प्रथम स्थान को बरकरार रखने में कामयाब रहा है।
- इसके अलावा अन्य देश जैसे- न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, डेनमार्क क्रमशः इस सूची में शीर्ष स्थानों पर काबिज है।
- सबसे ज्यादा अशांतिपूर्ण देशों की सूची में सीरिया को हटाकर अफगानिस्तान प्रथम स्थान पर आ गया है। सीरिया अशांतिपूर्ण देशों की सूची में अब दूसरे स्थान पर है।
- जबकि दक्षिणी सूडान, यमन और इराक जैसे देश क्रमशः तीसरे, चौथे और पाँचवें स्थान पर है।

दक्षिण-एशियाई देशों की स्थिति

- भूटान दक्षिण एशिया का सबसे शान्तिपूर्ण देश है एवं इसका ग्लोबल पीस इंडेक्स में 15वाँ स्थान है।
- इसके अलावा इस सूचकांक में श्रीलंका 72वें, नेपाल 76वें, बांग्लादेश 101वें और पाकिस्तान 153वें स्थान पर है।

जलवायु परिवर्तन के खतरे के आधार पर वैश्विक स्तर पर देशों की स्थिति

- भारत के साथ-साथ फिलीपींस, जापान, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, इंडोनेशिया, वियतनाम और पाकिस्तान ऐसे नौ देशों में शामिल हैं जहाँ कई प्रकार के जलवायु परिवर्तन संबंधी खतरों की आशंका सबसे अधिक है।
- उच्चतम समग्र प्राकृतिक खतरों की संभावना के अंतर्गत भारत को 7वाँ स्थान दिया गया है।

सैन्य खर्च

- सबसे अधिक कुल सैन्य खर्च वाले शीर्ष पाँच देशों की श्रेणी में क्रमशः अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, रूस और भारत शामिल हैं।

घाना का डबल ट्रैक सिस्टम (Double Track System)

संदर्भ

घाना में माध्यमिक शिक्षा को सभी के लिये उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा मुफ्त सीनियर हाई स्कूल (Free Senior High School- Free SHS) नीति अपनाई गई थी जिसके तहत घाना की सरकार ने डबल ट्रैक सिस्टम (Double Track System) का प्रयोग किया था। घाना सरकार की यह पहल उस समय काफी अधिक चर्चा में रही। इस नीति को लगभग 2 साल पूरे होने वाले हैं और इन दो सालों में नीति के परिणामों को देखते हुए इसके समर्थक और आलोचक दोनों ही सामने आ गए हैं।

मुख्य बिंदु:

- घाना द्वारा प्रयोग किये जाने वाले डबल ट्रैक सिस्टम (Double Track System) में विद्यार्थियों को दो टोलियों (ग्रीन और गोल्ड) में पढ़ाने की योजना बनाई गई है।
- इस प्रणाली में जब एक टोली को पढ़ाया जाता है तो दूसरी टोली के लिये स्कूल बंद कर दिया जाता है।
- घाना सरकार द्वारा इस प्रणाली के पक्ष में यह तर्क दिया गया है कि इस प्रणाली से क्लास रूम में बच्चों की संख्या में कमी आएगी जिसके परिणामस्वरूप शिक्षक सभी बच्चों पर उचित ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।
- परंतु उपरोक्त तथ्य के अतिरिक्त इस नीति के आलोचक (जो मुख्यतः अभिभावक ही हैं) यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि वे बच्चे, जिन्हें इस प्रणाली के अनुपालन के कारण घर में बैठना पड़ता है, तुलनात्मक रूप से पढ़ाई में पीछे छूट सकते हैं और यदि ऐसा होता है तो इस शिक्षा नीति का क्या महत्त्व रहेगा ?
- हालाँकि घाना सरकार ने यह भी कहा है कि यह नीति स्थायी नहीं है और सरकार जल्द ही सभी विद्यार्थियों के लिये पर्याप्त बुनियादी ढाँचे की व्यवस्था करेगी ताकि पुनः एकल ट्रैक सिस्टम (Single Track System) को लागू किया जा सके।
- ज्ञातव्य है कि मुफ्त SHS नीति के कारण वर्ष 2018 में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले घाना के 83 प्रतिशत विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिये पंजीकृत हुए, जबकि वर्ष 2016 में यह संख्या मात्र 67 प्रतिशत ही थी।

स्पष्ट रूप से इस संबंध में घाना सरकार द्वारा जल्द-से-जल्द कोई निर्णायक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में देश के बहुमूल्य मानव संसाधन के रूप में तैयार होने वाली युवा पीढ़ी के लिये बेहतर शिक्षा व्यवस्था के साथ-साथ आवश्यक सुविधाओं की भी व्यवस्था की जा सके।

हॉन्गकॉन्ग प्रोटेस्ट

चर्चा में क्यों ?

पिछले कुछ समय से हॉन्गकॉन्ग में अव्यवस्था की स्थिति देखने को मिल रही है। हाल ही में प्रस्तावित नए प्रत्यर्पण कानून के खिलाफ एक बार फिर हज़ारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने पूरे शहर का चक्का जाम कर दिया।

- उल्लेखनीय है कि इस प्रस्तावित कानून में आरोपितों और संदिग्धों पर मुकदमा चलाने के लिये उन्हें चीन में प्रत्यर्पित करने का प्रावधान किया गया है।
- इस संबंध में विशेषज्ञों का मानना है कि इस कानून के अनुपालन से हॉन्गकॉन्ग की स्वायत्तता और यहाँ रहने वाले लोगों के मानवाधिकार खतरे में आ जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- हॉन्गकॉन्ग के आंतरिक मामलों में चीन के कम्युनिस्ट शासन के हस्तक्षेप और उसकी दमनकारी नीतियों ने हाल के दिनों में स्वायत्तता के लिये विभिन्न लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया है।
- हॉन्गकॉन्ग में होने वाला इस तरह का सामूहिक प्रदर्शन शहर के अब तक के इतिहास में सबसे बड़े प्रदर्शन में से एक है जो नागरिक स्वतंत्रता को कम किये जाने पर बढ़ते भय और क्रोध का एक आश्चर्यजनक प्रदर्शन है।
- इससे पहले वर्ष 1997 में हॉन्गकॉन्ग को चीन को सौंपे जाने पर सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ था।
- प्रदर्शनकारियों ने सरकार से प्रत्यर्पण कानून की अपनी योजना को वापस लेने की मांग की। इसके लिये हॉन्गकॉन्ग में बहुत बड़े पैमाने पर भारी भीड़ जमा हो गई।
- प्रदर्शनकारियों में इस बात का भय है कि यदि चीन मनमाने ढंग से कुछ लोगों को मुख्य भू-भाग में प्रत्यर्पित करता है तो इससे हॉन्गकॉन्ग में रहने वाले लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित होगा, साथ ही इनकी अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

अंब्रेला आंदोलन

- यह पहली बार नहीं है जब हॉन्गकॉन्ग में इतने बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इससे पहले भी ऐसी ही भीड़ हॉन्गकॉन्ग में सड़कों पर उतकर प्रदर्शन कर चुकी है।
- इस बार के प्रदर्शन में बस इतना अंतर है कि पिछले सबसे बड़े प्रदर्शन के मुकाबले इस बार करीब दोगुने लोग सड़कों पर उतरे थे।
- वर्ष 2014 में हुए एक आंदोलन 'अंब्रेला आंदोलन' में कुछ हज़ार लोग सड़कों पर उतरे थे लेकिन यह आंदोलन नाकाम हो गया था क्योंकि इसे नागरिकों के बड़े वर्ग का समर्थन नहीं मिल पाया था।
- उल्लेखनीय है कि 2014 का 'अंब्रेला आंदोलन' भी लोकतंत्र के बचाव के नाम पर किया गया था। इस बार प्रत्यर्पण कानून मसौदे के खिलाफ हुए आंदोलन को भी 'प्रो डेमोक्रेसी' कहा गया है।

हॉन्गकॉन्ग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- वर्ष 1842 में चीन राजवंश के प्रथम अफीम युद्ध में पराजित होने के बाद चीन ने ब्रिटिश साम्राज्य को हॉन्गकॉन्ग द्वीप सौंप दिया था, उसके बाद हॉन्गकॉन्ग का (एक अलग भू-भाग) आस्तित्व सामने आया।
- लगभग 6 दशक के दौरान चीन के लगभग 235 अन्य द्वीप भी ब्रिटेन के कब्जे में आ गए और हॉन्गकॉन्ग अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र बन गया।
- 20वीं सदी के प्रारंभ में यहाँ भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन हुआ जिनमें चीनी लोगों की संख्या सबसे ज्यादा थी।
- बड़ी संख्या में प्रवासियों के आगमन ने हॉन्गकॉन्ग के लिये एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में एक नई भूमिका निभाने में मदद की।
- चीन की अर्थव्यवस्था एवं भौगोलिक स्थिति के प्रभाव के कारण वर्तमान में हॉन्गकॉन्ग सेवा-आधारित अर्थव्यवस्था के साथ-साथ दुनिया के सबसे बड़े बाजारों के लिये एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार बन गया है।
- वर्ष 1997 तक हॉन्गकॉन्ग ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण में था।

- 'वन कंट्री, टू सिस्टम्स' (One Country, Two Systems) के सिद्धांत के तहत, हॉन्गकॉन्ग 1 जुलाई, 1997 को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (Special Administrative Region-SAR) बन गया।
- इस व्यवस्था से शहर को अपनी पूँजीवादी व्यवस्था को बनाए रखने के लिये स्वायत्तता, स्वतंत्र न्यायपालिका और कानून का शासन, मुक्त व्यापार एवं बोलने की स्वतंत्रता, आदि की अनुमति मिलती है।

भौगोलिक अवस्थिति

- चीन के दक्षिण-पूर्वी तट पर स्थित, पर्ल नदी डेल्टा और दक्षिण चीन सागर पर स्थित।
- अपनी भौगोलिक स्थिति की रणनीतिक विशेषता के कारण यह दुनिया के सबसे संपन्न और महानगरीय शहरों में से एक है।
- अपनी भौगोलिक अवस्थिति, विभिन्न ऐतिहासिक परम्पराओं, विविध संस्कृतियों और पूर्व-पश्चिम का सम्मिश्रण ही इसकी प्रमुख विशेषता है।

भूटान में पर्यटन : 'एक समस्या'

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भूटान की पर्यटन परिषद् ने अगले तीन महीने (वर्ष के पीक समय के लिये सभी पर्यटकों का मंदिरों में प्रवेश बंद कर दिया है। साथ ही पर्यटकों की संख्या को विनियमित करने के लिये एक शुल्क भी लगाया जाएगा।

- दशकों तक, भूटान की सरकार ने "उच्च मूल्य, कम मात्रा/प्रभाव" पर्यटन को बढ़ावा दिया है। किंतु अब पर्यटन की तीव्रता भूटान के लिये समस्या पैदा कर रही है।

मुख्य बिंदु

- भूटान में वर्ष 2017 में 2,70,000 पर्यटकों का आगमन हुआ था। जिसमें से दो लाख पर्यटक सिर्फ भारत, बांग्लादेश और मालदीव से थे। भूटान पर्यटकों से प्रति दिन के हिसाब से 250 डॉलर का अनिवार्य कवर चार्ज (Cover-charge) लेता है। लेकिन इन देशों को इससे छूट प्राप्त है साथ ही भूटान के सीमावर्ती कस्बे फिहित्शोलिंग (Phuentsholing) से प्रवेश पर इन देशों के लोगों को वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। इस कारण से इन देशों के पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक है।
- भारत, बांग्लादेश और मालदीव के पर्यटकों के आगमन पर 500 डुल्ट्रम (Ngultrums) जो भारत के 500 रुपए के बराबर है, भूटान को 'सतत् विकास शुल्क' के तहत भुगतान करना होगा।
- भूटान के सभी मंदिरों और मठों में जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, में भी 300 डुल्ट्रम (ngultrums) (300 रुपए) का शुल्क लगाया जाएगा जिससे मंदिरों में बढ़ रही भीड़ को कम किया जा सके।
- भूटान की पर्यटन परिषद् (Tourism Council of Bhutan- TCB) का मानना है की यह उपाय उस प्रक्रिया का हिस्सा है जिसके द्वारा अनियंत्रित पर्यटन को विनियमित किया जा सके तथा भूटान जिसे कभी 'लास्ट शांगरी-ला' (Last Shangri-La) कहा जाता था के रूप में संरक्षित किया जा सके।
- अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने की मांग करने वाले कई अन्य देशों के विपरीत भूटान की पर्यटन परिषद् (TCB) ने अपने लक्ष्य को 2023 में पाँच लाख पर्यटकों से कम करके चार लाख कर दिया है।

उच्च मूल्य, कम मात्रा/ प्रभाव पर्यटन (High value, low volume/Impact tourism)

- यह भूटान की पर्यटन नीति को प्रदर्शित करती है वर्ष 1973 में भूटान ने 'उच्च मूल्य, कम मात्रा' की नीति को अपनाया जिसे वर्ष 2008 में बदल कर 'उच्च मूल्य, कम प्रभाव नीति' कर दिया गया इन नीतियों के मूल में एक ऐसा पर्यटन बाजार विकसित करना था जिसमें भूटान की अर्थव्यवस्था एवं समाज सकारात्मक रूप से प्रभावित हो किंतु पर्यटकों की संख्या एवं सांस्कृतिक प्रभाव सीमित रहे।

'लास्ट शांगरी-ला' (Last Shangri-La)

- इसका तात्पर्य ऐसे एक मात्र सुंदर स्थान से है जहाँ का पर्यावरण एवं अन्य सभी चीजें सुखद हैं तथा ऐसा स्थान प्रायः दूर स्थित होता है। इस रूप में भूटान की पहचान 'लास्ट शांगरी-ला' के रूप में की जाती है।

भूटान की चिंता

- भारतीय आगंतुकों की अधिक संख्या तथा भूटान में पर्यटन की सीमित अवसंरचना पर्यटकों के लिये कठिनाई पैदा कर सकती है जो भारत भूटान संबंधों की दृष्टि से अच्छा नहीं है।
- अधिक पर्यटकों का आगमन आर्थिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है लेकिन यह पर्यटकों और भूटान के लोगों के मध्य संघर्ष एवं तनाव को जन्म दे सकता है।
- पर्यटन में अत्यधिक वृद्धि के कारण होटल उद्योग में भी वृद्धि दर्ज की गई है जो आवासों और पानी की कमी जैसी समस्या को जन्म दे सकता है।
- पर्यटकों का दृष्टिकोण एवं व्यवहार स्थानीय संस्कृति को प्रभावित करता है। भूटान अपनी संस्कृति के संरक्षण और संवर्द्धन को अधिक महत्व देता है जिसके चलते यह देश अत्यधिक पर्यटकों के आगमन को सही नहीं मानता है।
- यहाँ आने वाले विदेशी पर्यटकों में यूरोपीय, जापानी तथा अमेरिकी (भारतीय भी) पर्यटक शामिल हैं। इन पर्यटकों का महत्व इसलिये है क्योंकि कि इनकी कम संख्या अधिक आर्थिक प्रभाव उत्पन्न करती है। जैसे- होटल उद्योग बैंकिंग ऋण पर आधारित है यदि पर्यटन को सीमित किया जाता है तो होटलों को ऋण चुकाने में परेशानी आ सकती है परिणामतः भूटान की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

भारत को नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत को नाटो (North Atlantic Treaty Organization- NATO) सहयोगी के समान दर्जा देने के लिये अमेरिकी सीनेटरों ने हथियार निर्यात नियंत्रण अधिनियम (Arms export Control Act-AECA) में संशोधन की मांग की है।

मुख्य बिंदु

- नाटो सहयोगी राज्यों के सामान स्थिति के लिये अमेरिका के 'हथियार निर्यात नियंत्रण अधिनियम' (AECA) में संशोधन आवश्यक है। इस संशोधन के बाद भारत प्रतिरक्षा से संबंधित अमेरिकी उच्च तकनीक को प्राप्त करने में सक्षम होगा।
- यह संशोधन भारत को अमेरिका का प्रमुख रक्षा साझेदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।
- भारत पहले ही अमेरिका के साथ COMCASA (Communications, Compatibility and Security Agreement) पर हस्ताक्षर कर चुका है तथा BECA (Basic Exchange Cooperation Agreement) पर हस्ताक्षर करने की चर्चा में शामिल है।
- 28-29 जून को मध्य जापान के ओसाका में आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री एवं अमेरिकी राष्ट्रपति के मध्य वार्ता भी प्रस्तावित है। ऐसे में अमेरिकी सीनेटरों द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।
- यह प्रस्ताव अमेरिकी राजनीति में भारतीय प्रभाव को दर्शाता है। किंतु प्रस्ताव के पारित होने के लिये इसको सीनेट और कांग्रेस से गुजरना पड़ेगा।

उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) North Atlantic Treaty Organization (NATO)

यह अंतर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में अवस्थित है इस संगठन में अमेरिका तथा यूरोप के सभी प्रमुख देश शामिल हैं वर्तमान में इसके 29 राज्य सदस्य हैं।

हथियार निर्यात नियंत्रण अधिनियम (Arms export Control Act-AECA)

यह अमेरिकी अधिनियम है जो अमेरिकी राष्ट्रपति को प्रतिरक्षा से संबंधित सामग्रियों और सेवाओं के निर्यात पर नियंत्रण प्रदान करता है।

COMCASA: संगतता और सुरक्षा समझौता (Communications Compatibility and Security Agreement -COMCASA)

कूटबद्ध/एन्क्रिप्टेड संचार प्रणाली के हस्तांतरण को सरल बनाता है और उच्च तकनीक वाले सैन्य उपकरणों को साझा करने हेतु यह समझौता अमेरिका की प्रमुख आवश्यकता है।

BECA: मूल विनिमय और सहयोग समझौता (Basic Exchange and Cooperation Agreement)

यह भू-स्थानिक जानकारी के विनिमय को आसान बनाता है।

LEMOA: लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरैंडम ऑफ एग्रीमेंट (Logistics Exchange Memorandum of Agreement) पर भारत ने वर्ष 2016 में हस्ताक्षर किये थे। यह समझौता दोनों देशों की सेनाओं की एक-दूसरे की सैन्य सुविधाओं तक पहुँच को आसान बनाता है लेकिन यह इसे स्वचालित या अनिवार्य नहीं बनाता है।

GSOMIA: सैन्य सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा (General Security Of Military Information Agreement) पर भारत ने वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किये थे। यह सेनाओं को उनके द्वारा एकत्रित खुफिया जानकारी साझा करने की अनुमति देता है।

रोहिंग्या संकट और संयुक्त राष्ट्र

चर्चा में क्यों ?

म्याँमार में रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र (United Nations - UN) ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट जारी है जिसके अंतर्गत इस विषय के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की ही भागीदारी पर नाराज़गी व्यक्त की गई है। UN ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस विषय पर हमारे द्वारा कई गलतियाँ की गईं और एक समान योजना के स्थान पर खंडित रणनीति के कारण हमने कई अच्छे अवसर गँवा दिये।

मुख्य बिंदु :

- संयुक्त राष्ट्र ने म्याँमार में रोहिंग्या विषय पर अपनी भागीदारी पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं और उस पर नाराज़गी भी व्यक्त की है।
- UN ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस मुद्दे में UN महासचिव और संस्था से जुड़े देश के वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी के बाद भी म्याँमार के अधिकारियों के साथ सहयोग के माध्यम से नकारात्मक रूझानों में परिवर्तन करने के प्रयास अपेक्षाकृत असफल रहें हैं।
- रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र ने इस घटना में अपने प्रयासों को अपनी असफलता के रूप में परिभाषित किया है।
- रोहिंग्या संकट से निपटने के दौरान कुछ संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों तथा व्यक्तियों के बीच हुई आपसी प्रतिस्पर्द्धा को भी संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में दर्शाया है।
- संयुक्त राष्ट्र ने अपनी असफलता का मुख्य कारण हेडक्वार्टर (मुख्यालय) और फील्ड (Headquarters and Field) के बीच तालमेल एवं उपयुक्त संचार के अभाव को बताया है।
- रिपोर्ट में आगे कहा गया कि अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य बड़े ध्रुवीकरण का मुख्य कारण म्याँमार में घटित होने वाली भयानक घटनाओं से उत्पन्न हुई भावनात्मक प्रतिक्रियाएँ थीं।

रोहिंग्या संकट :

- दरअसल म्याँमार की बहुसंख्यक आबादी बौद्ध है, जबकि रोहिंग्याओं को मुख्य रूप से अवैध बांग्लादेशी प्रवासी माना जाता है। हालाँकि लंबे समय से वे म्याँमार के रखाइन प्रांत में रहते आ रहे हैं।
- दरअसल बौद्धों का मानना यह है कि बांग्लादेश से भागकर आए रोहिंग्याओं को वापस वहीं चले जाना चाहिये।
- रोहिंग्याओं और बौद्धों के बीच होने वाले छिटपुट टकराव को हवा तब मिली जब वर्ष 2012 में रखाइन प्रांत में हुए भीषण दंगों में लगभग 200 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर रोहिंग्या मुसलमान थे।
- ये दंगे तब शुरू हुए, जब एक बौद्ध महिला की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई और इसका आरोप तीन रोहिंग्याओं पर लगाया गया। इसके बाद अल्पसंख्यक रोहिंग्याओं और बहुसंख्यक बौद्धों के बीच कई बार हिंसक टकराव हुआ, लेकिन ज्यादातर जान गँवाने वाले रोहिंग्या ही बताए जाते हैं।
- म्याँमार के सुरक्षा बलों ने भी जब इन्हें सताना शुरू कर दिया तो इनके लिये म्याँमार में रहना कठिन हो गया। इन परिस्थितियों में हजारों की संख्या में रोहिंग्याओं को म्याँमार छोड़कर भागना पड़ा। ये नौकाओं में सवार होकर समुद्र में निकल तो जाते थे, लेकिन कोई भी देश उन्हें लेने को तैयार नहीं होता था।

- ऐसे में हज़ारों लोग समंदर में ही फँसे रहते थे, कुछ की नौकाएँ डूब जाती थी, कुछ बीमारियों की भेंट चढ़ जाते थे, जबकि कई मानव तस्करों के चंगुल में फँस जाते थे।
- किसी तरह सीमा पार कर भारत में बड़ी संख्या में रोहिंग्या आ बसे थे। भारत में इनकी कुल संख्या 10 से 12 हज़ार बताई गई, हालाँकि गृह मंत्रालय के पास जो अन्य आँकड़े मौजूद हैं उनके अनुसार भारत में रह रहे रोहिंग्याओं की संख्या लगभग 40 हज़ार है।

‘ज़ीरो चांस’ अभियान

चर्चा में क्यों ?

ऑस्ट्रेलियाई सरकार अवैध रूप से देश में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिये ‘ज़ीरो चांस’ (Zero Chance) नाम से एक अभियान शुरू करने की योजना बना रही है।

मुख्य बिंदु :

- अभियान से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक इस अभियान का एकमात्र उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि यदि कोई भी व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में अवैध रूप से प्रवेश करने का प्रयास करेगा, तो उसके सफल होने की संभावना शून्य है।
- ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा ऐसा करने वाले सभी लोगों को उसी समय ऑस्ट्रेलिया से वापस कर दिया जाएगा।
- अभियान के तहत भारत के तमिलनाडु सहित अन्य 10 देशों के तटीय क्षेत्रों पर विज्ञापनों और अन्य माध्यमों से लोगों को जागरूक करने का कार्य जल्द-से-जल्द शुरू कर दिया जाएगा।
- अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया है कि ऑस्ट्रेलिया की कठोर सीमा नीति (Strong Border Policies) अभी भी बरकरार है और इसमें अभी तक कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ज्ञातव्य है कि कई बार अंतर्राष्ट्रीय तस्करों द्वारा लोगों को ऑस्ट्रेलिया की सीमा नीति के बारे में यह कहते हुए भ्रमित किया जाता है कि चुनावों के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सीमा नीति में परिवर्तन कर दिया है।
- हाल के कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सीमा नीति मुख्यतः समुद्री सीमा नीति को बहुत ही कठोर कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया की सीमा नीति में जहाजों से आए शरणार्थियों को उसी समय वापस लौटना, अनिवार्य नज़रबंदी और पास के द्वीपों पर शरणार्थी शिविर आदि तमाम चीज़ें शामिल हैं।
- वर्ष 2013 में शुरू किये गए अभियान ‘ऑपरेशन सॉवरेन बॉर्डर्स’ (Operation Sovereign Borders) के तहत अभी तक ऑस्ट्रेलिया लगभग 35 जहाजों से अवैध रूप से घुसने वाले 847 लोगों को वापस भेज चुका है।
- ज्ञातव्य है कि ऑपरेशन सॉवरेन बॉर्डर्स ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल (Australian Defence Force) द्वारा चलाया गया एक अभियान है जिसका उद्देश्य समुद्र के रास्ते आने वाले सभी अवैध शरणार्थियों को रोकना है।
- ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जो लोग ऑस्ट्रेलिया में वैध और स्थायी प्रवेश चाहते हैं उन्हें शरणार्थी पुनर्वास कार्यक्रम (Refugees Resettlement Programmes) के तहत आवेदन करना होगा।
- शरणार्थियों की पहचान करने के लिये ऑस्ट्रेलिया, UNHCR के साथ मिलकर कार्य रहा है। शरणार्थी सामान्यतः ऐसे नागरिक होते हैं जो असुरक्षा या युद्ध के भय से दूसरे देशों में प्रवास के लिये बाध्य होते हैं।

शरणार्थी पुनर्वास कार्यक्रम (Refugees Resettlement Programmes)

- यह कार्यक्रम वैश्विक स्तर UNHCR द्वारा चलाया जाता है।
- इस कार्यक्रम के तहत शरण मांगने वाले लोगों को किसी सुरक्षित स्थान पर स्थायी रूप से बसाने की व्यवस्था की जाती है।
- वर्ष 2018 में इस कार्यक्रम के तहत 55,600 से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित और स्थायी स्थान प्रदान किया गया है।
- United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR
- UNHCR की स्थापना वर्ष 1950 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घर छोड़ने वाले लाखों लोगों की मदद करने लिये की गई थी।
- अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के कई शरणार्थी संकटों को सुलझाने में UNHCR की भूमिका रही है।
- यूरोप में इसके अभूतपूर्व कार्य के लिये इसे वर्ष 1954 में नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सीट

चर्चा में क्यों ?

एशिया-प्रशांत के 55 देशों ने एकमत से वर्ष 2021-22 की समयावधि के लिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nation Security Council-UNSC) में भारत की अस्थायी सदस्यता हेतु समर्थन किया है।

प्रमुख बिंदु:

- चीन और पाकिस्तान के साथ भारत की कूटनीतिक चुनौतियों के बावजूद भी दोनों देशों ने भारत की सदस्यता का समर्थन किया।
- 55 सदस्यीय समूह ने अपने सदस्य देशों में से एक को जून 2020 के UNSC की अस्थायी सदस्यता के चुनाव के लिये नामांकित किया।
- भारत अब आसानी से 193 देशों के समूह वाले UN महासभा के 2/3 सदस्यों का समर्थन प्राप्त करके UNSC की अस्थायी सदस्यता प्राप्त कर लेगा।
- भारत इसके पहले 7 बार 1950-1951, 1967-1968, 1972-1973, 1977-1978, 1984-1985, 1991-1992 और 2011-2012 की समयावधियों में अस्थायी सदस्य रह चुका है।
- भारत की 2021-22 की सदस्यता की घोषणा 2013 में कर दी गई थी। उस समय भारत के सामने मजबूत प्रतिस्पर्द्धी के रूप में अफगानिस्तान था लेकिन उसने भारत से अपनी मित्रता के मद्देनजर स्वयं चुनाव न लड़ते हुए भारत को समर्थन दिया।
- भारत अपनी स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर UNSC की सदस्यता प्राप्त करेगा साथ ही उसी वर्ष G-20 की बैठक भी नई दिल्ली में आयोजित होगी, जो वैश्विक पटल पर भारत को उभरती महाशक्ति के रूप में पहचान को दर्शाता।
- एस्टोनिया, नाइजर, ट्यूनीशिया, वियतनाम और सेंट विसेंट & द ग्रेनेडाइस UNSC की अस्थायी सदस्यता के लिये जून 2019 की शुरुआत में चुने गए हैं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nation Security Council-UNSC):

- UNSC अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिये मुख्य रूप से उत्तरदायी है।
- इसमें सदस्यों की संख्या 15 है, जिसमे 5 स्थायी (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन) और 10 अस्थायी सदस्य शामिल हैं।
- सभी 15 देशों के पास एक वोट होता है।
- इसके वर्तमान अस्थायी सदस्य पोलैंड, पेरू, कुवैत, आइवरी-कोस्ट, इक्वेटोरियल गिनी (वर्ष 2019 तक) और जर्मनी, बेल्जियम, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और डोमिनिकन गणराज्य (वर्ष 2020 तक) हैं।

विज्ञान एवं प्रद्योगिकी

क्वांटम ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने द्विविमीय फिल्म (Dimensional Film) पर गोल्ड के नैनोकणों (Nanoparticles) की ड्रॉप-कास्टिंग करके टंगस्टन डाईसेलेनाइड (Tungsten Diselenide- WSe₂) के ऑप्टो-इलेक्ट्रॉनिक गुणों (ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का संयोजन) में लगभग 30 गुना तक वृद्धि करने के उपाय की खोज की है।

एक सरल प्रक्रिया में एक अधःस्तर (substrate) पर किसी विलयन को बूंद-बूंद करके टकराने/गिराने की प्रक्रिया को ड्रॉप कास्टिंग कहा जाता है।

- उल्लेखनीय है कि इस अध्ययन का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू कमरे के तापमान पर 100 केल्विन तक इन पदार्थों का नियंत्रित फोटोलुमिनेसेंस (Photoluminescence) माप करना था।

प्रमुख बिंदु

- शोधकर्ताओं द्वारा किया गया यह शोध एप्लाइड फिजिक्स लेटर्स (Applied Physics Letters) नामक विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।
- टंगस्टन डाईसेलेनाइड (WSe₂) और मोलिब्डेनम डाईसेलेनाइड (MoSe₂) जैसे पदार्थों का उनके ऑप्टो-इलेक्ट्रॉनिक गुणों (Opto-Electronic Properties) के विश्लेषण के लिये गहन अध्ययन किया जा रहा है।
- इन पदार्थों का एक प्रमुख गुण प्रकाश संदीप्ति/फोटोलुमिनेसेंस (Photoluminescence-PL) है, जिसमें पदार्थ प्रकाश को अवशोषित करता है और इसे स्पेक्ट्रम के रूप में फिर से उत्सर्जित करता है।

द्विविमीय पदार्थ (Two-dimensional Material)

परमाणुओं की वास्तविक रूप में एक परत से मिलकर बनने वाले पदार्थ की संरचना दो आयामी/द्विविमीय (Two-dimensional) होती है।

- फोटोलुमिनेसेंस गुणों का उपयोग विभिन्न उपकरणों जैसे कि क्वांटम LED तथा उपयोग संचार और अभिकलन (Computation) में किया जा सकता है।
- अर्द्धचालकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा बैंड के रूप में जुड़े रहते हैं जिसे संयोजकता बैंड (Valance Band) कहा जाता है और ये इलेक्ट्रॉन के चालन में योगदान करते हैं। परंतु, जैसे ही इनमें बाहर से कुछ ऊर्जा संचालित/अपवाहित की जाती है जिसे चालन बैंड (Conduction Band) कहा जाता है, तो ये अर्द्धचालक अस्थाई हो सकते हैं और चारों तरफ से चालन में योगदान कर सकते हैं।

एक्साइटॉन (Exciton)

- जब एक इलेक्ट्रॉन चालन/संवहन बैंड के तहत संयोजकता से निकलता है, तो यह पीछे एक प्रतिछाया छोड़ जाता है जिसे 'होल' (Hole) कहते हैं। चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन और संयोजकता बैंड के होल एक साथ मिलकर एक बैंड बना सकते हैं, जिससे एक संघटित वस्तु (Composite Object) या छद्मकण (Pseudoparticle) का निर्माण होता है जिसे एक्साइटॉन के रूप में जाना जाता है। टंगस्टन सेलेनाइड में फोटोलुमिनेसेंस ऐसे ही एक्साइटॉन्स का एक परिणाम है।
- एक्साइटॉन का निर्माण दो तरीकों से हो सकता है। पहला जब किसी घटक में इलेक्ट्रॉन और होल का चक्रण (Spin) एक-दूसरे के विपरीत दिशा में हो और दूसरा जब वे एक ही दिशा में संरेखित हों। पहली स्थिति में बनने वाले एक्साइटॉन ब्राइट एक्साइटॉन (Bright Exciton) और दूसरी स्थिति में बनने वाले एक्साइटॉन को डार्क एक्साइटॉन (Dark Exciton) कहा जाता है।

- चूँकि ब्राइट एक्साइटॉन बनाने वाले इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे-की विपरीत दिशा में चक्रण करते हैं, अतः ये पुनः संयोजित होकर काफी मात्रा में प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। लेकिन पुनर्संयोजन का यह तरीका डार्क एक्साइटॉन के लिये उपलब्ध नहीं है।
- चूँकि इलेक्ट्रॉन और होल के चक्रण एक-दूसरे समानांतर होते हैं, उनके पुनर्संयोजन को कोणीय संवेग संरक्षण के नियम (Rule of Conservation of Angular Momentum) से हतोत्साहित किया जाता है। इसलिये डार्क एक्साइटॉन, ब्राइट एक्साइटॉन की तुलना में लंबे समय तक बने रहते हैं।
- डार्क एक्साइटॉन को पुनर्संयोजन में मदद करने के लिये बाह्य प्रभाव की आवश्यकता होती है। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने इन्ही बाह्य प्रभावों का पता लगाने का प्रयास किया है।

गोल्ड की क्षमता

- जब शोधकर्ताओं निष्कर्ष निकाला है कि जब गोल्ड के नैनोकणों को एकल स्तरीय टंगस्टन डाईसेलेनाइड की सतह पर ड्राप कास्ट किया जाता है तो सतह पर पर डार्क एक्साइटॉन्स के युग्म की उत्पत्ति होती है जो प्रकाश उत्सर्जित करने के लिये पुनर्संयोजित होते हैं। इस प्रकार गोल्ड के नैनोकणों की मदद से डार्क एक्साइटॉन्स को ब्राइट एक्साइटॉन्स में बदल जाते हैं।
- गोल्ड के नैनोकणों के कारण उत्पन्न प्लास्मोनिक प्रभाव (Plasmonic effect) एक प्रसिद्ध अवधारणा है। लेकिन, द्विविमीय प्रणाली के लिये इसका उपयोग अभी नया है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार यदि एकल स्तरीय (Monolayer) टंगस्टन डाईसेलेनाइड पर गोल्ड के नैनोकणों को ड्राप-कास्ट किया जाएगा तो यह प्लास्मोनिक प्रभाव के कारण समतलीय विदुतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा जो चालन बैंड के इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को उसी स्थिति में बनाए रखने में मदद कर सकता है, इससे डार्क एक्साइटॉन, ब्राइट एक्साइटॉन में परिवर्तित हो जाते हैं।

जीन एडिटिंग और अंतर्राष्ट्रीय विवाद

चर्चा में क्यों ?

चीन के एक शोधकर्ता ने जीन एडिटिंग उपकरण (Gene Editing Tool), CRISPR-CAS9 का प्रयोग ऐसे जीन को संशोधित/परिवर्तित करने के लिये किया जो कि एचआईवी (HIV) से संक्रमित था। CRISPR-CAS9 नामक इस जीन एडिटिंग का प्रयोग एक गर्भवती महिला के भ्रूण पर भी किया, यह गर्भवती महिला अगस्त में जुड़वाँ बच्चियों को जन्म देने वाली है। जीन एडिटिंग प्रक्रिया द्वारा बच्चियों के जन्म लेने की घोषणा ने चिकित्सकीय शोध के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय विवाद को जन्म दे दिया है।

क्या है विवाद ?

- हालाँकि चीन ने अभी तक इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किये हैं परंतु वैज्ञानिकों एवं नैतिक समुदायों में एक आम सहमति है कि CRISPR-Cas9 जीन-एडिटिंग तकनीक का प्रयोग भ्रूण में नहीं किया जाना चाहिये।
- इस विचार के संदर्भ में भी आम सहमति व्याप्त है कि जीन एडिटिंग तकनीक का प्रयोग केवल गंभीर बिमारियों के निदान के लिये किया जाना चाहिये। हालाँकि एचआईवी एक गंभीर और लाईलाज बीमारी है लेकिन औषधियों के प्रयोग द्वारा इसके वायरस को नियंत्रण में रखा जा सकता है। ऐसे में यह मुद्दा विवाद का विषय बना गया है।
- सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय यह है कि जीन एडिटिंग द्वारा जीन को निष्क्रिय कर एचआईवी संक्रमण को पूरे तरीके से खत्म किया जा सकता है। ऐसे किसी कार्य का परीक्षण करने के लिये विश्व भर में क्लिनिकल ट्रायल की कोई सुविधा मौजूद नहीं है।
- इस प्रकार के जीन एडिटिंग के निश्चित तौर पर कुछ साइड-इफेक्ट भी होंगे, उनसे निपटने के लिये हमारे पास किसी भी प्रकार की सुविधा मौजूद नहीं है।
- एचआईवी संक्रमण से बचाव के लिये किये जाने वाले इस एडिटिंग की प्रक्रिया को बगैर किसी क्लिनिकल ट्रायल डाटा और सहमति के प्रयोग में लाना एवं किसी बच्चे/भ्रूण पर इसका प्रयोग अनैतिकता के दायरे में आता है।
- नेचर पत्रिका के अनुसार, जिस संभावित अस्पताल ने डॉ. हे को गर्भवती महिलाओं पर तकनीक का इस्तेमाल करने की नैतिक स्वीकृति दी थी, ने एक प्रेस बयान जारी कर इस बात से इनकार किया है। उक्त अस्पताल ने इस शोध हेतु प्रयोग में लाए गए सहमति-प्रपत्र पर भी सवाल उठाते हुए यह बयान जारी किया है कि कथित शोध के संबंध में किसी भी प्रकार की प्रक्रियागत बैठक नहीं हुई थी।

- सहमति-प्रपत्र में दी गई जानकारी से पता चलता है कि जिन माता-पिता ने इस प्रयोग में भाग लिया था, उन्हें जीन को निष्क्रिय करने की समस्याओं के बारे में नहीं बताया गया था। जिस दिन इस खबर को प्रेस में छपा गया उसी दिन चीनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने ग्वांगडोंग स्वास्थ्य आयोग (Guangdong Health Commission) जाँच के आदेश जारी कर दिये थे।
- इस जाँच में यह पाया गया कि कथित शोधकर्ता चिकित्सक ने प्रजनन उद्देश्यों के लिये जीन-संपादन का उपयोग कर राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया था। जाँच वैज्ञानिकों के अनुसार, डॉ. हे द्वारा किया गया यह अनुप्रयोग वर्ष 2003 के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है जो स्पष्ट रूप से, प्रजनन उद्देश्य को पूरा करने के लिये भ्रूण के जीन से छेड़-छाड़ को प्रतिबंधित करता है।
- 26 फरवरी को चीन ने एक मसौदा पेश किया, जिसमें शोधकर्ताओं को क्लिनिकल ट्रायल करने से पूर्व सरकार से अनुमति लेने को आवश्यक बनाया गया। कथित नियमों के उल्लंघन में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाएगा और संबंधित शोध को आजीवन प्रतिबंधित किये जाने का भी प्रावधान है।

जीन एडिटिंग (CRISPR Cas-9)

- CRISPR Cas-9 तकनीक की खोज वैज्ञानिकों द्वारा वर्ष 2012 में की गई थी यह तकनीक प्रतिरक्षा प्रणाली (Immune System)का एक महत्वपूर्ण भाग है।
- जीन एडिटिंग वह तकनीक है जिसका उपयोग किसी जीव के जीनों में परिवर्तन करने या उसके आनुवंशिक गठन में फेरबदल करने में किया जा सकता है।
- CRISPR तकनीक के माध्यम से संपूर्ण आनुवंशिक कोड में से लक्षित हिस्सों (विशिष्ट हिस्सों) या विशेष स्थान पर DNA की एडिटिंग की जा सकती है।
- CRISPR-CAS9 तकनीक आनुवंशिक सूचना धारण करने वाले DNA के सिरा (Strands) या कुंडलित धागे को हटाने और चिपकाने (Cut and Paste) की क्रियाविधि की भाँति कार्य करती है।
- DNA सिरा के जिस विशिष्ट स्थान पर आनुवंशिक कोड को बदलने या एडिट करने की आवश्यकता होती है, सबसे पहले उसकी पहचान की जाती है।
- इसके पश्चात् CAS-9 के प्रयोग से (CAS-9 कैंची की तरह कार्य करता है) उस विशिष्ट हिस्से को हटाया जाता है।
- उल्लेखनीय है कि DNA सिरा के जिस विशिष्ट भाग को काटा या हटाया जाता है उसमें प्राकृतिक रूप से पुनर्निर्माण, मरम्मत, या बनने की प्रवृत्ति होती है।
- वैज्ञानिकों द्वारा स्वतः मरम्मत या पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में ही हस्तक्षेप किया जाता है और आनुवंशिक कोड में वांछित अनुक्रम या परिवर्तन की क्रिया पूरी की जाती है, जो अंततः टूटे हुए DNA सिरा पर स्थापित हो जाता है।
- कथित घटना में चिकित्सक शोधकर्ता ने जुड़वाँ बहनों में उपस्थित CCR5 नामक जीन को निष्क्रिय करने हेतु CRISPR CAS-9 जीन एडिटिंग का प्रयोग किया। इस जीन एडिटिंग में एक प्रोटीन को एनकोड कराया जाता है ताकि एचआईवी कोशिका में प्रवेश कर उसे संक्रमित कर सके।

CCR5 जीन और HIV

- एचआईवी के कुछ अन्य उपभेद कोशिकाओं को संक्रमित करने के लिये एक और प्रोटीन (CXCR4) का उपयोग करते हैं।
- यहाँ तक कि जो लोग CCR5 जीन की दो प्रतियों के साथ पैदा होते हैं लेकिन इनकी CCR5 जीन की दोनों प्रतियाँ क्रियाशील नहीं होती हैं वे एचआईवी संक्रमण के खिलाफ पूरी तरह से संरक्षित या प्रतिरोधी नहीं होते हैं।
- यह भी संभावना है कि जीन एडिटिंग टूल के प्रयोग द्वारा जीनोम के अन्य भागों में अनपेक्षित रूप से म्यूटेशन हो सकता है जिससे संबंधित व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँच सकता है।
- सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दवाओं, ऑपरेशन के माध्यम से बच्चे के जन्म और बिना माँ के दूध के सेवन से भ्रूण में माँ से होने वाले वर्टिकल वायरल संचरण (Vertical Viral Transmission) को रोका जा सकता है। एचआईवी से पीड़ित महिलाओं से भ्रूण के संक्रमित होने संभावना अधिक होती है, कथित घटना में माँ एचआईवी-मुक्त थी, जबकि पिता एचआईवी संक्रमित थे।

CCR5 जीन के फायदे

- वेस्ट नील वायरस के खिलाफ लड़ने की क्षमता प्रदान करता है।
- नेचर पत्रिका के अनुसार, CCR5 जीन फेफड़े (LUNG), गुर्दे (LIVER), और दिमाग (BRAIN) में होने वाले गंभीर किस्म के संक्रमण एवं बिमारियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है।
- फेफड़ों में होने वाले इन्फ्लुएंजा के संक्रमण से लड़ने के लिये प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करता है।
- इस जीन की अनुपस्थिति में हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कार्य करना बंद कर देगी।
- इस जीन की अनुपस्थिति से मल्टीपल स्केलेरोसिस नामक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों की जल्द मृत्यु होने की संभावना दोगुनी हो जाएगी।

5G तकनीक

चर्चा में क्यों ?

वैश्विक दूरसंचार उद्योग निकाय ग्लोबल कम्युनिकेशंस फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस (Global System for Mobile Communications- GSMA) के एक अनुमान के अनुसार, वर्ष 2025 तक भारत में मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 920 मिलियन हो जाने की संभावना है, जिसमें लगभग 88 मिलियन उपभोक्ता 5G कनेक्शन वाले हो सकते हैं।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि यदि यह अनुमान सही साबित होता है तो भारत 5 जी कनेक्शन के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ देगा।
- 5G शब्द का उपयोग लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन (Long-Term Evolution- LTE) की अगली पीढ़ी का वर्णन करने के लिये किया जाता है।
- 5G तकनीक के अनुप्रयोग: यह दूरसंचार/टेलीकॉम तकनीक का मिश्रण है, जो बहुत कम ऊर्जा का उपयोग करने के साथ ही विकिरण भी बहुत कम उत्पन्न करता है और व्यापक कनेक्टिविटी के माध्यम से बहुत अधिक डेटा गति/स्पीड प्रदान करता है।
 - ◆ इसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स (Internet of Things- IoT) के लिये एक नेटवर्क के रूप में भी बनाया गया है।
 - ◆ इससे न केवल लोग बल्कि यूटिलिटी मशीन, औद्योगिक उपकरण, ऑटोमोबाइल, शहर की आधारिक संरचना, सार्वजनिक सुरक्षा आदि भी एक-दूसरे से संबद्ध होंगे।
- उपयोग की जाने वाली तकनीक: बड़ी संख्या में उपकरणों को एक साथ संचालित करने, जिनमें से कई को लंबे समय तक बैटरी लाइफ की आवश्यकता होती है, के लिये 5G नेटवर्क LTE के उन्नत प्लेटफॉर्म (LTE Advanced Pro platform) का निर्माण करेगा।
- इसमें दो नैरोबैंड (Narrowband) तकनीकी प्लेटफॉर्मों का उपयोग किया जाएगा-
 - ◆ उन्नत मशीन प्रकार संचार (Enhanced Machine-Type Communication- EMTc)
 - ◆ नैरोबैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स (Narrowband Internet of Things: NB-IoT)

अनुकूल परिस्थिति

5G नेटवर्क की गति डाउनलिक के लिये 20 गीगाबाइट प्रति सेकेंड (Gb/s) और अपलिक के लिये 10 गीगाबाइट प्रति सेकेंड (Gb/s) की अधिकतम डेटा दर होनी चाहिये।

LTE

- यह लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन (Long-Term Evolution) का संक्षिप्त रूप है।
- LTE, 3rd जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट (3rd Generation Partnership Project- 3GPP) द्वारा विकसित एक 4G वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड (4G Wireless Communications Standard) है जिसे मोबाइल डिवाइस जैसे- स्मार्टफोन, टैबलेट, नोटबुक और वायरलेस हॉटस्पॉट को 3G की तुलना में 10 गुना स्पीड प्रदान करने के लिये विकसित किया गया है।

VoLTE

- यह वॉयस-ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन (Voice over Long Term Evolution- VoLTE) का संक्षिप्त रूप है।
- यह एक डिजिटल पैकेट वॉयस सेवा है जिसमें IMS तकनीक का उपयोग करते हुए LTE एक्सेस नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट प्रोटोकॉल (Internet Protocol- IP) पर वितरित किया जाता है।

लेटेंसी (Latency)

- यह नेटवर्किंग से संबंधित एक शब्द है। एक नोड से दूसरे नोड तक जाने में किसी डेटा पैकेट द्वारा लिये गए कुल समय को लेटेंसी कहते हैं।
- लेटेंसी समय अंतराल या देरी को संदर्भित करता है।

भारत का पहला अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास**चर्चा में क्यों ?**

मार्च 2019 में एंटी-सैटेलाइट (Anti-Satellite/A-Sat) मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण और हाल ही में 'ट्राई सर्विस डिफेंस स्पेस एजेंसी' (Tri-Service Defence Space Agency) की शुरुआत करने के पश्चात् भारत पहली बार सिमुलेटेड (कृत्रिम/बनावटी) अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास (Simulated Space Warfare Exercise) की योजना बना रहा है, जिसे 'IndSpaceEx' नाम दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- यह अभ्यास मूल रूप से एक 'टेबल-टॉप वॉर-गेम' ('Table-Top War-Game') होगा, जिसमें सैन्य और वैज्ञानिक समुदाय के लोग हिस्सा लेंगे। किंतु टेबल-टॉप वॉर-गेम होने के बावजूद यह अभ्यास उस गंभीरता को रेखांकित करता है जिसके तहत चीन जैसे देशों से भारत अपनी अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की रक्षा और संभावित खतरों से मुकाबला करने की आवश्यकता पर विचार कर रहा है।

उद्देश्य

- अंतरिक्ष का सैन्यीकरण होने के साथ-साथ इसमें विवादास्पद और प्रतिस्पर्द्धात्मक गतिविधियाँ भी हो रही हैं।
- इन गतिविधियों के मद्देनजर भारत द्वारा अंतरिक्ष युद्धाभ्यास को शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य अंतरिक्ष में अपनी स्थिति को और मजबूत बनाना है।
- जुलाई 2019 के अंतिम सप्ताह में आयोजित होने वाले इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक अंतरिक्ष और काउंटर-स्पेस क्षमताओं का आकलन करना है।

एंटी-सैटेलाइट मिसाइल (A-SAT)

एंटी-सैटेलाइट मिसाइल का लक्ष्य किसी देश के सामरिक सैन्य उद्देश्यों के उपग्रहों को निष्क्रिय करने या नष्ट करने पर लक्षित होता है।

- वैसे आज तक किसी भी युद्ध में इस तरह की मिसाइल का उपयोग नहीं किया गया है। लेकिन कई देश अंतरिक्ष में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने और अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को निर्बाध गति से जारी रखने के लिये इस तरह के मिसाइल सिस्टम की मौजूदगी को जरूरी मानते हैं।

'IndSpaceEx' योजना

- इस युद्ध अभ्यास के तहत भारत अंतरिक्ष में अपने विरोधियों पर निगरानी रखने, संचार, मिसाइल की पूर्व चेतावनी और सटीक लक्ष्य साधने तथा अपने उपग्रहों की सुरक्षा जैसी आवश्यकताओं पर बल देगा।
- इसके साथ ही अंतरिक्ष में रणनीतिक चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने में सहायता प्राप्त होगी जिनकी वर्तमान परिवेश में अत्यंत आवश्यकता है।
- चीन जनवरी 2007 में 'A-Sat' मिसाइल की सहायता से एक मौसम उपग्रह को नष्ट कर अंतरिक्ष में अपनी सैन्य क्षमताओं का पहले ही विकास कर चुका है।
- ध्यातव्य है कि चीन ने हाल ही में अंतरिक्ष के क्षेत्र में अमेरिका के वर्चस्व को खतरे में डालने वाले अपने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम के तहत चीन ने समुद्र में तैरते एक प्लेटफॉर्म से अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च करने की क्षमता का विकास किया है।

अंतरिक्ष में भारत की स्थिति

- भारत ने लंबे समय से अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए अंतरिक्ष में अपनी स्थिति मजबूत बनाई है फिर भी वह चीन के समकक्ष नहीं आ सका है।
- भारत ने संचार, नेविगेशन, पृथ्वी अवलोकन और अन्य उपग्रहों को मिलाकर 100 से अधिक अंतरिक्षयान मिशन संचालित किये हैं।
- साथ ही भारतीय सशस्त्र बल दो समर्पित सैन्य उपग्रहों के अलावा, निगरानी, नेविगेशन और संचार उद्देश्यों के लिए बड़े पैमाने पर दोहरे उपयोग वाले रिमोट सेंसिंग उपग्रह का भी उपयोग करते हैं।
- भारत ने मिशन शक्ति को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए काउंटर-स्पेस क्षमता विकसित करने की दिशा में पहला कदम तब उठाया जब उसने कम वजन वाली पृथ्वी की कक्षा में 283 किमी. की ऊँचाई पर स्थित 740 किलोग्राम के माइक्रोसैट-R उपग्रह को नष्ट करने के लिये 19 टन की इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च की।

‘मिशन शक्ति’

- मार्च 2019 में भारत ने मिशन शक्ति को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए एंटी-सैटेलाइट मिसाइल (A-SAT) से तीन मिनट में एक लाइव भारतीय सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया।
- अंतरिक्ष में 300 किमी. दूर पृथ्वी की निचली कक्षा (Low Earth Orbit-LEO) में घूम रहा यह लाइव सैटेलाइट एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था।
- अब तक रूस, अमेरिका एवं चीन के पास ही यह क्षमता थी और इसे हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है।
- ‘मिशन शक्ति’ का मूल उद्देश्य भारत की सुरक्षा, आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति को दर्शाना है।

माइक्रोसैट-R

- माइक्रोसैट-R एक सैन्य इमेजिंग उपग्रह था, जिसका वजन 130 किलोग्राम था और इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (Defence Research and Development Organization-DRDO) द्वारा बनाया गया था।
- इसे पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया था। ऐसा पहली बार था जब भारतीय उपग्रह को ISRO द्वारा 274 किमी. से कम ऊँचाई में रखा गया हो।
- मिशन शक्ति के तहत मार्च 2019 में इसे नष्ट कर दिया गया।
- भारत अन्य काउंटर-स्पेस क्षमताओं जैसे कि निर्देशित ऊर्जा हथियार (Directed Energy Weapons- DEWs), लेज़र, ईएमपी (Electromagnetic Pulse) और सह-कक्षीय मारकों (Co-orbital Killers) के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक या प्राकृतिक हमलों से स्वयं के उपग्रहों की रक्षा करने की क्षमता को विकसित करने के लिये काम कर रहा है।

सभी दवाओं की बारकोडिंग अनिवार्य

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सरकार ने भारत में नकली दवाओं के उभरते बाजार पर अंकुश लगाने के लिये स्थानीय स्तर पर बेची जाने वाली सभी दवाओं पर बारकोडिंग को अनिवार्य करने की योजना बनाई है। हालाँकि चिकित्सा उपकरणों और दवाओं के निर्यात के क्षेत्र में उनकी प्रामाणिकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये यह व्यवस्था पहले से ही भारत में लागू है।

आवश्यकता क्यों है ?

- संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि (United States Trade Representative- USTR) के कार्यालय द्वारा अप्रैल में जारी एक वार्षिक रिपोर्ट ‘Special 301 Report’ जिसमें ‘बौद्धिक संपदा संरक्षण’ और ‘कुख्यात बाजारों’ (Notorious Markets) की समीक्षा की गई है में यह बात सामने आई है कि भारत में नकली दवाओं के बढ़ते बाजार की समस्या अत्यंत गंभीर है।
- USTR की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय बाजार में बेची जाने वाली सभी दवाइयों की लगभग 20% दवाइयाँ नकली हैं।

औषधीय/फार्मास्युटिकल क्षेत्र में भारत की स्थिति

- भारत अपनी उच्च घरेलू मांग और सस्ती विनिर्माण लागत के कारण कम लागत वाली जेनेरिक दवाओं के उत्पादन में विश्व के प्रमुख उत्पादकों में से एक है।
- भारत औषधीय बाजार के क्षेत्र में दुनिया में तीसरे स्थान पर है जबकि मूल्य निर्धारण के मामले में 13वें स्थान पर है।
- हालाँकि नकली दवाओं से संबंधित यह समस्या एक वैश्विक मुद्दा है, जो अल्पविकसित और विकासशील देशों (निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों) में अधिक प्रचलित है।
- एक अनुमान के अनुसार निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में 10-30% दवाएँ नकली होती हैं, जबकि उच्च आय वाले देशों में महज 1% नकली दवाओं का मामला पाया जाता है।

भारत में नकली दवाओं के बाजार का कारण

- चिकित्सा देखभाल तक सीमित पहुँच, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
- आपूर्ति श्रृंखला में बाधा।
- उपभोक्ताओं में जागरूकता की कमी।
- दवाओं के खुद से (बिना डॉक्टर की सलाह के) लेने का प्रचलित तरीका।
- असली दवाओं की उच्च लागत।
- भ्रष्टाचार मामले में उचित कार्यवाही नहीं अर्थात् कानून का सही से लागू न किया जाना।
- ऑनलाइन फार्मसिज़ का प्रचलन।
- जालसाजी में आधुनिक तकनीकों का उपयोग।

भारत में नकली और रद्दी दवाओं का वर्गीकरण

- ड्रग एंड कॉस्मेटिक अधिनियम, 1940 [Drug and Cosmetic (D and C) Act, 1940] के अनुसार, खराब गुणवत्ता वाली दवाओं में क्रमशः नकली और मिलावटी दवाएँ शामिल हैं।
- स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) के तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (Central Drugs Standard Control Organization- CDSCO) ने 'मानक गुणवत्ता का नहीं' (Not of Standard quality- NSQ) उत्पादों को तीन श्रेणियों A, B और C में वर्गीकृत किया है जो गुणवत्ता मूल्यांकन के दौरान उत्पादों को वर्गीकृत करने में सहायक है।

श्रेणी A	श्रेणी B	श्रेणी C
<ul style="list-style-type: none"> ● इस श्रेणी में ऐसी नकली और मिलावटी दवाएँ शामिल हैं जो उत्पाद की वास्तविक पहचान को छिपाते हैं और कुछ प्रसिद्ध ब्रांड के समान प्रतीत होते हैं। ● इन उत्पादों में सक्रिय तत्व (जो इलाज कर सकें) शामिल नहीं होते हैं और आम तौर पर बिना लाइसेंस वाले असामाजिक लोगों द्वारा या कभी-कभी लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं द्वारा निर्मित किये जाते हैं। 	<ul style="list-style-type: none"> ● इस श्रेणी में पूरी तरह से रद्दी दवाएँ शामिल होती हैं, जिसमें उत्पाद विघटन या विलयन परीक्षण में विफल रहता है। 	<ul style="list-style-type: none"> ● इस श्रेणी की दवाओं में छोटी-मोटी खामियाँ होती हैं, जैसे- क्रेकिंग, सूत्रीकरण रंग में परिवर्तन, लेबलिंग त्रुटियाँ, उत्पाद पर धब्बा, असमान कोटिंग इत्यादि।

बारकोडिंग के लाभ

- दवाओं की बिक्री के लिये बारकोडिंग लागू करने से दवाओं की प्रामाणिकता, उनकी उपलब्धता, समाप्ति की तारीख इत्यादि के बारे में आसानी से जाँच की जा सकेगी। इसके साथ ही दवाओं को ट्रैक करने और जरूरत पड़ने पर उनको वापस मंगाने संबंधी सभी कार्यों को आसानी से किया जा सकेगा।

आगे की राह

● लोगों में जागरूकता बढ़ाना:

- ◆ भारत के लगभग 650 मिलियन लोग मोबाइल फोन उपयोगकर्ता हैं जिनमें से लगभग 78% लोगों की इंटरनेट तक पहुँच है। नकली और मिलावटी दवाओं के बारे में ऑनलाइन जानकारी का प्रसार करके इस मुद्दे का शीघ्र और प्रभावी समाधान किया जा सकता है।
- जालसाजी को रोकने हेतु नवाचारी उपायों को लागू करना
- ◆ नई पीढ़ी की जालसाजी रोकने वाली तकनीकों, जैसे- फोरेंसिक पहचान (रासायनिक, जैविक और डीएनए संबंधी), क्लाउड-आधारित डेटा श्रृंखला संग्रह का उपयोग और आपूर्ति श्रृंखला में ब्लॉकचेन का उपयोग नकली दवाओं को रोकने के लिये किया जा सकता है।

CDSCO

- केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (Central Drugs Standard Control Organization- CDSCO) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण (NRA) है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- देश भर में इसके 6 जोनल कार्यालय, 4 सब-जोनल कार्यालय, 13 पोर्ट ऑफिस और 7 प्रयोगशालाएँ हैं।
- विज्ञान: भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना।
- मिशन: दवाओं, सौंदर्य प्रसाधन और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता बढ़ाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा तय करना।
- ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 एंड रूल्स 1945 (The Drugs & Cosmetics Act, 1940 and rules 1945) के तहत CDSCO दवाओं के अनुमोदन, क्लिनिकल परीक्षणों के संचालन, दवाओं के मानक तैयार करने, देश में आयातित दवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण और राज्य दवा नियंत्रण संगठनों को विशेषज्ञ सलाह प्रदान करके ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के प्रवर्तन में एकरूपता लाने के लिये उत्तरदायी है।

ट्रैफिक इंडेक्स 2018

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एम्स्टर्डम स्थित लोकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी टॉमटॉम (TomTom) द्वारा ट्रैफिक इंडेक्स 2018 जारी किया गया है। गौरतलब है कि टॉमटॉम ट्रैफिक की जानकारी एकत्र करने के लिये लोकेशन टेक्नोलॉजी (Location Technology) का उपयोग करके ट्रैफिक समाधान प्रदान करती है।

- इस इंडेक्स के अनुसार, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सड़कों पर अधिक जाम लगने के कारण लोगों को अपने गंतव्य तक पहुँचने में 65 फीसदी अधिक वक्त लगता है, जबकि देश की राजधानी दिल्ली में 58 फीसदी अधिक समय लगता है।
- नवीनतम इंडेक्स में विश्व के 56 देशों के 403 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें 13 नए शहर भी शामिल हैं। इसमें कोलंबिया के बोगोटा शहर को दूसरे जबकि पेरू के लीमा शहर को तीसरे स्थान तथा मास्को को पाँचवें स्थान पर रखा गया है।
- भारत की राजधानी दिल्ली विश्व का चौथा सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर है।

ट्रैफिक कंजेशन के दुष्प्रभाव (Effects of Traffic Congestion)

- इससे ध्वनि एवं वायु प्रदूषण (Air and Noise Pollution) में वृद्धि होती है।
- वर्ष 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation-WHO) द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार, वैश्विक स्तर पर 20 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में भारत के 14 शहर शामिल थे।
- भारत में किसी भी अन्य देश की तुलना में यातायात दुर्घटनाओं के कारण सर्वाधिक 120,000 लोगों की (प्रतिवर्ष) मृत्यु होती है।
- भारत में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएँ दिल्ली में होती हैं जबकि वैश्विक स्तर पर इसका तीसरा स्थान है।
- आर्थिक नुकसान का सीधा संबंध ट्रैफिक में फँसे होने में लगे समय के मौद्रिक मूल्य से है।

- ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म (Global Consultancy Firm) द्वारा किये गए अध्ययन के अनुसार दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में ट्रैफिक के कारण वार्षिक लागत अर्थव्यवस्था का 1.47 लाख करोड़ रूपए है।
- ट्रैफिक जाम की स्थिति में आपातकालीन वाहनों जैसे- एंबुलेंस, सैन्य वाहन का भी मार्ग बाधित होता है।
- यातायात नियमों का उल्लंघन, रेड लाइट (Red Lights) का उल्लंघन करना, सही लेन में वाहन न चलाना आदि ट्रैफिक जाम के सबसे प्रमुख कारण हैं।
- अगर इसका हम सकारात्मक पक्ष देखें तो यह मजबूत अर्थव्यवस्था का द्योतक है।

आगे की राह

- इस समस्या का समाधान करने के लिये सरकार को सड़कों को और अधिक चौड़ा करने, नई सड़कों तथा अंडरपासों का निर्माण जैसी परियोजनाओं को बढ़ावा देना चाहिये।
- सड़कों के उचित प्रबंधन एवं यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध सजा और जुर्माने जैसे कड़े प्रावधान किये जाने चाहिये।
- यात्रा के लिये सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग, राइडशेयरिंग के लिये कम्यूटर सब्सिडी (Commuter Subsidies) का प्रावधान करना।
- अगर दिल्ली के लोग राइडशेयरिंग के माध्यम से यात्रा करने लगे तो दिल्ली में, 22,369 एकड़ का क्षेत्र ट्रैफिक मुक्त किया जा सकता है।
- सरकार को कार-केंद्रित पॉलिसी (Car-Centric Policy) में बदलाव करते हुए कार एवं चौपहिया वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध लगा देना चाहिये।
- कार पूल (Carpool) करने वाले कर्मचारियों को उचित पार्किंग उपलब्ध कराना।
- सभी कर्मचारियों को गाइडबुक प्रदान करना जो यातायात के वैकल्पिक साधनों के बारे में जानकारी प्रदान करें और उनके प्रयोग को प्रोत्साहित करें।

हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation-DRDO) ने स्वदेशी रूप से विकसित हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल (Hypersonic Technology Demonstrator Vehicle- HSTDV) का पहला सफल परीक्षण किया है।
- यह परीक्षण बालासोर, ओडिशा स्थित डॉ. अब्दुल कलाम द्वीप के एकीकृत परीक्षण रेंज (आइटीआर) से किया गया।

प्रमुख बिंदु

- HTDV प्रोजेक्ट DRDO की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और इसका उद्देश्य कई सैन्य और नागरिक लक्ष्यों को सेवाएँ प्रदान करना है।
- यह हाइपरसोनिक गति से उड़ान भरने वाला मानव रहित स्क्रेमजेट प्रदर्शन विमान है, इसकी गति ध्वनि की गति से 6 गुना अधिक होने के साथ ही यह आसमान में 20 सेकेंड में लगभग 32.5 किलोमीटर की ऊँचाई तक पहुँच जाता है।
- इस विमान का उपयोग क्रूज मिसाइलों को लॉन्च करने हेतु किया जा सकता है तथा यह कम लागत पर उपग्रहों को लॉन्च करने में भी सक्षम है।
- इस परियोजना के तहत ऐसा हाइपरसोनिक वाहन तैयार किया जा रहा है जिसमें स्क्रेमजेट इंजन का प्रयोग किया गया है।
- निकट भविष्य में इस वाहन द्वारा लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों जैसे- ब्रह्मोस-2 को प्रक्षेपित करने में सहायकता मिलने की संभावना है।
- इस वाहन को DRDO द्वारा इजराइल, ब्रिटेन और रूस जैसे देशों की सहायता से तैयार किया जा रहा है।
- इस परीक्षण के साथ ही भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी से युक्त विश्व के चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है। अभी तक यह तकनीकी केवल अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और इंग्लैंड के पास ही उपलब्ध थी।

स्कैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर (Scramjet Engine Technology Demonstrator)

- अभी तक कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने हेतु जिन बहु-मंचित उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों (Multi-staged Satellite Launch Vehicles) द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है, ये प्रक्षेपण वाहन प्रणोद उत्पन्न करने के लिये ईंधन के साथ-साथ दहन हेतु ऑक्सीडाइज़र का प्रयोग करते हैं।
- एक बार इस्तेमाल के लिये डिज़ाइन किये प्रमोचन वाहन महँगे होते हैं और उनकी क्षमता कम होती है, क्योंकि वे अपने उत्थापन द्रव्यमान (lift-off mass) का केवल 2-4% ही वहन कर सकते हैं। इसलिये दुनिया भर में लॉन्च लागत को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।
- प्रक्षेपण वाहन द्वारा ले जाए जाने वाले ऑक्सीडाइज़र में लगभग 70% प्रणोदक (ईंधन ऑक्सीडाइज़र के संयोजन) होते हैं। इसलिये अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण वाहन की प्रणोदन प्रणाली को इसप्रकार विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है जो वायुमंडल से उड़ान के दौरान वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे, जिससे कि उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिये अपेक्षित कुल प्रणोदक की मात्रा बहुत ही कम होगी।
- इसके अलावा, अगर उन वाहनों को पुनःउपयोगी बनाया जाए, इससे उपग्रहों के प्रमोचन के लागत में और कमी आएगी।
- इस प्रकार, वायुश्वसन प्रणोदन के साथ-साथ भविष्य में पुनःउपयोगी प्रक्षेपण यान अवधारणा से, कम कीमत पर अंतरिक्ष में नियमित पहुंच, एक रोमांचक बात है।
- विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा तीन प्रकार के एयर ब्रीदिंग इंजनों अर्थात् वायुश्वसन इंजनों (Air Breathing Engines): रैमजेट (Ramjet), स्कैमजेट (Scramjet) और डुअल मोड रैमजेट (Dual Mode Ramjet-DMRJ) को विकसित किया जा रहा है।
- रैमजेट इंजन, एयर ब्रीदिंग इंजन का ही एक रूप है जो वाहन की अग्र गति (forward motion) का उपयोग कर आने वाली हवा को बिना घूर्णन संपीडक (rotating compressor) के दहन (combustion) के लिये संपीड़ित करता है। ईंधन को दहन कक्ष में अंतर्क्षेपण किया जाता है जहाँ वह गर्म संपीड़ित हवा के साथ मिलकर प्रज्वलित होता है।
- एक रैमजेट-संचालित वाहन को भी एक रॉकेट की भाँति टेक-ऑफ करने की आवश्यकता होती है इसलिये रैमजेट इंजन इस वाहन को त्वरित गति प्रदान करने में मदद करता है।
1 मैक (Mach) = 1,192.68 km/h
- रैमजेट 3 मैक (ध्वनि की गति से तीन गुना) के आसपास सुपरसोनिक गति पर सबसे कुशलता से काम करते हैं और अधिकतम मैक 6 की गति तक इनका इस्तेमाल किया जा सकता है।
- जब वाहन हाइपरसोनिक गति पर पहुँच जाता है तो रैमजेट इंजन की दक्षता कम होने लगती है।
- स्कैमजेट इंजन, रैमजेट इंजन की तुलना में अत्यधिक कुशल है क्योंकि यह हाइपरसोनिक गति से कुशलतापूर्वक संचालित होता है और सुपरसोनिक गति से ईंधन के दहन की अनुमति देता है। इसलिये इसे सुपरसोनिक दहन रैमजेट (Supersonic Combustion Ramjet) या स्कैमजेट कहते हैं।
- डुअल मोड रैमजेट (DMRJ) एक जेट इंजन है, जिसमें रैमजेट मैक 4-8 की गति के बाद स्कैमजेट में परिवर्तित हो जाता है, जिसका अर्थ है कि यह इंजन सबसोनिक और सुपरसोनिक मोड दोनों में कुशलतापूर्वक काम कर सकता है।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation-DRDO)

- DRDO की स्थापना वर्ष 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन (Defence Science Organisation-DSO) के साथ भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान (Technical Development Establishment-TDEs) और तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय (Directorate of Technical Development & Production- DTDP) के संयोजन के बाद हुई।
- DRDO रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के तहत काम करता है।
- यह रक्षा प्रणालियों के डिज़ाइन एवं विकास के साथ-साथ तीनों क्षेत्रों के रक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं के अनुसार विश्व स्तर की हथियार प्रणाली एवं उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है।
- DRDO सैन्य प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है, जिसमें वैमानिकी, शस्त्र, युद्धक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रुमेंटेशन, इंजीनियरिंग प्रणालियाँ, मिसाइलें, नौसेना प्रणालियाँ, उन्नत कंप्यूटिंग, सिमुलेशन और जीवन विज्ञान शामिल हैं।

चावल में शीथ ब्लाइट रोग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान (National Institute of Plant Genome Research) के वैज्ञानिकों ने चावल की फसल में एक प्रमुख रोगजनक कवक 'राइजोक्टोनिया सोलानी' (Rhizoctonia Solani) की आक्रामकता से जुड़ी आनुवंशिक विविधता (Genomic Diversity) को उजागर किया है।

प्रमुख बिंदु

- राइजोक्टोनिया सोलानी कवक की वह प्रजाति है जिससे चावल में शीथ ब्लाइट (Sheath Blight) रोग होता है।
- शोधकर्ताओं ने इन कवक स्ट्रेनों (Fungal Strains) में ऐसे कई जीन और जीन परिवारों की पहचान की है जो शीथ ब्लाइट रोग को फैलाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसी जीनोमिक अध्ययन के आधार पर चावल की शीथ ब्लाइट प्रतिरोधी किस्म को तैयार करने में सहायता मिलेगी।
- शीथ ब्लाइट रोग चावल की फसल की प्रमुख समस्या है जिसके कारण प्रतिवर्ष चावल की फसल में 60 फीसदी तक का नुकसान होता है। इसीलिये स्थायी रूप से इस रोग को नियंत्रित करना एक चुनौती बनी हुई है।
- पिछले 4-5 वर्षों में जो अनुसंधानकर्ता इस रोग के रोगाणुजनक कवक पर कार्य कर रहे थे उनके द्वारा इसके दो हाइपर आक्रामक स्ट्रेनो के जीनोम का अध्ययन करने का फैसला किया।

राइजोक्टोनिया सोलानी रोगजनित चावल (Rhizoctonia Solani infected rice)

- शोधकर्ताओं के अनुसार, राइजोक्टोनिया सोलानी के दो भारतीय रूपों- बीआरएस 11 (BRS 11) और बीआरएस 13 (BRS 13) की आनुवंशिक संरचना का अध्ययन किया गया है और इनके जीन्स की तुलना राइजोक्टोनिया सोलानी एजी 1-आईए (Rhizoctonia solani AG1-IA group) समूह के कवक के जीनोम से की गई।
- इसमें कुछ एकल न्यूक्लियोटाइडस बहुरूपों (Single Nucleotide Polymorphisms) की पहचान की गई एवं दोनों प्रकार के कवकों के जीनोम में क्षारकों के जुड़ने तथा विलोपित की भी पहचान की गई है।
- शोधकर्ताओं के अनुसार, कवकों के जीन्स (Genes) के लक्षणों की लगातार पहचान कियुए जाने से इस भविष्य में इनके रोग को फैलाने में इनकी भूमिका का भी पता चलेगा।
- विभिन्न बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से जीन्स को संशोधित कर चावल की शीथ ब्लाइट प्रतिरोधी प्रजाति विकसित करने में मदद मिल सकती है।

राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान (National Institute of Plant Genome Research)

राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान (यानी राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान केंद्र) भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान है। इस संस्थान को भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ और प्रोफेसर (डॉ.) जे.सी. बोस के जन्म दिवस पर स्थापित किया गया था। इसकी औपचारिक घोषणा 30 नवंबर, 1997 को की गई थी। इस संस्थान की सहायता से भारत पादप आनुवंशिकी (प्लांट जेनोमिक्स) के क्षेत्र में प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक बन गया है।

उद्देश्य

- आधारभूत तथा कार्यात्मक आणविक जीव विज्ञान को उच्च क्षमता की सहायता, समन्वय, प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।
- उन विभिन्न वैज्ञानिक और अनुसंधान अभिकरणों/प्रयोगशालाओं तथा देश के अन्य संगठनों को जो पौध जीन पर कार्य कर रहे हैं, को लगातार आपस में प्रभावी ढंग से जोड़े रखना तथा उनके कार्यों को बढ़ावा देना।
- आणविक जीव विज्ञान के साथ-साथ टिशू कल्चर और आनुवंशिक अभियांत्रिकी तकनीक के विभिन्न तरीकों का उपयोग करके महत्वपूर्ण जीन की पहचान करना तथा उनमें फेरबदल कर ट्रांसजेनिक पौधों को सृजन के साथ उसको कृषि और रोगजनक-रोधी बना कर उत्पादन में सुधार करना।

- सभी प्रकार के मौलिक जीन विनियमन और मानचित्रण से संबंधित कार्य करना जिससे उपर दिये गए अधिदेशों को पूरा करने में सहायता मिले।
- ट्रांसजेनिक वनस्पतियों का उत्पादन और परीक्षण करना।
- उन जीन्स की पहचान करना जो कि रोगाणुओं के अस्तित्व के लिये महत्वपूर्ण हैं, ताकि उनके आधार पर रोग का निवारण किया जा सके।
- वनस्पति आनुवंशिक अभियांत्रिकी और जीनोम विश्लेषण के क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर अग्रिम प्रशिक्षण देना।
- वनस्पति जीनोम अनुसंधान में कार्य कर रहे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोगात्मक तथा पारस्परिक संबंधों का विकास करना।

भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन

चर्चा में क्यों ?

वर्ष 2030 तक भारत अमेरिका, रूस और चीन के सर्वोत्कृष्ट अंतरिक्ष क्लब में शामिल होकर अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन शुरू करने योजना बना रहा है।

प्रमुख बिंदु

- स्पेस स्टेशन एक अंतरिक्षयान होता है जिसमें चालक दल के सदस्यों के रहने की सुविधा होती है। इसे इस तरह से तैयार किया जाता है कि वह लंबे समय तक अंतरिक्ष में रह सके इसके अलावा इसमें एक अन्य अंतरिक्ष यान भी जुड़ सकता है।
- अभी तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (International Space Station-ISS) जिसे वर्ष 1998 में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय है। उल्लेखनीय है कि ISS पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित सबसे बड़ा मानव निर्मित निकाय है।

भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (Indian Space Station)

- भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (Indian Space Station), जिसका भार लगभग 20 टन होगा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की तुलना में बहुत हल्का होगा। इसका प्रयोग माइक्रो ग्रेविटी (Microgravity) से संबंधित परीक्षणों में किया जाएगा न कि अंतरिक्ष यात्रा के लिये।
- इस परियोजना के प्रारंभिक चरण के अंतर्गत अंतरिक्ष यात्री इसमें लगभग 20 दिनों तक रह सकेंगे। यह परियोजना गगनयान मिशन (Gaganyaan Mission) का विस्तार के रूप में होगी।
- यह अंतरिक्ष स्टेशन लगभग 400 किमी की ऊँचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation- ISRO) स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट (Space Docking experiment- Spadex) पर काम कर रहा है।

“स्पेस डॉकिंग का तकनीक का तात्पर्य अंतरिक्ष में दो अंतरिक्ष यानों को जोड़ने की तकनीक से है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसकी सहायता से मानव को एक अंतरिक्ष यान से दूसरे अंतरिक्ष यान में भेज पाना संभव होता है। अतः स्पेस डॉकिंग अंतरिक्ष स्टेशन के संचालन के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण है।”

भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का महत्त्व

- अंतरिक्ष स्टेशन सार्थक वैज्ञानिक डेटा (विशेष रूप से जैविक प्रयोगों के लिये) एकत्र करने के लिये आवश्यक है।
- इससे भारत की निगरानी क्षमता में वृद्धि होगी।
- इससे अंतरिक्ष में बार-बार निगरानी उपग्रह को भेजने पर आने वाले खर्च में भी कमी आएगी।

सेलेनियम-ग्रेफीन उत्प्रेरक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत की एक बहु-संस्थागत टीम (Multi-Institutional Team) ने सेलेनियम-ग्रेफीन-आधारित उत्प्रेरक (Selenium-Graphene-based catalyst) विकसित किया है। उल्लेखनीय है कि यह उत्प्रेरक प्लैटिनम (Platinum) आधारित उत्प्रेरक की तुलना में उच्च कोटि का है तथा अत्यधिक प्रभावी है एवं इसकी लागत भी कम है।

शोध में शामिल संस्थान

1. इस कार्य में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, हैदराबाद (Tata Institute of Fundamental Research, Hyderabad-TIFR-H);
2. हैदराबाद विश्वविद्यालय (University of Hyderabad); और
3. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (Indian Institute of Science Education and Research-IISER), तिरुवनंतपुरम

इस शोध को अमेरिकन केमिकल सोसाइटी (American Chemical Society): एप्लाइड एनर्जी मैटेरियल्स (Applied Energy Materials) नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया है। इस सोसाइटी का लक्ष्य रसायन विज्ञान के क्षेत्र में ऊर्जा रूपांतरण के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है।

प्रमुख बिंदु

- आधुनिक ऊर्जा तकनीक के अंतर्गत ऐसे अच्छे उत्प्रेरक (जैसे- हाइड्रोजन ईंधन आधारित कारों में ईंधन सेल जिनका व्यावसायिक उपयोग किया जाता है) की आवश्यकता होती है जिनकी उत्पादकता एवं लागत उचित हो।
- सामान्यतः ईंधन सेल में बहुमूल्य प्लैटिनम का प्रयोग किया जाता है, शुरुआत में महंगी धातु-आधारित प्रौद्योगिकियाँ कुशलतापूर्वक कार्य करती हैं लेकिन थोड़े-ही समय पश्चात् धीरे-धीरे इनकी उत्पादकता कम हो जाती है।
- ईंधन सेल्स ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रिया के आधार पर कार्य करती हैं तथा ग्रैफीन (Graphene) इस अभिक्रिया में ऋणात्मक-उत्प्रेरक (Negative Catalyst) की भूमिका निभाता है।
- इस प्रकार ऑक्सीजन के अपचयन की अभिक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है एवं प्रत्येक चरण में दो इलेक्ट्रॉनों का उपभोग होता है, जो न तो मेटल-एयर बैटरियों (Metal-Air Batteries) और न ही ईंधन सेल्स के लिये उपयुक्त है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, अक्सर प्लैटिनम का उपयोग ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिये किया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अनुसंधानकर्ताओं ने इसे प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया। इसमें ग्रैफीन के परमाणुओं को अल्प मात्रा में सेलेनियम परमाणुओं के साथ प्रतिस्थापित करके जो नया संकर उत्प्रेरक बनता है। वह भी प्लैटिनम उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है।
- अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार, न तो सेलेनियम और न ही ग्रैफीन एकल रूप से उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकते हैं, लेकिन इनका संयोजन (मिश्रण) एक अच्छे उत्प्रेरक की भाँति कार्य करता है। जब सेलेनियम की थोड़ी मात्रा के साथ उच्च मात्रा में कार्बन युक्त ग्रैफीन को मिलाया जाता है तो एक उच्च श्रेणी का उत्प्रेरक प्राप्त होता है, जो सस्ता भी है और उपयोगी भी।

विषाक्त प्रतिरोधी (Poisoning-Resistant)

- ◆ सामान्यतः ईंधन सेल्स के रूप में मेथेनॉल सेल्स का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें विषाक्त प्रभाव पाया जाता है जिसमें मेथेनॉल, अभिक्रिया के दौरान ऋणात्मक इलेक्ट्रोड (Negative Electrode) पर जमा होने लगता है, इस कारण इलेक्ट्रोड कुछ समय पश्चात् अप्रभावी हो जाता है।
- ◆ विशेषज्ञों की मानें तो एकल-परमाणु उत्प्रेरक की अवधारणा कोई नई नहीं है। पहले इनके स्थान पर प्लैटिनम, पैलेडियम और सोने, जैसी भारी धातुओं का प्रयोग किया जाता था। लेकिन इस समूह द्वारा सेलेनियम का प्रयोग करना एक असाधारण विचार है।
- ◆ शोधकर्ताओं के अनुसार, इस प्रकार के उत्प्रेरक को धातु-एयर बैटरी जैसे अन्य क्षेत्रों में भी प्रयोग किया जा सकता है तथा बैटरियों में उच्च ऊर्जा घनत्व वाले उपकरणों के विकास एवं प्रयोग हेतु अनुसंधान जारी है, जो मौजूदा लिथियम आयन-बैटरी से बेहतर होंगे।
- उत्प्रेरक- वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक एवं मात्रात्मक रूप में बिना परिवर्तित हुए रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि करते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं एवं इस परिघटना को उत्प्रेरण कहते हैं।

सेलेनियम

- सेलेनियम एक अधात्विक रासायनिक तत्व है, जो आवर्त सारणी के समूह XVI का सदस्य है।
- इसके रासायनिक और भौतिक गुणों की प्रवृत्ति सल्फर और टेल्यूरियम जैसी होती है।
- सेलेनियम में अच्छे फोटोवोल्टिक और फोटोकॉन्डक्टिव गुण होते हैं, तथा इसका उपयोग फोटोसेल, लाइट मीटर एवं सौर सेल जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़े पैमाने पर किया जाता है।

ग्रैफीन

- यह एक षट्कोणीय जाली में व्यवस्थित कार्बन परमाणुओं की एक मोटी परमाणु परत होती है। यह ग्रेफाइट के निर्माण-खंड है (जिसका उपयोग अन्य चीजों के अलावा पेंसिल में भी किया जाता है)।

स्पेक्ट्रम-रॉन्टजेन-गामा दूरबीन

चर्चा में क्यों ?

जर्मनी तथा रूस के वैज्ञानिकों की एक संयुक्त टीम स्पेक्ट्रम-रॉन्टजेन-गामा (Spectrum-Roentgen-Gamma- SRG) नामक अंतरिक्ष दूरबीन लॉन्च करने की योजना बना रही है। यह दूरबीन ब्रह्मांड का त्रि-आयामी (Three-Dimensional-3D) एक्स-रे मानचित्र का निर्माण करेगी और अज्ञात विशालकाय कृष्ण छिद्रों, डार्क एनर्जी एवं सितारों के रहस्यों को सुलझाने में मदद करेगी।

- SRG टेलीस्कोप का उद्देश्य आकाशगंगा के 3 मिलियन से अधिक विशालकाय कृष्ण छिद्रों की पहचान करना है।
- इस दूरबीन को रूस निर्मित प्रोटॉन-एम (Proton-M) के जरिये कजाकिस्तान के बैकोनूर कोस्मोड्रोम (Baikonur Cosmodrome) से अंतरिक्ष में उतारा जाएगा।
- इस चार वर्षीय मिशन में पूरे आकाश का आठ बार सर्वेक्षण किया जाएगा तथा ब्रह्मांड और डार्क एनर्जी के विकास से संबंधित जानकारी एकत्र की जाएगी।
- यह ऐसी पहली दूरबीन नहीं है जो शक्तिशाली एक्स-किरणों के प्रति संवेदनशील होगी, बल्कि यह ऐसी पहली दूरबीन होगी जो वर्णक्रम के इस हिस्से में आकाश का नक्शा तैयार करेगी।
- इस मिशन में दो स्वतंत्र दूरबीनें शामिल होंगी:
 - ◆ जर्मनी द्वारा निर्मित eROSITA (Extended Roentgen Survey with an Imaging Telescope Array)
 - ◆ रूस द्वारा निर्मित ART-XC (Astronomical Roentgen Telescope X-ray Concentrator)
 इन दोनों दूरबीनों में अपेक्षाकृत उच्च ऊर्जा वाली एक्स-रे बैंड को शामिल किया गया है।

एक्स किरणें (X-Rays)

- एक्स-किरणें उच्च-ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप है। वर्ष 1895 में जर्मन वैज्ञानिक विल्हेम रॉन्टजेन (Wilhelm Rontgen) ने इनकी खोज की थी इसलिये एक्स-विकिरण को रॉन्टजेन विकिरण के रूप में भी जाना जाता है।

सॉफ्ट तथा हार्ड एक्स-किरणें

- एक्स-रे को आमतौर पर उनकी अधिकतम ऊर्जा द्वारा वर्णित किया जाता है, जिसका निर्धारण इलेक्ट्रोड के बीच स्थित वोल्टेज द्वारा किया जाता है।
- उच्च फोटोन ऊर्जा (5–10 keV से अधिक) वाली एक्स-किरणों को शक्तिशाली एक्स-किरणें या हार्ड एक्स-किरणें कहा जाता है।
- अपनी भेदन क्षमता के कारण हार्ड एक्स-किरणों का उपयोग व्यापक रूप से अपारदर्शी दिखने वाली वस्तुओं के अंदर की छवि को देखने के लिये किया जाता है।
- ◆ निम्न ऊर्जा (और उच्च तरंगदैर्घ्य) वाली एक्स-किरणों को सॉफ्ट एक्स-किरणें कहा जाता है।

पूर्व मिशन

- वर्ष 1990 के दशक में जर्मनी का ROSAT मिशन केवल सॉफ्ट 'एक्स-किरणों' (जिनकी ऊर्जा लगभग 2 keV थी) के प्रति संवेदनशील था।
- नासा की चंद्र एक्स-रे वेधशाला (Chandra X-ray Observatory) और NuSTAR, उच्च-ऊर्जा विकिरण का अवलोकन करने और ब्रह्मांडीय संरचनाओं से संबंधित छोटे विवरणों का विश्लेषण करने में सक्षम है। लेकिन यह केवल आकाश के एक छोटे हिस्से को देखने में ही सक्षम है।

- SRG को पहली बार वर्ष 1987 में रूसी खगोलविदों द्वारा प्रस्तावित किया गया था, लेकिन वर्ष 1991 में सोवियत संघ के पतन के कारण इस योजना को रद्द कर दिया गया।
- वर्ष 2004 में इसे फिर से शुरू किया गया, लेकिन वर्ष 2011 में नासा द्वारा अपने अंतरिक्ष-शटल कार्यक्रम (Space-Shuttle Programme) को समाप्त किये जाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक्स-रे दूरबीन भेजने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया था।
- तत्पश्चात् वर्ष 2009 में जर्मन अंतरिक्ष एजेंसी और रोस्कोस्मोस (Roscosmos) ने इस संयुक्त परियोजना को मंजूरी दी।

कार्बन क्वांटम डॉट्स

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में असम के वैज्ञानिकों की टीम ने एक रासायनिक प्रक्रिया विकसित की है जिसके द्वारा खराब कोयले को बायोमेडिकल 'डॉट' के रूप में बदला जा सकता है। इसके माध्यम से कैंसर कोशिकाओं (Cancer cell) का पता लगाने में सहायता मिलती है।

- वैज्ञानिकों ने इस रासायनिक प्रविधि के पेटेंट हेतु आवेदन किया है, जो सस्ते, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध, निम्न-गुणवत्ता और उच्च-सल्फर वाले कोयले से कार्बन क्वांटम डॉट्स (Carbon Quantum Dots-CQDs) बनाने में सहायक है।

प्रमुख बिंदु

- CQDs कार्बन-आधारित अतिसूक्ष्म पदार्थ (Nanomaterials) हैं। जिनका आकार 10 नैनोमीटर या इससे भी कम होता है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, कार्बन-आधारित नैनोमैटेरियल (Carbon-based nanomaterials) का उपयोग जैव-इमेजिंग के लिये नैदानिक उपकरणों के रूप में किया जाता है तथा इनका प्रयोग विशेष रूप से कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने, रासायनिक संवेदन और ऑप्टो-इलेक्ट्रॉनिक्स (Opto-Electronics) में किया जाता है।
- जापान और अमेरिका की कई केमिकल कंपनियाँ इन CQDs का उत्पादन कर रही हैं। असम के वैज्ञानिकों ने फ्लोरोसेंट कार्बन नैनोमैटेरियल्स को CQDs की आयातित लागत से अत्यधिक कम कीमत (आयात लागत का 1/20 भाग) पर विकसित किया है।
- वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद-उत्तर पूर्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (Council of Scientific & Industrial Research-North East Institute of Science and Technology-CSIR-NEIST) के वैज्ञानिकों की टीम द्वारा किये गए अध्ययन को जर्नल ऑफ फोटोकेमिस्ट्री एंड फोटोबायोलॉजी (Journal of Photochemistry and Photobiology) में प्रकाशित किया गया। प्रकाशित अनुसंधान के अनुसार, CQDs में उच्च-स्थिरता (High-Stability), उत्तम-चालकता (Good-Conductivity), कम-विषाक्तता (Low-Toxicity), पर्यावरण-मित्र (Environmental Friendliness) और अच्छे ऑप्टिकल गुण (Optical Properties) भी पाए जाते हैं।
- विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रणाली में स्रोत के रूप में प्रयुक्त होने वाला कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है और इस निम्न गुणवत्ता वाले कोयले का प्रयोग बिजली उत्पादन के लिये भी नहीं किया जा सकता है।
- CSIR-NEIST तकनीक द्वारा प्रतिदिन लगभग 1 लीटर CQDs का उत्पादन किया जा सकता है जिसमें आने वाला खर्च इसके आयात की लागत से भी कम होता है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, इस प्रविधि के अन्य लाभ ये हैं कि यह पर्यावरण के अनुकूल अभिकर्मकों के रूप में कार्य करता है तथा इसमें पानी का कम प्रयोग होता है। इस प्रक्रिया को एक प्रबंधनीय आपूर्ति श्रृंखला के साथ पुनर्चक्रित (Recycle) किया जा सकता है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद-उत्तर पूर्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (Council of Scientific & Industrial Research-North East Institute of Science and Technology-CSIR-NEIST)

- इसकी स्थापना वर्ष 1961 में जोरहाट में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की बहु-विषयक प्रयोगशाला के रूप में हुई थी।
- इसकी अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का प्रमुख उद्देश्य स्वदेशी तकनीक द्वारा भारत की अपार प्राकृतिक संपदा का महत्तम उपयोग करना है।
- विगत वर्षों में, प्रयोगशाला ने एग्रोटेक्नोलॉजी, जैविक और तेल क्षेत्र रसायन के क्षेत्रों में 100 से अधिक प्रौद्योगिकियाँ विकसित की हैं, जिनमें से लगभग 40% प्रौद्योगिकियों ने विभिन्न उद्योगों की स्थापना करने एवं उनकी व्यावसायिक सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सिरेमिक फिल्टर और झिल्ली

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद-उत्तर पूर्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (Council of Scientific & Industrial Research-North East Institute of Science and Technology-CSIR-NEIST), जोरहाट के वैज्ञानिकों ने मिट्टी, धूल (Stone Dust) और चायपत्ती (अपशिष्ट) के मिश्रण से एक सिरेमिक झिल्ली (Ceramic filters) विकसित की है जो कपड़ा उद्योग में रंगाई के उपरांत निकलने वाले अपशिष्ट रंगीन जल से रंगों को हटा सकती है।

प्रमुख बिंदु

- यह अध्ययन बुलेटिन ऑफ मैटेरियल साइंस (Bulletin of Material Science) में प्रकाशित हुआ।
- सिरेमिक फिल्टर (Ceramic filters) और झिल्ली का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है जैसे-खाद्य और पेय, दवा व रसायन, अपशिष्ट पुनर्चक्रण उद्योग आदि।
- सिरेमिक झिल्लियाँ सतत् सफाई, कठोर ऑपरेटिंग वातावरण (Harsh Operating Environments) और जहाँ अपशिष्ट के निरंतर प्रवाह वाली परिस्थितियों में सुचारू रूप से कार्य करती है।
- उन्हें पुनर्चक्रित भी किया जा सकता है एवं जलीय और गैर-जलीय दोनों प्रकार के विलयनों के पृथक्करण में इनका उपयोग किया जा सकता है।
- ये फिल्टर पेट्रोकेमिकल संबंधी प्रक्रियाओं (Petrochemical Processing) में विशेष रूप से प्रयुक्त होते हैं, जहाँ कार्बनिक झिल्ली का उपयोग करना संभव नहीं है।
- वैज्ञानिकों द्वारा विकसित इस नई झिल्ली में उच्च ताप और रासायनिक प्रभावों को झेलने की क्षमता है। यह झिल्ली मुख्य रूप से पानी में घुले दो रंगों- मिथाइलीन ब्लू (Methylene Blue) और कांगो रेड (Congo Red) को अलग करने में सक्षम है। इसमें मिथाइलीन ब्लू एक विषैला ड्राई/रंजक है, जबकि कांगो रेड एक कैंसरकारक पदार्थ है।
- इस्तेमाल की जा चुकी झिल्ली को उच्च ताप पर 30 मिनट तक पर गर्म करके पुनः उपयोग में लाया जा सकता है इस परिस्थिति में इसकी दक्षता थोड़ी-सी कम हो जाती है।
- इस झिल्ली का आधार बनाने में असम के गोलाघाट जिले के डेकियाल क्षेत्र की मिट्टी का उपयोग किया गया है (पारंपरिक रूप से इस मिट्टी का उपयोग ग्रामीण कुम्हारों द्वारा गन्ने से निर्मित गुड़ के भंडारण हेतु घड़े बनाने में किया जाता है) जो इसको सुनम्यता (Plasticity) प्रदान करती है। धूल (Stone Dust) को सुदृढीकरण सामग्री के रूप में तथा अपशिष्ट चायपत्ती का प्रयोग संरंध्रता प्रदान करने के लिये किया गया है।
- वैज्ञानिकों का उद्देश्य लागत कम करने के लिये यथासंभव आस-पास फैले अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग कर उनका यथासंभव इष्टतम प्रयोग सुनिश्चित करना था।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद-उत्तर पूर्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (Council of Scientific & Industrial Research-North East Institute of Science and Technology-CSIR-NEIST)

- इसकी स्थापना वर्ष 1961 में जोरहाट में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की बहु-विषयक प्रयोगशाला के रूप में हुई थी।
- इसकी अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का प्रमुख उद्देश्य स्वदेशी तकनीक द्वारा भारत की अपार प्राकृतिक संपदा का महत्तम उपयोग करना है।
- विगत वर्षों में, प्रयोगशाला ने एग्रोटेक्नोलॉजी, जैविक और तेल क्षेत्र रसायन के क्षेत्रों में 100 से अधिक प्रौद्योगिकियाँ विकसित की हैं, जिनमें से लगभग 40% प्रौद्योगिकियों ने विभिन्न उद्योगों की स्थापना करने एवं उनकी व्यावसायिक सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

CSIR की कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ

- भारत में सबसे पहले DNA फिंगरप्रिंटिंग की शुरुआत।
- हंसा विमान की अभिकल्पना और विकास।
- भारत के पहले 14-सीटों वाले विमान सरस 'SARAS' का विकास।

- देश में सबसे पहले भैंस के दूध से निर्मित अमूलस्प्रे नामक शिशु आहार का निर्माण।
- देश में चुनावों में इस्तेमाल होने वाली अमिट स्याही का सर्वप्रथम उत्पादन।
- एक भारतीय की पहली पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग पूरी की।
- विषाक्त धुएँ का पता लगाने के लिये देश में सर्वप्रथम "इलेक्ट्रॉनिक नोज"का विकास।

सौर और पवन ऊर्जा क्षेत्र के लिये विवाद निपटारा प्रणाली

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के क्रियान्वयन को सुगम बनाने के लिये इस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों और भारतीय सौर ऊर्जा निगम-(SECI/NTPC) के बीच अनपेक्षित विवादों को अनुबंध शर्तों से इतर निपटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस संदर्भ में एक विवाद निपटारा समिति गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

विवाद निपटान तंत्र की आवश्यकता

सौर और पवन ऊर्जा उद्योग अनपेक्षित विवादों के तेजी से निपटान हेतु पिछले कुछ समय से एक समिति के गठन की मांग की जा रही थी। मंत्रालय द्वारा इन मांगों पर गंभीरता से विचार करने के बाद एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली विकसित करने की जरूरत महसूस की गई और इसके तहत ही विवाद निपटान समिति के गठन को मंजूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु:

- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के अनुमोदन से एक तीन सदस्यीय विवाद निपटान समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जिनकी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी सवालों से परे होगी।
- समिति के सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी। इनका चयन दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से किया जाएगा ताकि इनके लिये हवाई यात्राओं और होटलों में रहने पर होने वाले खर्च न करने पड़ें।
- सदस्यों की चयन प्रक्रिया ऐसी होगी जिसमें किसी भी तरह के हितों का टकराव न हो।
- विवाद निपटान समिति की व्यवस्था SECI/NTPC के जरिये या उनके द्वारा क्रियान्वित सभी तरह की सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं, कार्यक्रमों और योजनाओं पर लागू होगी।

विवाद निपटान समिति द्वारा देखे जाने वाले मामले

SECI द्वारा दिये गए निर्णयों के खिलाफ अपील के सभी मामले:

- बाढ़, भूकंप जैसी सर्वमान्य अप्रत्याशित घटनाओं के कारण सौर पार्क डेवलपर्स द्वारा भूमि सौंपने तथा कनेक्टिविटी आदि में होने वाली देरी के कारण समय सीमा बढ़ाए जाने के सभी अनुरोधों का निपटान अनुबंध की शर्तों के कड़े अनुपालन के साथ किया जाएगा।
- ऐसे सभी मामलों में सौर ऊर्जा/पवन ऊर्जा डेवलपर्स को अनुबंध में निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप समय विस्तार के लिये आवेदन करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो आवेदनों को SECI/NTPC द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि आवेदन निर्धारित समय-सीमा में किया जाता है तो ऐसे आवेदनों की जाँच की जाएगी और इस पर निर्णय आवेदन की तारीख से 21 दिन के भीतर सुनाया जाएगा।
- दो या उससे अधिक कारणों के लिये अलग-अलग समय सीमा विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- यदि डेवलपर SECI/NTPC के निर्णय से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वे 21 दिनों के भीतर विवाद निपटारा समिति के समक्ष उसके द्वारा निर्धारित शुल्क अदा कर अपील कर सकते हैं।
- यह शुल्क किसी भी सूरत में SECI/NTPC के फैसले से पड़ने वाले प्रभाव के 5 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये। यह शुल्क SECI/NTPC द्वारा संबंधित परियोजनाओं के लिये बनाए गए सुरक्षा कोष में जमा करना होगा। यदि सरकार निपटारा समिति के सुझावों को मानते हुए SECI के आदेश को खारिज कर देती है, तो ऐसी स्थिति में आवेदनकर्ता को यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। लेकिन इसके लिये विवाद निपटारा समिति की सिफारिश जरूरी होगी और केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में आदेश पारित किया जाएगा। यदि शुल्क वापस नहीं किया जाना है, तो इसे SECI/NTPC के सुरक्षा कोष में जमा कर दिया जाएगा।

अनुबंध के दायरे में नहीं आने वाले समय सीमा बढ़ाये जाने के आवेदन

अप्रत्याशित मुद्दों/परिस्थितियों से जुड़े ऐसे सभी मामले, जो अनुबंध समझौते के दायरे में नहीं आते हैं। इनमें डेवलपर द्वारा खरीदी जाने वाली जमीन, लेकिन सरकार द्वारा नीति या पंजीकरण प्रक्रिया में बदलाव के कारण भूमि आवंटन में हो रही देरी, अदालत द्वारा रोक लगाए जाने के कारण प्रस्तावित कनेक्टिविटी के अनुदान में देरी आदि शामिल हैं। इन्हें DRC के समक्ष विचार के लिये रखा जाएगा, जो आगे मंत्रालय को इस संबंध में अपने सुझाव भेजेगी।

- विवाद निपटारा समिति उसके पास भेजे गए सभी मामलों की जाँच करेगी। इनमें वे मामले भी होंगे, जिसमें डेवलपर SECI/NTPC के फैसले से संतुष्ट नहीं होंगे।
- 'विवाद निपटारा समिति' की सिफारिशों और उस पर मंत्रालय की राय को 21 दिनों के भीतर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के समक्ष अंतिम निर्णय के लिये रखा जाएगा।
- कोई भी निर्णय लेने के लिये विवाद निपटारा समिति संबंधित पक्षों के साथ विस्तार से चर्चा करने और उनकी दलीलें रिकॉर्ड करने के लिये स्वतंत्र है। समिति के समक्ष कोई भी मामला किसी अधिवक्ता के जरिये पेश करने की अनुमति नहीं है।

मलेरिया के लिये नए बायोमार्कर की पहचान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research's- ICMR) के जबलपुर स्थित राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान (National Institute of Research in Tribal Health- NIRTH) के शोधकर्ताओं ने मलेरिया परजीवी के शरीर में एक आनुवांशिक अनुक्रम की पहचान की है।

- इसके माध्यम से बीमारी के प्रति अधिक संवेदनशील नैदानिक/चिकित्सकीय परीक्षण विकसित करने में सहायता प्राप्त हो सकती है।

प्रमुख बिंदु

- वर्तमान में मलेरिया के निदान के लिये एक जीन, हिस्टिडीन-समृद्ध प्रोटीन 2 (Histidine-rich Protein 2- HRP2) पर आधारित परीक्षण का उपयोग किया जाता है। हालाँकि यह जीन अक्सर मलेरिया परजीवी के कुछ स्ट्रेन में अनुपस्थित होता है।
- NIRTH के वैज्ञानिकों के अनुसार, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज (Glutamate Dehydrogenase) नामक एक एंजाइम का प्रयोग मलेरिया के निदान हेतु एक संभावित बायोमार्कर के रूप में किया जा सकता है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, प्रत्येक परजीवी में अनेक विशिष्ट जीन उपस्थित होते हैं जिन्हें परजीवी को पहचानने या समाप्त करने के लिये लक्षित किया जा सकता है। हालाँकि ये जीन एक परजीवी के सभी स्ट्रेन्स (Strains) में समान रूप में उपस्थित नहीं होते।
- नैदानिक या चिकित्सकीय उद्देश्यों हेतु जीन या प्रोटीन की पहचान करते समय वैज्ञानिक किसी ऐसे विशेष जीन या प्रोटीन का चयन करते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित रहता है ताकि इसका उपयोग किसी एक क्षेत्र में व्यापक रूप से किया जा सके। इस तरह के जीन को अच्छी तरह से संरक्षित माना जाता है।

जैवसूचक (Biomarker)

- जैवसूचक/बायोमार्कर एक प्रमुख आणविक या कोशिकीय घटनाएँ हैं जो किसी विशिष्ट पर्यावरणीय आवरण को स्वास्थ्य के लक्षणों से जोड़ते हैं।
- पर्यावरणीय रसायनों के संपर्क में आने, पुरानी मानव बीमारियों के विकास और रोग के लिये बढ़ते खतरे के बीच उपसमूहों की पहचान करने में जैवसूचक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

परीक्षण

- वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में तीन जीनों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया-
 1. ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज (Glutamate dehydrogenase)
 2. लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज (Lactate dehydrogenase)
 3. प्लास्मोडियम फाल्सीपेरियम के एल्डोलेज (Aldolase of Plasmodium falciparum)

ये सभी जानलेवा मलेरिया परजीवी की एक किस्म हैं।

- आठ राज्यों जहाँ मलेरिया एक स्थानिक बीमारी है, से मलेरिया-संक्रमित 514 रोगियों के रक्त के नमूने एकत्र किये। नमूनों में उपस्थित तीनों जीनों में ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज की न्यूक्लियोटाइड संरचना लगभग समान थी।
- इस जीन की प्रोटीन संरचना के विश्लेषण के अनुसार, रक्त के नमूनों की प्रोटीन संरचना में एक समान परिवर्तन पाया गया, तथा निष्कर्ष निकाला गया कि यह मलेरिया के लिये एक संभावित बायोमार्कर/जैवसंकेतक (Biomarker) हो सकता है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research's- ICMR)

- जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय एवं संवर्धन के लिये भारत का यह शीर्ष निकाय दुनिया के सबसे पुराने चिकित्सा अनुसंधान निकायों में से एक है।
- यह नई दिल्ली में स्थित है।
- इसे भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Department of Health Research, Ministry of Health & Family Welfare) के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है।

राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान (National Institute of Research in Tribal Health- NIRTH)

- यह भारत सरकार के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, परिवार कल्याण मंत्रालय (Department of Health Research, Ministry of Health of Family Welfare) के तहत भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) का एक स्थायी संस्थान है।
- इसकी स्थापना 1 मार्च, 1984 को जबलपुर में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया।
- इसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य में सुधार लाना एवं परिचालन अनुसंधान के माध्यम से आदिवासियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना है।
- इस संस्थान को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा स्वदेशी जनसंख्या के स्वास्थ्य के लिये सहयोगी केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- इस संस्थान में मलेरिया, फाइलेरिया, तपेदिक, डायरिया, वायरोलॉजी, फ्लोरोसिस और सामाजिक विज्ञान आदि पर महत्वपूर्ण शोध किये जाते हैं।

सुपरबग का प्रसार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किये गए एक शोध के अनुसार, पादप-आधारित खाद्य पदार्थों के माध्यम से मनुष्य के शरीर में एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोधी बैक्टीरिया (Anti-microbial resistant bacteria) या सुपरबग्स (superbugs) का संचार हो सकता है।

उल्लेखनीय है कि शोधकर्ताओं ने चूहों पर प्रयोग किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिये लेट्यूस-माउस मॉडल (Lettuce-Mouse Model) नामक एक विधि का इस्तेमाल करके सुपरबग ई-कोलाई (E-coli) पर अध्ययन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी संक्रमण (Antibiotic-Resistant Infections) सार्वजनिक स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्र के लिये वैश्विक रूप से एक बड़ा खतरा है।
- अतः इस प्रकार के संक्रमणों को रोकने के लिये बैक्टीरिया के संचरण की प्रक्रिया को समझना बहुत महत्वपूर्ण है।
- शोधकर्ताओं द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार, पादप-आधारित खाद्य पदार्थ एंटीबायोटिक प्रतिरोध को आँतों के माइक्रोबायोटिक तक पहुँचाने के लिये माध्यम के रूप में काम करते हैं।
- हालाँकि पादपों/पौधों से मनुष्यों में एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी सुपरबग्स के प्रसार का प्रभाव दूषित सब्जियों को खाने के तुरंत बाद होने वाली डायरिया जैसी बीमारियों के प्रभाव से भिन्न है।
- सुपरबग आँतों में महीनों या वर्षों तक छिपे रह सकते हैं और शरीर से बाहर निकलते समय संक्रमण कर सकते हैं।

सुपरबग (Superbugs)

- सुपरबग एक ऐसा सूक्ष्मजीव है, जिस पर एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स का प्रभाव नहीं पड़ता। एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध विकसित करने वाले सूक्ष्मजीवों को 'सुपरबग' के नाम से जाना जाता है।
- एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग बहुतायत मात्रा में किये जाने के कारण बैक्टीरिया में इन दवाओं के प्रति प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो गई है जिससे उन पर दवाओं का असर न के बराबर हो रहा है।
- यही प्रभाव अन्य सूक्ष्मजीवियों (Micro-Organism) के संदर्भ में भी देखा जा रहा है, यानी एंटीफंगल (Antifungal), एंटीवायरल (Antiviral) और एंटीमलेरियल (Antimalarial) दवाओं का असर भी कम होने लगा है।
- अतः एंटीबायोटिक प्रतिरोध (Antibiotic Resistance) ही नहीं बल्कि एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance) भी आज समस्त विश्व के लिये एक बड़ा खतरा बना हुआ है, क्योंकि इसके कारण सामान्य बीमारियों के चलते भी मौत हो सकती है।

लूनर एवाक्यूसन सिस्टम

चर्चा में क्यों ?

नासा के 2024 के चंद्र मिशन की तैयारियों के मद्देनजर, यूरोपीय अंतरिक्ष संस्थान (ESA) द्वारा लूनर एवाक्यूसन सिस्टम असेंबली (Lunar Evacuation System Assembly-LESA) को विकसित किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) द्वारा विकसित LESA एक पिरामिड जैसी संरचना है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर चोट लगने से बचाना है।
- LESA का प्रयोग एक अंतरिक्ष यात्री द्वारा अपने गिरते हुए सहयोगी को बचाने के लिये किया जा सकता है। यह एक अंतरिक्ष यात्री को 10 मिनट से भी कम समय में एक मोबाइल स्ट्रेचर द्वारा अपने सहयोगी को उठाने के लिये सक्षम बनाता है।
- अंतरिक्ष यात्री समुद्र के नीचे LESA का परीक्षण कर रहे हैं क्योंकि समुद्र तल की चट्टानी, रेतीली और खारे पानी की स्थिति चंद्रमा की सतह से मिलती-जुलती है।

यूरोपीय अंतरिक्ष संस्थान (EUROPEAN SPACE AGENCY-ESA)

- यह 22 सदस्य देशों वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो यूरोप की अंतरिक्ष क्षमता के विकास को प्रदर्शित करता है। यह अपने सदस्यों के वित्तीय और बौद्धिक संसाधनों को समन्वित करता है।
- यह यूरोपीय देशों के बाहर भी अपने कार्यक्रम और गतिविधियों को संचालित करता है।
- ESA का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी।
- ESA का अंतरिक्ष पत्तन (SPACE PORT) दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गुयाना में स्थित है।

पिपेरिन' (Piperine)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (Indian Institute of Technology-IIT) के वैज्ञानिकों ने काली मिर्च (Black Pepper) में पाए जाने वाले प्राकृतिक अल्कलॉइड 'पिपेरिन' (Piperine) पर अध्ययन किया।

प्रमुख बिंदु

- अध्ययन के अनुसार, पिपेरिन का उपयोग फ्रैजाइल X- एसोसिएटेड ट्रेमर/एटैक्सिया सिंड्रोम (Fragile X-associated tremor/ ataxia syndrome- FXTAS) के उपचार के लिये किया जा सकता है।

- उल्लेखनीय है कि फ्रैजाइल X- एसोसिएटेड ट्रेमर/एटैक्सिया सिंड्रोम एक न्यूरोडीजेनेरेटिव डिसऑर्डर (मानव मस्तिष्क में न्यूरोन को प्रभावित करने वाली बीमारियाँ) है।
- इस विकार के कारण प्रोग्रेसिव सेरेबेलर एटैक्सिया (Progressive Cerebellar Ataxia), कंपकपी, पार्किंसन (Parkinson) और संज्ञानात्मक अवनति (Cognitive Decline) हो सकती है।
- यह विकार एक जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है जिसे फ्रैजाइल X मेंटल रेटारडेशन 1 (Fragile X Mental Retardation 1- FMR1) कहा जाता है जो जीन के एक विशिष्ट क्षेत्र मंप RNA की अधिक मौजूदगी के कारण होता है।
- FXTAS से ग्रसित रोगियों में RNA के दोहराव के कारण इनकी संख्या सामान्यतः 55 की तुलना में 200 तक हो सकती है। RNA के अतिरिक्त दोहराव के कारण ही न्यूरोनल कोशिकाओं (Neuronal Cells) में साइटोटॉक्सिसिटी (Cytotoxicity) नामक एक प्रकार की विषाक्तता उत्पन्न होती है।

‘पिपेरिन’ (Piperine)

- अध्ययन के अनुसार, पिपेरिन संगुणित RNA के संपर्क में आकर न्यूरोनल कोशिकाओं में साइटोटॉक्सिसिटी के स्तर को कम करता है।
- पिपेरिन में एंटी-कार्सिनोजेनिक (Anti-Carcinogenic), एंटीऑक्सिडेंट (Antioxidant), नेफ्रॉन-प्रोटेक्टिव (Nephron-Protective), एंटी-डिप्रेसेंट (Anti-Depressant) और न्यूरोप्रोटेक्टिव (Neuroprotective) आदि गुण पाए जाते हैं। इसलिये इसकी चिकित्सीय क्षमता महत्वपूर्ण है।
- हालाँकि प्रयोगों द्वारा इसकी और अधिक पुष्टि किये जाने की आवश्यकता है।

नए ग्रहों की खोज

चर्चा में क्यों ?

नासा (NASA) के ट्रांज़िटिंग एक्ज़ोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट (Transiting Exoplanet Survey Satellite- TESS) ने हाल ही में तीन नए ग्रहों की खोज की है। इनमें से एक ग्रह नासा द्वारा खोजा गया अब तक का सबसे छोटा ग्रह है जिसे L 98-59b नाम दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- कम तापमान वाले एक नजदीकी तारे की परिक्रमा करने वाला L 98-59b ग्रह आकार में मंगल से बड़ा किंतु पृथ्वी छोटा है। L 98-59b के अलावा, दो अन्य ग्रह भी उसी तारे की परिक्रमा करते हैं।
- तीनों ग्रहों के आकार तो ज्ञात हैं किंतु इन पर वायुमंडल की उपस्थिति का पता लगाने हेतु अध्ययन की आवश्यकता होगी जिसके लिये कुछ अन्य दूरबीनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
- छोटे ग्रहों के वायुमंडलीय अध्ययन हेतु चमकीले तारों के आस-पास छोटी कक्षाओं में गति करते ग्रहों की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसे ग्रहों का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है।
- L 98-59c और L 98-59d ग्रहों का आकार पृथ्वी के आकार का क्रमशः 1.4 और 1.6 गुना है।
- इन ग्रहों के तारे (जिसकी परिक्रमा यह दोनों ग्रह करते हैं) का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग एक तिहाई है तथा सूर्य से इसकी दूरी लगभग 35 प्रकाश वर्ष है।
- अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) के अनुसार, TESS मिशन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे कि ‘पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई’ और ‘क्या ब्रह्मांड में अन्य ग्रहों पर जीवन संभव है’ आदि का उत्तर देने में सहायक हो सकता है।
- TESS का लक्ष्य वायुमंडलीय अध्ययन के लिये उपयुक्त चमकीले, छोटे, चट्टानी ग्रहों जो आस-पास के तारों की छोटी कक्षाओं में परिक्रमण करने वाले ग्रहों की एक सूची बनाना है। ऐसे में यह खोज TESS के लिये एक बड़ी उपलब्धि है।

ट्रांज़िटिंग एक्ज़ोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट (TESS)

- ट्रांज़िटिंग एक्ज़ोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट (TESS) नासा का एक मिशन है, जो विगत दो वर्षों से ऑल-स्काई सर्वे (All-Sky Survey) के माध्यम से बहिर्ग्रहों/एक्ज़ोप्लैनेट (Exoplanets) की खोज कर रहा है।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

रामसर स्थल के टैग हेतु धनौरी का समर्थन

चर्चा में क्यों ?

पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment Forest and Climate Change) ने उत्तर प्रदेश के वन विभाग से ग्रेटर नोएडा स्थित धनौरी (Dhanauri) को रामसर कन्वेंशन (Ramsar convention) के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में प्रस्तावित करने के लिये कहा है।

- रामसर कन्वेंशन द्वारा यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो धनौरी को भूमि उपयोग परिवर्तन के माध्यम से कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा।

रामसर स्थल के रूप में धनौरी

- धनौरी सुभेद्य श्रेणी में आने वाले सारस क्रेन (Sarus Cranes) की एक बड़ी आबादी को आवास प्रदान करता है।
- यह आर्द्रभूमि, रामसर स्थल/साइट घोषित किये जाने के लिये आवश्यक नौ मानदंडों में से दो को पूरा करता है, ये दोनों मानदंड हैं:
 1. यहाँ पाए जाने वाले सारस क्रेन की जैव-भौगोलिक आबादी 1% से अधिक है।
 2. इस क्षेत्र में 20,000 से अधिक जलपक्षी और अन्य प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

रामसर स्थल के रूप में नामित किये जाने के लिये मानदंड

किसी आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि का दर्जा दिया जाना चाहिये यदि-

1. यह एक उचित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर पाए जाने वाले प्राकृतिक या निकट-प्राकृतिक प्रकार की आर्द्रभूमि का प्रतिनिधिक, दुर्लभ या अद्वितीय उदाहरण हो।
2. यह सुभेद्य (Vulnerable), लुप्तप्राय (Endangered) या गंभीर रूप से लुप्तप्राय (Critically Endangered) प्रजातियों या संकटापन्न पारिस्थितिक समुदायों का समर्थन करता हो।
3. यह किसी विशेष जैव-भौगोलिक क्षेत्र की जैव-विविधता को बनाए रखने के लिये महत्वपूर्ण पौधों और/या पशु प्रजातियों की आबादी को अनुकूल परिस्थिति प्रदान करता है।
4. यह पौधों और जानवरों की प्रजातियों को उनके जीवन चक्र में एक महत्वपूर्ण स्तर पर समर्थन करता है या प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्हें आश्रय प्रदान करता है।
5. यह नियमित रूप से 20,000 या अधिक जलपक्षियों (Waterbirds) को आश्रय प्रदान करता है।
6. यह नियमित रूप से जलपक्षियों की एक प्रजाति या उप-प्रजाति की आबादी के 1% से अधिक को संपोषित करता हो।
7. यह देशी मछलियों की उप-प्रजातियों, प्रजातियों या जातियों, जीवन-इतिहास के चरणों, प्रजातियों के बीच अंतर्संबंधों और/या आबादी के महत्वपूर्ण अनुपात का समर्थन करता है जो आर्द्रभूमियों के लाभों और/या मूल्यों के प्रतिनिधिक हैं और इस प्रकार यह वैश्विक जैव-विविधता में योगदान करता हो।
8. यह ऐसी आर्द्रभूमि हो जहाँ मछलियों के भोजन हेतु महत्वपूर्ण स्रोत, प्रजनन के लिये उपयुक्त स्थान, संवर्द्धन स्थल, आर्द्रभूमि के भीतर या किसी और स्थान पर मछलियों के प्रजनन हेतु आवश्यक या उपयुक्त प्रवास पथ हों।
9. यह किसी प्रजाति की आबादी के 1% हिस्से या आर्द्रभूमि पर निर्भर गैर-पक्षी वर्ग की किसी एक प्रजाति या उप-प्रजाति को नियमित रूप से आश्रय प्रदान करता हो।

भारत का प्रथम बीएस-VI प्रमाण पत्र जारी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (International Centre for Automotive Technology-ICAT) ने नई दिल्ली में दोपहिया वाहनों हेतु भारत स्टेज-VI (Bharat Stage - VI/BS - VI) मानकों का पहला टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट (Type Approval Certificate) जारी किया।

प्रमुख बिंदु

- BS-VI मानकों के लिये दोपहिया वाहनों के क्षेत्र में यह भारत का प्रथम प्रमाण पत्र है।
- BS-VI मानक, नवीनतम उत्सर्जित मानकों के रूप में हाल ही में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किये गए हैं।
- ICAT ने ऑटोमोटिव उद्योग के विकास, अनुकूलन और इन भावी उत्सर्जित मानकों का अनुपालन करने के लिये इंजनों तथा वाहनों की जाँच में सहायता और सहयोग देने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं।
- पिछले वर्ष ICAT ने भारी वाहन के क्षेत्र में एम/एस वॉल्वो आयशर कमर्शियल व्हिकल्स (M/s Volvo Eicher Commercial Vehicles) के लिये बीएस-VI मानकों की स्वीकृति दी थी। जो कि भारत में इस क्षेत्र में पहली बार था।
- वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के कारण वायु प्रदूषण के बढ़ते खतरों पर नियंत्रण पाने के लिये भारत सरकार ने मौजूदा बीएस-IV मानकों से सीधे बीएस VI मानकों को अपनाने का फैसला किया है।
- इस प्रकार 1 अप्रैल, 2020 से बीएस-V मानकों को छोड़कर सीधे बीएस VI मानक लागू करने का फैसला किया गया है।
- 1 अप्रैल, 2020 से भारत में केवल उन्हीं वाहनों को बेचा और पंजीकृत किया जाएगा, जो इन मानकों का अनुपालन करेंगे। ये मानक कड़े हैं और अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप हैं।

भारत स्टेज मानक/मानदंड (Bharat Stage Norms)

- भारत स्टेज मानक ऑटोमोटिव उत्सर्जन मानक हैं।
- भारत में अपने वाहन बेचने के लिये ऑटोमोटिव विनिर्माताओं को इनका अनुपालन करना पड़ता है। ये मानक सभी दोपहिया, तिपहिया और चार पहिये वाले वाहनों तथा निर्माण उपकरण वाहनों पर लागू होते हैं।

इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (International Centre for Automotive Technology-ICAT)

- ICAT सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) द्वारा प्राधिकृत प्रमुख परीक्षण एवं प्रमाणन एजेंसी है, जो भारत और विदेश में वाहनों एवं उनके कल-पुर्जों के विनिर्माताओं को परीक्षण एवं प्रमाणन की सुविधा उपलब्ध कराती है।
- इसमें उत्सर्जन के क्षेत्र में नवीनतम मानदंडों के लिये इंजन और वाहनों को विकसित करने, सत्यापन, परीक्षण एवं प्रमाणित करने तथा क्रैश लैब (Crash Lab-यूनाइटेड किंगडम की एक स्वतंत्र वीडियो गेम डेवलपर कंपनी), एनवीएच लैब (Noise, Vibration, and Harshness Lab), ईएमसी लैब (Electromagnetic Compatibility Lab) और परीक्षण पटरियों जैसी कई अन्य सुविधाओं के लिये नवीनतम उपकरण, सुविधाएँ एवं क्षमताएँ मौजूद है।

वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 2% की वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी बीपी पीएलसी (BP PLC, British Corporation) द्वारा की गई समीक्षा के अनुसार, 2010-2011 के बाद वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में उच्चतम दर से वृद्धि हुई है

- उल्लेखनीय है कि इस समीक्षा के आधार पर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में पिछले वर्ष वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 2.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

प्रमुख बिंदु

- वैश्विक कार्बन उत्सर्जन की उच्चतम दर का प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन तथा विकास के नाम पर लोगों द्वारा किया गया प्रकृति का अत्यधिक दोहन है।
- यदि प्रकृति का दोहन इसी गति से चलता रहा तो पृथ्वी ग्रह का भविष्य खतरे में पड़ सकता है।
- बीपी पीएलसी द्वारा की गई वैश्विक ऊर्जा की सांख्यिकीय समीक्षा को ऊर्जा उद्योग मानक (Energy Industry Standard) के रूप में देखा जाता है।
- बीपी पीएलसी विभिन्न देशों के तेल भंडारों के आकार से लेकर नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन और विभिन्न खपत दरों आदि के आँकड़े एकत्र करती है।

मांग में वृद्धि

- इस रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक ऊर्जा मांग में 2.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। साथ ही दुनिया में तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में सबसे तेजी से वृद्धि दर्ज की गई।
- दुनिया भर की सरकारें वैश्विक उत्सर्जन को कम करने के लिये चलाए जाने वाले अभियानों के दबाव के चलते ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का प्रयास कर रही हैं।

क्या अक्षय ऊर्जा है समाधान ?

- रिपोर्ट के अनुसार, 2018 में अक्षय ऊर्जा के उपयोग में 14.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो पिछले वर्ष बिजली उत्पादन में कुल वृद्धि का सिर्फ एक-तिहाई है।
- इसका तात्पर्य यह है कि ऊर्जा के 'हरित' (Green) रूप पर ध्यान देने से 'नेट-शून्य' उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता।
- इसके बजाय सरकार को प्रदूषणकारी कोयले और तेल के उपयोग में कटौती करने पर अधिक जोर देना चाहिये।

बीपी पीएलसी (BP PLC, British Corporation)

- BP PLC तेल और गैस उत्पादन से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय ब्रिटिश निगम है।
- इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है।
- यह तेल और गैस उद्योग के सभी क्षेत्रों में काम करने वाली एक एकीकृत कंपनी है।
- इसके कार्यों में अन्वेषण (Exploration) और उत्पादन, शोधन, वितरण एवं विपणन, पेट्रोकेमिकल्स, बिजली उत्पादन तथा व्यापार शामिल हैं।
- यह जैव ईंधन और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में प्रमुख है।

वायु प्रदूषण और जीवन प्रत्याशा

चर्चा में क्यों ?

'सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट' (Center for Science and Environment) नामक पर्यावरण विशेषज्ञों के एक समूह ने अपनी रिपोर्ट 'एट द क्रॉसरोड' (At the Crossroads) में यह कहा है की भारत में वायु प्रदूषण से होने वाली घातक बीमारियों के कारण जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy) 2.6 वर्ष तक कम हो गई है।

प्रमुख बिंदु

- यह रिपोर्ट तीन अलग-अलग संगठनों के अध्ययन पर आधारित है:
 - ◆ द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2017 (Global Burden of Disease Study 2017)
 - ◆ WHO द्वारा प्रकाशित की गई 'एयर पॉल्यूशन एंड चाइल्ड हेल्थ' (Air Pollution and Child Health Report) रिपोर्ट
 - ◆ अंतर्राष्ट्रीय श्वसन सोसायटी (International Respiratory Societies) के माध्यम से वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया समीक्षा पत्र

- रिपोर्ट के निष्कर्ष
 - ◆ भारत में अब वायु प्रदूषण धूम्रपान से एक पायदान ऊपर स्वास्थ्य के सभी जोखिमों में मृत्यु का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। यह बाहरी कणिका पदार्थों (Particulate Matter- PM 2.5), ओजोन और घरेलू वायु प्रदूषण का संयुक्त प्रभाव है।
 - ◆ रिपोर्ट के अनुसार, बाहरी भौतिक द्रव्य कणों के संपर्क में आने से जीवन प्रत्याशा में लगभग एक साल और छह महीने की कमी होती है, जबकि घरेलू वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से जीवन प्रत्याशा में लगभग एक साल और दो महीने की कमी होती है। देश के घरेलू वायु प्रदूषण में लगभग एक चौथाई योगदान बाहरी वायु प्रदूषण का है।
 - ◆ इस संयुक्त जोखिम के कारण भारतीयों सहित दक्षिण एशियाई लोगों की मृत्यु जल्दी हो रही है। उनकी जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy) 2.6 वर्षों तक कम हो गई है।
- वायु प्रदूषण शरीर के प्रत्येक अंग को प्रभावित करता है, यह तेजी से नुकसान पहुँचाता है और इसका प्रभाव भी लंबे समय तक बरकरार रहता है।
 - ◆ अतिसूक्ष्म कण फेफड़ों से गुजरते हैं और रक्तप्रवाह के माध्यम से शरीर की सभी कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। वायु प्रदूषण हमारे शरीर के हर एक अंग और लगभग सभी कोशिकाओं को नुकसान पहुँचा सकता है।
 - ◆ रिसर्च के अनुसार, शरीर की लगभग सभी बीमारियाँ जैसे- हृदय और फेफड़ों की बीमारी, मधुमेह और मनोभ्रंश, यकृत की समस्याएँ, मस्तिष्क, पेट के अंगों, प्रजनन और मूत्राशय के कैंसर से लेकर भंगुर हड्डियों तक सभी कहीं न कहीं वायु प्रदूषण के ही कारण हैं।
 - ◆ विषैली हवा से प्रजनन क्षमता, भ्रूण और बच्चे भी प्रभावित होते हैं।
 - ◆ वायु प्रदूषण के कारण होने वाली कुल मौतों के 49% मामलों में चिरकालिक प्रतिरोधी फुफ्फुसीय रोग (Chronic Obstructive Pulmonary Disease - COPD) जिम्मेदार हैं, इसके बाद फेफड़े के कैंसर से होने वाली मौतें (33%), डायबिटीज और इस्केमिक हार्ट डिजिज (22% प्रत्येक) और स्ट्रोक (15%) भी शामिल हैं।
- मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव: इस वर्ष लोगों के स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव के स्पष्ट लक्षण देखे गए हैं।
 - ◆ स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2019 के अनुसार, वर्ष 2017 में 1.2 मिलियन से भी अधिक लोगो की मृत्यु असुरक्षित वायु के संपर्क में आने से हो गई।
 - ◆ टाइप 2 मधुमेह- इस अध्ययन ने पहली बार वायु प्रदूषण से जुड़े टाइप-2 मधुमेह से होने वाले खतरों के बारे में भी बताया। भारत, जहाँ टाइप 2 मधुमेह ने महामारी का रूप ले लिया है, पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
 - ◆ PM 2.5 के प्रदूषण के कारण दुनिया भर में टाइप 2 मधुमेह से 276,000 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि 15.2 मिलियन लोग DALYs से प्रभावित हुए।
 - ◆ लगभग 80% भारतीय ऐसी हवा में साँस लेते हैं जो राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों द्वारा निर्धारित स्तर से भी बदतर है।
 - ◆ देश की पूरी आबादी WHO द्वारा बताए गये PM 2.5 के वायु गुणवत्ता दिशानिर्देश 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ की खतरनाक स्थिति में रहती है।
- अकाल मृत्यु - भारत में सबसे ज्यादा 5 वर्ष से कम बच्चों की अकाल मृत्यु विषैली हवा के कारण होती है। 5 वर्ष से कम आयु के लगभग एक लाख से भी अधिक बच्चे वायु प्रदूषण का शिकार हुए हैं।
 - ◆ वर्ष 2016 में 5 वर्ष से नीचे की उम्र में मरने वाले हर 10 बच्चों में से एक की मृत्यु वायु प्रदूषण की वजह से हुई।

फॉस्फीन एक सुरक्षित और प्रभावी फ्यूमिगेंट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research- ICAR) के वैज्ञानिकों द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार, कीटों को नष्ट करने के लिये मिथाइल ब्रोमाइड (Methyl Bromide- MB) के स्थान पर फॉस्फीन का प्रयोग भी किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि मिथाइल ब्रोमाइड एक ओजोन क्षयकारी पदार्थ (Ozone-Depleting Substance) है।

विस्तृत अध्ययन

- राष्ट्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र (National Centre for Integrated Pest Management-NCIPM) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) संस्थानों के वैज्ञानिकों ने चार अलग-अलग कृषि-जलवायु क्षेत्रों (Agro-Climatic Locations) में गेहूँ और चावल जैसे अनाज पर अध्ययन किया।
- अध्ययन के अनुसार 'फॉस्फिन' कीटों से सुरक्षा करने में 100 प्रतिशत प्रभावी है।
- फॉस्फिन (गैसीय रूप में एक फ्यूमीगेंट/संगरोधी) को सामान्यतः अधःस्तर A सबस्ट्रेट के रूप में एल्यूमीनियम फॉस्फेट (Aluminium Phosphate) से प्राप्त किया जाता है।

कृषि-जलवायु क्षेत्र

संसाधन विकास के लिये देश को कृषि-जलवायु विशेषताओं, विशेष रूप से तापमान और वर्षा सहित मृदा कोटि, जलवायु और जल संसाधन उपलब्धता के आधार पर 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बाँटा गया है:

1. पश्चिमी हिमालय
2. पूर्वी हिमालय
3. गंगा का निचला मैदानी क्षेत्र
4. गंगा का मध्य मैदानी क्षेत्र
5. गंगा का उपरी मैदानी क्षेत्र
6. गंगा-पार (ट्रांस) मैदानी क्षेत्र
7. पूर्वी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र
8. मध्य पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र
9. पश्चिमी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र
10. दक्षिणी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र
11. पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र
12. पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र और पश्चिमी घाट
13. गुजरात का मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र
14. पश्चिमी मैदानी क्षेत्र (शुष्क प्रदेश) और पर्वतीय क्षेत्र
15. द्वीपीय क्षेत्र

फ्यूमीगेंट/संगरोधी (Fumigant)

- फ्यूमीगेंट/संगरोधी संक्रामक रोग को रोकने के लिये की गई एक व्यवस्था है।
- सामान्यतः इसका प्रयोग अनाजों जैसे- गेहूँ, चावल की कीटों से रक्षा करने के लिये किया जाता है।

राष्ट्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र (National Centre for Integrated Pest Management-NCIPM)

- इसकी स्थापना फरवरी, 1988 में हुई। एकीकृत कीट प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में स्थित है।
- भारत के विभिन्न कृषि पारिस्थिकी क्षेत्रों की सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना इसका मुख्य उद्देश्य है।
- यहाँ कीटों (कीटों, रोगों, नेमाटोड, खरपतवार, कृन्तकों, पक्षियों आदि) से होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करने के लिये फसल उत्पादन और संरक्षण प्रणालियों पर विस्तृत अध्ययन किया जाता है।
- यह अखिल भारतीय समन्वित फसल सुधार कार्यक्रमों के साथ प्रभावी सहयोग के लिये प्रयासरत है।

मिथाइल ब्रोमाइड (Methyl Bromide- MB)

- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (Montreal Protocol) का हस्ताक्षरकर्ता देश होने के कारण भारत मिथाइल ब्रोमाइड और अन्य ओजोन-क्षयकारी पदार्थों (Ozone-Depleting Substances- ODS) का प्रयोग न करने के लिये प्रतिबद्ध है।

- वर्तमान समय में फ्यूमिगेंट/धूमक (Fumigant) का उपयोग भारतीय बंदरगाहों पर दूसरे देशों से आयातित अनाज और दालों की कीटों से सुरक्षा करने के लिये किया जाता है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, फ्यूमिगेंट में शीतलक/रेफ्रिजरेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन (Refrigerant Chlorofluorocarbons- CFC) की तुलना में ओजोन क्षरण की क्षमता 60 गुना अधिक होती है। वैश्विक स्तर पर CFC का उपयोग प्रतिबंधित है।
- दुनिया के 95% देशों ने मिथाइल ब्रोमाइड के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है, केवल भारत और कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में ही इसके उपयोग की अनुमति है।
- मिथाइल ब्रोमाइड का प्रयोग किये बिना खाद्य उत्पादों का निर्यात करने वाले देशों पर भारत द्वारा आर्थिक दंड अधिरोपित किया जाता है, हालाँकि कई द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में यह विवाद का मुद्दा बना हुआ है।

फॉस्फीन का उपयोग

- भारत ने घरेलू वेयरहाउसेज (Domestic Warehouses) में मिथाइल ब्रोमाइड के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है, ऐसे में इसके स्थान पर फॉस्फीन का उपयोग (एक फ्यूमिगेंट के रूप में) किया जाता है।
- भारत सरकार द्वारा इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का मुख्य कारण अनाज में मिथाइल ब्रोमाइड के अवशेषों की उपस्थिति बने रहना है:
 - ◆ वेयरहाउसेज में भंडारित अनाज को हर तीन महीने में फ्यूमिगेंट करना पड़ता है,
 - ◆ फॉस्फीन फ्यूमिगेंट जिसका कोई अवशिष्ट अनाजों में नहीं बचता, को मिथाइल ब्रोमाइड से अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

ओजोन क्षयकारी पदार्थ

- ये मानव निर्मित ऐसी गैसों हैं जो ओजोन परत को क्षति पहुँचाती हैं। ओजोन परत समताप मंडल (Stratosphere) में पाई जाती है। यह सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों की मात्रा को कम करती है। पराबैंगनी किरणों का मानव और पर्यावरण दोनों पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है, उदाहरण के लिये त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद, पौधों की प्राकृतिक वृद्धि का बाधित होना और समुद्री पर्यावरण को नुकसान पहुँचना।
- ओजोन क्षयकारी पदार्थों में शामिल हैं:
 - ◆ क्लोरोफ्लोरोकार्बन (Chlorofluorocarbons-CFCs)
 - ◆ हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (Hydrochlorofluorocarbon-HCFCs)
 - ◆ हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन (Hydrobromofluorocarbons-HBFCs)
 - ◆ हैलॉस (Halons)
 - ◆ मिथाइल ब्रोमाइड (Methyl Bromide)
 - ◆ कार्बन टेट्राक्लोराइड (Carbon Tetrachloride)
 - ◆ मिथाइल क्लोरोफॉर्म (Methyl Chloroform)
- इन पदार्थों का उपयोग वाणिज्यिक, घरेलू, वाहनों आदि में एयर कंडीशनर के रूप में, रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में, बिजली के उपकरणों में उनके कल- पुर्जों, औद्योगिक सॉल्वेंट्स, सफाई के लिये सॉल्वेंट्स (ड्राई क्लीनिंग सहित), एरोसोल स्प्रे प्रणोदक, आदि के रूप में किया गया है।

अरुणाचल प्रदेश में सुनहरी बिल्ली की नई प्रजातियाँ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जूलाॅजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन (Zoological Society of London- ZSL), ICC (International Conservation Charity) और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (University College London-UCL) के भारतीय वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी (Dibang Valley) में गोल्डन कैट/सुनहरी बिल्ली के छह रंगों की खोज की है।

प्रमुख बिंदु

- वैज्ञानिकों के अनुसार, यह एक दुर्लभ पारिस्थितिक परिघटना है जो जंगली बिल्लियों के आवास, सुरक्षा एवं जीवन की अनुकूलता में सहायक है।
- गोल्डन कैट/सुनहरी बिल्ली के इन छह रंग रूपों में से एक रंग-रूप पूरी तरह से नया है।
- भूटान और चीन में सुनहरी बिल्ली के दो प्रकार पाए जाते हैं- एक दालचीनी के रंग का (Colour of Cinnamon) तथा दूसरा ओसेलट (Ocelot) के समान निशान वाला, इसके साथ ही एक छोटी जंगली बिल्ली अमेरिका में भी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इनमें टाईटली रोस्टेड (Tightly-Rosetted), मेलेनिस्टिक (Melanistic), ग्रे (Gray) और गोल्डन (Golden) भी शामिल हैं।
- रंग-रूप को यादृच्छिक आनुवंशिक उत्परिवर्तन (Random Genetic Mutations) से उत्पन्न होने और प्राकृतिक चयन (Natural selection) के माध्यम से जंगली आबादी के बीच पकड़ बनाने के संदर्भ में जाता है।
- ZSL के वैज्ञानिकों के अनुसार, बिल्ली के आवरण में प्रदर्शित अलग-अलग भिन्नताएँ उन्हें कई पारिस्थितिक लाभ प्रदान करती हैं, जैसे कि अलग-अलग ऊँचाई पर विभिन्न आवासों (नम उष्णकटिबंधीय तराई वाले जंगलों से लेकर अल्पाइन झाड़ियों) में रहने तथा तीतर और खरगोशों का शिकार करने के लिये छिपने में सहायता मिलती है।
- दिबांग घाटी में दुनिया की सबसे विविध श्रेणी की जंगली बिल्लियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- वर्तमान में वैज्ञानिकों द्वारा सिर्फ इस दुर्लभ पारिस्थितिक घटना का अध्ययन किया जा रहा है।
- इस रंग-रूप के विकासवादी सिद्धांत के अध्ययन से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलने की संभावना है कि ये प्रजातियाँ बदलते परिवेश में कितनी जल्दी अनुकूलित और विकसित हो सकती हैं।

एशियाई गोल्डन कैट

- एशियाई गोल्डन कैट/सुनहरी बिल्ली का वैज्ञानिक नाम कैटोपुमा टेमिनकी (Catopuma Ttemminckii) है।
- इसे IUCN रेड लिस्ट में निकट संकटग्रस्त (Near Threatened) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि यह बिल्ली उत्तर- पूर्वी भारत, इंडोनेशिया तथा पूर्वी नेपाल में पाई जाती है।

दिबांग घाटी

- दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित है। इसका नाम दिबांग नदी के नाम पर रखा गया है।
- दिबांग नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसकी उत्तरी दिशा में दिबांग घाटी जिला, पूर्व में लोहित और मैक मोहन लाइन, पश्चिम में पूर्वी सियांग एवं दक्षिण में असम का तिनसुकिया स्थित है।

बालसम में समृद्ध पूर्वी हिमालयी क्षेत्र

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (Botanical Survey of India) द्वारा प्रकाशित पुस्तक में कई नए रिकॉर्ड सहित नई प्रजातियों का विवरण प्रस्तुत किया गया।

- इसके अनुसार वर्ष 2010 से 2019 के बीच वनस्पतिविदों और वर्गिकी वैज्ञानिकों ने पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में इम्पेटिस (Impatiens) जो पौधों का एक समूह है, की लगभग 23 नई प्रजातियों की खोज की।
- उल्लेखनीय है कि इम्पेटिस पौधे के समूह को बालसम या ज्वेल-वीड (Balsams or jewel-weeds) के रूप में भी जाना जाता है।

प्रमुख बिंदु

- इस विवरण में बालसम की (Balsams) 83 प्रजातियों (Species), एक किस्म (Variety), एक प्राकृतिक प्रजाति (Naturalised species) और दो खेती की जाने वाली प्रजातियों (Cultivated Species) का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

- इन 83 प्रजातियों में से 45 प्रजातियाँ अरुणाचल प्रदेश में, 24 प्रजातियाँ सिक्किम में एवं 16 प्रजातियाँ दोनों राज्यों में (संयुक्त रूप से) सामान्य रूप से पाई गई हैं।
- ये औषधीय गुणों से युक्त तथा उच्च स्थानिक/देशज पौधे हैं, जो वार्षिक एवं बारहमासी दोनों ही रूपों में पाए जाते हैं।
- अपने चमकीले फूलों के कारण पौधों के ये समूह बागवानी के लिये भी बहुत महत्वपूर्ण हैं।

बालसम

- इसकी अधिकतर प्रजातियाँ औषधीय गुणों से युक्त हैं, इसे गुलमेहंदी भी कहा जाता है।
- आजादी के बाद, पूर्वोत्तर भारत में इम्पेटिस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इस पुस्तक के प्रकाशन से पहले पूर्वी हिमालय में बालसम प्रजाति की कुल संख्या लगभग 50 ही थी।
- भारत में बालसम की लगभग 230 प्रजातियाँ पाई जाती हैं और उनमें से अधिकांश पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाटों में पाई जाती हैं।

आने वाली चुनौतियाँ

- इम्पेटिस की अधिकांश प्रजातियाँ उच्च स्थानिक होने के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यंत संवेदनशील भी है जो सूर्य के प्रत्यक्ष प्रकाश, लगातार सूखे की स्थिति या अन्य जोखिमों को सहन नहीं कर पाती हैं।
- परिणामस्वरूप इम्पेटिस की अधिकांश प्रजातियाँ नमी वाली सड़कों, पानी के आस-पास की जगहों, झरने और नम जंगलों के समीप के क्षेत्रों तक ही सीमित हो गई हैं।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, बालसम की कम-से-कम छह प्रजातियाँ ऐसी हैं जो अरुणाचल प्रदेश में केवल निचली दिबांग घाटी तक ही सीमित हैं। जो निम्नलिखित हैं-
 - ◆ आई. एडामोव्सकियाना (I. adamowskiana)
 - ◆ आई. डीबलजेंसिस (I. debalgensis)
 - ◆ आई. अल्बोपेटाला (I. albobetala)
 - ◆ आई. अशिहोई (I. asihoi)
 - ◆ आई. इडुमिशमिंसिस (I. idumishmiensis)
 - ◆ आई. रगोसिपेटाला (I. rugosipetala)
- कुछ प्रजातियाँ को उनकी खूबसूरती और चमकदार फूलों के कारण बड़े बागानों में लगाया जाता है। जिनमें प्रमुख हैं-
 - ◆ आई. लोहितेंसिस (I. lohitensis)
 - ◆ आई. पेथाकियाना (I. pathakiana)
 - ◆ आई. स्यूडोलाइविगाटा (I. pseudolaevigata)
- पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन का इस समूह पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अतः ऐसे में इसके संरक्षण के संबंध में विशेष रूप से ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

वैज्ञानिकों के अनुसार, इन नई प्रजातियों की खोज ही पर्याप्त नहीं है, गर्म जलवायु में इसके पनपने हेतु आवश्यक अनुकूलन क्षमता का विकास कर अलग-अलग संकर पौधे बनाने के लिये अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

महासागरीय प्लास्टिक कचरे से निपटने हेतु नया कार्यान्वयन ढाँचा

चर्चा में क्यों ?

28-29 जून को पश्चिमी जापान के ओशाका में आयोजित होने वाले जी 20 शिखर सम्मेलन (G20 Summit) से पहले टोक्यो के उत्तर-पश्चिम में स्थित करुइजावा (Karuizawa) शहर में पर्यावरण और ऊर्जा मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वैश्विक स्तर पर समुद्री प्लास्टिक कचरे से निपटने हेतु एक नए कार्यान्वयन ढाँचे को अपनाने पर सहमति व्यक्त की गई।

महासागर प्लास्टिक कचरा: एक प्रमुख मुद्दा

- महासागर प्लास्टिक कचरा इस बैठक का प्रमुख मुद्दा था क्योंकि प्लास्टिक कचरे से सटे समुद्री तटों और मृत जानवरों के शरीर में पाई जाने वाली प्लास्टिक की तस्वीरें पूरी दुनिया में महासागरीय प्लास्टिक कचरे की वीभत्सता को प्रदर्शित करती हैं। यही कारण है कि कई देशों ने प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल पर प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंध लगा दिया है।

प्रमुख बिंदु

- यद्यपि वर्ष 2017 में जर्मनी के हैम्बर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन (G20 Hamburg Summit) में 'समुद्री कूड़े पर G20 कार्य योजना' (G20 action plan on marine litter) को अपनाया गया, इस नए कार्यान्वयन ढाँचे का उद्देश्य समुद्री कचरे से निपटने के लिये एक ठोस कार्रवाई को आगे बढ़ाना है।
- नए ढाँचे के अंतर्गत, G20 सदस्य विभिन्न उपायों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से महासागरों को प्लास्टिक कूड़े के निर्वहन को रोकने एवं कम करने के लिये एक व्यापक जीवन-चक्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देंगे।
- ये देश महासागरीय कचरे से निपटने के लिये सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और वैज्ञानिक निगरानी एवं विश्लेषणात्मक तरीकों को भी बढ़ावा देंगे।
- उल्लेखनीय है कि जापान G20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की G20 संसाधन दक्षता संवाद (G20 Resource Efficiency Dialogue) के दौरान नई रूपरेखा के तहत पहली बैठक की मेज़बानी कर सकता है।

महासागरीय कचरे पर जी 20 कार्रवाई योजना (The G20 Action Plan on Marine Litter)

इस कार्रवाई योजना/एक्शन प्लान में सात उच्च स्तरीय नीतिगत सिद्धांत शामिल हैं:

1. समुद्री कचरे पर प्रतिबंध लगाने हेतु नीतियों की स्थापना के सामाजिक-आर्थिक लाभों को बढ़ावा देना।
2. अपशिष्ट रोकथाम और संसाधन दक्षता को बढ़ावा देना।
3. स्थायी कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देना।
4. प्रभावी अपशिष्ट जल उपचार और तूफान जल प्रबंधन को बढ़ावा देना।
5. जागरूकता फैलाना, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना।
6. निवारण और सुधारात्मक गतिविधियों का समर्थन करना।
7. हितधारकों के साथ संबंधों को मज़बूती प्रदान करना।

प्लास्टिक प्रदूषण

- प्लास्टिक की उत्पत्ति सेलूलोज़ डेरिवेटिव में हुई थी। प्रथम सिंथेटिक प्लास्टिक को बेकेलाइट कहा गया और इसे जीवाश्म ईंधन से निकाला गया था।
- फेंकी हुई प्लास्टिक धीरे-धीरे अपघटित होती है एवं इसके रसायन आसपास के परिवेश में घुलने लगते हैं। यह समय के साथ और छोटे-छोटे घटकों में टूटती जाती है और हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करती है।
- यहाँ यह स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि प्लास्टिक की बोटलें ही केवल समस्या नहीं हैं, बल्कि प्लास्टिक के कुछ छोटे रूप भी हैं, जिन्हें माइक्रोबिड्स कहा जाता है। ये बेहद खतरनाक तत्व होते हैं। इनका आकार 5 मिमी. से अधिक नहीं होता है।
- इनका इस्तेमाल सौंदर्य उत्पादों तथा अन्य क्षेत्रों में किया जाता है। ये खतरनाक रसायनों को अवशोषित करते हैं। जब पक्षी एवं मछलियाँ इनका सेवन करती हैं तो यह उनके शरीर में चले जाते हैं।
- अधिकांशतः प्लास्टिक का जैविक क्षरण नहीं होता है। यही कारण है कि वर्तमान में उत्पन्न किया गया प्लास्टिक कचरा सैकड़ों-हजारों साल तक पर्यावरण में मौजूद रहेगा। ऐसे में इसके उत्पादन और निस्तारण के विषय में गंभीरतापूर्वक विचार-विमर्श किये जाने की आवश्यकता है।

समुद्री जीवों पर संकट

- इसमें कोई दो राय नहीं कि दुनिया के तकरीबन 90 फीसदी समुद्री जीव-जंतु एवं पक्षी किसी न किसी रूप में अपने शरीर में प्लास्टिक ले रहे हैं। प्लास्टिक की यह मात्रा न केवल पर्यावरण के लिये खतरनाक है बल्कि इन जीवों के लिये भी जानलेवा साबित हो रही है।

- आर्कटिक सागर के विषय में किये गए एक शोध के अनुसार, अगर यही स्थिति रहती है तो 2050 तक समुद्र में मछलियों से अधिक प्लास्टिक कचरा नजर आएगा।
- आर्कटिक सागर के जल में 100 से 1200 टन के बीच प्लास्टिक मौजूद होने की संभावना है जो विभिन्न प्रकार की धाराओं के जरिये समुद्र में एकत्रित होता जा रहा है।
- स्पष्ट रूप से यदि जल्द ही समुद्र में प्रवेश करने वाले इस कचरे पर रोक नहीं लगाई गई तो आगामी तीन दशकों में समुद्री जीव-जंतुओं के साथ-साथ पक्षियों की बहुत बड़ी तादाद खतरे में आ जाएगी।
- आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच अवस्थित तस्मानिया सागर का क्षेत्र प्लास्टिक प्रदूषण के सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है।
- हाल ही में पी.एन.ए.एस. नामक एक जर्नल में प्रकाशित एक शोध पत्र के अनुसार, 1960 के दशक में पक्षियों के आहार में केवल पाँच फीसदी प्लास्टिक की मात्रा पाई गई थी, जबकि 2050 तक तकरीबन 99 फीसदी समुद्री पक्षियों के पेट में प्लास्टिक होने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

G20 संसाधन दक्षता संवाद (G20 Resource Efficiency Dialogue)

- G20 देशों ने वर्ष 2017 में आयोजित हैम्बर्ग शिखर सम्मेलन में G20 संसाधन दक्षता संवाद स्थापित करने का निर्णय लिया था।
- यह संवाद प्राकृतिक संसाधनों के कुशल और दीर्घकालिक उपयोग को G20 वार्ता का मुख्य घटक बनाता है।

विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2019

चर्चा में क्यों ?

प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस (World Day to Combat Desertification and Drought) का आयोजन किया जाता है। इस बार इस दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित होने वाले समारोह में भारत ने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की।

- वर्ष 2019 के लिये इसकी थीम 'लेट्स ग्रो टुगेथर' (Let's Grow the Future Together) है।
- इस बार इसमें भूमि से संबंधित तीन प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है- सूखा, मानव सुरक्षा और जलवायु।
- विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के अवसर पर आयोजित इस समारोह के दौरान भारत ने पहली बार 'संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन' (United Nations Convention to Combat Desertification- UNCCD) से संबंधित पक्षकारों के सम्मेलन के 14वें सत्र (Conference of Parties: COP-14) की मेजबानी करने की घोषणा की।
- इस बैठक में लगभग 197 देशों के कम-से-कम 5,000 प्रतिनिधियों के भाग लेने का अनुमान है।
- इस बैठक का आयोजन 29 अगस्त से 14 सितंबर, 2019 के बीच और दिल्ली में किया जाएगा।
- इस समारोह के दौरान केन्द्रीय मंत्री ने वन भूमि पुनर्स्थापन (forest landscape restoration) और भारत में बॉन चुनौती (Bonn Challenge) पर अपनी क्षमता बढ़ाने के लिये एक फ्लैगशिप परियोजना (Flagship Project) की शुरुआत की।
- पर्यावरण मंत्री के अनुसार, भूमि के क्षरण से देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 30 प्रतिशत प्रभावित हो रहा है। भारत लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ-साथ इस समझौते के प्रति संकल्पबद्ध है।
- मिट्टी के क्षरण को रोकने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PKSY), प्रति बूंद अधिक फसल जैसी भारत सरकार की विभिन्न योजनाएँ सहायक हैं।

'संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन' (United Nations Convention to Combat Desertification- UNCCD)

- संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत तीन रियो समझौतों (Rio Conventions) में से एक है। अन्य दो समझौते हैं-
 1. जैव विविधता पर समझौता (Convention on Biological Diversity- CBD)।
 2. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क समझौता (United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)।

- UNCCD एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण एवं विकास के मुद्दों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है।
- मरुस्थलीकरण की चुनौती से निपटने के लिये अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस दिवस को 25 साल पहले शुरू किया गया था।
- तब से प्रत्येक वर्ष 17 जून को 'विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस' मनाया जाता है।

कॉन्फ्रेंस ऑफ़ पार्टिज (COP)

- यह UNFCCC सम्मेलन का सर्वोच्च निकाय है। इसके तहत विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों को सम्मेलन में शामिल किया गया है। यह हर साल अपने सत्र आयोजित करता है।
- COP, सम्मेलन के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक निर्णय लेता है और नियमित रूप से इन प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है।

फ्लैगशिप परियोजना (Flagship Project)

- यह परियोजना 3.5 वर्षों की पायलट चरण की होगी, जिसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड और कर्नाटक में साढ़े तीन साल के पायलट चरण के दौरान लागू किया जाएगा।
- परियोजना का उद्देश्य भारतीय राज्यों के लिये उत्तम कार्य प्रणाली और निगरानी प्रोटोकॉल को विकसित करना तथा अनुकूल बनाना और पांच पायलट राज्यों के भीतर क्षमता का निर्माण करना है।
- परियोजना के आगे के चरणों में पूरे देश में इसका विस्तार किया जाएगा।

बॉन चुनौती (Bonn Challenge)

- बॉन चुनौती एक वैश्विक प्रयास है। इसके तहत दुनिया के 150 मिलियन हेक्टेयर गैर-वनीकृत एवं बंजर भूमि पर 2020 तक और 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर 2030 तक वनस्पतियाँ उगाई जायेंगी।
- पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, 2015 में भारत ने स्वैच्छिक रूप से बोन चुनौती पर स्वीकृति दी थी।
- भारत ने 13 मिलियन हेक्टेयर गैर-वनीकृत एवं बंजर भूमि पर 2020 तक और अतिरिक्त 8 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर 2030 तक वनस्पतियाँ उगाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क समझौता (UNFCCC)

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है।
- यह समझौता जून, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किया गया था। विभिन्न देशों द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद 21 मार्च, 1994 को इसे लागू किया गया।
- वर्ष 1995 से लगातार UNFCCC की वार्षिक बैठकों का आयोजन किया जाता है। इसके तहत ही वर्ष 1997 में बहुचर्चित क्योटो समझौता (Kyoto Protocol) हुआ और विकसित देशों (एनेक्स-1 में शामिल देश) द्वारा ग्रीनहाउस गैसों को नियंत्रित करने के लिये लक्ष्य तय किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 40 औद्योगिक देशों को अलग सूची एनेक्स-1 में रखा गया है।
- UNFCCC की वार्षिक बैठक को कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टिज (COP) के नाम से जाना जाता है।

जैव विविधता अभिसमय (Convention on Biological Diversity- CBD)

- यह अभिसमय वर्ष 1992 में रियो डि जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दौरान अंगीकृत प्रमुख समझौतों में से एक है।
- CBD पहला व्यापक वैश्विक समझौता है जिसमें जैवविविधता से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।
- इसमें आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होते हुए विश्व के परिस्थितिकीय आधारों को बनाए रखने हेतु प्रतिबद्धताएँ निर्धारित की गयी हैं।
- सीबीडी में पक्षकार के रूप में विश्व के 196 देश शामिल हैं जिनमें 168 देशों ने हस्ताक्षर किये हैं।
- भारत सीबीडी का एक पक्षकार (party) है।

- इस कन्वेंशन में राष्ट्रों के जैविक संसाधनों पर उनके संप्रभु अधिकारों की पुष्टि किये जाने के साथ तीन लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं-
 - ◆ जैव विविधता का संरक्षण।
 - ◆ जैव विविधता घटकों का सतत् उपयोग।
 - ◆ आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों में उचित और समान भागीदारी।

जलवायु परिवर्तन एवं भारत की प्रमुख फसलों पर उसका प्रभाव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वैज्ञानिक ने यह दावा किया है कि भारत का अनाज उत्पादन जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेद्य है तथा चरम मौसमी स्थितियों के चलते चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय रूप से गिरावट आने की संभावना है।

- उल्लेखनीय है कि यह शोध अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय (Columbia University) के शोधकर्ताओं द्वारा भारत की पाँच प्रमुख फसलों: रागी (finger millet), मक्का (Maize), बाजरा (Pearl Maize), चारा (Sorghum) और चावल (Rice) पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन किया गया। ये प्रमुख पाँच फसलें भारत में खाद्य आपूर्ति को पूर्णता प्रदान करती हैं।

प्रमुख बिंदु

- भारत में जून-से-सितंबर के मध्य मानसून के दौरान (जो भारत में अनाज उत्पादन के लिये सबसे अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं) इन फसलों का व्यापक स्तर पर उत्पादन किया जाता है।
- जर्नल इनवायरमेंटल रिसर्च लेटर्स (Environmental Research Letters) में प्रकाशित अध्ययन में पाया गया कि मक्का (Maize), बाजरा (Pearl Maize), चारा (Sorghum) जैसी फसलें चरम मौसमी (Extreme Weather) स्थितियों के प्रति अनुकूलन को प्रदर्शित करती हैं।
- भारत में अनाज के तौर पर मुख्य फसल चावल के उत्पादन में तेज़ी से गिरावट देखी गई है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, यदि भारत में केवल एक फसल 'चावल' पर निर्भरता में वृद्धि होती है तो भारत की खाद्य आपूर्ति पर भी संभावित रूप से जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा। इसे कम करने के लिये चार वैकल्पिक अनाजों के उत्पादन में वृद्धि करके भारतीय अनाज उत्पादन में विविधता को कम किया जा सकता है, विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में जहाँ वैकल्पिक फसलों की पैदावार चावल के बराबर होती है।
- ऐसा करने से सूखे या चरम मौसमी स्थितियों के दौरान देश की विशाल और बढ़ती आबादी के लिये खाद्य आपूर्ति के संकट को कम किया जा सकता है।
- भारत में तापमान और वर्षा की मात्रा में भी निरंतर परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसके चलते फसलों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही भारतीय क्षेत्र में सूखे और तूफान जैसी आपदाओं (जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव के कारण इनकी निरंतरता में भी वृद्धि होती जा रही है) के कारण फसल के उत्पादन के बचाव संबंधी उपायों को खोजे जाने की आवश्यकता है।
- अनुसंधानकर्ताओं ने भारत के 707 जिलों में से 593 जिलों से फसलों की पैदावार, तापमान और वर्षा संबंधी आँकड़ों को (राष्ट्रीय स्तर पर) एकत्रित किया। इसमें गत 46 वर्षों (1966-2011) के आँकड़ों को शामिल किया गया है।
- शोधकर्ताओं ने तापमान और वर्षा संबंधी आँकड़ों का भी इस्तेमाल किया तथा इन्हीं जलवायु चरों (तापमान और वर्षा संबंधी आँकड़ों) के आधार पर फसलों की उपज आदि की भविष्यवाणी भी किया जाती है।
- इस अध्ययन से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव को संयमित करने हेतु फसलों में विविधता लाए जाने से खाद्य-उत्पादन प्रणाली को बेहतर बनाया जा सकता है।
- साथ ही भारत में वैकल्पिक अनाज के उत्पादन को बढ़ाकर फसल की पोषकता में सुधार किया जा सकता है, पानी की बचत और ऊर्जा की मांग को कम करने में मदद मिल सकती है तथा कृषि से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भी कमी लाई जा सकती है।

जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिये कृषि को सक्षम बनाने हेतु कुछ सुझाव

- समाधान संरक्षण कृषि (Conservation Farming) और शुष्क कृषि (Dryland Agriculture) को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ प्रत्येक गाँव को विभिन्न मौसमों में फसल कीटों और महामारियों के बारे में मौसम आधारित पूर्व चेतावनी के साथ समय पर वर्षा के पूर्वानुमान की जानकारी दी जानी चाहिये।
- कृषि अनुसंधान कार्यक्रमों के तहत शुष्क भूमि अनुसंधान पर पुनः ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसके तहत ऐसे बीजों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये जो सूखे जैसी स्थिति में फसल उत्पादन जोखिम को 50% तक कम कर सकते हैं।
- गेहूँ की फसल रोपण के समय में कुछ फेरबदल करने पर विचार किया जाना चाहिये। एक अनुमान के अनुसार, ऐसा करने से जलवायु परिवर्तन से होने वाली क्षति को 60-75% तक कम किया जा सकता है।
- किसानों को मिलने वाले फसल बीमा कवरेज और उन्हें दिये जाने वाले कर्ज की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है। सभी फसलों को बीमा कवरेज देने के लिये इस योजना का विस्तार किया जाना चाहिये। फसल बीमा के लिये ग्रामीण बीमा विकास कोष (Rural Insurance Development Fund) का दायरा बढ़ाया जाना चाहिये। कर्ज पर लिये जाने वाले ब्याज पर किसानों को मिलने वाली सब्सिडी को सरकार की सहायता से बढ़ाया जाना चाहिये। इस संबंध में सरकार द्वारा हाल ही में लघु और सीमांत किसानों को प्रतिमाह दी जाने वाली सहायता राशि एक स्वागत योग्य कदम है।

शून्य जुताई प्रौद्योगिकी और लेज़र भूमि स्तर

- परंपरागत खेती की तुलना में शून्य जुताई और लेज़र भूमि स्तर के मामले में तकनीकी दक्षता अधिक पाई जाती है। लेज़र भूमि स्तर और शून्य जुताई प्रौद्योगिकी पारंपरिक जुताई की तुलना में अधिक टिकाऊ है।
- यह देखने को मिलता है कि यदि किसान जलवायु स्मार्ट कृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाता है तो उसके जोखिम स्तर में कमी के साथ अपेक्षित आय में वृद्धि होगी। लेकिन जलवायु स्मार्ट कृषि प्रौद्योगिकियों से प्राप्त कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभों के बावजूद यह अभी तक भारत में लोकप्रिय नहीं हो पाई है।

भारत की स्वच्छता पर बड़ी छलांग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र (United Nations-UN) द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में के अनुसार, भारत ने सहस्राब्दी (वर्ष 2000 से) की शुरुआत से अब तक बुनियादी आधारभूत सुविधाएँ प्रदान करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है।

मुख्य बिंदु

- वर्ष 2000 से 2017 के मध्य विश्व में 65 करोड़ लोगों ने खुले में शौच से मुक्ति प्राप्त की है इनमें से दो तिहाई लोग भारत से हैं।
- सतत् विकास लक्ष्य 2030 (Sustainable Development Goals 2030) का लक्ष्य क्रमांक 6 स्वच्छता से संबंधित है। भारत में स्वच्छता की प्रगति ने विश्व स्तर पर इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- वर्ष 2000 से 2017 के मध्य भारत समेत दक्षिण एशिया के तीन चौथाई लोगों ने खुले में शौच जाना बंद कर दिया है।
- 200 करोड़ से भी अधिक लोगों को विश्व में आधारभूत स्वच्छता सेवाएँ प्राप्त हुई हैं इनमें से 48 करोड़ लोग भारत से हैं।
- भारत की इस सफलता में स्वच्छ भारत मिशन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजनीतिक नेतृत्व, सार्वजनिक वित्तपोषण, साझेदारी तथा लोगों की भागीदारी इस मिशन की सफलता के मुख्य स्तंभ माने जाते हैं।
- UNICEF और WHO के संयुक्त निगरानी कार्यक्रम से यह प्रदर्शित होता है कि सुरक्षित पेयजल (जहाँ पहुँचने में 30 मिनट से अधिक समय ना लगता हो) तक भारतीय लोगों की पहुँच जो पहले वर्ष 2000 में 79 प्रतिशत थी अब बढ़कर 2017 में 93 प्रतिशत हो गई है।

चिंताएँ

- इस रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि वर्ष 2000 से 2017 के मध्य भारत में नल द्वारा पीने के पानी की पहुँच में बिल्कुल भी प्रगति नहीं हुई है भारत में शहरी-ग्रामीण क्षेत्र के बीच बढ़ती असमानता को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है।

- भारत में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लाखों शौचालयों का निर्माण किया गया है। इन शौचालयों से बड़ी मात्रा में तरल एवं ठोस अपशिष्ट का निकास होता है। इस अपशिष्ट का सुरक्षित रूप से निस्तारण करने की क्षमता भारत के पास नहीं है। वर्तमान में भारत केवल 30 प्रतिशत अपशिष्ट का ही उपचार करने में सक्षम है वहीं इसका वैश्विक औसत 80 प्रतिशत है।
- स्वच्छता का अधिकार सिर्फ स्वच्छ शौचालय उपयोग करने तक ही सीमित नहीं है। यह अधिकार यह भी सुनिश्चित करने के लिये है कि किसी के द्वारा फैलाए गए अपशिष्ट से कोई अन्य व्यक्ति प्रभावित न हो। भारत जैसे राष्ट्र में इसका अधिक नकारात्मक प्रभाव गरीबों और हासिये पर स्थित लोगों पर पड़ता है, इसको लेकर भी इस रिपोर्ट में चिंता व्यक्त की गई है।

स्वच्छ भारत मिशन क्या है ?

घर, समाज और देश में स्वच्छता को जीवनशैली का अंग बनाने के लिये, सार्वभौमिक साफ-सफाई का यह अभियान 2014 में शुरू किया गया। जिसे 2 अक्टूबर, 2019 (महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती) तक पूरा कर लेना है। यह 1986 के केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, 1999 के टोटल सेनिटेशन कैंपेन एवं 2012 के निर्मल भारत अभियान से परिवर्द्धित एवं सुस्पष्ट कार्यक्रम है।

मिशन का उद्देश्य

- भारत में खुले में शौच की समस्या को समाप्त करना अर्थात् संपूर्ण देश को खुले में शौच करने से मुक्त (Open Defecation Free-ODF) घोषित करना, हर घर में शौचालय का निर्माण, जल की आपूर्ति और ठोस व तरल कचरे का उचित तरीके से प्रबंधन करना है।
- इस अभियान में सड़कों और फुटपाथों की सफाई, अनाधिकृत क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाना, मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन करना तथा स्वच्छता से जुड़ी प्रथाओं के बारे में लोगों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना शामिल हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (world health organization- WHO)

विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WHO संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का सदस्य है।

यूनिसेफ (United Nations Children's Fund/United Nations International Children's Emergency Fund- UNICEF)

- इसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष- यूनिसेफ (United Nations Children's Fund) या संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहा जाता है।
- यूनिसेफ का गठन वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र के एक अंग के रूप में किया गया था।
- इसका गठन द्वितीय विश्वयुद्ध से प्रभावित हुए बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करने तथा उन तक खाना और दवाएँ पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया था।
- इसका मुख्यालय जिनेवा में है।
- ध्यातव्य है कि वर्तमान में 190 देश इसके सदस्य हैं।

बिटकॉइन के उपयोग से बड़ी मात्रा में CO₂ का उत्सर्जन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जर्मनी में टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ़ म्यूनिख (Technical University of Munich- TUM) के शोधकर्ताओं ने बिटकॉइन प्रणाली के कार्बन पदचिह्न (Carbon Footprint) के बारे में अब तक की सबसे विस्तृत गणना की।

अध्ययन के अनुसार, बिटकॉइन (एक लोकप्रिय आभासी मुद्रा) का उपयोग करने से सालाना 22 मेगाटन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) का उत्सर्जन होता है जो लास वेगास और वियना जैसे शहरों से होने वाले कुल CO₂ उत्सर्जन के बराबर है।

बिटकॉइन या क्रिप्टोकॉर्सेसी

- बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसका इस्तेमाल दुनिया भर में लोग लेन-देन के लिये करते हैं। उल्लेखनीय है कि यह 'मुख्य वित्तीय सिस्टम' और 'बैंकिंग प्रणाली' से बाहर रहकर काम करती है। यही कारण है कि इसके स्रोत और सुरक्षा को लेकर गंभीर प्रश्न उठते रहते हैं।

- इसे किसी केंद्रीय या सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया जाता है। अतः सैद्धांतिक रूप से यह सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त है।
- सन् 2009 में किसी समूह या व्यक्ति ने सतोशी नाकामोतो के छद्म नाम से 'बिटकॉइन' के नाम से पहली क्रिप्टोकॉरेंसी बनाई।
- वैश्विक बिटकॉइन नेटवर्क में बिटकॉइन के हस्तांतरण एवं उसको वैध बनाने की प्रक्रिया में किसी भी कंप्यूटर से एक गणितीय पहली को हल करना आवश्यक होता है।
- इस नेटवर्क में कोई भी शामिल हो सकता है और पहली सुलझाने वाले को बदले में पुरस्कार के रूप में बिटकॉइन मिलता है।
- इस पूरी प्रक्रिया में प्रयुक्त कंप्यूटिंग क्षमता जिसे 'बिटकॉइन माइनिंग' (Bitcoin Mining) के रूप में जाना जाता है, हाल के वर्षों में तेजी से इजाफा हुआ है।
- आँकड़ों के अनुसार, केवल वर्ष 2018 में इसमें चार गुना वृद्धि हुई है।
- परिणामस्वरूप बिटकॉइन की होड़ से जलवायु परिवर्तन पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया।
- कई अध्ययनों में 'बिटकॉइन माइनिंग' से होने वाले CO₂ के उत्सर्जन का पता लगाने का प्रयास किया गया है। हालाँकि ये अध्ययन अनुमानों पर आधारित हैं।

अध्ययन के आँकड़े

- अनुसंधानकर्ताओं ने इसके लिये इंटरनेट के माध्यम से सर्च इंजनों का इस्तेमाल कर बिटकॉइन माइनर के आईपी एड्रेस (IP addresses) का पता लगाया और फिर इससे प्राप्त नतीजों से निष्कर्षों की दोबारा जाँच की।
- शोधकर्ताओं ने बिटकॉइन की वार्षिक बिजली खपत को नवंबर 2018 तक लगभग 46 TWh [TeraWatt Hour(s)] निर्धारित किया।
- माइनिंग पूल के लाइव ट्रैकिंग डेटा ने इस ऊर्जा के उपयोग के साथ CO₂ के रूप में उत्सर्जित ऊर्जा के बारे में निर्णायक जानकारी प्रदान की।
- इन आँकड़ों के आधार पर अनुसंधानकर्ताओं की टीम एशियाई देशों में 68%, यूरोपीय देशों में 17% और उत्तरी अमेरिका में 15% बिटकॉइन नेटवर्क कंप्यूटिंग शक्ति का स्थानीयकरण करने में सफल हुई।

अध्ययन के निष्कर्ष

- अध्ययन के निष्कर्ष के अनुसार, बिटकॉइन प्रणाली के चलते प्रतिवर्ष 22 और 22.9 मेगाटन कार्बन फुटप्रिंट होता है जो हैमबर्ग, वियना या लास वेगास जैसे शहरों के फुटप्रिंट के बराबर हैं।
- बिटकॉइन का उपयोग स्वाभाविक रूप से जलवायु परिवर्तन में योगदान करने वाले बड़े कारकों में से एक है।
- उन स्थानों पर जहाँ कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा है, क्रिप्टोकॉरेंसी माइनिंग को विनियमित करने की संभावना पर चर्चा की जानी चाहिये।

जलवायु परिवर्तन का विकासशील छोटे द्वीपीय राष्ट्रों पर प्रभाव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व जनसंख्या संभावना 2019 (World Population Prospects 2019) के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र (United Nation) की एक रिपोर्ट अनुसार, कई छोटे विकासशील द्वीपीय देश (Small Island Developing States-SIDS) बढ़ती जनसंख्या और जलवायु परिवर्तन संबंधी जोखिमों के कारण वर्ष 2030 तक अपने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो सकते हैं।

प्रमुख बिंदु

- ऐसा पाया गया है कि जनसंख्या वृद्धि सभी अल्प-विकासशील देशों को लक्ष्यों को पूरा करने में बाधक बन रही है, लेकिन यह समस्या SIDS में जलवायु परिवर्तन के साथ और जटिल हो जाती है।
- संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, कोमोरोस (Comoros), गिनी-बिसाऊ (Guinea-Bissau), साओ टोम (Sao Tome) और प्रिंसिप (Principe), सोलोमन द्वीप समूह (Solomon Islands) और वानुअतु (Vanuatu) सहित कई SIDS देश तीव्र जनसंख्या वृद्धि का सामना कर रहे हैं।

- इन छोटे देशों के लिये जलवायु परिवर्तन, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि के कारण उनकी चुनौती बड़ी हो जाती है। वैश्विक स्तर पर इन देशों की जनसंख्या वृद्धि दर औसत से अधिक है।
- रिपोर्ट के अनुसार, कोमोरोस की जनसंख्या में 2.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हो रही है, जो कुल वैश्विक विकास दर का 1.07 प्रतिशत है। ऐसे ही सोलोमन द्वीप समूह की जनसंख्या वृद्धि दर 2 प्रतिशत है, साओ टोम एवं प्रिंसिप की जनसंख्या वृद्धि दर 2.2 प्रतिशत है तथा गिनी-बिसाऊ की आबादी 2.5 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है।
- वर्तमान में इन देशों की कुल जनसंख्या लगभग 71 मिलियन है, लेकिन जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने से वर्ष 2030 तक यह आँकड़ा 78 मिलियन और वर्ष 2050 तक 87 मिलियन तक पहुँचने की संभावना है।
- SIDS देश समान रूप से सतत विकास की चुनौतियों को साझा करते हैं, जिनमें सापेक्षिक रूप से बढ़ती आबादी, सीमित संसाधन, दूरस्थता, प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अत्यधिक निर्भरता और संवेदनशील वातावरण शामिल हैं।
- संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन अर्थव्यवस्था के आकार अथवा स्थान की परवाह किये बिना सभी देशों के विकास को प्रभावित करता है। लेकिन गैर-द्वीपीय देशों में द्वीपीय देशों की तुलना में विनाशकारी घटनाओं की संभावना कम होती है।
- SIDS देशों की कुल आबादी का एक-तिहाई हिस्सा समुद्र की सतह से पाँच मीटर से कम ऊँची भूमि पर रहता है और उन पर समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, चक्रवात और तटीय विनाश का खतरा बराबर बना रहता है।

SIDS पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

- SIDS देश वैश्विक स्तर पर होने वाले ग्रीन हाउस उत्सर्जन का 1% ही उत्सर्जित करते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के कारण होने वाले सर्वाधिक विनाश का खामियाजा सबसे पहले इन्हीं को भुगतना पड़ता है।
- कृषि, मत्स्य पालन से जुड़े क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पादन में गिरावट आ रही है, जिससे आजीविका और आर्थिक विकास पर खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसम की मार से SIDS की भूमि, अचल संपत्ति और बुनियादी ढाँचे भी प्रभावित होते हैं और इससे इन देशों के आर्थिक विकास पर बेहद विपरीत प्रभाव पड़ता है।
- कई SIDS देशों की अर्थव्यवस्थाएँ की पर्यटन पर टिकी हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण इनके पर्यटन केंद्र भी इस संकट से अछूते नहीं हैं। पर्यटक चक्रवातों की आशंका में इन देशों की यात्रा नहीं कर रहे हैं जिसका इनकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

SIDS क्या है ?

- ये कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर, हिंद और प्रशांत महासागरों के द्वीपों पर स्थित देश हैं।
- पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में जून, 1992 में विकासशील देशों के एक अलग समूह के रूप में SIDS को मान्यता दी गई थी। SIDS देशों की कुल संख्या 38 है।
- सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में सतत विकास पर अपनाई गई 'द फ्यूचर वी वॉंट' (The Future We Want) में SIDS की समस्याओं को उजागर किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का गठन जून 2012 में किया गया था। ध्यातव्य है कि सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को RIO+20 या RIO 2012 भी कहा जाता है।

वुली राइनो या महाकाय की विलुप्ति का कारण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में लखनऊ में स्थित बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंसेस (Birbal Sahni Institute of Palaeosciences) के शोधकर्ताओं ने वुली/बालदार राइनो (Woolly Rhino) के विलुप्त (Extinct) होने के कारणों की जानकारी प्राप्त करने के लिये जंगली याक (एक लुप्तप्राय प्रजाति) पर अध्ययन किया।

- शोधकर्ताओं ने अतीत की वनस्पतियों और जलवायु को समझने के लिये याक (Yak) के गोबर का विश्लेषण किया।
- शोधकर्ताओं के अनुसार, विलुप्त जानवरों का वर्तमान जानवरों के अध्ययन के परिणामों से तुलनात्मक अध्ययन करने पर प्राचीन काल की जलवायु संबंधी कारकों और महाकाय शाकभक्षियों (Mega Herbivores) की अन्य अनुकूलन रणनीतियों के बारे में समझने में अधिक मदद मिल सकती है।

जंगली याक (Wild Yak)

- जंगली याक एक लुप्तप्राय (Endangered) प्रजाति है। ये सामान्यतः एशिया के उच्च हिमालय, तिब्बती पठार और उत्तरी रूस के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं।
- यह -40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सहन कर सकता है।
- यह हिमालयन तहर (Himalayan Tahr) और सफेद पेट वाले कस्तूरी मृग (White-Bellied Musk Deer) के समान ही है।
- इनके आहार एवं स्थानीय वनस्पतियों का अध्ययन करने के लिये सबसे सुरक्षित तरीका इनके गोबर की जाँच करना है।

शोध के परिणाम

- विश्लेषण के दौरान इनके अंदर पराग, बीजाणुओं और फाइटोलिथ्स (पौधों में पाए जाने वाले सिलिका) में विविधता पाई गई।
- इन विविधताओं से यह स्पष्ट होता है कि याक ने विभिन्न प्रकार के भोजन को प्राथमिकता दी थी जिनमें पत्तेदार और जंगली पेड़ों के फल प्रमुख थे। भोजन में यह विविधता गर्मियों के दौरान अधिक थी।
- याक भोजन की तलाश में 50 किमी. तक चल सकता था।
- याक अतीत के जलवायु परिवर्तन के अनुसार अपने आहार को संशोधित करने में सक्षम है।
- प्लेस्टोसीन युग (Pleistocene epoch) के अंत (11,700 साल पहले) और होलोसीन (Holocene) की शुरुआत से वनस्पति में बदलाव आया और मानव की उत्पत्ति भी संभवतः इसी काल में हुआ।
- विशाल वुली राइनो इन परिवर्तनों के अनुकूल नहीं थे और इसलिये वे विलुप्त हो गए। यह 'योग्यतम के उत्तरजीविता' का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसमें वर्तमान में पाए जाने वाले याक सबसे योग्य साबित हुए।

वुली राइनो (Woolly Rhino)

- वुली राइनो पहली बार संभवतः 350,000 साल पहले दिखाई दिये और लगभग 10,000 साल पहले तक जीवित रहे।
- इनके जीवाश्म काफी सामान्य हैं जो पूरे यूरोप और एशिया में पाए गए हैं।
- बर्फ में जमे हुए और संतृप्त-तेल मिट्टी में दबे हुए अवशेष अच्छी तरह से संरक्षित हैं।
- यूक्रेन में, एक मादा वुली राइनो का पूरा शव मिट्टी में दबा हुआ पाया गया। तेल और नमक के संयोजन से ये अवशेष सड़ने से बच गये तथा इनके उतक भी मुलायम पाए गए।
- इस राइनो का पूरा शरीर एक मोटे, बिखरे हुए आवरण (बाल) से ढका होता था, जिसमें दो तरह के बाल पाए जाते थे: पतले घने अंडरकोट और बड़े कठोर बाल।

वैज्ञानिक नाम और उत्पत्ति

इनका वैज्ञानिक नाम कोएलोडोंटा एंटीकितेटिस (Coelodonta antiquitatis) है जो ग्रीक भाषा से लिया गया है। कोएलोडोंटा शब्द का अर्थ है 'हॉलो टूथ' तथा एंटीकस का अर्थ है 'पुराना'।

शारीरिक विशेषताएँ

भार/वजन: 2 से 3 टन

ऊँचाई: लगभग 6 फीट (2 मीटर)

लंबाई: सिर और शरीर की लंबाई 10-12.5 फीट

सींग: दो सींग, एक सामने की ओर बड़े आकार की जिसकी लंबाई लगभग 3 फीट (1 मी) तक होती थी और दूसरी चपटे आकार की।

समुद्री कचरे के निपटान हेतु आसियान देशों की प्रतिबद्धता

चर्चा में क्यों ?

आसियान (ASEAN) देशों ने समुद्री कचरों से निपटने के लिये एक साझा रूपरेखा 'बैंकॉक घोषणा' तैयार की है जिस पर आसियान देशों की आगामी बैठक के दौरान हस्ताक्षर किये जा सकते हैं।

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2017 की महासागरीय संरक्षण रिपोर्ट (Ocean Conservancy Report) के अनुसार, केवल पाँच एशियाई देश (चीन, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और थाईलैंड) हर साल महासागरों में लगभग आठ मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक कचरा गिराते हैं।
- अपनी आगामी बैठक (जिसकी मेजबानी थाईलैंड करेगा) में आसियान देशों ने समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिये 'बैंकॉक घोषणा' का प्रस्ताव रखा है। साझी रणनीति के तहत इस प्रकार की यह पहली घोषणा है।
- थाईलैंड में ग्रीनपीस के विशेषज्ञ के अनुसार, जब तक उत्पादन प्रक्रिया में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को कम नहीं किया जाएगा तब तक 'बैंकॉक घोषणा' सफल नहीं होगी।
- फिलीपींस में प्रदूषित नहरों की भयावह स्थिति, प्लास्टिक से भरे वियतनाम के समुद्र तट, आदि के कारण समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण लगातार चर्चा में रहा है। थाईलैंड और वियतनाम की कुछ निजी कंपनियों ने प्लास्टिक उत्पादों को पुनः प्रयोज्य (Recycled) सामग्रियों के साथ रूपांतरित करना शुरू किया है, लेकिन सरकार की नीतियों से अभी तक इनका समन्वय नहीं हो पाया है।

आसियान क्षेत्रों में समुद्री कचरे की अधिकता के कारण

- अधिकांशतः समुद्री कचरा, नदियों के द्वारा अप्रबंधित कचरे के रूप में आता है। हेल्महोल्त्ज़ सेंटर फॉर एनवायर्नमेंटल रिसर्च (Helmholtz Centre for Environmental Research) के वैज्ञानिकों द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार, महासागरों तक पहुँचने वाले 90% प्लास्टिक की उत्पत्ति केवल 10 नदियों से हुई, जिनमें से आठ एशिया में हैं। यह क्षेत्र नदियों द्वारा लाये गये प्रदूषकों से विशेष रूप प्रभावित है।
- जनसँख्या घनत्व की अधिकता और तटीय क्षेत्रों में इनका सघन वितरण समुद्री प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक है।
- उद्योगप्रधान अर्थव्यवस्था से निकलने वाला कचरा भी प्रदूषण के संकेंद्रण का कारण है साथ ही इस क्षेत्र से बड़ी मात्रा में समुद्री प्रदूषण उत्पादों को निर्यात भी किया जाता है।
- व्यस्त समुद्री जलमार्ग की उपस्थिति से भी प्रदूषण बढ़ता है। इस क्षेत्र से हिन्द महासागर और प्रशांत महासागर क सम्पर्क मार्ग के साथ, जापान, दक्षिण-कोरिया और चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं को तेल की आपूर्ति भी इसी क्षेत्र से होती है।
- समुद्र तट के आस-पास विनिर्माण गतिविधियों की अधिकता और शहरीकरण भी प्रदूषण की मात्रा में योगदान देता है।
- अत्यधिक पर्यटन से भी समुद्री प्रदूषण में वृद्धि होती है।
- कृषि गतिविधियों और रसायनों के प्रयोग की अधिकता भी समुद्री विषाक्तता का एक प्रमुख कारक है।

वैश्विक स्तर पर समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिये किये गये प्रयास

- UN पर्यावरण द्वारा प्रारंभ क्लीन सी अभियान (Clean Sea Campaign) प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य वर्ष 2002 तक समुद्री प्रदूषणों के प्रमुख स्रोतों सौंदर्य प्रसाधनो, माइक्रो प्लास्टिक और एकल प्लास्टिक के इस्तेमाल को सीमित करना है।
- बेसल अभिसमय (Basel Convention) द्वारा समुद्र में प्रवाहित कचरे की रोकथाम के प्रयास किये गये हैं।
- होनोलूलू रणनीति: यह व्यापक और वैश्विक सहयोगात्मक प्रयास हेतु एक कार्ययोजना है। जिसका उद्देश्य विश्व भर में समुद्री मलबे के पारिस्थिक, आर्थिक और मानव स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों को कम करना है।
- ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच की सफाई के लिये प्रशांत महासागर में ओशन क्लीनअप (Ocean CleanUp) परियोजना प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत हवाई से कैलिफोर्निया तक के प्रदूषण को दूर करने का लक्ष्य रखा गया।
- प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिये सहयोग (Alliance to end Plastic Waste) को हाल में ही शुरू किया गया है। यह एक गैर लाभकारी संगठन है, जिसमें विश्व की कई कंपनियाँ शामिल हैं। भारत से रिलायंस कंपनी इसमें भाग लेगी।
- कोपेनहेगन स्थित पर्यावरण शिक्षा फाउंडेशन (Foundation For Environment Education-FEE) द्वारा ब्लू फ्लैग कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के तहत समुद्री तटों की सफाई को प्रोत्साहित किया गया।

आगे की राह

- नदियों में प्रवाहित कचरों का इनके प्रारंभिक स्रोतों पर ही उपचार किया जाना चाहिये।
- प्लास्टिक उत्पादों को पुनः प्रयोज्य प्लास्टिक के साथ स्थानांतरित किया।

- समुद्री तटों पर पर्यावरण के अनुकूल इमारतों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाए।
- समुद्री तटों पर पर्यटन के लिये विशेष नियामक बनाये जाने चाहिये साथ ही इनके अनुपालन की सुनिश्चितता भी निर्धारित की जाए।
- तटों पर निवास करने वाले लोगो को विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रशिक्षित किया जाए क्योंकि यही लोग विशेष रूप से तटों के आस-पास कृषि, पर्यटन और अन्य गतिविधियों में संलग्न रहते हैं।
- निजी कंपनियों और सरकार के मध्य नीति, निर्माण और क्रियान्वयन के लिये बेहतर समन्वय तंत्र स्थापित किये जाने चाहिये।

सामान्यीकृत अंतर-वनस्पति सूचकांक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बेंगलुरु के शोधकर्ताओं द्वारा किये गए एक अध्ययन में यह पता चला है कि सामान्यीकृत अंतर वनस्पति सूचकांक (Normalized Difference Vegetation Index-NDVI) के माध्यम से उष्णकटिबंधीय जंगलों में हाथियों के लिये भोजन की सही मात्रा का विश्वसनीय अनुमान नहीं लग पा रहा है।

- सामान्यीकृत अंतर वनस्पति सूचकांक का कार्य जंगलों में वनस्पति के घनत्व और हाथी जैसे शाकाहारी जानवरों के भोजन की सही मात्रा का अनुमान लगाना है।
- इस सूचकांक का वनस्पति मुख्यतः घास के घनत्व के साथ नकारात्मक (या विपरीत) सह-संबंध होता है अर्थात् जब सूचकांक अधिक होता है तब न केवल घनत्व कम होता है बल्कि इसके विपरीत हो जाता है।

सामान्यीकृत अंतर वनस्पति सूचकांक

- NDVI, वस्तुओं द्वारा परावर्तित प्रकाश के लाल और निकट अवरक्त घटकों (Red and Near Infrared Components) के बीच अंतर की गणना करता है।
- चूँकि वनस्पतियाँ प्रकाश के लाल घटकों को अवशोषित करती हैं और अवरक्त घटकों को प्रवर्तित करती हैं इसीलिये इस दोनों के मध्य अंतर से स्वस्थ वनस्पति का आसानी से पता लगाया जा सकता है।
- NDVI का उच्च मूल्य स्वस्थ वनस्पतियों को प्रदर्शित करता है वहीं NDVI का निम्न मूल्य अस्वस्थ वनस्पतियों को प्रदर्शित करता है।
- NDVI के मूल्य का अनुमान लाल घटकों और अवरक्त घटकों का उत्पादन करने वाले उपग्रहों से प्राप्त डेटा के आधार पर किया जाता है।

महत्त्व:

- कृषि: किसान NDVI का प्रयोग शुद्ध खेती और बायोमास की गणना करने के लिये करते हैं।
- वातावरण: NDVI का उपयोग हाथियों, लाल हिरणों, मच्छरों और पक्षियों आदि सभी प्रजातियों की पारिस्थितिकी को ज्ञात करने के लिये भी किया जाता है।
- सूखा: नासा का मानना है कि NDVI सूखे का अनुमान लगाने के लिये एक अच्छा संकेतक है, जब पानी वनस्पति विकास को रोकता है तब NDVI निम्न स्तर पर होता है।

सीमेंट प्रदूषण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में किये गए एक अध्ययन के अनुसार, सीमेंट उत्पादन से होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (CO₂) में लगभग 7% का योगदान पाया गया है, जो दुनिया भर के सभी ट्रकों द्वारा किये गए CO₂ उत्सर्जन से भी अधिक है।

प्रमुख बिंदु

- इसका प्रमुख कारण सीमेंट उत्पादन में होने वाली रासायनिक प्रक्रिया है।
- एक टन सीमेंट के उत्पादन से लगभग आधा टन CO₂ उत्सर्जित होता है।

- सीमेंट उत्पादन के लिये प्रयुक्त भट्टों को 1,400 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है।
- भट्टे के अंदर चूना पत्थर (Limestone) में फंसा कार्बन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर CO₂ के रूप में उत्सर्जित होता है, जो कि एक ग्रीनहाउस गैस है।
- हालाँकि CO₂ के उत्सर्जन को रोकने के लिये सीमेंट निर्माताओं द्वारा इसके विकल्प तैयार किये जा रहे हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल हों तथा कम-से-कम CO₂ का उत्सर्जन करें।

सीमेंट के विकल्प

- उत्सर्जन की मात्रा को देखते हुए कई सीमेंट निर्माता अपने सीमेंट में क्लिंकर (Clinker) की मात्रा में कटौती करने पर काम कर रहे हैं, जबकि कुछ अन्य फ्लाई-ऐश (fly-ash) सहित और विकल्पों पर ध्यान दे रहे हैं।
- हालाँकि जियो-पालीमर सीमेंट (पृथ्वी के लिये अनुकूल) के रूप में विकल्प मौजूद हैं लेकिन इसकी उच्च लागत के कारण ग्राहकों के लिये यह विकल्प आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।
- ग्रीनहाउस गैस
- ग्रीन हाउस गैसें किसी ग्रह के वातावरण एवं जलवायु में परिवर्तन करती हैं, परिणामस्वरूप उस ग्रह का तापमान बढ़ जाता है। सामान्यतः इसे वैश्विक तापन (Global Warming) का कारण माना जाता है।
- कार्बन डाई आक्साइड, नाइट्रस आक्साइड, मीथेन, क्लोरो-फ्लोरो कार्बन, वाष्प, ओजोन आदि प्रमुख ग्रीनहाउस गैसें हैं।
- क्लिंकर (Clinker)- पोर्टलैंड सीमेंट के उत्पादन में चूना पत्थर और एल्युमिनो सिलिकेट सामग्री द्वारा निर्मित कंकड़ों का इस्तेमाल लिया जाता है जिसे क्लिंकर (Clinker) कहते हैं।
- फ्लाई-ऐश (fly-Ash)- तापीय बिजली संयंत्रों में कोयले के जलने से उप-उत्पाद के रूप में बारीक पाउडर प्राप्त होता है जिसे फ्लाई ऐश कहते हैं।

जियोपॉलीमर सीमेंट (Geopolymer Cement)

- जियोपॉलीमर, एक प्रकार का अकार्बनिक बहुलक है।
- यह सीमेंट, कैल्शियम और सिलिकॉन के बजाय एल्युमिनियम एवं सिलिकॉन से बनाया गया है।
- प्रकृति में एल्युमिनियम के स्रोत कार्बोनेट के रूप में नहीं पाए जाते, इसीलिये जब यह सीमेंट के रूप में उपयोग के लिये सक्रिय किया जाता है, तो CO₂ का उत्सर्जन अत्यधिक कम होता है।
- इसके लिये सबसे आसानी से उपलब्ध एल्युमिनियम और सिलिकॉन युक्त कच्चे माल, फ्लाई ऐश और लावा (Slag) हैं।

स्मारकों के संरक्षण में सहायक बैक्टीरियल स्त्रे

चर्चा में क्यों ?

भारतीय वैज्ञानिकों ने सोलहवीं शताब्दी में बने एक मुगल स्मारक (सलाबत खान का मकबरा) का गहन परीक्षण करते हुए इसके क्षरण के कारणों का पता लगाया है। गौरतलब है कि वैज्ञानिकों ने देश के विभिन्न हिस्सों में स्मारकों के संरक्षण हेतु नए उपायों की भी खोज की है।

प्रमुख बिंदु

- वैज्ञानिकों ने पाया कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित सलाबत खान के मकबरे की दीवारों एवं गुंबदों पर रासायनिक अभिक्रिया के परिणामस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट (Calcium Carbonate) के अवक्षेप जमा होने से उसकी चमक और सुंदरता समाप्त हो रही है।
- दिल्ली स्थित नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कंजर्वेशन एंड म्यूजियोलॉजी (National Museum Institute of History of Art, Conservation and Museology) के शोधकर्ताओं ने मकबरे के प्रभावित हिस्सों में गहराई तक खुदाई किया एवं नमूने एकत्रित किये।

- शोधकर्ताओं ने इन नमूनों के माध्यम से चूने के कठोर होने तथा कैल्सीफिकेशन के लिये जिम्मेदार बैक्टीरिया की पहचान की जिसमें सूक्ष्म जीवाणुओं की निम्नलिखित प्रजातियाँ शामिल हैं:
 - ◆ बेसिलस प्रजाति (Bacillus sp), आर्थ्रोबैक्टर प्रजाति (Arthrobacter sp), एग्रोमाएसिस इंडिकस (Agromyces Indicus) और एक्वामाइक्रोबियम प्रजातियाँ (Aquamicrobium sp)।
- ज्ञातव्य है कि चूने, वर्षा जल और कुछ जीवाणुओं (Bacterias) के मध्य रासायनिक अभिक्रिया से संगमरमर का क्षरण होता है।
- जब वर्षा का जल मकबरे की संरचना में प्रवेश करता है तब निक्षालन के कारण चूना एवं बैक्टीरिया के मध्य अभिक्रिया के परिणामस्वरूप मकबरे की संरचना कठोर कैल्सीफाइड चूने (Calcified Lime) में परिवर्तित हो जाती है।

कैसे होगा संरक्षण ?

- शोधकर्ताओं ने कैल्शियम कार्बोनेट युक्त जीवों का एक स्प्रे तैयार किया है जो कैल्साइट परत (Calcite Layer) का निर्माण कर स्मारकों के बाहरी हिस्सों को संरक्षित करने में मदद करेगा।
- सलाबत मकबरे (जो काले बसाल्ट पत्थरों से बना है) की सतहों पर जिस बैक्टीरिया के कारण सफेद धब्बे पड़ जाते हैं उसी बैक्टीरिया के कारण चूने पत्थर तथा संगमरमर से निर्मित इमारतों को क्षरण से बचाने में मदद मिलती है।
- इस स्प्रे का इस्तेमाल अमरावती और नागार्जुनकोंडा की चूना पत्थर से निर्मित मूर्तियों को साफ करने के लिये भी किया जा सकता है।
- इस विधि में, सूक्ष्मजीवों को संगमरमर की सतह पर समान रूप से छिड़का जाता है तथा उन्हें कैल्शियम और यूरिया युक्त पोषण दिया जाता है। तत्पश्चात् बैक्टीरिया अल्प अम्लीय माध्यम के निर्माण द्वारा कार्बोनेट का अवक्षेपण करता है और घुलित कैल्शियम को कैल्शियम कार्बोनेट की सुरक्षात्मक परत के रूप में परिवर्तित करता है।
- अल्प अम्लीय या क्षारीय माध्यम ही वह प्राथमिक स्रोत हैं जिसके द्वारा सूक्ष्मजीव कैल्शियम कार्बोनेट के अवक्षेपण को बढ़ावा देते हैं और इस प्रक्रिया को बायोकोटिंग (Biocoating) के रूप में भी जाना जाता है।

ज़ीरो डे

चर्चा में क्यों ?

उत्तर भारत में स्थित शिमला और तटीय कर्नाटक में स्थित उडुपी तथा मंगलूरु जल्द ही जल संकट के कारण 'ज़ीरो डे' (Zero Day) का सामना कर सकते हैं।

शिमला के संदर्भ में

- प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में शिमला की छवि ही इसके जल संकट का प्रमुख कारण है।
- 0.17 मिलियन की आबादी वाले शिमला में गर्मियों के दौरान प्रतिदिन लगभग 10000 पर्यटक घूमने आते हैं।
- रिपोर्ट्स के अनुसार, पर्यटन के सीजन में शिमला में जल की माँग 45 मिलियन लीटर प्रति दिन (Million Litres Per Day-MLD) तक बढ़ जाती है।
- हालाँकि कई जल स्रोतों के कारण शिमला में लगभग 54 मिलियन लीटर प्रति दिन (Million Litres Per Day-MLD) जल की पूर्ति की जा सकती है। फिर भी वहाँ माँग और पूर्ति के मध्य अंतर देखने को मिलता है।
- वर्ष 2015 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2013 में माँग और पूर्ति का यह अंतर 8 MLD था जो वर्ष 2031 में पाँच प्रतिशत और वर्ष 2051 में 12 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा।

उडुपी के संदर्भ में

- तटीय कर्नाटक में स्थित उडुपी बीते कई दिनों से भारी जल संकट का सामना कर रहा है।
- मई की शुरुआत में, जल संकट के कारण यहाँ स्कूलों को सिर्फ प्रथम पाली (First Half) तक ही काम करने का भी आदेश दिया गया था।

- उडुपी में 'स्वर्ण नदी' (Swarna River) और 'बाजे बाँध' (Baje Dam) जल के प्रमुख स्रोत हैं, परंतु इसका जल भी अपने न्यूनतम स्तर पर पहुँच गया है और अब प्राकृतिक रूप से इनका प्रयोग करना संभव नहीं है।
- उडुपी शहर कुल 6 क्षेत्रों में विभाजित है और स्वर्ण नदी का जल सभी 6 क्षेत्रों में हफ्ते के प्रत्येक दिन बारी-बारी से भेजा जाता है।
- उडुपी प्रशासन सभी 35 नगरपालिकाओं में टैंकों के माध्यम से भी जल की पूर्ति कर रहा है।

मंगलूरु के संदर्भ में

- जल संकट का सामना करने के लिये मंगलूरु नगर निगम ने जल राशनिंग की व्यवस्था अपनाई है, जिसके अनुसार 48 घंटों के लिये जल की पूर्ति को रोक दिया जाता है और फिर अगले 96 घंटों के लिये जल की पूर्ति शुरू कर दी जाती है, यह चक्र बार-बार चलता रहता है।
- वर्ष 1993 में शहर में पानी की पर्याप्त पूर्ति सुनिश्चित करने के लिये नेत्रावती नदी पर थुम्बे बाँध का निर्माण किया गया था।
- परंतु इसके बावजूद भी नेत्रावती नदी में जल के कम बहाव के कारण प्रशासन को यह सख्त निर्णय लेना पड़ा है।

जीरो डे

- 'जीरो डे' का अर्थ उस दिन से है जब शहर के सभी नलों से पानी आना बंद हो जाएगा और शहर में जल की किल्लत होगी। जल की इस कमी के कारण शहर के सभी लोग एक-एक बूंद के लिये संघर्ष करेंगे।
- शिमला, उडुपी और मंगलूरु की स्थितियों को देखते हुए यदि कहा जाए की ये शहर जल्द ही 'जीरो डे' के खतरे में आ जाएँगे तो यह गलत नहीं होगा।

काप्पाफाइकस अल्वारेज़ी

काप्पाफाइकस अल्वारेज़ी (एक नए किस्म का आक्रामक समुद्री शैवाल) / (Kappaphycus Alvarezii) प्रवाल भित्तियों को धीरे-धीरे खत्म करता है। अब यह मन्नार की खाड़ी में वलाई द्वीप (Valai Island) तक फैल चुका है और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के एक वृहद् प्रवाल क्षेत्र को दुष्प्रभावित कर सकता है।

- इस आक्रामक शैवाल ने मंडपम के शिंगल, कुरुसादाई और मुल्ली द्वीपों पर भी आक्रमण कर दिया है।
- GoM के मंडपम क्लस्टर में शिंगल, कुरुसादाई और मुल्ली द्वीपों पर आक्रमण करने के बाद, इस लाल शैवाल ने दक्षिण पाक खाड़ी में प्रवेश किया है तथा अब किलाकारई तट के साथ वलाई द्वीप पर आक्रमण का अंदेश है।

मन्नार की खाड़ी

- मन्नार की खाड़ी (Gulf of Mannar) पूर्वी भारत और पश्चिमी श्रीलंका के बीच हिंद महासागर का एक प्रवेश-द्वार है। यह रामेश्वरम (द्वीप), एडम ब्रिज और मन्नार द्वीप से घिरा है।
- यह खाड़ी 80-170 मील (130-275 किमी.) चौड़ी और 100 मील (160 किमी.) लंबी है। इसमें कई नदियाँ मिलती हैं जिसमें तांब्रपर्णा (भारत) और अरुवी (श्रीलंका) शामिल हैं।
- तूतीकोरिन का बंदरगाह समुद्री तट पर है। यह खाड़ी मोतियों के भंडार और शंख के लिये विख्यात है।

समुद्री राष्ट्रीय उद्यान

- समुद्री राष्ट्रीय उद्यान (Marine National Park) की स्थापना वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत की गई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल लगभग 162.89 वर्ग किमी. है।
- समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी में जामनगर तट पर 42 द्वीप हैं, जिनमें से अधिकांश चट्टानों से घिरे हैं।
- उद्यान का प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र इस प्रकार है-
- प्रवाल भित्तियाँ, मैंग्रोव, मडफ्लैट्स, क्रीक्स, सीग्रेस और सीवेयड्स, एस्चुरीज, रेतीले स्ट्रैंड्स, सलाइन ग्रासलैंड्स, दलदली इलाके और चट्टानी तट।

कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य

सरकार ने कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य (Coringa Wildlife Sanctuary) को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिलवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

- एक बार यह दर्जा प्राप्त होने के बाद यूनेस्को यहाँ पर्यटन उद्योग को विकसित करने और वन्य जीवों को संरक्षित करने में मदद करेगा।
- पर्यावरण, वन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी (The Environment, Forests, Science and Technology-EFS&T) विभाग ने इस संदर्भ में सभी मापदंडों को पूरा करने के लिये एक सात सदस्यीय समिति का गठन किया है।
- इस वन्यजीव अभयारण्य में पक्षियों की कुल 120 प्रजातियाँ पाई जाती हैं जिनमें बगुला, राजहंस और तीतर आदि प्रमुख हैं।
- इसके अतिरिक्त यहाँ पर सुनहरा सियार, समुद्री कछुआ और ऊदबिलाव भी पाए जाते हैं।
- बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री उपलब्ध होने के कारण इस अभयारण्य में पक्षियों की विविधता पाई जाती है।
- इस वन्य अभयारण्य की महत्त्वता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें विलुप्त होने की कगार पर खड़ी कुछ प्रजातियाँ जैसे - लंबी चोंच वाला गिद्ध और सफ़ेद इबिस आदि भी पाई जाती हैं।

कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य

- कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य आंध्रप्रदेश के काकीनाडा के समीप स्थित है।
- यह भारत में पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है।
- इस अभयारण्य में पक्षियों की 120 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- इस अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 235. 70 वर्ग किमी. है।

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास सभा

चर्चा में क्यों ?

पहली संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास सभा (UN-Habitat Assembly) के कार्यकारी बोर्ड (Executive Board) के लिये प्लेनरी सत्र हेतु भारत को चुना गया है। गौरतलब है कि इस सभा का पहला सत्र केन्या के नैरोबी में 27-31 मई, 2019 आयोजित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास सभा की थीम 'इनोवेशन फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़' (Innovation for Better Quality of Life in Cities and Communities) है।
- यूएन-हैबिटेट: एक बेहतर शहरी भविष्य की दिशा में संयुक्त राष्ट्र का एक कार्यक्रम है। इसका मिशन सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से स्थायी मानव बस्तियों के विकास एवं सभी के लिये पर्याप्त आश्रय की उपलब्धि को बढ़ावा देना है।
- शहरी विकास के मुद्दों को संबोधित करने के लिये वर्ष 1978 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly) द्वारा शासित शहरी विकास प्रक्रियाओं पर यह एक संज्ञानात्मक संस्था (knowledgeable institution) है।

संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास सभा के परिणाम

- योगदान: सदस्य देशों द्वारा शहरों को अधिक समावेशी, सुरक्षित, लचीला और धारणीय बनाने की दिशा में \$152 मिलियन से अधिक का निवेश।
- समुदाय, शहर या कस्बे जो अपने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करते हैं और अपने अपशिष्ट प्रबंधन व्यय को कम करते हैं, को सार्वजनिक रूप से 'अपशिष्ट-बुद्धिमान शहर' (Waste-Wise Cities) के रूप में मान्यता दी जाएगी।
- यह पहल दुनिया भर के समुदायों, शहरों और कस्बों को अपशिष्ट के विषय में एक बार फिर से विचार करने, उसमें कमी करने, रीसाइकिल करने तथा पुनरुपयोग की मांग करती है।
- 2020-2025 की अवधि के लिये संयुक्त राष्ट्र मानव बस्तियों के कार्यक्रम की रणनीतिक योजना प्रस्तुत की गई है। इस योजना का लक्ष्य विकास और शांति के चालक के रूप में स्थायी शहरीकरण को बढ़ावा देना है, ताकि सभी के लिये बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित किया जा सकें।
- इसमें भाग लेने वाले राष्ट्रों द्वारा न्यू अर्बन एजेंडा (New Urban Agenda-NUA) और सतत् शहरी विकास को बढ़ावा देने के प्रयासों पर अपने वक्तव्य प्रस्तुत किये गए।
- भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, रवांडा और उरुग्वे जैसे एशियाई एवं अफ्रीकी देशों ने राष्ट्रीय नीतियों तथा प्रथाओं का अवलोकन प्रस्तुत किया।
- वेनेजुएला ने सामाजिक आवास को एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित के रूप में देखते हुए कुछ सुझाव दिये।
- कोरिया ने शहरी समस्याओं का समाधान करने के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आभासी वास्तविकता प्रौद्योगिकी की क्षमता पर जोर दिया।

संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास

- संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास मानव बस्तियों के लिये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। इसे वर्ष 1976 में कनाडा के वैकूवर में आयोजित ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट [Human Settlements and Sustainable Urban Development (Habitat-I)] पर पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के परिणाम के रूप में स्थापित किया गया था।
- यह संयुक्त राष्ट्र विकास समूह (United Nations Development Group) का सदस्य है।

- संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास (UN-Habitat) का मुख्यालय नैरोबी, केन्या के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सबके लिये उपयुक्त आवास प्रदान करने के लक्ष्य की दिशा में सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से संवहनीय कस्बों और शहरों को बढ़ावा देने का दायित्व सौंपा है।
- संगठन के कार्य क्षेत्र से संबद्ध मुख्य दस्तावेज हैं:
- वैंकूवर डेक्लोरेशन ऑन ह्यूमन सेटलमेंट्स, द हैबीटॉट एजेंडा, द इस्तांबुल डेक्लोरेशन ऑन ह्यूमन सेटलमेंट (Human Settlements (Habitat II) in Istanbul), द डिक्लोरेशन ऑन सिटीज एंड अदर ह्यूमन सेटलमेंट्स इन द न्यू मिलेनियम; रैजोल्यूशन 56/206।
- फोकस के क्षेत्र: भूमि कानून; नगर नियोजन; शहरी एवं म्यूनिसिपल वित्त; जोखिम में कमी और पुनर्वास; अनुसंधान और क्षमता विकास
- नोडल मंत्रालय: आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय; शहरी विकास मंत्रालय; नीति आयोग
- प्रमुख प्रकाशन: द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट्स, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड सिटीज; अर्बन वर्ल्ड

गोदावरी पेन्ना इंटरलिंगिंग परियोजना बाधित

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (National Green Tribunal-NGT) ने आंध्र प्रदेश सरकार की नदी जोड़ो परियोजना पर पर्यावरणीय मंजूरी के अभाव का हवाला देते हुए रोक लगा दी है।

प्रमुख बिंदु

- यह प्राधिकरण आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वट्टी वसंत कुमार द्वारा दायर याचिका की सुनवाई कर रहा था जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार ने केंद्रीय जल आयोग (Central Water Commission) और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (Ministry of Environment and Forests) की मंजूरी लिये बिना ही गोदावरी-कृष्णा-पेन्ना नदियों को जोड़ने की परियोजना प्रारंभ की है।
- NGT के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल ने आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फटकार लगाते हुए कहा कि बोर्ड कानूनी तौर पर अपने कर्तव्यों के निर्वाह में असफल रहा है।
- प्राधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार की इस परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी नहीं प्राप्त है एवं वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 [Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981] और जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974 [Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974] के तहत भी इस परियोजना को लागू करने की सहमति नहीं है, इसलिये इस परियोजना पर रोक लगाई गई है।
- चेन्नई स्थित पर्यावरण और वन मंत्रालय (Ministry of Environment and Forests-MoEF) का क्षेत्रीय कार्यालय एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board-CPCB) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (State Pollution Control Board) साथ मिलकर इस परियोजना का निरीक्षण करेंगे और एक महीने के अंदर इस मामले में एक तथ्यात्मक रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं जिसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक नोडल एजेंसी की भूमिका में कार्य करेगा।

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (National Green Tribunal)

- पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन तथा व्यक्तियों एवं संपत्ति के नुकसान के लिये सहायता और क्षतिपूर्ति देने या उससे संबंधित या उससे जुड़े मामलों सहित, पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्रगामी निपटारे हेतु राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत 18 अक्टूबर, 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई।
- यह एक विशिष्ट निकाय है जो बहु-अनुशासनात्मक समस्याओं जैसे पर्यावरणीय विवादों के निपटान के लिये आवश्यक विशेषज्ञता द्वारा सुसज्जित है।
- यह अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं है, लेकिन इसे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाता है।

जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974

- जल प्रदूषण के नियंत्रण और रोकथाम तथा देश में पानी की उच्च गुणवत्ता बनाए रखने हेतु इसे वर्ष 1974 में अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम वर्ष 1988 में संशोधित किया गया था। जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम कुछ औद्योगिक गतिविधियों के व्यक्तियों द्वारा पानी की खपत पर उपकर लगाने के लिये 1977 में अधिनियमित किया गया था।
- यह उपकर जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत जल प्रदूषण के नियंत्रण और हस्तक्षेप के लिये गठित केंद्रीय बोर्ड के संसाधनों और राज्य सरकार के विकास की दृष्टि से इकट्ठा किया जाता है। इस अधिनियम में अंतिम बार वर्ष 2003 में संशोधन किया गया था।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) एक सांविधिक संगठन है। इसका गठन जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन सितंबर, 1974 में किया गया था।
- इसके अलावा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन भी शक्तियाँ और कार्य सौंपे गए।
- यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक फील्ड संगठन का काम करता है तथा मंत्रालय को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के बारे में तकनीकी सेवाएँ भी प्रदान करता है।
- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण, निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में निर्धारित दायित्वों के अनुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख कार्य हैं-
- (i) जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा न्यूनीकरण द्वारा राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में नदियों और कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना।
- (ii) देश की वायु गुणवत्ता में सुधार करना तथा वायु प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और न्यूनीकरण करना।

भारत में मानसून में देरी के कारण

चर्चा में क्यों ?

यू. एस. नेशनल वेदर सर्विस के क्लाइमेट प्रेडिक्शन सेंटर (Climate Prediction Centre of the US National Weather Service) के अनुसार, मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन (Madden Julian Oscillation- MJO) लहर की स्थिति और तीव्रता द्वारा भारतीय मानसून का विकास प्रभावित हुआ है, इसी के कारण भारत में मानसून के आगमन में देरी हो रही है।

मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन (MJO)

- मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन (MJO) एक समुद्री-वायुमंडलीय घटना है जो दुनिया भर में मौसम की गतिविधियों को प्रभावित करती है।
- यह साप्ताहिक से लेकर मासिक समयावधि तक उष्णकटिबंधीय मौसम में बड़े उतार-चढ़ाव लाने के लिये जिम्मेदार मानी जाती है।
- मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन (MJO) को भूमध्य रेखा के पास पूर्व की ओर सक्रिय बादलों और वर्षा के प्रमुख घटक या निर्धारक (जैसे मानव शरीर में नाड़ी (Pulse) एक प्रमुख निर्धारक होती है) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो आमतौर पर हर 30 से 60 दिनों में स्वयं की पुनरावृत्ति करती है।
- यह निरंतर प्रवाहित होने वाली घटना है एवं हिंद एवं प्रशांत महासागरों में सबसे प्रभावशाली है। इसलिये MJO हवा, बादल और दबाव की एक चलती हुई प्रणाली है। यह जैसे ही भूमध्य रेखा के चारों ओर घूमती है वर्षा की शुरुआत हो जाती है।
- इस घटना का नाम दो वैज्ञानिकों रोलैंड मैडेन और पॉल जूलियन के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने वर्ष 1971 में इसकी खोज की थी।

मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन का भारतीय मानसून पर प्रभाव

- इंडियन ओशन डाइपोल (The Indian Ocean Dipole-IOD), अल-नीनो (El-Nino) और मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन (Madden-Julian Oscillation-MJO) सभी महासागरीय और वायुमंडलीय घटनाएँ हैं, जो बड़े पैमाने पर मौसम को प्रभावित करती हैं।
- ◆ इंडियन ओशन डाइपोल केवल हिंद महासागर से संबंधित है, लेकिन अन्य दो वैश्विक स्तर पर मौसम को मध्य अक्षांश तक प्रभावित करती हैं।

- IOD और अल नीनो अपने पूर्ववर्ती स्थिति में बने हुए हैं, जबकि MJO एक निरंतर प्रवाहित होने वाली भौगोलिक घटना है।
- MJO की यात्रा आठ चरणों से होकर गुजरती है।
 - ◆ जब यह मानसून के दौरान हिंद महासागर के ऊपर होता है, तो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में अच्छी बारिश होती है।
 - ◆ दूसरी ओर, जब यह एक लंबे चक्र की समयावधि के रूप में होता है और प्रशांत महासागर के ऊपर रहता है तब भारतीय मानसूनी मौसम में कम वर्षा होती है।
 - ◆ यह उष्णकटिबंध में अत्यधिक परंतु दमित स्वरूप के साथ वर्षा की गतिविधियों को संपादित करता है जो कि भारतीय मानसूनी वर्षा के लिये बहुत महत्वपूर्ण है।

खाड़ी की निगरानी

- चक्रवात 'वायु' को पश्चिम हिंद महासागर और दक्षिण अरब सागर से सटी एक MJO लहर से बल प्राप्त हुआ। वर्तमान में यह लहर पूर्वी हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तक पहुँच गई है।
- अमेरिकी एजेंसी के अनुसार, अरब सागर में असामान्य रूप से गर्म पानी ने हिंद महासागर पर तेज हवाओं का एक दुर्लभ कटिबंध (rare band) स्थापित किया है, जिसके कारण ही केरल तट पर मानसून की शुरुआत में देरी हुई है।

भारत में सूखे की स्थिति

- क्लाइमेट फोरकास्ट सिस्टम मॉडल (Climate Forecast System model) के अनुसार, 12-18 जून तक भारत में सूखा जारी रहेगा अर्थात् मानसून के शुरू होने में देरी होगी। इस प्रकार देश के अन्य भागों पर भी इसका असर पड़ेगा।
- 19 जून के बाद दक्षिण भारत में मानसून के आगमन का अनुमान व्यक्त किया गया है।
- हालाँकि भारत मौसम विभाग (India Meteorological Department-IMD) ने 18 से 20 जून तक पश्चिमी तट के दक्षिणी हिस्सों (Southern parts of West Coast) और उत्तर-पूर्वी भारत (North-East India) में भारी बारिश की संभावना जताई है।
- इस अवधि के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण प्रायद्वीप के बाकी हिस्सों के साथ-साथ पूर्वी भारत की पहाड़ियों पर कहीं-कहीं वर्षा होने की भी उम्मीद है।

भारत में जनसंख्या विस्फोट

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त राष्ट्र (United Nations- UN) द्वारा हाल ही में जनसंख्या आधारित एक अध्ययन की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार वर्ष 2050 तक पृथ्वी पर मानव की कुल आबादी 9.7 बिलियन हो जाएगी और वर्ष 2100 तक यह संख्या 11 बिलियन तक पहुँच जाएगी। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि मात्र 8 वर्षों (यानि वर्ष 2027) में भारत चीन को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ देगा और विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा।

मुख्य बिंदु :

- भारत सहित नाइजीरिया, पाकिस्तान, कांगो, इथियोपिया, तंजानिया, इंडोनेशिया, मिस्र और अमेरिका जैसे तमाम देश उन देशों की सूची में हैं जो भविष्य में बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि अनुभव करेंगे। इस सूची में भारत शीर्ष स्थान पर है।
- रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 2050 के बीच भारत की जनसंख्या में 273 मिलियन वृद्धि होने की संभावना है।
- UN के अनुसार वर्ष 2050 तक विश्व की 16 प्रतिशत जनसंख्या 65 वर्ष से अधिक उम्र की होगी जबकि अभी यह सिर्फ 9 प्रतिशत ही है।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वर्ष 2050 में विश्व के 426 मिलियन लोग 80 वर्ष की उम्र से अधिक होंगे जबकि वर्तमान में केवल 143 मिलियन लोग ही ऐसे हैं जिनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है।

- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 1990 से 2019 के बीच प्रजनन दर में भी लगभग 78 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। जहाँ एक ओर वर्ष 1990 में यह दर 3.2 थी वहीं वर्ष 2019 में यह 2.5 दर्ज की गई है। शोधकर्ताओं का मानना है कि वर्ष 2050 तक इस दर में और अधिक गिरावट आएगी।
- अध्ययन के अनुसार बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपींस जैसे देशों में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन का मुख्य कारण बाहरी पलायन है।
- हालाँकि रिपोर्ट में इस बात को भी स्पष्ट किया गया है कि विश्व जनसंख्या की वृद्धि दर 2 साल व्यक्त किये गए पूर्वानुमान से कम होगी। ज्ञातव्य है कि UN ने 2 साल पहले वर्ष 2017 में भी ऐसी ही एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें यह दावा किया गया था कि वर्ष 2050 में विश्व की कुल जनसंख्या 7.7 बिलियन होगी और वर्ष 2100 में 11.2 बिलियन।

संयुक्त राष्ट्र (United Nations - UN)

- संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1945 में की गई थी।
- अपने आरंभिक दौर में संयुक्त राष्ट्र के केवल 51 सदस्य देश थे लेकिन आज 193 देश इसके सदस्य बन चुके हैं।
- संयुक्त राष्ट्र के कार्य इसके चार्टर में तय किये गए हैं। लेकिन इसका मुख्य कार्य दुनियाभर में शांति बनाए रखना और विश्व के विकास के प्रयास करना है।
- संयुक्त राष्ट्र में अलग-अलग काउंसिल जैसे- सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल बने हुए हैं जो अलग-अलग कार्यों को देखते हैं।
- इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। इसके अलावा इसके मुख्य ऑफिस जिनेवा, नैरोबी और वियना में भी है।

ओडिशा का बाढ़ अनुमान एटलस

चर्चा में क्यों ?

ओडिशा के मुख्यमंत्री ने राज्य में बाढ़ की स्थितियों के बेहतर प्रबंधन के लिये एक एटलस लॉन्च किया है। इस एटलस के जरिये राज्य में बाढ़ प्रबंधन हेतु एक नई रूपरेखा तैयार करने में मदद मिलेगी।

प्रमुख बिंदु

- यह एटलस नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (National Remote Sensing Centre-NRSC) हैदराबाद और ओडिशा राज्य विकास आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Odisha State Development Disaster Management Authority-OSDMA) द्वारा तैयार किया गया है।
- नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC) हैदराबाद ; यह रिमोट सेंसिंग, उपग्रह डेटा अधिग्रहण और प्रसंस्करण, डेटा प्रसार, हवाई रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन में सहायता के लिये जिम्मेदार है। यह संस्थान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के तत्वावधान में कार्य करता है।
- यह एटलस राज्य में वर्ष 2000 से 2018 के बीच बाढ़ के आँकड़ों के विश्लेषण के आधार पर तैयार किया गया है। क्षेत्रवार बाढ़ की प्रवणता को विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। राज्य में लगभग 14 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि बाढ़ से प्रभावित होती है।
- इस वर्ष मानसून के दौरान भारतीय मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार बाढ़ की पुनरावृत्ति की संभावना है।
- उल्लेखनीय है कि 2018-19 के दौरान ओडिशा ने दो चक्रवातों तितली और फणि सहित कई प्राकृतिक आपदाओं को झेला है।

ओडिशा के अत्यधिक बाढ़ प्रवण होने के कारण

- राज्य में उष्णकटिबंधीय जलवायु पायी जाती है जिसकी विशेषता उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता, मध्यम से अधिक वर्षा और कम हल्की सर्दियाँ होती है।
- ओडिशा के समुद्री तट की लंबाई 482 किमी. है जो राज्य को बाढ़, चक्रवात तथा तूफान के प्रति संवेदनशील बनाती है और साथ ही मानसून के दौरान भारी वर्षा से नदियों में बाढ़ आ जाती है।

- झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे पड़ोसी राज्यों की नदियों का प्रवाह भी बाढ़ में योगदान देता है।
- खराब जल निकासी, नदियों में गाद का उच्च स्तर, मिट्टी के कटाव, तटबंधों के टूटने और उन पर बाढ़ के पानी के फैलाव के साथ समतल तटीय प्रदेश इत्यादि के कारण नदी के बेसिन और डेल्टा क्षेत्रों में गंभीर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं। महानदी, सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, बैतरणी, रुशिकुल्या, वंशधारा और इनकी सहायक नदियाँ विशेष रूप से प्रभावित होती हैं।
- महानदी, ब्राह्मणी और बैतरनी नदियों का एक साझा डेल्टा होने कारण यहाँ जल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, फलस्वरूप बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। उच्च ज्वार के समय यह समस्या और भी विकट हो जाती है।
- तटीय क्षेत्रों में तूफान आने की संभावना अक्सर बनी रहती है और ज्वार-भाटा उत्पन्न करने वाले तूफान आमतौर पर भारी वर्षा के साथ आते हैं, जिससे तटीय प्रदेश बाढ़ और तूफान दोनों की चपेट में आ जाते हैं। अंततः स्थिति अत्याधिक भयावह हो जाती है।

बाढ़ से निपटने के लिये किये गये प्रयास:

- भारत ने आपदा प्रबंधन के लिये सेंदाई कार्ययोजना (Sendai framework) का अनुसमर्थन किया है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) का गठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा (3) की उपधारा (1) के तहत किया गया है। NDMA , प्रधान मंत्री के नेतृत्व में देश में आपदा प्रबंधन के लिये शीर्ष निकाय है, जो भारत में आपदा प्रबंधन के साथ नीतियों और कार्यक्रमों का भी समन्वय करता है। इसके प्रतिनिधि संस्थान के रूप में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (national Executive Committee -NEC) कार्य करती है।
- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (State Disaster Management Authority- SDMA) का गठन प्रत्येक राज्य द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 14 की उपधारा (1) और (2) के तहत किया गया है। राज्य स्तर पर इसके क्रियान्वयन के लिये राज्य कार्यकारी समिति(State Executive Committee- SEC) का गठन किया है।
- राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिये जिम्मेदार होता है।
- ओडिशा राज्य आपदा विकास प्रबंधन प्राधिकरण (OSDMA) ओडिशा सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है, जो आपदा प्रबंधन की त्वरित कार्यवाही के जिम्मेदार है। इसके साथ ही जिला, ब्लाक और ग्राम स्तर पर समन्वित कार्य योजना का भी प्रबंध किया गया है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) का गठन प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के लिये विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य से किया गया है।
- आपदा के दौरान और पश्चात् तीव्र पुनर्निर्माण के लिये ओडिशा आपदा त्वरित कार्यवाही बल (Odisha Disaster Rapid Action Force -ODRAF) की स्थापना की गई है।
- तीव्र सूचना के लिये आपातकालीन संचालन केंद्र (Emergency Operation Centre) की स्थापना की गई है।
- आगे की राह
- बड़े स्तर पर वनीकरण को प्रोत्साहित करना और अन्तःस्पंदन (infiltration) को बढ़ाना।
- नदियों के पानी को प्रबंधित करने के लिये चैनलों का निर्माण किया जाए साथ ही नहरों के माध्यम से भी पानी की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है।
- नदियों के गाद को साफ़ किया जाए। इसके लिये यमुना की असिता परियोजना से प्रेरणा ली जा सकती है।
- जल संभरण कार्यक्रमों को मजबूती प्रदान की जाए साथ ही इसकी उपयोगिता के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए।
- NDRF और SDRF की कौशल क्षमता का संवर्द्धन किया जाए और स्थानीय लोगों से संवाद और संपर्क को बढ़ावा दिया जाए।
- बांध सुरक्षा और प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाए साथ ही इसकी नियमित जाँच की जानी चाहिये।
- स्थानीय स्कूलों और पंचायत के माध्यम से लोगों को आवश्यक जानकारी और स्व-प्रबंधन के कौशल प्रदान किये जाएँ।

केरल का जलवायु अनुकूलता कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार, केरल सरकार और विश्व बैंक ने 'प्रथम केरल अनुकूलता कार्यक्रम' के लिये 250 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति राज्य की अनुकूलता को बढ़ाना है।

कार्यक्रम के प्रमुख बिंदु:

- केरल में वर्ष 2018 में आए बाढ़ और भूस्खलन की आपदा ने संपत्ति, बुनियादी ढाँचे और लोगों के जीवन तथा आजीविका पर गंभीर प्रभाव डाला। राज्य में लगभग 5.4 मिलियन लोग इससे प्रभावित हुए और 1.4 मिलियन लोग अपने घरों से विस्थापित हुए।
- यह कार्यक्रम समावेशन और सहभागिता के माध्यम से गरीब तथा कमजोर समूहों की संपत्ति एवं आजीविका की रक्षा के लिये राज्य की संस्थागत व वित्तीय क्षमता को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह साझेदारी विकास के प्रभाव को अधिकतम करने के लिये नीतिगत और संस्थागत क्षेत्रों की पहचान भी करेगा।
- विश्व बैंक, भारत सरकार और केरल सरकार के साथ अगस्त 2018 में आई बाढ़ के बाद से ही मिलकर काम कर रहा है। विश्व बैंक बाढ़ प्रभाव का आकलन करने, पुनर्निर्माण, आपदा जोखिमों और जलवायु परिवर्तन के लिये नीतियों, संस्थानों तथा प्रणालियों की पहचान में भी सहायता कर रहा है।
- **कार्यक्रम के मुख्य बिंदु:**
 - ◆ बेहतर नदी बेसिन प्रबंधन और जल अवसंरचना संचालन प्रबंधन, जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाएँ।
 - ◆ सतत और जलवायु अनुकूल कृषि तथा कृषि बीमा को मजबूत करना।
 - ◆ मुख्य सड़कों के नेटवर्क को मजबूत करना।
 - ◆ उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में एकीकृत और अधिक अद्यतित भूमि रिकॉर्ड।
 - ◆ जोखिम आधारित शहरी योजना और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा व्यय योजना को मजबूत करना।
 - ◆ राज्य की राजकोषीय और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन क्षमता को मजबूत करना।

सामाजिक मुद्दे

उच्च शिक्षा नीति में पुनर्गठन का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के पुनर्गठन हेतु मसौदा नीति प्रस्तुत की है।

प्रमुख बिंदु

- ◆ यह मसौदा नीति वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन के नेतृत्व वाली समिति द्वारा तैयार की गई है। इसके तहत शिक्षा के अधिकार अधिनियम (Right To Education- RTE Act) के दायरे को विस्तृत करने का प्रयास किया गया है, साथ ही स्नातक पाठ्यक्रमों को भी संशोधित किया गया है।
- ◆ इस मसौदा नीति में लिबरल आर्ट्स साइंस एजुकेशन (Liberal Arts Science Education- LASE) के चार वर्षीय कार्यक्रम को फिर से शुरू करने तथा कई कार्यक्रमों के हटाने के विकल्प (exit options) के साथ-साथ एम. फिल. प्रोग्राम को रद्द करने का भी प्रस्ताव किया गया है।
- ◆ इस मसौदा नीति के अनुसार, पी.एच.डी. करने के लिये या तो मास्टर डिग्री या चार साल की स्नातक डिग्री को अनिवार्य किया गया है।
- ◆ नए पाठ्यक्रम में 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को कवर करने के लिये 5+3+3+4 डिजाइन (आयु वर्ग 3-8 वर्ष, 8-11 वर्ष, 11-14 वर्ष और 14-18 वर्ष) तैयार किया गया है जिसमें प्रारंभिक शिक्षा से लेकर स्कूली पाठ्यक्रम तक शिक्षण शास्त्र के पुनर्गठन के भाग के रूप में समावेशन के लिये नीति तैयार की गई है।
- उल्लेखनीय है की नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने का एनडीए सरकार का यह दूसरा प्रयास है।
- पहली बार TSR सुब्रमण्यम के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई थी जिसने वर्ष 2016 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
- यह मसौदा नीति धारा 12 (1) (सी) (निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिये अनिवार्य 25 प्रतिशत आरक्षण का दुरुपयोग किया जाना) की भी समीक्षा करती है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।

रिपोर्ट की अन्य प्रमुख सिफारिशें

- विदेशों में भारतीय संस्थानों की संख्या में वृद्धि करने के साथ-साथ दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों को भारत में अपनी शाखाएँ स्थापित करने की अनुमति देना। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना है।
- स्कूली शिक्षा के लिये एक एकल स्वतंत्र नियामक 'राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण' (State School Regulatory Authority- SSRA) और उच्च शिक्षा के लिये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक प्राधिकरण (National Higher Education Regulatory Authority) स्थापित किया जाएगा।
- निजी स्कूल अपनी फीस निर्धारित करने के लिये स्वतंत्र हैं, लेकिन वे मनमाने तरीके से स्कूल की फीस में वृद्धि नहीं करेंगे। 'राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण' द्वारा प्रत्येक तीन साल की अवधि के लिये इसका निर्धारण किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक नए शीर्ष निकाय 'राष्ट्रीय शिक्षा आयोग' की स्थापना की जाएगी जो सतत् आधार पर शिक्षा के विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन और शिक्षा के उपयुक्त दृष्टिकोण को लागू करने के लिये उत्तरदायी होगा।
- स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिये गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा के लिये प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणालियों के योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा।
- सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को तीन श्रेणियों में पुनर्गठित किया गया है-
- टाइप 1: विश्व स्तरीय अनुसंधान और उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

- टाइप 2: अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान के साथ विषयों में उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- टाइप 3: उच्च गुणवत्ता वाला शिक्षण स्नातक शिक्षा पर केंद्रित है।
- इसका संचालन दो मिशनों के तहत किया जाएगा - मिशन नालंदा और मिशन तक्षशिला।

स्तन कैंसर के इलाज में बड़ी उपलब्धि

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में टेक्सास विश्वविद्यालय के एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर (University of Texas MD Anderson Cancer Center) के शोधकर्ताओं के एक समूह ने राइबोसिक्लिब (Ribociclib) नामक दवा पर एक अध्ययन किया। यह दवा स्तन कैंसर से पीड़ित महिलाओं (अपेक्षाकृत युवा महिलाओं) की हार्मोन थेरेपी में काफी उपयोगी मानी जा रही है।

- इस अध्ययन में 40-50 वर्ष की महिलाओं को शामिल किया गया जो हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव (Hormone Receptor-Positive/ HR+) स्तन कैंसर और ह्यूमन एपिडर्मल रिसेप्टर 2 नेगेटिव (Human Epidermal Receptor 2-Negative/ HER2-') बीमारी से पीड़ित थी।
- HR+कैंसर में ट्यूमर शामिल होता है जो हार्मोन को अवरुद्ध करने के उद्देश्य से एंटी-एस्ट्रोजन (अंतःस्त्रावी) के उपचार के लिये ग्राह्य होते हैं जबकि 'HER2-' का अर्थ है कि रोगी में इस नाम के प्रोटीन की कमी हो जाती है।

अध्ययन का निष्कर्ष

- हाल के दशकों में महिलाओं में स्तन कैंसर के मामलों में भारी वृद्धि हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा आक्रामक वृद्धि कम उम्र की महिलाओं में देखने को मिली है।
- भारत में महत्त्व
 - ◆ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में लगभग 35% रोगियों में 'HR+' स्तन कैंसर और 'HER2-' बीमारी का निदान किया जाता है जिनकी उम्र 40 वर्ष से भी कम है।
- भारत में स्थिति
 - ◆ प्रत्येक 28 भारतीय महिलाओं में से एक (शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक 22 महिलाओं में से 1, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक 60 महिलाओं में से 1) में स्तन कैंसर विकसित होने की संभावना है।
 - ◆ विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, महिलाओं में सबसे अधिक स्तन कैंसर की समस्या सामने आती है, प्रत्येक वर्ष 2.1 मिलियन महिलाएँ स्तन कैंसर से प्रभावित होती हैं।
 - ◆ वर्ष 2018 में 6,27,000 (15%) महिलाओं की स्तन कैंसर से मृत्यु हुई।
 - ◆ भारत में महिलाओं में सभी प्रकार के कैंसर में से स्तन कैंसर का प्रतिशत 14% है।
 - ◆ भारत में कैंसर के दवा की स्वीकार्यता
- भारत में खाद्य और औषधि प्रशासन (Food and Drug Administration) ने वर्ष 2017 में इस दवा को पोस्टमैनोपॉज़ल महिलाओं के इलाज के लिये अनुमोदित किया था। वर्ष 2018 में कम उम्र की महिलाओं के लिये भी इस दवा के इस्तेमाल को स्वीकार्यता दे दी गई। तब से कई निजी अस्पतालों में इसका उपयोग किया जा रहा है।
- हालाँकि यह दवा सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है। लेकिन उक्त परीक्षण के सकारात्मक परिणाम से अब सरकारी अस्पतालों में यह उपलब्ध हो सकेगी।
- वर्तमान में 'HR+' स्तन कैंसर और 'HER2-' बीमारी से पीड़ित महिलाओं के लिये तीन प्रकार की दवाएँ उपलब्ध हैं: CDK4/6-राइबोसिक्लिब (Ribociclib), पैलोबिक्लिब (Palbociclib) और अबेमासिक्लिब (Abemaciclib)।

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA)

- हाल ही में एनपीपीए द्वारा डीपीसीओ [Drugs (Prices Control) Order –DPCO], 2013 के तहत अनुसूची एक में निहित आवश्यक दवाओं के अधिकतम मूल्य वाले प्रावधान को संशोधित किया गया है।
- उन दवाओं के संदर्भ में जो कि कीमत नियंत्रण के अधीन नहीं हैं, निर्माताओं को अधिकतम खुदरा मूल्य 10% सालाना बढ़ाने की अनुमति दी गई है।
- NPPA भारत सरकार का एक संगठन है जिसे थोक दवाओं और फॉर्मूलों की कीमतों को व्यवस्थित करने/संशोधित करने और दवा (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के तहत देश में दवाइयों की कीमतों और इनकी उपलब्धता को बनाए रखने के लिये स्थापित किया गया था।

प्रमुख कार्य

- इसका कार्य दवा (मूल्य नियंत्रण) आदेश के प्रावधानों को कार्यान्वित करना और उन्हें लागू करना है।
- प्राधिकरण के निर्णय से उत्पन्न सभी कानूनी मामलों का निपटान करना।
- दवाओं की उपलब्धता पर नज़र रखना, दवाओं की कमी की स्थिति का अवलोकन करना तथा आवश्यक कदम उठाना। थोक दवाओं और फॉर्मूलों के उत्पादन, निर्यात और आयात, कंपनियों की बाज़ार में हिस्सेदारी, मुनाफे आदि के संबंध में आँकड़ों को एकत्रित करना/व्यवस्थित करना।
- दवाओं/फार्मास्यूटिकल्स के मूल्य निर्धारण के संबंध में संबंधित अध्ययनों को आयोजित करना।
- सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य सदस्यों की भर्ती/नियुक्ति करना।
- दवा नीति में परिवर्तन/संशोधन पर केंद्र सरकार को सलाह देना।
- नशीली दवाओं के मूल्य से संबंधित संसदीय मामलों में केंद्र सरकार को सहायता प्रदान करना।

अति उच्च लागत

- स्तन कैंसर के उपचार हेतु प्रयुक्त दवा अत्यंत महंगी होती है जिसका खर्च उठा पाना प्रत्येक रोगी के लिये संभव नहीं होता है। दवा की लागत लगभग 50,000-60,000 रुपए प्रति माह है जिसकी आवश्यकता अलग अलग रोगियों में अलग अलग होती है।
- हाल ही में नेशनल फार्मास्यूटिकल एंड प्राइसिंग अथॉरिटी (National Pharmaceutical and Pricing Authority) ने विभिन्न प्रकार के कैंसरों के इलाज के लिये इस्तेमाल की जाने वाली 42 दवाओं की कीमतों में कटौती की है जिसमें राइबोसिल्लिब भी शामिल है।

दवा विनिर्माण कंपनियों को विभिन्न श्रेणियों से संबंधित रोगियों को आवश्यक दवा उपलब्ध कराने के उपायों के बारे में विचार करना चाहिये ताकि सभी के लिये कम कीमतों पर इनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के माध्यम से महंगी दवाओं तक सामान्य लोगों की पहुँच सुनिश्चित किये जाने का भी प्रयास किया जाना चाहिये।

गर्भावस्था में मधुमेह परीक्षण अनिवार्य

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जर्नल ऑफ द एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया (Journal of the Association of Physicians of India) में प्रकाशित एक लेख के अनुसार, प्रत्येक गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान अनिवार्य रूप से उच्च रक्त शर्करा (High Blood Glucose) की जाँच कराना आवश्यक है।

प्रमुख बिंदु

- गर्भ के विकास के प्रारंभिक चरण में ही यदि इस तरह की बीमारियों का पता चल जाता है तो गर्भवती महिलाओं में इनकी रोकथाम तथा मधुमेह या अन्य गैर-संचारी रोगों (Non-Communicable Diseases- NCD) से बचाव को सुनिश्चित किया जा सकता है।
- लेख का प्रमुख लक्ष्य भविष्य में गैर-संचारी रोग से पीड़ित संतानों में कमी लाना तथा नवजात शिशुओं के जन्म के दौरान उनके वजन को 2.5-3.5 किलोग्राम (उपयुक्त वजन) तक सुनिश्चित करना है।
- महिलाओं में प्रारंभिक निदान के तहत रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित किया जाना भी आवश्यक है।

इंट्रा-यूटेरिन अवधि (गर्भाशय काल) Intra-Uterine period

- गैर-संचारी रोगों की बढ़ती प्रवृत्ति के लिये कई कारक जिम्मेदार हैं जिनमें अंतर्गर्भाशयी (Intrauterine) प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसके बावजूद अंतर्गर्भाशयी प्रोग्रामिंग की अवधारणा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है जबकि सामान्यतः जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के लिये शरीर की संवेदनशीलता इंट्रा-यूटेराइन अवधि में संचालित हो जाती है।
- भ्रूण में ग्लूकोस की अधिक मात्रा के स्थानांतरण के लिये माँ में उच्च शर्करा की आवश्यकता होती है। अतः उच्च मात्रा में इंसुलिन स्रावित करने के लिये भ्रूण अग्नाशय की कोशिकाओं को उत्तेजित करता है जिससे ग्लूकोस का स्तर बढ़कर स्थिर हो जाता है
- जब मातृ ग्लूकोस का स्तर 110 mg/dl से अधिक होता है, तो एम्नियोटिक द्रव (Amniotic Fluid) में ग्लूकोस की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है।
- 20 सप्ताह के बाद भ्रूण एम्नियोटिक द्रव का उपयोग करने लगता है, साथ ही इंसुलिन के उत्पादन को प्रेरित करने लगता है।

गर्भकालीन मधुमेह की भारत में स्थिति

- भारत में अनुमानित 62 मिलियन लोग टाइप 2 मधुमेह (diabetes mellitus-DM) से ग्रस्त हैं, जिसकी संख्या वर्ष 2025 तक 79.4 मिलियन तक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

राष्ट्रीय दिशा-निर्देश

- स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भावस्था में हाइपरग्लाइसेमिया (Hyperglycaemia) के परीक्षण, निदान और प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय दिशा-निर्देश विकसित किये हैं।
- इनके अनुसार, पहली तिमाही के दौरान प्रारंभिक परीक्षण किया जाना चाहिये, यदि परीक्षण नकारात्मक रहता है तो 24-28 सप्ताह के बीच एक और परीक्षण किया जाना चाहिये।
- उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम को देश के अन्य हिस्सों से अलग अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। यहाँ उन्नत परीक्षण उपकरणों का उपयोग कर इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- वर्तमान में सभी गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण दुनिया भर में एक मानक बन गया है।

विकलांगता शिखर सम्मेलन, 2019'

चर्चा में क्यों ?

'विकलांगता शिखर सम्मेलन 2019' (Disability Summit, 2019) के द्वितीय संस्करण का आयोजन 6-8 जून, 2019 के बीच अर्जेन्टीना गणराज्य के ब्यूनस आयर्स शहर में किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- ◆ इस सम्मेलन में अर्जेन्टीना सरकार (Government of Argentina), इंटरनेशनल डिसएबिलिटी अलायंस (International Disability Alliance- IDA) और विकलांगों के गैर-सरकारी संगठनों के लैटिन अमेरिकी नेटवर्क तथा उनके परिवारों (Latin American Network of Non-Governmental Organizations of Persons with Disabilities and their Families-RIADIS) ने संयुक्त रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है।
- वर्ष 2018 में प्रथम 'वैश्विक विकलांगता शिखर सम्मेलन' का आयोजन लंदन में किया गया था।
- इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विकलांग लोगों के पूर्ण समावेशन को सुनिश्चित करना और उनके अधिकारों, स्वतंत्रता एवं मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करने के लिये लैटिन अमेरिका और विश्व की प्रतिबद्धता को मजबूती प्रदान करना है।
- इस शिखर सम्मेलन के माध्यम से सरकारों, विकलांग लोगों के संगठनों, नागरिक समाज संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसियों, शिक्षा और निजी क्षेत्र को एक साथ लाया जाएगा, ताकि विकलांग लोगों के लिये वास्तविक रूप में परिवर्तन पर कार्य किया जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता गठबंधन International Disability Alliance (IDA)

- अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता गठबंधन (IDA) विकलांग व्यक्तियों के आठ वैश्विक और छह क्षेत्रीय संगठनों का एक संघ है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी।
- यह संयुक्त राष्ट्र में विकलांग लोगों और उनसे संबंधित संगठनों के लिये अधिक समावेशी वैश्विक वातावरण का समर्थन करता है।
- विश्व स्तर पर IDA अपने सदस्य संगठनों के साथ मिलकर दुनिया भर में अनुमानित एक अरब विकलांग लोगों का प्रतिनिधित्व करता है।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities-UNCRPD)

- विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCRPD) एक स्वैच्छिक संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकॉल है। इसे 13 दिसंबर, 2006 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया।
- इस वैश्विक अभिसमय का मुख्य उद्देश्य विकलांगों के अधिकारों और उन्नति को बढ़ावा देना है, जो अन्य प्रासंगिक मानवाधिकारों एवं विकास साधनों के रूप में विश्व कार्यक्रम (1982), मानक नियम (1994) और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन (2006) के साथ-साथ एक व्यापक जनादेश के अंतर्गत आते हैं।
- भारत ने भी विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCRPD) पर हस्ताक्षर किये हैं, 1 अक्टूबर, 2007 को भारत ने इसकी पुष्टि की। फलस्वरूप यह अभिसमय 3 मई, 2008 को प्रभावी हुआ।
- भारत में 'विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2016' (The Rights of Persons with Disabilities Bill, 2016) पारित किया गया है।
- विकलांग व्यक्तियों के लिये अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस '3 दिसंबर' को मनाया जाता है।

ग्लोबल चाइल्डहुड रिपोर्ट 2019 और भारत

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सेव द चिल्ड्रेन (Save the Children) नामक गैर सरकारी संस्था (Global Non-Profit Organisation) ने ग्लोबल चाइल्डहुड रिपोर्ट (Global Childhood Report) जारी की है जिसमें वैश्विक स्तर पर बाल अधिकारों की स्थिति का मूल्यांकन करते हुए इस संबंध में उचित कदम उठाने की वकालत की गई है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- जारी रिपोर्ट का उद्देश्य संपूर्ण विश्व में बच्चों के लिये सुरक्षित और भय-मुक्त वातावरण का निर्माण कर उनके बाल-अधिकारों की रक्षा करना है।
- जारी रिपोर्ट के अनुसार 176 देशों की सूची में भारत 113वें स्थान पर रहा। भारत की स्थिति में लगातार सुधार जारी है लेकिन अभी भी बालिकाओं की स्थिति में सुधार हेतु बहुत कुछ किया जाना शेष है।
- वर्ल्ड चाइल्डहुड रिपोर्ट विभिन्न देशों के बच्चों और किशोरों (0-19 वर्ष) की स्थिति का मूल्यांकन आठ संकेतकों के आधार पर करती है जो इस प्रकार हैं-
 - ◆ पाँच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर
 - ◆ कुपोषण
 - ◆ अशिक्षा
 - ◆ बाल श्रम
 - ◆ बाल विवाह
 - ◆ किशोर अवस्था में बच्चों का जन्म
 - ◆ बाल हत्या
 - ◆ विस्थापन

- वर्ष 2000 और वर्ष 2019 के मध्य भारत ने अपने स्कोर अर्थात् अपने प्रदर्शन में सुधार किया। इस अवधि के दौरान भारत ने निर्धारित स्कोर (1000 के कुल मूल्यांकन स्कोर) को 632 से बढ़ाकर 769 कर लिया।
- वर्ष 2018 में भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार दर्ज करते हुए 172 देशों की सूची में 116वाँ रैंक प्राप्त किया था।
- वर्ष 2000 में दुनिया भर में अनुमानित 970 मिलियन बच्चे कथित आठ संकेतकों के कारण अपने बाल अधिकारों से वंचित थे।
- वर्ष 2019 में कथित संस्था द्वारा रेखांकित समस्याओं में 29% की गिरावट हुई जिसके कारण बाल-अधिकारों से पीड़ित बच्चों की संख्या 690 मिलियन पर सिमट गई।
- वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, सार्वजनिक निवेश में वृद्धि और वैश्विक स्तर पर हाशिये पर पड़े बच्चों हेतु स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षा सुनिश्चित करने के लिये लक्षित कार्यक्रमों के माध्यम से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।
- रिपोर्ट के अनुसार, बाल अधिकारों से संबंधित संवेदनशील मुद्दों को लेकर विभिन्न देशों की सरकारों को न्यूनतम वित्तीय सुरक्षा के एजेंडे को अपनाने की जरूरत है।
- रिपोर्ट में इस बात की ओर भी संकेत किया गया है कि बाल गरीबी को कम करने अथवा खत्म करने हेतु एक राष्ट्रीय कार्ययोजना की जरूरत के साथ ही इन योजनाओं की सफलता को मापने हेतु बजट एवं एक मज़बूत निगरानी तंत्र के निर्माण की आवश्यकता है। यह कदम गरीबी से होने वाली हानि और बाल सुधारों के बेहतर परिणामों को प्राप्त करने में मदद करेगा।

भारत और बाल स्वास्थ्य

- भारत में संक्रामक रोगों से पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु हो जाती है।
- रिपोर्ट के आँकड़ों के अनुसार, भारत ने पिछले दो दशकों में बाल मृत्यु दर में 55% की कमी की है।
- भारत में संक्रामक रोगों को बाल मृत्यु के लिये सर्वाधिक ज़िम्मेदार तत्त्व माना गया है, इसके बाद चोटों, मस्तिष्क ज्वर, खसरा और मलेरिया को शामिल किया गया है।
- बाल मृत्यु दर के मामले में भारत का प्रदर्शन केवल पाकिस्तान (74.9%) से बेहतर पाया गया। इस संबंध में भारत अपने अन्य पड़ोसी देशों जैसे- श्रीलंका, चीन, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश से पीछे रहा।
- वर्ष 2000 से वर्ष 2019 के बीच वैश्विक स्तर पर नाटे कद के बच्चों की संख्या में 25% की कमी का ट्रेंड देखा गया, इस गिरावट को पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में देखा गया। रिपोर्ट के अनुसार, 50% से अधिक की गिरावट अकेले चीन और भारत में पाई गई।
- रिपोर्ट में दिये गए आँकड़ों के अनुसार, अपने बच्चों को मुफ्त सार्वभौमिक शिक्षा देने के बावजूद, 20.2% (8-16 वर्ष की आयु वाले) बच्चे अभी तक स्कूल जाने के अपने अधिकार से वंचित हैं। इस संबंध में अपने पड़ोसियों की तुलना में भारत केवल पाकिस्तान (40.8%) से बेहतर स्थिति में है जबकि श्रीलंका (6.4%), नेपाल (13.8%), बांग्लादेश (17.4%), भूटान (19.1%) और चीन (7.6%) ने भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है।
- वर्ष 1978 में भारत ने लड़कियों के लिये विवाह की न्यूनतम आयु 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष और लड़कों के लिये 18 वर्ष से बढ़ाकर वर्ष 21 कर दी थी। पिछले दो दशकों में भारत ने बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 जैसे कानूनों के माध्यम से बाल विवाह पर अंकुश लगाने का कार्य किया है और किशोरियों के सशक्तीकरण के लिये विभिन्न योजनाओं जैसे- किशोरी शक्ति योजना (सबला) और किशोरियों के लिये पोषण कार्यक्रम का संचालन भी किया है।
- वर्तमान में भारत में प्रत्येक पाँच में से 1 बच्चा अभी भी स्कूली शिक्षा से वंचित है।
- रिपोर्ट में इस गिरावट का कारण कमजोर आर्थिक विकास, लड़कियों की शिक्षा की बढ़ती दरों और सरकार द्वारा सक्रिय निवेश को ज़िम्मेदार ठहराया है।
- इसके अतिरिक्त नारी हेतु परामर्श, यौन, प्रजनन और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, व्यावसायिक प्रशिक्षण सशक्तीकरण और लड़कियों के लिये जीवन-कौशल विकास भी इस गिरावट के महत्वपूर्ण कारक रहे हैं।
- रिपोर्ट में बालिकाओं को शिक्षित करने के लिये सशर्त नकद हस्तांतरण जैसी योजनाओं को बाल विवाह कम करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर रेखांकित किया गया है।
- भारत ने वर्ष 2000 के बाद से किशोर उम्र में बच्चों को जन्म देने की दर में 63% तक की कमी कर एक बड़ी कामयाबी को प्राप्त किया है। परिणामस्वरूप वर्तमान में भारत में 2 मिलियन से कम युवा माताएँ हैं।
- भारत ने वर्ष 2000 से वर्ष 2018 के मध्य बाल विवाह में अप्रत्याशित सफलता दर्ज करते हुए 51% की कमी को हासिल किया।

सेव द चिल्ड्रेन संस्था

- वर्ष 1919 में स्थापित सेव द चिल्ड्रेन संस्था अंतराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) है।
- यह संस्था बाल अधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध है।
- कथित संस्था प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन जीने को मजबूर बच्चों के लिये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएँ और बाल अपराध के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने हेतु भारत के सुदूर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कार्यक्रम संचालित करती है।
- वर्ष 2008 से भारत में अपने कार्य की शुरुआत करते हुए इस संस्था ने दिसम्बर 2018 तक, भारत के 19 राज्यों में अपनी पहुँच बनाते हुए तक़रीबन 12.03 लाख बच्चों के जीवन में बदलाव को रेखांकित किया
- वर्तमान में सेव द चिल्ड्रेन संस्था 80 से अधिक देशों के उन क्षेत्रों के लिये अपनी सेवाएँ दे रही है जहाँ पर बच्चे सर्वाधिक दयनीय व अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करने के लिये मजबूर हैं।

यौन उन्मुखीकरण और लैंगिक पहचान: यूनेस्को

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में यूनेस्को द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार, देश भर में छात्रों की उनके यौन उन्मुखीकरण और लैंगिक पहचान (Sexual Orientation and Gender Identity-SOGI) के कारण Bullying (बच्चों का एक-दूसरे को सताना) की जाती है, जिसके कारण बहुत से छात्र स्कूल छोड़ देते हैं।

- उल्लेखनीय है कि यूनेस्को के नई दिल्ली कार्यालय ने चेन्नई में पुरुषों के यौन स्वास्थ्य के लिये एक पहल 'सहोदरग' (Sahodaran- जो यौन उन्मुखीकरण और लैंगिक पहचान पर एक समुदाय पर आधारित है) के साथ मिलकर एक अध्ययन किया।

प्रमुख बिंदु

- हाल में चेन्नई में 'LGBTIQA +' (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex, Queer/ Questioning, Asexual and many other terms) लोगों के एक सर्वव्यापी सामूहिक कार्यक्रम 'ओरिनम (Orinam)' की 15वीं वर्षगाँठ के अवसर पर एक छात्र ने स्पष्ट किया कि स्कूलों में यौन उन्मुखीकरण और लैंगिक पहचान के संबंध में सहपाठियों के साथ-साथ शिक्षकों द्वारा भी छात्रों को डराया धमकाया जाता है तथा विभिन्न प्रकार की यातनाएँ दी जाती हैं।
- इस अध्ययन को 18-22 आयु वर्ग के 371 लोगों के बीच ट्रांसजेंडर (Transgender) समुदायों पर किया गया था।

LGBTIQA +

(lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, queer/questioning, asexual and many other terms)

'LGBTIQA +' एक उभरता हुआ संक्षिप्त नाम है जिसे समलैंगिक (पुरुष/महिला), उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, क्वीर/पूछताछ, अलैंगिक और कई अन्य शब्दों (जैसे नॉन-बाइनरी और पैनसेक्सुअल) के लिये जाना जाता है और इस नाम का इस्तेमाल लोग अपने लैंगिक अनुभवों जैसे- लैंगिकता, सेक्स प्रक्रिया की विशेषताओं को बताने के लिये उपयोग करते हैं।

परिणाम

- अध्ययन के अनुसार, 60% बच्चे माध्यमिक/उच्च विद्यालय के दौरान तथा 50% बच्चे उच्च माध्यमिक विद्यालय के दौरान Bullying (बच्चों का एक-दूसरे को सताना) के शिकार पाए गए।
- प्राथमिक विद्यालय के दौरान लगभग 40% बच्चों का यौन उत्पीड़न किया गया।
- 18% बच्चों ने स्कूल प्राधिकारियों को अपने SOGI आधारित Bullying की जानकारी दी।
- जो लोग Bullying से प्रताड़ित हैं, उनमें से 53% ने बताया कि स्कूल प्राधिकारियों ने उस व्यक्ति के खिलाफ थोड़ी बहुत कार्रवाई की, जिसने उन्हें प्रताड़ित किया था।
- SOGI आधारित हिंसा के परिणाम

- SOGI के आधार पर होने वाली हिंसा के निम्नलिखित परिणाम सामने आए हैं-
- 73% ने अपने साथियों के साथ सामाजिक संपर्क को कम कर दिया।
- 70% चिंता और अवसाद से पीड़ित पाए गए।
- 53% बच्चों द्वारा कक्षाएँ छोड़ दिये जाने की जानकारी प्राप्त हुई।
- बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर में होने वाली वृद्धि में Bullying ने महत्वपूर्ण भूमिका (लगभग एक-तिहाई- 33.2% भाग) निभाई है।

SOGI आधारित हिंसा को कम करने की पहल

- यूजीसी (यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन) ने SOGI को वर्ष 2016 में रैंकिंग के आधार के रूप में मान्यता दी।
- द्विभाषी नियमावली, 'ए टीचर गाइड टू जेंडर नॉन-कन्फर्मिंग स्टूडेंट्स', (जो यौन अभिविन्यास के बारे में जानकारी देती है, जैसे- लिंग पहचान क्या है, कुछ बच्चे दूसरों से अलग क्यों हैं, आदि) के बारे में कुछ जानकारी तमिलनाडु के स्कूलों में मुफ्त में दी जाती है।

भूख से निपटने में पंजाब और केरल सबसे आगे

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जारी नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में कुछ राज्यों को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में भुखमरी की स्थिति अत्यंत गंभीर है।

प्रमुख बिंदु

- संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक भुखमरी को समाप्त करने की समय-सीमा वर्ष 2030 निर्धारित की है जिसमें भारत एक बड़ी भूमिका में है क्योंकि यहाँ की एक बड़ी जनसंख्या भुखमरी से पीड़ित है।
- संयुक्त राष्ट्र के इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिये भारत द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन अधिकांश राज्यों का प्रदर्शन आशानुरूप नहीं है।
- मात्र पाँच ऐसे राज्य हैं जो कि भूख की समस्या से निपटने के लिये सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। ये पाँच राज्य हैं- पंजाब, केरल, गोवा, मिज़ोरम और नगालैंड।
- वहीं झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मेघालय तथा राजस्थान में यह समस्या लगातार बनी हुई है।
- भूख की समस्या से निजात पाने में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, तमिलनाडु और कर्नाटक समेत कई राज्यों का प्रदर्शन ठीक-ठाक है।
- भुखमरी खत्म करने में राज्य सरकारें विफल रही हैं, इस विफलता का एक प्रमुख कारण राज्यों और देश की आबादी को माना जा रहा है।

2030 तक का लक्ष्य

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत् विकास लक्ष्य के अनुसार, वर्ष 2030 तक एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या को कम करके 23.57% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि भारत इस लक्ष्य से काफी दूर है और 50.30 प्रतिशत तक ही पहुँच पाया है। झारखंड, बिहार, हरियाणा, त्रिपुरा और मेघालय ऐसे राज्य हैं जहाँ महिलाओं में एनीमिया की समस्या सर्वाधिक है।

राज्य	महिलाओं में एनीमिया का प्रतिशत
झारखंड	62.6
बिहार	58.3
हरियाणा	55.0
त्रिपुरा	54.4
मेघालय	53.1

- पाँच साल तक के बच्चों के विकास के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21.03 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जबकि भारत अब तक महज 38.40 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर पाया है। बच्चों में स्टंटिंग (WHO मानकों के अनुसार उम्र की तुलना में लंबाई कम होना) की सर्वाधिक समस्या वाले राज्य इस प्रकार हैं-

राज्य	बच्चों में स्टंटिंग का प्रतिशत
बिहार	48.3
उत्तर प्रदेश	46.3
झारखंड	45.3
मेघालय	43.8
मध्य प्रदेश	42.0

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रभावशीलता

(सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 5 राज्य)

राज्य	सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रभावशीलता का प्रतिशत
केरल	0.74
आंध्र प्रदेश	0.77
तमिलनाडु	0.80
तेलंगाना	0.81
बंगाल	0.90

खाद्य उत्पादन में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य

राज्य	धान, गेहूँ, मोटे अनाज आदि का प्रति हेक्टेयर वार्षिक उत्पादन (किग्रा. में)
महाराष्ट्र	1,069.6
छत्तीसगढ़	1469.2
मणिपुर	1485.1
ओडिशा	1485.2
सिक्किम	1507.9

सतत विकास लक्ष्य -2 (शून्य भूख) Sustainable Development Goal-2 (Zero Hunger)

- सतत विकास लक्ष्य 2 वर्ष 2030 तक भूख के सभी रूपों को समाप्त करने और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिये स्थायी समाधान का प्रावधान करने से संबंधित है।
- इस उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर किसी के पास स्वस्थ जीवन जीने के लिये प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध हो।

नोट :

लक्ष्य-2 नीचे दिये गए अन्य लक्ष्यों से भी संबंधित है-

भुखमरी को कम करने के संदर्भ में भारत सरकार की पहल

- राष्ट्रीय पोषण रणनीति (National Nutrition Strategy) का उद्देश्य भारत में कुपोषण के मामलों में कमी लाना है। राष्ट्रीय पोषण मिशन बच्चों के विकास की निगरानी करने के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रदान किये जाने वाले खाद्य राशियों की चोरी की भी जाँच करता है।
- 2017-18 में शुरू किये गए पोषण अभियान (POSHAN Abhiyaan) का उद्देश्य विभिन्न कार्यक्रमों के बीच तालमेल और अभिसरण के माध्यम से स्टंटिंग, कुपोषण, एनीमिया और जन्म के समय शिशुओं में कम वजन की समस्या को कम करना, बेहतर निगरानी और बेहतर सामुदायिक सहयोग स्थापित करना है।
- अंत्योदय अन्न योजना (Antoydaya Anna Yojana-AAAY) का उद्देश्य गरीब परिवारों को रियायती मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराना है।
- एकीकृत बाल विकास योजना (Integrated Child Development Scheme-ICDS): 0-6 वर्ष की आयु, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों में बच्चों पर ध्यान केंद्रित करके बचपन की व्यापक देखभाल और विकास की परिकल्पना करती है।
- मध्याह्न भोजन योजना (Mid-day Meal-MDM) का उद्देश्य स्कूली बच्चों के बीच पोषण स्तर में सुधार करना है जिसका स्कूलों में नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति पर सीधा तथा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana-PMMVY) के तहत, गर्भवती महिलाओं के बैंक खातों में 6,000 रुपए सीधे हस्तांतरित किये जाते हैं ताकि वे प्रसव हेतु बेहतर सुविधाओं का लाभ उठा सकें।
- कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Agriculture Extension and Technology) किसानों के लिये उपयुक्त तकनीकों और उन्नत कृषि अभ्यासों के वितरण को सक्षम बनाता है।
- सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Sustainable Agriculture) एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (National Food Security Mission) का उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) का उद्देश्य जल-उपयोग दक्षता में सुधार करना है।

निपाह वायरस और फ्रूट बैट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केरल में फ्रूट बैट (Fruit Bat)/(एक प्रकार का चमगादड़) की पहचान घातक निपाह वायरस (Nipah Virus) के वाहक के रूप में की गई है।

'फ्रूट बैट' क्या है ?

- 'फ्रूट बैट' कीटभक्षी चमगादड़ से अलग होते हैं। आहार के लिये ये फलों पर निर्भर रहते हैं। फलों का पता लगाने के लिये ये सूँघने की क्षमता का उपयोग करते हैं, जबकि कीटभक्षी चमगादड़ प्रतिध्वनि (Echo) की सहायता से अपने शिकार का पता लगाते हैं।
- 'फ्रूट बैट' टेरोपोडीडेई परिवार (Pteropodidae family) से संबंधित हैं जो निपाह वायरस के लिये प्राकृतिक वाहक (Natural Hosts) हैं।
- 'फ्रूट बैट' दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं और इन्हें फ्लाईंग फॉक्स (Flying Fox) भी कहा जाता है।

निपाह वायरस और फ्रूट बैट में संबंध

- निपाह वायरस, बैट/चमगादड़ के शरीर में (बिना किसी बीमारी के) मौजूद रहता है।
- बैट/चमगादड़ जैसे ही किसी स्तनधारी मनुष्य या सुअर के संपर्क में आता है, वैसे ही निपाह वायरस इनमें प्रवेश कर जाते हैं।
- भारतीय विषाणु विज्ञान संस्थान (National Institute of Virology) के अनुसार, इस वायरस का संक्रमण सर्वप्रथम टेरोपस प्रजाति (Pteropus species) के रूप में चिह्नित फ्रूट बैट से हुआ था।
- बांग्लादेश में इसके प्रकोप के दौरान शोधकर्ताओं ने इंडियन फ्लाईंग फॉक्स में निपाह के रोगप्रतिकारकों (Antibodies) का पता लगाया था।

नोट :

महत्त्व

- निपाह संक्रमण के वाहक/स्रोत की पहचान भविष्य में इसे फैलने से रोकने में मदद प्रदान करेगी।

चमगादड़ों से जुड़ी अन्य बीमारियाँ

- सभी चमगादड़ वायरस के वाहक हो सकते हैं जिनमें से कुछ जानलेवा/घातक भी होते हैं जो इस प्रकार हैं-
 - ◆ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (Severe Acute Respiratory Syndrome-SARS) प्रतिरक्षी/रोग प्रतिकारक (Antibodies) कीटभक्षी चमगादड़ (Insectivorous Bats) में पाए गए।
 - ◆ इबोला के प्रतिरक्षी 'हैमर हेडेड बैट' (Hammer-headed bat) में पाए गए।
 - ◆ इंडियन फ्लाईंग फॉक्स 50 से अधिक वायरस का वाहक है।
- पृथ्वी पर चमगादड़ों की लगभग 1200 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। संख्या के संदर्भ में कुल स्तनधारियों में इनकी भागीदारी लगभग 20 प्रतिशत है।
- लंबे समय तक उड़ने रहने से चमगादड़ के शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने और रोगाणुओं के रोगजनक प्रभाव से बचने में मदद करता है।

गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम/सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम/सार्स (Severe Acute Respiratory Syndrome- SARS)

- यह मनुष्यों में होने वाला एक वायरल श्वसन रोग है, जो सार्स कोरोना वायरस (SARS Corona virus) की वजह से होता है। यह अत्यंत गंभीर, निमोनिया का प्राणघातक प्रकार है।
- सार्स, वर्ष 2002 में दक्षिणी चीन के गुआंगडोंग प्रांत में पाया गया था।

क्या है निपाह ?

- हाल ही में केरल ने राज्य में निपाह वायरस के प्रकोप की पुष्टि की है।
- निपाह, एक वायरल संक्रमण है। इसका मुख्य लक्षण बुखार, खांसी, सिरदर्द, दिमाग में सूजन, उल्टी होना, साँस लेने में तकलीफ होना, आदि हैं।
- यह वायरस इंसानों के साथ-साथ जानवरों को भी अपनी चपेट में ले लेता है। यह आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँच जाता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, निपाह वायरस एक नई उभरती बीमारी है। इसे 'निपाह वायरस एन्सेफलाइटिस' भी कहा जाता है।
- निपाह वायरस एक तरह का दिमागी बुखार है। इसका संक्रमण तेजी से होता है। यह संक्रमण होने के 48 घंटे के भीतर व्यक्ति को कोमा में पहुँचा देता है।
- इसका कोई उपचार नहीं है और अब तक न ही इसका कोई टीका उपलब्ध है।
- वर्ष 1999 में पहली बार मलेशिया में निपाह वायरस की खोज की गई थी।
- भारत में इसका पहला मामला वर्ष 2001 में सिलीगुड़ी में सामने आया था।
- वायरस के प्राकृतिक वाहक फ्रूटबैट (Fruit bats) होते हैं, जो व्यापक रूप से दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में पाए जाते हैं।

बिहार में सार्वभौमिक वृद्धावस्था पेंशन लागू

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बिहार में एक नई योजना मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana) की शुरुआत की गई है। यह योजना सभी वृद्धजनों पर सार्वभौमिक रूप से (चाहे वे किसी भी आर्थिक, सामाजिक एवं जातिगत स्तर पर हों) लागू होगी।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के प्रत्येक पुरुष एवं महिला को प्रतिमाह 400 रुपए तथा 80 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के प्रत्येक पुरुष एवं महिला को 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन की राशि उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
- अन्य राज्यों में वृद्धावस्था पेंशन का लाभ सिर्फ BPL परिवार, एससी/एसटी, विधवा और विकलांग व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है।
- देश में बिहार को छोड़कर किसी अन्य राज्य में ऐसी कोई अनूठी योजना (Unique Scheme) नहीं है जहाँ सभी वृद्धों (चाहे वे किसी भी आर्थिक, सामाजिक एवं जातिगत स्तर पर हों) को पेंशन दी जाती है।
- इस योजना के तहत करीब 35 से 40 लाख लोगों को कवर किया जाएगा जिन्हें अभी तक किसी अन्य राज्य/ केंद्र सरकार की योजना में शामिल नहीं किया गया है।
- हालाँकि बिहार में लगभग 63 लाख लोगों (बीपीएल परिवारों, विधवाओं और विकलांगों) को राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत पहले से ही वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जा रही है।
- इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रतिवर्ष 1,800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च किया करेगी।

पेंशन से संबंधित केंद्र सरकार की योजनाएँ

- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (National Social Assistance Programme- NSAP) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक कल्याणकारी कार्यक्रम है। इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा बुजुर्गों को पेंशन प्रदान की जाती है।
- इस कार्यक्रम को ग्रामीण के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जा रहा है।

संवैधानिक प्रावधान

- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) संविधान के अनुच्छेद 42 और विशेष रूप से अनुच्छेद 41 में दिये गए नीति-निदेशक सिद्धांतों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है।
- अनुच्छेद 41 के अनुसार, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने, शिक्षा प्राप्त करने और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी एवं निःशक्तता तथा अन्य प्रकार के अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।
- अनुच्छेद 42 के अनुसार, राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिये तथा प्रसूति सहायता के लिये उपबंध करेगा।
- इस कार्यक्रम की शुरुआत पहली बार 15 अगस्त, 1995 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में की गई थी। वर्ष 2016 में इसे केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) की प्रमुखतम (Core of Core) योजनाओं में शामिल किया गया था।

वर्तमान में वर्ष 2019 में इसके पाँच घटक हैं:

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme-IGNOAPS) – इसकी शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी।
 2. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National Family Benefit Scheme-NFBS)- इसकी शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी।
 3. अन्नपूर्णा योजना (Annapurna Scheme- AS)- यह योजना वर्ष 2000 में शुरू की गई।
 4. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (Indira Gandhi National Widow Pension Scheme-IGNWPS)- यह 2009 में शुरू की गई।
 5. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (Indira Gandhi National Disability Pension Scheme-IGNDPS)- यह 2009 में शुरू की गई।
- राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (National Maternity Benefit Scheme-NMBS), NSAP का हिस्सा थी और बाद में इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया।

अवेयर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation- WHO) ने एक वैश्विक अभियान के तहत सभी देशों से अपने नए ऑनलाइन टूल अवेयर (AWARe) को अपनाने का आग्रह किया है।

- इसका उद्देश्य सुरक्षित रूप से और अधिक प्रभावी ढंग से एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करने के लिये नीति-निर्माताओं और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करना तथा प्रतिरोध के जोखिम वाली दवाओं को सीमित करना है।

प्रमुख बिंदु

- वर्तमान में एंटीबायोटिक दवाओं के सभी वर्गों द्वारा अनुपचारित संक्रमणों के उभरने से प्रतिसूक्ष्मजीवी प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance) 'एक अदृश्य महामारी' बन गया है।
- नई दवाओं के विकास की अनुपस्थिति में इन कीमती (अंतिम स्तर पर देने वाली) एंटीबायोटिक दवाओं को सुरक्षित करना वर्तमान समय की सबसे बड़ी जरूरत है ताकि गंभीर संक्रमणों का इलाज और रोकथाम सुनिश्चित किया जा सके।
- इस उपकरण को 'AWARe' के रूप में जाना जाता है, यह एंटीबायोटिक दवाओं को तीन समूहों में वर्गीकृत करता है:
 1. एक्सेस (Access) समूह- एंटीबायोटिक्स का उपयोग सबसे आम और गंभीर संक्रमणों के इलाज के लिये किया जाता है।
 2. निगरानी (Watch) समूह- स्वास्थ्य प्रणाली में एंटीबायोटिक्स की हर समय उपलब्धता।
 3. रिजर्व (Reserve) समूह- संयमपूर्वक उपयोग की जाने वाली अथवा संरक्षित दवाएँ जिनका प्रयोग केवल अंतिम उपयोग के रूप में किया जाता है।
- इस अभियान का लक्ष्य एक्सेस समूह के तहत एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग में 60 प्रतिशत की वृद्धि हासिल करना है इसके अंतर्गत सस्ती, 'संकीर्ण-स्पेक्ट्रम' दवाइयों को शामिल किया गया है जो कई के बजाय एक विशिष्ट सूक्ष्मजीव को लक्षित करती हैं और वाँच और रिजर्व समूहों से प्रतिरोध के जोखिम पर एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग में कमी लाएँ।
- एंटीमाइक्रोबियल रजिस्ट्रेंस वर्तमान समय के सबसे जरूरी स्वास्थ्य जोखिमों में से एक है।
- सभी देशों की जीवन-रक्षक एंटीबायोटिक दवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने और सबसे मुश्किल उपचार संक्रमणों के लिये कुछ एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को सीमित करके दवा प्रतिरोध को कम करने हेतु संतुलन स्थापित किया जाना चाहिये।
- ऐसी स्थिति में देशों 'AWARe' को अपनाना चाहिये क्योंकि यह एक मूल्यवान और व्यावहारिक उपकरण है।
- एक ब्रिटिश समीक्षा के अनुसार, एंटीबायोटिक प्रतिरोध पहले से ही सबसे बड़े स्वास्थ्य जोखिमों में से एक है इसके कारण वर्ष 2050 तक दुनिया भर में 50 मिलियन लोगों के मरने का अनुमान लगाया गया है।
- हाल ही में एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध पर अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समूह द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, कई देशों में 50 प्रतिशत से अधिक एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग अनुचित तरीके से किया जाता है, उदाहरण के लिये वायरस के इलाज हेतु बैक्टीरिया के संक्रमण या गलत एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है।
- इसके अलावा कई निम्न और मध्यम-आय वाले देशों में प्रभावी और उचित एंटीबायोटिक दवाओं तक कम पहुँच बाल मृत्यु अथवा बचपन में ही बच्चों की मृत्यु का प्रमुख कारक है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य (Public Health) को बढ़ावा देना है।
- इसकी स्थापना 7 अप्रैल, 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में अवस्थित है। डब्ल्यू.एच.ओ. संयुक्त राष्ट्र विकास समूह (United Nations Development Group) का सदस्य है। इसकी पूर्ववर्ती संस्था 'स्वास्थ्य संगठन' लीग ऑफ नेशंस की एजेंसी थी।

- यह दुनिया में स्वास्थ्य संबंधी मामलों में नेतृत्व प्रदान करने, स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंडा को आकार देने, नियम और मानक तय करने, प्रमाण आधारित नीतिगत विकल्प पेश करने, देशों को तकनीकी समर्थन प्रदान करने और स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी और आकलन करने के लिये जिम्मेदार है।
- यह आमतौर पर सदस्य देशों के साथ उनके स्वास्थ्य मंत्रालयों के जरिये जुड़कर काम करता है।

एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध

- आज से लगभग 88 वर्ष पहले कई बीमारियों से लड़ने के लिये चिकित्सा जगत में कोई कारगर दवा नहीं थी। लेकिन, एंटीबायोटिक के अविष्कार ने चिकित्सा जगत को एक मैजिक बुलेट थमा दी।
- 20वीं सदी के शुरुआत से पहले सामान्य और छोटी बीमारियों से भी छुटकारा पाने में महीनों लगते थे, लेकिन एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स (एंटीबायोटिक, एंटीफंगल, और एंटीवायरल दवाएँ) के इस्तेमाल से बीमारियों का त्वरित और सुविधाजनक इलाज होने लगा।
- एंटीबायोटिक समेत एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स का अत्याधिक सेवन स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होता है। एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स के अधिक और अनियमित प्रयोग से इसका प्रभाव धीरे-धीरे कम होता जाता है।
- विदित हो कि प्रत्येक व्यक्ति एक सीमित स्तर तक ही एंटीबायोटिक ले सकता है, इससे अधिक एंटीबायोटिक लेने से मानव शरीर एंटीबायोटिक के प्रति अक्रियाशील हो जाता है।
- प्रायः देखा जाता है कि वायरस के कारण होने वाली बीमारियों में भी लोग जानकारी के अभाव के चलते एंटीबायोटिक दवा लेने लगते हैं।
- किसी नए प्रकार के आक्रमण से बचाव के लिये एक अलग प्रकार का प्रतिरोध विकसित करना प्रत्येक जीव का स्वाभाविक गुण है और सूक्ष्मजीवियों के साथ भी यही हुआ है।
- गौरतलब है कि सूक्ष्मजीवियों को प्रतिरोध विकसित करने का अवसर उपलब्ध कराया है, एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स के अत्यधिक उपयोग ने।

मानव तस्करी एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग ने तस्करी पर वर्ष 2019 की ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स (Trafficking in Persons- TIP) रिपोर्ट जारी की जिसमें मानव तस्करी के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

- उल्लेखनीय है कि इस रिपोर्ट में भारत को तस्करी के पैमाने पर टियर 2 (Tier 2) में रखा गया है।

मानव तस्करी

संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार, किसी व्यक्ति को डराकर, बलपूर्वक या उससे दोषपूर्ण तरीके से काम लेना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना या बंधक बनाकर रखने जैसे कृत्य तस्करी की श्रेणी में आते हैं।

मानव तस्करी के कारण

- गरीबी और अशिक्षा (सबसे बड़ा कारण)
- मांग और आपूर्ति का सिद्धांत
- बंधुआ मजदूरी
- देह व्यापार
- सामाजिक असमानता
- क्षेत्रीय लैंगिक असंतुलन
- बेहतर जीवन की लालसा
- सामाजिक सुरक्षा की चिंता
- महानगरों में घरेलू कामों के लिये भी होती है लड़कियों की तस्करी
- चाइल्ड पोर्नोग्राफी (Child Pornography) के लिये भी होती है बच्चों की तस्करी

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट के अनुसार, विश्व भर में लगभग 25 मिलियन वयस्क तथा बच्चे श्रम एवं यौन तस्करी से पीड़ित हैं।
- वर्ष 2019 की तस्करी रिपोर्ट में तस्करी की राष्ट्रीय प्रकृति पर प्रकाश डाला गया है जिसके अनुसार 77% मामलों में पीड़ितों को उनके देश की सीमाओं से बाहर ले जाने के बजाय देश के अंदर ही उनकी तस्करी की जाती है।
- पश्चिमी और मध्य यूरोप, मध्य-पूर्व और कुछ पूर्व एशियाई देशों को छोड़कर दुनिया के सभी क्षेत्रों में विदेशी तस्कर पीड़ितों की तुलना में घरेलू तस्कर पीड़ितों की संख्या ज्यादा पाई गई है।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation- ILO) के आँकड़ों के अनुसार, यौन तस्करी के मामले में शिकार लोगों की देश की सीमाओं से बाहर तस्करी होने की संभावना होती है, जबकि जबरन श्रम के शिकार लोगों की तस्करी सामान्यतः अपने ही देशों में की जाती है।
- 2000 में अधिनियमित अमेरिकी कानून, 'तस्करी पीड़ित शिकार संरक्षण अधिनियम (Trafficking Victims Protection Act- TVPA)' के आधार पर रिपोर्ट को तीन वर्गों (टियर1, टियर2 और टियर3) में विभाजित किया गया है।
- यह वर्गीकरण देश की तस्करी की समस्या के परिमाण पर आधारित न होकर मानव तस्करी के उन्मूलन के लिये न्यूनतम मानकों को पूरा करने के प्रयासों पर आधारित है।
- वर्गीकरण के आधार पर यू.एस. टियर 1 शामिल हैं।

तस्करी में भारत की स्थिति

- भारत को टियर 2 श्रेणी में रखा गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार तस्करी के उन्मूलन के लिये न्यूनतम मानकों को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाई है लेकिन उन्मूलन के लिये महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। हालाँकि पिछले रिपोर्ट की तुलना में इस बार भारत की स्थिति बेहतर है।
- रिपोर्ट में सरकार द्वारा तस्करी पर रोक लगाने के प्रयासों एवं विफलताओं दोनों पर प्रकाश डाला गया है।
- रिपोर्ट में आई जानकारी के बाद सरकार ने जबरन श्रम और यौन तस्करी के मामलों में कुछ कार्रवाई की है फिर भी सरकार द्वारा संचालित और सरकारी वित्त पोषित आश्रय घरों में जबरन श्रम और यौन तस्करी को रोकने में सरकार की विफलता एक गंभीर समस्या बनी हुई है।
- रिपोर्ट में भारत में तस्करी से संबंधित दंड संहिता की धारा 370 में संशोधन किये जाने की सिफारिश की गई है।

तस्करी से निपटने के प्रयास

- TIP रिपोर्ट के निष्कर्षों को देखते हुए वर्ष 2000 में पालेर्मो प्रोटोकॉल (Palermo Protocol) लाया किया गया जो तस्करी से निपटने के लिये एक अंतरराष्ट्रीय तंत्र है, वर्तमान में भी तस्करी से निपटने हेतु विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं।
- हालाँकि घरेलू तस्करी से निपटने के संदर्भ में तस्करों पर मुकदमा चलाने और बचे हुए लोगों की देखभाल करने के लिये कानूनी ढाँचा तैयार करने वाले देशों के संदर्भ में, विशेष रूप से और अधिक प्रयास करने की जरूरत है।
- घरेलू स्तर पर तस्करी से निपटने के लिये राजनीतिक प्रयासों के साथ-साथ स्थानीय निवासियों तथा अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों का भी सहयोग लिया जा सकता है।

मिर्गी पर डब्ल्यू.एच.ओ. की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं गैर-सरकारी संगठनों, इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी (International League Against Epilepsy) और इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी (International Bureau for Epilepsy) ने संयुक्त रूप से शोध करके एक निष्कर्ष निकाला जिसे एपिलेप्सी, ए पब्लिक हेल्थ इंप्रेटिव (Epilepsy, a public health imperative) में प्रकाशित किया गया।

- उल्लेखनीय है कि इस अध्ययन में पाया गया कि कम-आय वाले देशों में रहने वाले मिर्गी से ग्रस्त रोगियों को प्राथमिक उपचार भी नहीं मिल पाता। जिस कारण लोगो में समय से पहले मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। लोग इसे जीवन पर एक धब्बा भी मानते हैं।

प्रमुख बिंदु

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों के अनुसार, मिर्गी से ग्रस्त मरीजों के लिये उपचार न मिल पाना अस्वीकार्य रूप से बहुत अधिक है, हम जानते हैं कि यदि रोगी उचित दवाओं का सेवन करे तो 70 प्रतिशत लोग इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं एवं इन दवाओं की कीमत 5 डॉलर प्रति वर्ष कम होती है तथा इन्हें प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों के माध्यम से वितरित किया जा सकता है।
- मिर्गी से ग्रसित रोगियों में समय से पहले मृत्यु-दर तीन गुना अधिक होती है। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में, मिर्गी रोगियों की मृत्यु-दर, उच्च आय वाले देशों की तुलना में काफी अधिक है।
- मिर्गी से पीड़ित लगभग आधे वयस्कों में कम से कम एक अन्य स्वास्थ्य समस्या होती है। इसमें अवसाद और चिंता शामिल हैं: मिर्गी से पीड़ित 23% वयस्क अवसाद (Depression) का अनुभव करते हैं और 20% व्यग्रता (Anxiety) का।
- ये दौरे मानसिक स्वास्थ्य खराब करने के साथ ही जीवन की गुणवत्ता को कम कर सकते हैं। मिर्गी से ग्रस्त लगभग 30-40% बच्चों को विकास और सीखने जैसे कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- रिपोर्ट के अनुसार, मिर्गी से ग्रसित लोगों को समाज में हीन भावना से देखा जाता है। इसी सामाजिक भय से लोग इसका उपचार नहीं करवाते हैं। मिर्गी के उपचार को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में एकीकृत किया जा सकता है। लेकिन इस कार्य के लिये राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन

- WHO संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य (Public Health) को बढ़ावा देना है।
- इसकी स्थापना 7 अप्रैल, 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में अवस्थित है।
- इसकी पूर्ववर्ती संस्था 'स्वास्थ्य संगठन' लीग ऑफ नेशंस की एजेंसी थी।

इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी (ILAE)

इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी (ILAE) की स्थापना 1909 में हुई थी और यह 100 से अधिक नेशनल चैप्टर्स का संगठन है।

उद्देश्य

- मिर्गी के बारे में लोगों को जागरूक करना।
- इसके इलाज के लिये अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।
- विशेष रूप से रोकथाम, निदान और उपचार द्वारा रोगियों की सेवाओं और देखभाल में सुधार करना।

इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी (IBE)

- इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी (IBE) मिर्गी से पीड़ित लोगों और उनकी देखभाल करने वाले लोगों के जीवन की सामाजिक स्थिति और गुणवत्ता में सुधार करता है।
- IBE एक निगम है जो एक गैर-लाभकारी, कानूनी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया राज्य में पंजीकृत है।

महिलाओं में एनीमिया

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (National Family Health Survey- NFHS4) के अनुसार, 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया (Anemia) का प्रसार 53 % और 15 से 19 वर्ष की किशोरियों में 54 % है।

एनीमिया (रक्त की कमी)

- यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शारीरिक रक्त की जरूरतों को पूरा करने के लिये लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या या उसकी ऑक्सीजन वहन क्षमता अपर्याप्त होती है। यह क्षमता आयु, लिंग, ऊँचाइयों, धूम्रपान और गर्भावस्था की स्थितियों से परिवर्तित होती रहती है।

- लौह (Iron) की कमी इसका सबसे सामान्य लक्षण है। इसके साथ ही फोलेट (Folate), विटामिन बी 12 और विटामिन ए की कमी, दीर्घकालिक सूजन और जलन, परजीवी संक्रमण और आनुवंशिक विकार भी एनीमिया के कारण हो सकते हैं। एनीमिया की गंभीर स्थिति में थकान, कमजोरी, चक्कर आना और सुस्ती इत्यादि समस्याएँ होती हैं। गर्भवती महिलाएँ और बच्चे इससे विशेष रूप से प्रभावित होते हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एनीमिया से निपटने के लिये उठाये गए कदम

एनीमिया मुक्त भारत (AMB):

- इसे वर्ष 2006 में, एनीमिया की वार्षिक दर में 1 से 3% तक की गिरावट लाने के लिये, गहन राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल (Intensified National Iron Plus Initiative -NIPI) कार्यक्रम के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। एनीमिया मुक्त भारत (AMB) कार्यक्रम में 6-59 महीने के बच्चों, 5 - 9 वर्ष की किशोरियों, 10 - 19 के किशोरों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को विशेष रूप से लक्षित किया गया है।

साप्ताहिक लौह और फोलिक अम्ल अनुपूरण (Weekly Iron and Folic Acid Supplementation- WIFS):

- किशोर और किशोरियों के बीच एनीमिया के उच्च प्रसार की चुनौती को रोकने के लिये इस कार्यक्रम को लागू किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत साप्ताहिक रूप से लौह फोलिक अम्ल (Iron Folic Acid- IFA) की गोली और इंजेक्शन का प्रावधान है। कृमि संक्रमण को रोकने के लिये एल्बेंडजोल (Albendazole) प्रदान किया जाता है।
- एनीमिया से पीड़ित विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के मामलों की नियमित जाँच के लिये स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली और बच्चों के लिये भी विशेष प्रणाली को लागू किया जा रहा है। प्रसव पूर्व एनीमिया की जाँच भी गर्भवती महिलाओं की जाँच का एक हिस्सा है। सभी गर्भवती महिलाओं को प्राथमिक स्वस्थ केंद्रों और उपकेंद्रों के माध्यम से प्रसवपूर्व अन्य सुविधाओं के साथ आयरन और फोलिक एसिड की गोलीयाँ भी प्रदान की जाएँगी। इसके लिये ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवसों का भी आयोजन किया जायेगा।

प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान (PMSMA)

- यह एनीमिया की जाँच और उपचार के लिये विशेष चिकित्सा अधिकारियों की मदद से प्रत्येक माह की 9 तारीख को आयोजित किया जाता है।

रक्तकोष (Bloodbank) का संचालन

- जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एनीमिया के गंभीर मामलों से निपटने के लिये रक्तकोष भंडारण इकाइयों की स्थापना की जा रही है।

पोषण अभियान के तहत भी एनीमिया नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 [National Family Health Survey -(NFHS-4)] : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण विस्तृत पैमाने पर कई चरणों वाला सर्वेक्षण है। जो पूरे भारत के प्रतिनिधि नमूने का प्रयोग करता है। यह सर्वेक्षण भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के नेतृत्व में उसकी नोडल एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय जनसँख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई (International Institute for Population Sciences, Mumbai) के साथ संचालित किया जाता है। मैरीलैंड अमेरिका स्थित ICF इंटरनेशनल इन सर्वेक्षणों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

द इंडिया सोशल डेवलपमेंट रिपोर्ट- 2018

संदर्भ

आर्थिक समृद्धि और सामाजिक विकास के मध्य बढ़ते अंतराल और असमानता के सामाजिक प्रभावों पर हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम (Acute Encephalitis Syndrome - AES) जैसी आपदाओं के लिये राज्य की नीतियों (State policies) को ज़िम्मेदार ठहराया गया है।

- 'द इंडिया सोशल डेवलपमेंट रिपोर्ट-2018' नाम से यह अध्ययन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा सामाजिक विकास परिषद (Council for Social Development - CSD) की ओर से प्रकाशित की गई है।

- यह रिपोर्ट कुल 7 खंडों में विभाजित है जिसमें कुल 22 शोध-पत्र शामिल हैं। रिपोर्ट का संपादन कृषि लागत और मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices) के पूर्व अध्यक्ष टी हाक (T Haque) और स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस के पूर्व डीन नरसिंह रेड्डी (Narasimha Reddy) द्वारा किया गया है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु :

- 'बहुआयामी असमानता' पर केंद्रित इस रिपोर्ट में 6 आयामों और 28 सूचकों के आधार एक सामाजिक विकास सूचकांक (Social Development Index - SDI) तैयार किया गया है।
- प्रस्तुत सूचकांक का निष्कर्ष यह है कि जो राज्य आर्थिक रूप से प्रगतिशील हैं उनके लिये यह आवश्यक नहीं है कि सामाजिक विकास में भी शीर्ष पर हों।
- रिपोर्ट के अनुसार "केरल, मिज़ोरम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और मेघालय जैसे राज्य उन राज्यों में आते हैं जहाँ सामाजिक विकास तो बहुत अधिक है, परंतु प्रति व्यक्ति आय की कमी है।"
- इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश और हरियाणा उन राज्यों में शामिल हैं जहाँ प्रति व्यक्ति आय तो अधिक है लेकिन सामाजिक विकास की कमी है।
- रिपोर्ट में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में हुई महत्वपूर्ण सफलताओं की भी चर्चा की गई है।
- रिपोर्ट के एक शोध-पत्र में गरीबों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिये बनाई गई केंद्र और राज्यों की भिन्न-भिन्न नीतियों को पूर्णतः असफल बताया गया है।
- यह रिपोर्ट भी ऐसे समय में आई है जब इंसेफलाइटिस के मरीजों पर कराया गया बिहार सरकार का ही एक सर्वे यह दिखता है कि इस बीमारी से प्रभावित होने वाले दो-तिहाई मरीज गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं।
- रिपोर्ट के एक अन्य शोध-पत्र में भारतीय शिक्षा प्रणाली पर गहरे प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं। शोधकर्ता ने यह तर्क दिया है कि वर्ष 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना के अनुसार भारत के 36 प्रतिशत ग्रामीण लोग अशिक्षित हैं, 14 प्रतिशत लोगों के पास प्राथमिक शिक्षा से भी कम ज्ञान है और 18 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्राथमिक कक्षाएँ पास की हैं। ये आँकड़े दर्शाते हैं कि 21वीं सदी में भी हमारी शिक्षा नीति में कई कमी हैं।

नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नीति आयोग (NITI Aayog) ने राज्य स्वास्थ्य सूचकांक (State Health Index) का दूसरा संस्करण जारी किया है। इसमें केरल सर्वाधिक स्वस्थ राज्य के रूप में शीर्ष स्थान पर काबिज है जबकि उत्तर प्रदेश इस सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर है।

प्रमुख बिंदु

- यह चिंता की बात है कि मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं दिखा है। हालाँकि राजस्थान जैसे कुछ राज्यों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार देखने को मिला है।
- इस सूचकांक के अंतर्गत वर्ष 2015-16 को आधार वर्ष एवं वर्ष 2017-18 की अवधि को संदर्भ वर्ष मानते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समग्र प्रदर्शन एवं वृद्धिशील सुधार का विश्लेषण किया गया।
- इसके अनुसार, बिहार में आधार वर्ष 2015-16 और संदर्भ वर्ष 2017-18 में स्वास्थ्य स्थिति में आई गिरावट के लिये जिन कारकों को ज़िम्मेदार माना गया उनमें शामिल हैं; कुल प्रजनन दर, जन्म के समय शिशु का कम वजन, जन्म के समय लिंगानुपात, टीबी उपचार सफलता दर, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निधि हस्तांतरण के अंतर्गत होने वाली देरी।
- बिहार में केवल 56% माताएँ ही स्वास्थ्य सुविधाओं से युक्त अस्पतालों में प्रसव कराती हैं, जो राष्ट्रीय औसत के हिसाब से बहुत खराब स्थिति है। यह स्थिति अत्यंत दयनीय इसलिए भी है क्योंकि वर्ष 2015-16 की तुलना में जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों की जन्म दर अधिक होने के कारण बिहार खतरे की स्थिति में है।

- उत्तराखंड के स्वास्थ्य सूचकांक में आई गिरावट के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं-
 - ◆ नवजात मृत्यु दर
 - ◆ पाँच वर्ष से कम के बच्चों की मृत्यु दर
 - ◆ जिला स्तर पर प्रमुख प्रशासनिक पदों के कार्यकाल की स्थिरता
 - ◆ प्रथम रेफरल इकाइयों (First Referral Units- FRU) का सही से संचालन न हो पाना
 - ◆ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निधि हस्तांतरण में होने वाली देरी
- उड़ीसा के स्वास्थ्य सूचकांक में आई गिरावट के प्रमुख कारणों में अधिकतर पूर्ण टीकाकरण दर और टीबी उपचार की सफलता दर में कमी शामिल हैं जबकि मध्य प्रदेश के मामले में जन्म पंजीकरण दर और टीबी उपचार की सफलता दर में आई कमी प्रमुख बाधा रही है।
- बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में भी तमिलनाडु तीसरे स्थान से नौवें स्थान पर, जबकि पंजाब दूसरे स्थान से पाँचवें स्थान पर आ गया है। इस बार दूसरे सर्वश्रेष्ठ राज्य का स्थान आंध्र प्रदेश को दिया गया है, जबकि महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है।

वृद्धिशील प्रदर्शन

- वृद्धिशील प्रदर्शन के मामले में हरियाणा, राजस्थान और झारखंड जैसे राज्य सराहना के पात्र रहे हैं।
- जहाँ एक ओर नीति आयोग की रिपोर्ट में केरल के स्वास्थ्य परिणामों की तुलना अर्जेंटीना और ब्राजील से की गई है, जिसमें नवजात मृत्यु दर (Neo-Natal Mortality Rate-NMR, जो जन्म के पहले 28 दिनों में प्रति 1,000 जीवित बच्चों पर मरने वाले बच्चे की संख्या को इंगित करती है) छह से भी कम है।
- वहीं दूसरी ओर रिपोर्ट के अनुसार, उड़ीसा में नवजात मृत्यु दर प्रति 1,000 जीवित बच्चों पर 32 है, जो सिएरा लियोन (Sierra Leone) के आँकड़ों के करीब है।

प्रत्येक राज्य को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये अपने बजट का कम-से-कम आठ फीसदी हिस्सा खर्च करना चाहिये, ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं के दायरे को और अधिक विस्तार दिया जा सके।

वैश्विक श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट 'विश्व की महिलाओं की प्रगति रिपोर्ट 2019-2020' (Progress of The World's Women 2019-2020) के अनुसार, लगभग आधे से अधिक विवाहित महिलाओं (25- 54 वर्ष की आयु) की वैश्विक श्रम बल में भागीदारी नहीं है जबकि लगभग सभी विवाहित पुरुष वैश्विक श्रम बल का हिस्सा हैं।

प्रमुख बिंदु

- संयुक्त राष्ट्र की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, पारंपरिक रूप से विद्यमान लैंगिक असमानता ने महिलाओं को घरेलू कार्यों तक ही सीमित कर दिया।
- महिलाओं के सशक्तीकरण एवं उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आंदोलन वर्ष 1990 के दशक के मध्य से प्रारंभ हुए। लेकिन विवाह और संतानों की देखभाल जैसी जिम्मेदारियों ने महिलाओं को श्रम बाजार से दूर कर दिया।
- रिपोर्ट के अनुसार, विवाहित महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक (78.2%) और मध्य और दक्षिणी एशिया क्षेत्र में सबसे कम (29.1%) पाई गई। अपवाद के रूप में उप-सहारा अफ्रीकी क्षेत्र एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ विवाहित महिलाओं की श्रम बल में अधिक भागीदारी (73.8%) पाई गई।
- वैश्विक स्तर पर जिन महिलाओं के बच्चे छोटे (6 वर्ष से कम आयु वाले) हैं उनकी श्रम बल में भागीदारी में भी स्वाभाविक गिरावट दर्ज की गई जो लगभग 5.9% है। तुलनात्मक रूप से विश्व में पुरुषों की श्रम-बल भागीदारी में 3.4% की वृद्धि हुई।
- रिपोर्ट के अनुसार, मध्यम और उच्च आय वाले देशों की तुलना में मातृत्व कारकों ने निम्न-आय वाले देशों में महिलाओं की श्रमबल भागीदारी को कम नहीं किया।

- संभवतः इसका कारण निम्न आय वाले देशों में गरीबी तथा परिवार की आजीविका चलाने के लिये बच्चे छोटे होने के बावजूद भी श्रम बल में बने रहना इनकी मजबूरी है।
- भारत और चीन जैसे देशों में आर्थिक वृद्धि के बाद भी महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी में गंभीर गिरावट दर्ज की गई है।
- वर्ष 1977 से 2018 के बीच भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति में 6.9% तक गिरावट पाई गई जो विश्व स्तर पर सर्वाधिक गिरावट है।
- इसके लिये निम्नलिखित कारण जिम्मेदार हैं:
 - ◆ वर्ष 1980 के दशक के उत्तरार्द्ध से शहरी क्षेत्रों में स्थिर भागीदारी।
 - ◆ छोटी उम्र (25-40 वर्ष की आयु) में ही ग्रामीण क्षेत्रों में विवाहित महिलाएँ।
 - ◆ पुरुषों को नियमित वेतन पर श्रम में भागीदारी से परिवार की आय स्थिर होना।
- संयुक्त राष्ट्र की महिला कार्यकारी निदेशक के अनुसार, परिवार विविधता के साथ भी लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, यदि निर्णय लेने वाले लोग आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण के युग में महिलाओं के अधिकारों के साथ सकारात्मक व्यवहार करते हैं।
- रिपोर्ट में महिलाओं को प्रोत्साहन देने वाली आर्थिक नीतियों के निर्माण करने हेतु सिफारिश की गई है जिससे सर्व-समावेशी अर्थव्यवस्था के तहत सभी महिलाओं और पुरुषों को काम और आजीविका के समान अवसर प्राप्त हों।



कला एवं संस्कृति

रॉक आर्ट/शैल चित्र का विनाश

चर्चा में क्यों ?

नीलगिरि के जंगलों में किल कोटागिरी (Kil Kotagir) के करिकियूर (Karikiyoor) में 40 प्रतिशत रॉक पेंटिंग्स (शैल चित्रकला) मानवीय हस्तक्षेप के कारण नष्ट हो रही है।

- इरुला आदिवासी समुदाय (Irula Tribal Community), जो नीलगिरी वन के रॉक आर्ट साइट के उत्तराधिकारी हैं, अवैध ट्रेकर्स द्वारा इन चित्रकलाओं को पहुँच रही क्षति के कारण बेहद नाराज़ है।
- करिकियूर में शैल चित्रों पर पाई जाने वाली लिपियों के चित्र उत्तरी भारत के सिंधु सभ्यता स्थलों में पाई गई लिपि से मिलते जुलते हैं।

इरुला आदिवासी/जनजाति (Irula Tribal Community)

- इरुला जनजाति तमिलनाडु के उत्तरी जिलों तिरुवल्लुर जनपद (बड़ी संख्या में), चेंगलपट्टूर, कांचीपुरम, तिरुवान्नामलाई आदि तथा केरल के वायनाड, इडुक्की, पलक्कड़ आदि जिलों में बड़ी संख्या में निवास करती हैं।
- इस जनजाति समूह की उत्पत्ति दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया के जातीय समूहों से हुई है।
- ये इरुला भाषा बोलते हैं जो कन्नड़ और तमिल की तरह द्रविड़ भाषा से संबंधित है।
- इरुला विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (Particularly Vulnerable Tribal Groups- PVTGs) में से एक हैं।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (Particularly Vulnerable Tribal Groups- PVTGs)

- विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह भारत की अनुसूचित जनजातियों के हाशिये पर रहने वाले वर्ग हैं, जो शैक्षिक और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तथा मूलभूत सुविधाओं की पहुँच से बहुत दूर रहते हैं।
- यह समूह संवैधानिक श्रेणी में नहीं हैं तथा न ही इन्हें संवैधानिक मान्यता प्राप्त है।
- भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 75 जनजातीय समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- ये समूह 18 राज्यों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य-क्षेत्र में रहते हैं।
- जिसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका तथा कौशल विकास, कृषि विकास, आवास तथा अधिवास, संस्कृति का संरक्षण आदि क्षेत्रों में समुदायों की स्थितियों में सुधार करना एवं उन्हें सक्षम बनाना है।

रॉक आर्ट/शैल चित्र

- यह मानव द्वारा निर्मित प्राकृतिक पत्थर पर अंकित छाप हैं।
- इसे सामान्यतः तीन रूपों में विभाजित किया जाता है:
- शैलोत्कीर्ण (Petroglyphs): जो चट्टान की सतह पर खुदे हुए हैं।
- चित्रलिपि (Pictographs): जिन्हें सतह पर चित्रित किया गया है।
- अल्पना/रंगोली/अर्थ फीगर्स (Earth Figures): जो ज़मीन पर बने हुए हैं।
- भारत में शैल चित्र मुख्य रूप से निम्नलिखित गुफाओं में पाए जाते हैं:
 - ◆ भीमबेटका गुफाएँ (Bhimbetka caves): ये होशंगाबाद तथा भोपाल के बीच स्थित हैं।
 - ◆ बाघ गुफाएँ (Bagh caves): मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघनी नदी के तट पर स्थित है।

- ◆ जोगीमारा गुफाएँ (Jogimara caves): यहाँ बने चित्र अजंता और बाग की गुफाओं के शैल चित्रों से भी पुराने हैं और इनका संबंध बुद्ध (Buddha) से पूर्व की गुफाओं से हैं। ये गुफाएँ छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में नर्मदा के उद्गम स्थल के निकट अमरनाथ में स्थित हैं।
- ◆ अरमामलाई गुफाएँ (Armamalai caves): तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में स्थित अरमामलाई के गुफा चित्र, प्राचीन चित्रों, शैल उत्तकीर्णों (Petroglyphs) और शैल चित्रों के साथ एक जैन मंदिर के लिये जानी जाती हैं।

महत्त्व

- रॉक पेंटिंग/शैल चित्रकला, शिकार की विधि एवं स्थानीय समुदायों के जीवन जीने के तरीकों का एक 'ऐतिहासिक रिकॉर्ड' के रूप में विवरण प्रस्तुत करती है।
- स्थानीय निवासियों द्वारा रॉक कला का उपयोग अनुष्ठानिक उद्देश्य के लिये किया जाता था।
- आदिवासी समुदाय के लोग शैलों पर उत्कीर्ण चित्रों का अनुकरण कर अपने रीति-रिवाजों का पालन करते हैं।

बाल साहित्य पुरस्कार 2019 तथा युवा पुरस्कार 2019

चर्चा में क्यों ?

अगरतला में हुई कार्यकारी बोर्ड की बैठक के बाद साहित्य अकादमी (Sahitya Akademi) द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार, 2019 तथा युवा पुरस्कार, 2019 की घोषणा की गई। साहित्य अकादमी की यह बैठक प्रसिद्ध कवि डॉ. चंद्रशेखर कंबार (जो कि वर्तमान में अकादमी के अध्यक्ष हैं) की अध्यक्षता में की गई थी।

मुख्य बिंदु

- इस वर्ष बाल साहित्य पुरस्कार, 2019 के लिये 22 लेखकों तथा युवा पुरस्कार, 2019 के लिये 23 लेखकों का चयन किया गया है।
- मैथिली भाषा के लिये दोनों ही पुरस्कारों का ऐलान अभी नहीं किया गया है, अकादमी के अनुसार, इसकी घोषणा भी जल्द ही कर दी जाएगी।
- बाल साहित्य पुरस्कार राजस्थानी तथा मैथिली भाषा के अतिरिक्त संविधान में वर्णित अन्य सभी 22 भाषों के लिये प्रदान किये जाते हैं, वहीं युवा पुरस्कार 2019 भी मैथिली के अतिरिक्त अन्य सभी 23 भाषों के लिये प्रदान किये जाते हैं।
- प्रत्येक भाषा में पुरस्कार विजेताओं का चयन तीन सदस्यीय निर्णायक मंडल की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाता है।
- कविता की ग्यारह पुस्तकें, लघु कथा की छह पुस्तकें, पाँच उपन्यास तथा एक साहित्य आलोचना की पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, 2019 से प्रदान किये गए हैं।

बाल साहित्य पुरस्कार:

- बाल साहित्य पुरस्कार के लिए उन पुस्तकों को चुना जाता है जो पिछले पाँच वर्षों के भीतर पहली बार प्रकाशित हुई हों तथा जिनका बाल साहित्य में अतुलनीय योगदान रहा हो।
- युवा पुरस्कार :
- युवा पुरस्कार उन पुस्तकों से संबंधित है जिनका प्रकाशन 35 वर्ष से कम आयु के लेखकों द्वारा किया जाता है।

साहित्य अकादमी :

- साहित्य अकादमी की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 12 मार्च, 1954 को की गई थी।
- यह अकादमी एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में कार्य करती है।
- अकादमी प्रत्येक वर्ष अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त 24 भाषाओं में साहित्यिक कृतियों के लिये पुरस्कार प्रदान करती है।
- वर्तमान में कन्नड़ के मशहूर नाटककार, कवि, उपन्यासकार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखक चंद्रशेखर कंबार साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।

- साहित्य अकादमी द्वारा दिये जाने वाले प्रमुख पुरस्कार:
 - ◆ श्लाका सम्मान
 - ◆ भारत-भारती
 - ◆ व्यास सम्मान
 - ◆ साहित्य अकादमी पुरस्कार
 - ◆ भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार
 - ◆ बाल साहित्य पुरस्कार
 - ◆ सरस्वती सम्मान
 - ◆ युवा पुरस्कार

इम्फाल युद्ध की 75वीं वर्षगांठ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में इम्फाल युद्ध की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर इम्फाल के रेड हिल पर 'इम्फाल शांति संग्रहालय' (Imphal Peace Museum- IPM) की स्थापना की गई है।

मुख्य बिंदु

- इम्फाल शांति संग्रहालय की स्थापना रेड हिल की तलहटी में की गई है। इसकी स्थापना 'द निप्पो फाउंडेशन' (The Nippon Foundation TNF-Japan) के सहयोग से मणिपुर पर्यटन फॉर्म और मणिपुर सरकार द्वारा की गई है। रेड हिल उन स्थानों में से माना जाता है, जहाँ से भारत में जापानी आक्रमण के अंत की शुरुआत हुई थी।
- इस संग्रहालय को तीन खंडों में विभाजित किया गया है; पहले खंड में युद्ध का काल-क्रम और मृतकों के नाम दर्ज किये गये हैं, द्वितीय खंड में युद्ध के बाद के प्रभावों को दर्शाने का प्रयास किया गया है, अंतिम खंड मणिपुर की सांस्कृतिक विरासत से संबंधित है इस प्रकार यह संग्रहालय अपनी विशेषताओं की दृष्टि से भारत में इस प्रकार का एकमात्र संग्रहालय है।

इम्फाल युद्ध (Battle of Imphal)

- इम्फाल युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। यह युद्ध जापानी आक्रांताओं और ब्रिटिश भारत के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध को इम्फाल के समीप मेबम लोकपा चिंग (Maibam Lokpa Ching) जिसे लाल घाटी (Red Hill) भी कहा जाता है, में लड़ा गया था।
- सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी (Indian National Army) के साथ लगभग 70,000 जापानी सैनिक मार्च से जून 1944 तक इम्फाल और कोहिमा के आस-पास के क्षेत्रों में ब्रिटिश नेतृत्व वाली मित्र सेना के साथ लड़ाई में शहीद हुए। इस दौरान आखिरी लड़ाई रेड हिल पर लड़ी गई थी।
- वर्ष 1994 में इस युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर जापानी युद्ध स्मारक (Japanese War Memorial) बनाया गया था।

ओट्टम थुलाल

यह केरल का एक नृत्य-नाट्य कला प्रदर्शन है, जिसे कुंचन नांबियार ने चाक्यार कूथु के विकल्प के रूप में विकसित किया था।

- कुंचन नांबियार ने अपने दौर में समाज में प्रचलित सामाजिक-राजनीतिक संरचना और समाज के पूर्वाग्रहों के खिलाफ विरोध प्रदर्शित के लिये इसे एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया था।
- धीरे-धीरे यह केरल के मंदिरों में प्रस्तुत किया जाने लगा एवं सबसे लोकप्रिय लोक कला बन गया।
- ओट्टम थुलाल की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें नृत्य प्रस्तुतकर्ता स्वयं गायन और कहानी के पात्र के रूप में अभिनय करता, जो कि इसे कठिन बनाता है।
- ओट्टम थुलाल में वाद्य उपकरणों के तौर पर मृदंग (Mridangam) और इडक्का (Idakka) प्रयुक्त होते हैं।

चाक्यार कूथु

- चाक्यार कूथु (Chakyar koothu) केरल की एक प्रदर्शन कला है।
- यह मुख्य रूप से अत्यधिक परिष्कृत एकालाप का एक प्रकार है जिसमें कलाकार हिंदू महाकाव्य और पुराणों से कहानियों का वृत्तान्त प्रस्तुत करता है।
- इसे आधुनिक स्टैंड-अप कॉमेडी एक्ट का एक पारंपरिक समकक्ष भी माना जा सकता है जिसमें तात्कालिक सामाजिक-राजनीतिक घटनाओं पर टिप्पणी की जाती हैं।

वलसा देवरालु

सदियों पुराना ग्रामीण त्योहार वलसा देवरालु (Valasa Devarlu) चित्तूर जिले के पश्चिमी मंडलों के कई गाँवों में मनाया जा रहा है।

- 'वलसा देवरालु' आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में मनाया जाने वाला सदियों पुराना एक त्योहार है।
- यह एक पारंपरिक अनुष्ठान (कुछ लोगों के अनुसार एक 'त्योहार') है जिसकी शुरुआत सम्राट श्रीकृष्ण देवरयालु या कृष्ण देवराय के शासन काल में हुई थी।
- ग्रामीण इलाकों में सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये यह तब मनाया जाता है जब बुआई के लिये कुछ ही हफ्ते शेष बचे हों।
- बारिश न होने, फसलों के खराब हो जाने तथा महामारी फैलने के दौरान गाँव के सभी लोग सवेरा होते ही अपने-अपने घरों को छोड़ देते हैं और संध्याकाल तक मैदानों में ही रहते हैं।
- गाँव के बुजुर्ग तम्बू या पेड़ के नीचे चिकनी मिट्टी से बनी देवी 'वलसा देवारमा' की प्रतिमा की विशेष पूजा करते हैं। सामूहिक भोजन के पश्चात् गाँव के सभी लोग अपने घरों को लौट जाते हैं। इस मौके को यादगार बनाने के लिये लोग नाचते-गाते भी हैं।
- गाँव के सभी पुरुष पास की ब्वायकोंडा पहाड़ी पर जानवरों की बलि देने के पश्चात् प्रसिद्ध गंगामा मंदिर में पूजा करते हैं।

कृष्ण देवराय

- सम्राट कृष्ण देवराय दक्षिण भारत के विजयनगर सम्राज्य के प्रसिद्ध शासक थे। तुलुव राजवंश (विजयनगर साम्राज्य) के दूसरे शासक के रूप में उन्होंने अपने सम्राज्य का विस्तार अधिकांशतः दक्षिण भारत (वर्तमान समय का कर्नाटक, उत्तरी तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश) और पूर्वोत्तर में ऊपर की ओर कटक तक किया।
- उन्हें सम्राज्य के सबसे मुश्किल दौर में सिंहासन प्राप्त हुआ और तत्पश्चात् उन्होंने इसे एक समृद्ध सम्राज्य के रूप में मजबूत किया।

राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय

गुजरात के लोथल (Lothal) के प्राचीन भारतीय स्थल पर एक 'राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय' (National Maritime Heritage Museum) की स्थापना में भारत और पुर्तगाल मिलकर काम करेंगे।

- यह संग्रहालय भारत की अंतर्देशीय जलमार्ग और जल मार्ग से व्यापार की विरासत को प्रदर्शित करेगा।
- लोथल को इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ ऐसे पुरातात्विक अवशेष पाए गए हैं, जो समुद्री गतिविधियों की ओर संकेत करते हैं। यह स्थल हड़प्पावासियों का एक प्रमुख समुद्री गतिविधि केंद्र था।
 - ◆ 4500 वर्षीय पुराना यह शहर गणितीय तरीके से योजनाबद्ध रूप से बना था। इसमें उचित कोणों पर सड़कों को पार करने की व्यवस्था, जल निकासी प्रणालियाँ और बड़े स्नानागार की व्यवस्था थी।
 - ◆ शौचालय और लोटे जैसे जार मिलने से यह पता चलता है कि स्वच्छता पर पर्याप्त जोर दिया जाता था।
- मार्च, 2019 में प्रधानमंत्री ने इस परियोजना की आधारशिला रखी थी।
- जहाजरानी मंत्रालय (Ministry of Shipping) सागरमाला कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India-ASI), राज्य सरकार और अन्य हितधारकों की भागीदारी के साथ इस परियोजना को कार्यान्वित कर रही है।

सागरमाला परियोजना

- सागरमाला कार्यक्रम की शुरुआत 25 मार्च, 2015 को की गई थी। इसे भारत में बंदरगाह आधारित आर्थिक विकास के व्यापक उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया है।
- भारत के 7,500 किलोमीटर लंबे तटवर्ती क्षेत्रों, 14,500 किलोमीटर संभावित जलमार्ग और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों के रणनीतिक स्थानों के दोहन के उद्देश्य से सरकार ने महत्वाकांक्षी सागरमाला कार्यक्रम तैयार किया है।

लोथल

- भारतीय पुरातत्वविदों ने गुजरात के सौराष्ट्र में 1947 के बाद हड़प्पा सभ्यता शहरों की खोज शुरू की और इसमें उन्हें पर्याप्त सफलता भी मिली।
- पुरातत्वविद एस.आर. राव की अगुवाई में कई टीमों ने मिलकर 1954 से 1963 के बीच कई हड़प्पा स्थलों की खोज की, जिनमें में बंदरगाह शहर लोथल भी शामिल है।
- मोहनजोदड़ो की तरह लोथल का भी अर्थ है, मुर्दों का टीला। खंभात की खाड़ी के पास भोगावो और साबरमती नदियों के बीच स्थित है लोथल।
- अहमदाबाद से एक लंबी और धूल-मिट्टी से भरी यात्रा के बाद सारगवाला गाँव आता है जहाँ लोथल का पुरातात्विक स्थल स्थित है।

पहला बंदरगाह शहर

- चूँकि अभी तक हम सिंधु लिपि को व्याख्याबद्ध (Decode) नहीं कर पाए हैं, इसलिये यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि क्या लोथल वास्तव में देश का पहला बंदरगाह शहर था।
- इसे लेकर इतिहासकारों में भी मतभेद है। लेकिन यह सच है कि अन्य प्राचीन शहरों में मिली लोथल की मुद्राओं से इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि अन्य प्राचीन सभ्यताओं के साथ व्यापार में इसका बेहद महत्त्व था।

कुटियाट्टम

हाल ही में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कपिला वेणु ने 'पार्वती विरहम' का किरदार निभाया। पार्वती विरहम सदियों पुराने कुटियाट्टम नामक नाटक संग्रह का एक भाग है।

- कुटियाट्टम केरल के सबसे पुराने पारंपरिक थिएटर में से एक है जो संस्कृत परंपराओं पर आधारित है।
- यह मलयालम भाषा में 'कुटी' शब्द से बना है जिसका अर्थ है 'संयुक्त' या 'एक साथ' एवं 'अट्टम' का अर्थ है, 'अभिनय' अतएव 'कुटियाट्टम' का अर्थ 'संयुक्त अभिनय' होता है।
- इसमें शैलीबद्ध और संहिताबद्ध रंगमंचीय भाषा में नेत्र अभिनय (आँख की अभिव्यक्ति) और हस्त अभिनय (इशारों की भाषा) प्रमुख हैं। इसमें मुख्य चरित्र के विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- पारंपरिक रूप से इसका अभ्यास कुट्टमपालम नामक सिनेमाघरों में किया जाता है, जो हिंदू मंदिरों में स्थित होते हैं।
- कुटियाट्टम का प्रदर्शन पुरुष अभिनेताओं के समुदाय द्वारा किया जाता है जिन्हें 'चक्कार' कहा जाता है और महिला कलाकारों को 'नंगियार' कहा जाता है, इन्हें 'नंबियार' नामक ढोलवादकों द्वारा संगीत दिया जाता है।
- पाकरनट्टम, कुटियाट्टम का ही एक स्वरूप है जिसमें पुरुष और महिला भूमिकाओं को भावनात्मकता के साथ प्रदर्शित किया जाता है। पुरुषों एवं महिलाओं का आपस में प्रतिस्थापन तथा एक ही समय में कई भूमिकाओं का व्याख्यान करना इस प्रकार के प्रदर्शनों के अंतर्गत एक चुनौतीपूर्ण कार्य माना जाता है।
- कुटियाट्टम में नंगियार कुथु महिला प्रदर्शन का एकल खंड है।
- कुटियाट्टम में संस्कृत भाषा के लगभग सभी प्रमुख नाटककारों के नाटक शामिल हैं, जिनमें भास, हर्ष, शक्तिभद्र, कुलशेखर, नीलकंठ, बोधायन और महेंद्रविक्रमवर्मन शामिल हैं। लेकिन इसके अपवाद के तौर पर महाकवि कालिदास और भवभूति को भी शामिल किया गया है, जिनके नाटक पारंपरिक रूप से इस नृत्य कला के प्रदर्शनों का हिस्सा नहीं हैं।
- कुटियाट्टम को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) में शामिल किया गया है।

अंबुबाची मेला

गुवाहाटी (असम) के कामाख्या मंदिर में वार्षिक रूप से अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले का आयोजन देवी की रजस्वला अवधि के दौरान किया जाता है।

- गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित कामाख्या मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है।
- अंबुबाची मेला देवी कामाख्या की प्रजनन क्षमता का प्रतीक है।
- मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है।
- देवी कामाख्या को सिद्ध कुबजिका के रूप में भी जाना जाता है। इनकी पहचान काली और महा त्रिपुर सुंदरी के रूप में भी है।
- इस मेले को पूर्व के 'महाकुंभ' के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह दुनिया भर से लाखों भक्तों को आकर्षित करता है।

महत्त्व

- रजस्वला के समय को अनुष्ठान के रूप में मनाने के कारण भारत के अन्य हिस्सों की तुलना में असम में मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाएँ कम हैं। असम में लड़कियों को नारीत्व की प्राप्ति को भी उत्सव/रस्म के रूप में मनाया जाता है जिसे 'तुलोनी ब्या' कहा जाता है, इसका अर्थ है छोटी शादी।
- अंबुबाची मेला मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने का भी एक अवसर है।

आंध्र प्रदेश में पाए गए बौद्ध अवशेष

हाल ही में आंध्र प्रदेश में एक बौद्ध अवशेष पाया गया है। यह स्तंभ चूना पत्थर से निर्मित है, जिसके केंद्र में अर्द्ध कमल बना हुआ तथा शीर्ष भाग ऊपर की ओर खुदा हुआ है।

- यह इक्ष्वाकु काल (Ikshvaku Times) के अमरावती कला शैली (Amaravati School of Art) से संबंधित है।
- यह स्तंभ किसी बौद्ध मठ के स्तंभ का हिस्सा हो सकता है, जहाँ बौद्ध शिक्षक बुद्ध के धम्म पर नियमित प्रवचन देते रहे होंगे।
- विजयवाड़ा और अमरावती के सांस्कृतिक केंद्र द्वारा शुरू किये गए एक जागरूकता अभियान के तहत इन अवशेषों का अन्वेषण किया गया।
- यह सांस्कृतिक केंद्र आंध्र प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में उपेक्षा के शिकार सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिये कार्य करता है।
- अमरावती कला शैली
- (Amaravati School of Art)
- भारत में लगभग 200-100 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर लगभग छह शताब्दियों तक अमरावती कला शैली बिना किसी बाहरी प्रभाव के विकसित हुई।
- इसे पहले सातवाहन वंश के शासकों तथा बाद में इक्ष्वाकुओं ने संरक्षण दिया था।
- इस कला में सामग्री के रूप में विशिष्ट सफेद संगमरमर का उपयोग किया जाता था।
- अमरावती की मूर्तियों में मानव, पशु और पुष्प चित्रों में गहराई तथा शांत प्रकृतिवाद के साथ उग्रता एवं ऊर्जा की भावना प्रदर्शित होती है।
- बौद्ध और जैन दोनों (मुख्य रूप से बौद्ध) चित्रों के साथ धर्मनिरपेक्ष चित्र भी इस शैली में उपस्थित हैं।

गो ट्राइबल कैम्पेन


केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ट्राइब्स इंडिया (Tribes India) द्वारा 'गो ट्राइबल कैम्पेन' लॉन्च किया गया है।

- ट्राइफेड (TRIFED) द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न संगठनों के साथ समझौता और सहयोग करना है। इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं—
- ◆ जनजातीय हस्तशिल्प और प्राकृतिक उत्पादों को बढ़ावा देना।
- ◆ अमेज़न के साथ किये गए समझौते के अंतर्गत ट्राइब्स इंडिया और अमेज़न ग्लोबल मार्केटिंग, ट्राइब्स इंडिया के उत्पादों को Amazon.com के जरिये विश्व स्तर पर लॉन्च करेंगे।

- ◆ जनजातीय रेशम उत्पादों के विकास, संवर्द्धन व विक्रय तथा जनजातीय बुनकरों के सशक्तीकरण के लिये ट्राइब्स इंडिया केंद्रीय रेशम बोर्ड के साथ समझौता करेगा।
- ◆ महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के अंतर्गत ट्राइफेड ने खादी कुर्ता और जैकेट लॉन्च किया है। इसके लिये 'आई एम खादी' ('I Am Khadi') फाउंडेशन के साथ समझौता किया गया है।
- ट्राइफेड ने ग्रामीण विकास चेतना संस्था, बाड़मेर के साथ समझौता किया है। इसके साथ फैशनी परिधानों की एक नई श्रृंखला प्रस्तुत की जाएगी।
- देश के विभिन्न हिस्सों के आदिवासियों द्वारा उत्पादित मडुआ, ज्वार, बाजरा, लाल चावल, शहद, लाख के उत्पाद, मसाले, कॉफी, चाय, हस्तनिर्मित साबुन आदि वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाएगा।

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ- ट्राइफेड (The Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India- TRIFED)

- ट्राइफेड 1987 में अस्तित्व में आया।
- यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष संगठन है जो ट्राइब्स इंडिया ब्रांड के तहत जनजातीय कला व हस्तशिल्प समेत जनजातीय उत्पादों के विक्रय व विकास का कार्य करती है।
- TRIFED का अपना पंजीकृत और प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा देश में विभिन्न स्थानों पर स्थित 13 क्षेत्रीय कार्यालयों का नेटवर्क है।



दृष्टि
The Vision

आंतरिक सुरक्षा

असम में विदेशी अधिकरण और एन.आर.सी.

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम में 1000 अतिरिक्त विदेशी अधिकरणों की स्थापना को मंजूरी दी है।

विदेशी

विदेशी अधिनियम (Foreigners Act), 1946 के तहत वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, विदेशी माना जाता है।

अवैध प्रवासी

यूनेस्को (UNESCO) के अनुसार, आमतौर पर ऐसे लोगों को अवैध प्रवासी कहते हैं जो रोजगार के लिये अन्य देशों में बिना अनुमति और आवश्यक दस्तावेजों के प्रवेश करते हैं।

अतिरिक्त विदेशी अधिकरणों की आवश्यकता क्यों ?

- केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त (RGCCI) ने 30 जुलाई, 2018 को असम में रहने वाले भारतीय नागरिकों को अलग करने के लिये NRC की अंतिम मसौदा सूची प्रकाशित की।
- यह सूची ऐसे लोगों को अपवर्जित करने के लिये तैयार की गई, जिन्होंने 25 मार्च, 1971 के बाद बांग्लादेश से अवैध रूप से असम राज्य में प्रवेश किया था।
- लगभग 40 लाख लोगों को अंतिम मसौदे से बाहर रखा गया था। इनमें से 4 लाख लोगों ने अपवर्जित किये जाने के खिलाफ आवेदन नहीं किया। इन लोगों की उचित सुनवाई के लिये असम में अधिक अधिकरणों की आवश्यकता है।

वर्तमान में असम में अधिकरणों की संख्या

- वर्तमान में असम में 100 विदेशी अधिकरण (Foreigners tribunal) कार्यरत हैं, प्रारंभ में 11 अवैध प्रवासी (निर्धारण) ट्रिब्यूनल थे। किंतु वर्ष 2005 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध प्रवासी (निर्धारण) अधिनियम (IMDT), 1983 को रद्द करने के बाद इन ट्रिब्यूनलों को विदेशी अधिकरणों में परिवर्तित कर दिया गया।

अवैध प्रवासी (न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारण) अधिनियम (IMDT), 1983

- सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस अधिनियम को वर्ष 2005 में रद्द कर दिया गया। क्योंकि यह अधिनियम बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उनको निर्वासित करने में एक बड़ी बाधा बना हुआ था।

विदेशी अधिकरण

- ये अधिकरण अर्द्ध-न्यायिक (Quasi-judicial) प्रकृति के होते हैं। इनके सदस्यों की नियुक्ति विदेशी ट्रिब्यूनल अधिनियम, 1941; विदेशी अधिकरण आदेश 1984 तथा समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत की जाती है।
- ये सदस्य असम न्यायिक सेवा अथवा सेवानिवृत्त सिविल सेवक हो सकते हैं, जो सचिव और अतिरिक्त सचिव पद से नीचे के न हों।
- सदस्यों को असम (असमिया, बांग्ला, बोडो और अंग्रेजी) की आधिकारिक भाषाओं और विदेशियों के मुद्दे को जन्म देने वाली राज्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उचित ज्ञान होना भी आवश्यक है।

अधिकरणों की कार्यप्रणाली

- असम पुलिस सीमा संगठन, राज्य पुलिस के अंग के रूप में कार्य करता है। इसका कार्य राज्य में कथित रूप से रह रहे अवैध प्रवासियों का पता लगाना और उनको पकड़ना है।
- पकड़े गए लोगों को अधिकरणों के समक्ष पेश किया जाता है। अधिकरण कथित अवैध प्रवासियों की वैधता की जाँच करती है और निर्णय देती है।

विदेशी (अधिकरण) संशोधन आदेश 2019 [Foreigners (Tribunals) Amendment Order 2019]

- गृह मंत्रालय द्वारा जारी नए आदेश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला मजिस्ट्रेटों को ट्रिब्यूनल स्थापित करने का अधिकार देता है।
- विदेशी (अधिकरण) आदेश, 1964 के तहत इससे पहले ऐसी शक्तियाँ सिर्फ केंद्र सरकार के पास थीं। किंतु ऐसे अधिकरण सिर्फ असम में होने के कारण इस संशोधन की प्रासंगिकता सिर्फ असम के संदर्भ में है।

एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन 2019

चर्चा में क्यों ?

मीडिया और प्रसारण उद्योग से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिये कंबोडिया के सिएम रीप प्रांत में 16 वें एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन 2019 (Asia Media Summit- AMS 2019) का आयोजन किया गया।

- इस शिखर सम्मेलन की थीम 'मीडिया डिजिटलाइजेशन फोकसिंग ऑन डेवलपिंग मार्केट्स' (Media Digitalization Focusing on Developing Markets) थी तथा इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कंबोडिया के सूचना मंत्रालय द्वारा एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान (Asia-Pacific Institute for Broadcasting Development- AIBD) के साथ मिलकर किया गया था।

शिखर सम्मेलन के बारे में

- एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन, एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान (Asia-Pacific Institute for Broadcasting Development- AIBD) द्वारा अपने सहयोगियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से आयोजित होने वाला वार्षिक सम्मेलन है।
- सम्मेलन में एशिया, प्रशांत, अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व और उत्तरी अमेरिका से समाचार एवं प्रोग्रामिंग के निर्णय निर्माता, मीडिया पेशेवर, विद्वान तथा हितधारक भाग लेते हैं।
- एशिया मीडिया समिट ब्रॉडकास्टिंग और सूचना पर अपने विचारों को साझा करने हेतु इस क्षेत्र में प्रसारकों के लिये एक अनूठा अवसर प्रदान करता है, यह सभी क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण यूनियनों तथा संघों द्वारा समर्थित है।

AIBD के बारे में

- एशिया-पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (AIBD) की स्थापना वर्ष 1977 में यूनेस्को के तत्वावधान में की गई थी।
- AIBD एक अद्वितीय क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विकास के क्षेत्र में UN-ESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) के देशों की सेवा उपलब्ध कराता है।
- इसका सचिवालय कुआलालंपुर (Kuala Lumpur) में स्थित है और मलेशिया सरकार द्वारा इसकी मेजबानी की जाती है।

उद्देश्य:

- नीति और संसाधन विकास के माध्यम से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक जीवंत और सामंजस्यपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वातावरण प्राप्त करने के लिये AIBD का अनुपालन अनिवार्य है।

संस्थापक सदस्य:

- अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (International Telecommunication Union-ITU),
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme-UNDP)
- संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन (United Nations Educational, Scientific Cultural Organisation-UNESCO) और
- एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान/एशिया-पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन (Asia-Pacific Broadcasting Union-ABU) संस्थान के संस्थापक संगठन हैं और ये आम सभा के गैर-मतदाता सदस्य भी हैं।

पूर्ण सदस्यता:

- भारत सहित एशिया प्रशांत क्षेत्र के 26 देशों के प्रसारक (Broadcasters) संगठन के पूर्ण सदस्य हैं।
- भारत को दो साल की अवधि के लिये वर्ष 2018 में एशिया-पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (Asia-Pacific Institute for Broadcasting Development- AIBD) के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।

चर्चा में

व्यक्ति

बीरेंद्र सिंह धनोआ

वायुसेना प्रमुख बीरेंद्र सिंह धनोआ को चीफ ऑफ स्टॉफ कमेटी (COSC) का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वह नौसेना प्रमुख सुनील लांबा का स्थान लेंगे, जो 1 जून को सेवानिवृत्त हो गए। ज्ञातव्य है कि करमबीर सिंह नौसेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में सेना, नौसेना और वायुसेना प्रमुख होते हैं और वरिष्ठतम सदस्य को इसका चेयरमैन नियुक्त किया जाता है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन के पास तीनों सेनाओं के बीच तालमेल सुनिश्चित करने और देश के सामने मौजूद बाहरी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिये सामान्य रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी होती है।

मोहम्मद नशीद

मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को वहाँ की संसद पीपुल्स मजलिस का अध्यक्ष चुन लिया गया है। उन्हें संसद में 87 में से 67 सांसदों का समर्थन मिला। गौरतलब है कि इसी वर्ष अप्रैल में हुए संसदीय चुनाव में उनकी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी ने तीन-चौथाई बहुमत के साथ जीत हासिल की थी। मोहम्मद नशीद अपने खराब स्वास्थ्य के चलते विदेश में रहे और पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव में मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के इब्राहिम सोलिह की जीत के बाद स्वदेश वापस लौटे थे। वह 2008 से 2012 तक मालदीव के राष्ट्रपति रह चुके हैं। देश के एक और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने सेना के समर्थन के साथ 2012 में उनकी सरकार का तख्तापलट कर दिया था। मोहम्मद नशीद को मालदीव में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय जाता है। 2008 में उन्होंने 30 साल से शासन कर रहे अब्दुल गय्यूम को सत्ता से बाहर कर दिया था।

तिजानी मोहम्मद बंदे

संयुक्त राष्ट्र में नाइजीरिया के प्रतिनिधि तिजानी मोहम्मद बंदे को सितंबर से शुरू हो रही महासभा के 74वें सत्र के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। महासभा के इस सत्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिये वार्ता प्रक्रिया शुरू होने वाली है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें पाँच स्थायी और 10 अल्पकालिक सदस्य हैं। भारत के साथ ब्राजील, जर्मनी और जापान लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते रहे हैं। इन देशों का कहना है कि वे संयुक्त राष्ट्र की इस महत्वपूर्ण संस्था में स्थायी सदस्य के तौर पर आने के हकदार हैं। तिजानी मोहम्मद बंदे, मारिया फर्नांडा एसपिनोसा की जगह लेंगे। तिजानी मोहम्मद बंदे ने कहा कि उनके कार्यकाल में शांति और सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, भुखमरी खत्म करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पर्यावरण आदि पर फोकस रहेगा।

राजीव महर्षि

देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग-CAG) राजीव महर्षि को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) में बाहरी लेखा-परीक्षक के तौर पर चुना गया है। उनका कार्यकाल 2020 से 2023 तक रहेगा। राजीव महर्षि को पिछले महीने जिनेवा में हुई 72वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा में बहुमत से चुना गया था। भारत के अलावा इस पद के लिये कांगो, फ्रांस, घाना, ट्यूनिशिया, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड भी दावेदार थे। राजीव महर्षि मौजूदा बाहरी लेखा-परीक्षक फिलीपींस के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का स्थान लेंगे। यह कैग के लिये इस साल का दूसरा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लेखा परीक्षण का काम है। इससे पहले मार्च 2019 में राजीव महर्षि को रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया था।

अनीता भाटिया

भारतीय मूल की अनीता भाटिया को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने UN-Women की उप कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। UN-Women एक ऐसी एजेंसी है जो वैश्विक तौर पर महिला सशक्तीकरण और लिंग समानता पर फोकस करती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक अनीता भाटिया ने अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की तथा जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट भी किया है। उन्हें इस पद पर सामरिक भागीदारी, संसाधन जुटाने में विशेषज्ञता और प्रबंधन में उनके योगदान और अनुभव के आधार पर नियुक्त किया गया है। अनीता भाटिया की नियुक्ति महिला सशक्तीकरण और लैंगिक समानता के लक्ष्य हासिल करने के लिये की गई है।

मोहना सिंह

भारतीय वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह 31 मई को दिन (Day Time) में हॉक एडवांस्ड जेट में मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाली पहली महिला युद्धक विमान पायलट बन गई हैं। इस प्रक्रिया में उन्होंने पश्चिम बंगाल के कलार्कुंडा स्थित वायसेना अड्डे पर बेहद कठिन मानी जाने वाली 4-aircraft combat sortie पूरी करने के लिये हॉक एडवांस्ड जेट विमान उड़ाया। यह हॉक जेट के पूरी तरह से संचालन का आखिरी चरण होता है। उन्हें यह उपलब्धि हवा से हवा में मार एवं हवा से जमीन पर मार के कठोर युद्ध प्रशिक्षण के बाद मिली है। इसके अलावा उन्होंने कई प्रशिक्षण मिशन पूरे किये हैं जिनमें रॉकेट, तोप के गोले तथा उच्च क्षमता वाले बमों को गिराना शामिल है। मोहना सिंह को दो महिलाओं भावना कंठ और अवनी चतुर्वेदी के साथ जून 2016 में युद्धक पायलट प्रशिक्षण के लिये चुना गया था।

गिरीश कर्नाड

प्रसिद्ध अभिनेता, कन्नड़ साहित्यकार और निर्देशक गिरीश कर्नाड का 81 वर्ष की आयु में बेंगलुरु में में निधन हो गया। गिरीश कर्नाड की गिनती देश के जाने-माने समकालीन लेखकों, अभिनेताओं, फिल्म निर्देशकों और नाटककारों में की जाती थी। गिरीश कर्नाड ने 1970 में कन्नड़ फ़िल्म संस्कार से फ़िल्मी करियर शुरू किया तथा उनकी पहली ही फिल्म को कन्नड़ सिनेमा के लिए राष्ट्रपति का गोल्डन लोटस पुरस्कार मिला। उन्होंने अपना पहला नाटक कन्नड़ में लिखा जिसका बाद में अंग्रेज़ी में भी अनुवाद किया गया। उनके चर्चित नाटकों में 'ययाति', 'तुगलक', 'हयवदन', 'अंजु मल्लिगे', 'अग्निमतु माले', 'नागमंडल' और 'अग्नि और बरखा' शामिल हैं। गिरीश कर्नाड को 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1998 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1974 में पद्म श्री, 1992 में पद्म भूषण, और 1998 में कालिदास सम्मान से नवाज़ा गया था।

मृत्युंजय महापात्र

वैज्ञानिक और चक्रवात चेतावनी के विशेषज्ञ मृत्युंजय महापात्र को भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का प्रमुख नियुक्त किया गया। फिलहाल IMD में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्यरत मृत्युंजय महापात्र को पाँच साल के लिए महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चक्रवात पूर्वानुमान के लिये प्रसिद्ध मृत्युंजय महापात्र IMD के चक्रवात चेतावनी प्रभाग (CWD) के अगुवा हैं। पिछले छह साल में CWD ने फेलिन (2013), हुदहुद (2014) और तितली (2018) चक्रवात को लेकर सटीक पूर्वानुमान जताया था। IMD पर देश में मौसम और जलवायु से संबंधित पूर्वानुमान की जिम्मेदारी है। यह विभाग चक्रवात, आँधी, वर्षा, बर्फबारी, ठंड, लू चलने आदि के बारे में लोगों को चेतावनी भी जारी करता है। भारत सरकार के तहत काम करने वाले IMD की स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

कुमार अय्यर

ब्रिटेन सरकार ने भारतीय मूल के कुमार अय्यर को विदेश एवं राष्ट्रमंडल कार्यालय में मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। वह विभाग के प्रबंधन बोर्ड में नियुक्त किये जाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। कुमार अय्यर इससे पहले मुंबई में ब्रिटेन के उप-उच्चायुक्त रह चुके हैं और उन्हें वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्त के साथ ही आर्थिक कूटनीति एवं समृद्धि पर काम करने का अनुभव है।

युवराज सिंह

अपने समय के सर्वश्रेष्ठ आलराउंडरों में से एक भारत के युवराज सिंह ने क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। 18 साल तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले 37 वर्षीय युवराज सिंह ने 'मैन ऑफ द सीरीज' खिताब पर कब्जा जमाते हुए भारत को 2011 में वर्ल्ड कप जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। युवराज सिंह ने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत वर्ष 2000 में केन्या के खिलाफ की थी। वर्ष 2007 के T-20 वर्ल्ड कप में क्रिस ब्राड की 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाकर उन्होंने विश्व रिकॉर्ड कायम किया था। युवराज सिंह ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 40 टेस्ट मैच खेले और 1900 रन बनाए। साथ ही 304 एकदिवसीय मैचों में उन्होंने 87.68 के औसत से 8701 रन बनाए। T-20 में युवराज सिंह ने 58 मैचों में 1177 रन बनाए। उन्होंने अपने करियर का आखिरी एकदिवसीय मैच 30 जून, 2017 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था। उन्हें 2012 में अर्जुन पुरस्कार और 2014 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया।

राफेल नडाल

फ्रांस के राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलिया के डॉमिनिक थिएम को हराकर रिकॉर्ड 12वीं बार फ्रेंच ओपन टेनिस का पुरुष एकल खिताब जीत लिया। नडाल ने फ्रेंच ओपन में अब तक सिर्फ दो मैच हारे हैं और 93 मैचों में जीत हासिल की है। नडाल 12 बार इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुँचे और हर बार उन्होंने खिताब जीता। उन्होंने 2005 से 2008, 2010 से 2014 और 2017 से 2019 तक फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल खिताब जीता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के महिला एकल के फाइनल में उन्होंने चेक गणराज्य की माकेर्ता वोनड्रोउसोवा को पराजित किया।

शरद कुमार

सतर्कता आयुक्त शरद कुमार को अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (CVC) नियुक्त किया गया है। वर्तमान CVC के.वी. चौधरी का कार्यकाल 9 जून को पूरा हो गया और सतर्कता आयुक्त टी.एम. भसीन का कार्यकाल 10 जून को पूरा हुआ। आतंकवाद रोधक जाँच एजेंसी NIA यानी राष्ट्रीय जाँच एजेंसी के पूर्व प्रमुख रह चुके शरद कुमार ने पिछले वर्ष 12 जून को सतर्कता आयुक्त का कार्यभार संभाला था। CVC में उनका कार्यकाल अगले साल अक्टूबर में 65 साल की आयु पूरी होने के बाद समाप्त होगा। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली चयन समिति द्वारा नया CVC चुने जाने तक वह इस पद पर बने रहेंगे। गौरतलब है कि के. संथानम समिति की सिफारिशों पर सरकार ने फरवरी, 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की थी। 25 अगस्त, 1988 को एक अध्यादेश के जरिये सांविधिक दर्जा देकर इसे बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा वर्ष 2003 में पारित किया गया तथा राष्ट्रपति ने भी इसे स्वीकृति दी।

सुन वीदोंग

चीन ने दक्षिण एशियाई मामलों के विशेषज्ञ एवं बीजिंग में भारतीय राजदूत के तौर पर तैनात रह चुके विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ काम कर चुके सुन वीदोंग को भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। चीन और दक्षिण एशिया के संबंधों में विशेषज्ञता रखने वाले सुन वीदोंग ने भारतीय विदेश मंत्री के साथ उस समय निकटता से मिलकर काम किया था जब एस. जयशंकर वर्ष 2009-2013 के बीच भारतीय राजदूत के तौर पर बीजिंग में नियुक्त थे और सुन वीदोंग उस समय उपमहानिदेशक थे। पाकिस्तान में चीन के राजदूत के तौर पर काम कर चुके सुन वीदोंग चीनी विदेश मंत्रालय के नीति एवं योजना विभाग के महानिदेशक रहे हैं। इससे पहले भारत में चीन के राजदूत लुओ जाओहुई थे, जिन्हें विदेश मामलों का उपमंत्री नियुक्त किया गया है।

कासिम-जोमार्ट टोकायेव

लंबे समय तक कजाकिस्तान के शासक रहे नूरसुल्तान नज़रबायेव के उत्तराधिकारी के रूप में चुने गए कासिम-जोमार्ट टोकायेव ने राष्ट्रपति का पदभार संभाल लिया है। वह देश के दूसरे निर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं। सोवियत काल से शासन करने के बाद 78 वर्षीय नूरसुल्तान नज़रबायेव ने इस वर्ष मार्च में पद छोड़ दिया था। राजधानी नूर-सुल्तान में शपथ ग्रहण के लिये आयोजित कार्यक्रम के दौरान टोकायेव ने शपथ ली कि 'राय अनेक, राष्ट्र एक' उनके राष्ट्रपति पद का नारा होगा। गौरतलब है कि कजाकिस्तान में चुनाव अगले वर्ष होने थे, लेकिन नए राष्ट्रपति ने इसी वर्ष जून में चुनाव कराने का फैसला किया था।

जुज़ाना कैपुतोवा

15 जून को जुज़ाना कैपुतोवा ने स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पर पदभार संभाल लिया। इसी वर्ष मार्च में हुए चुनावों में कैपुतोवा को 58 प्रतिशत वोट मिले थे, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी उच्चस्तरीय राजनयिक और सत्तासीन पार्टी के उम्मीदवार मारकोस सेफकोविक को 42 प्रतिशत वोट मिले थे। गैर-राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाली कैपुतोवा को भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से पहचान मिली। ज्ञातव्य है कि स्लोवाकिया के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति के अधिकार के साथ वरिष्ठ अभियोजकों और न्यायाधीशों की नियुक्ति में वीटो पावर प्राप्त है। कैपुतोवा प्रोग्रेसिव स्लोवाकिया पार्टी की सदस्य हैं और स्लोवाकिया की संसद में इस पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।

जोशना चिनप्पा

भारत की स्वर्ण खिलाड़ी जोशना चिनप्पा ने 17वीं बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीतकर नया रिकॉर्ड कायम किया है। पुणे में खेली गई 76वीं सीनियर राष्ट्रीय स्वर्ण चैंपियनशिप के फाइनल में उन्होंने सुनयना कुरुविल्ला को पराजित किया। ज्ञातव्य है कि जोशना चिनप्पा राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के अलावा एशियाई खेलों में रजत पदक जीत चुकी हैं। इस जीत के साथ ही उन्होंने भुवनेश्वरी कुमारी के 16 राष्ट्रीय खिताब जीतने के 27 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जो उन्होंने वर्ष 1977 से वर्ष 1992 के बीच अपने नाम किये थे। इसी प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग के फाइनल में शीर्ष वरीय महेश मंगांवकर ने दूसरे वरीय अभिषेक प्रधान को पराजित कर खिताब जीता।

मोहम्मद मोर्सी

लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए मिस्र के पहले राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी की अदालत में पेशी के दौरान मौत हो गई। वर्ष 2013 में सैन्य तख्तापलट के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था। पद से हटाने के बाद उन पर प्रदर्शनकारियों को गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लेने, देश की सूचनाएँ कतर को देने आदि कई तरह के आरोप लगाए गए थे। वर्ष 2015 में उन्हें काहिरा क्रिमिनल कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई थी। दूसरी ओर मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि मोर्सी की मौत स्वाभाविक नहीं है। मिस्र में सैन्य शासन की स्थापना के बाद से अब्दुल फतह अल-सीसी के शासन के दौर में मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाया जा रहा है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2010-11 में मिस्र में 30 साल से चली आ रही होस्नी मुबारक की सत्ता के खिलाफ संघर्ष हुआ और उन्हें सैन्य विद्रोह के बाद पद छोड़ना पड़ा। 11 फरवरी, 2011 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और वर्ष 2012 में उन्हें जेल भेज दिया गया, वर्ष 2017 में वह जेल से रिहा हो गए। होस्नी मुबारक के अपदस्थ होने के बाद मिस्र में हुए चुनावों में मुस्लिम ब्रदरहुड के प्रमुख नेता मोहम्मद मोर्सी का संगठन विजयी हुआ और वह राष्ट्रपति बने।

डॉ. रंजना अग्रवाल

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में प्रोफेसर डॉ. रंजना अग्रवाल को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं विकास अध्ययन संस्थान (NISTASTADS) का निदेशक नियुक्त किया गया है। इस संस्थान के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उपाध्यक्ष केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन हैं। डॉ. रंजना की नियुक्ति छह वर्षों के लिये हुई है। यह संस्थान विज्ञान, समाज और राज्य के बीच संवाद के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं समाज के बीच निरंतर जुड़ाव की संभावनाओं की खोज करता है। ज्ञातव्य है कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत का सबसे बड़ा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान एवं विकास संबंधी संस्थान है। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी और इसकी 39 प्रयोगशालाएँ एवं 50 फील्ड स्टेशन देशभर में स्थित हैं।

छ्यू दोंग्यू

चीन के कृषि उपमंत्री छ्यू दोंग्यू को संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) का नया महानिदेशक चुना गया है। इस एजेंसी की कमान संभालने वाले वह किसी भी कम्युनिस्ट देश के पहले व्यक्ति हैं। FAO के रोम स्थित मुख्यालय में संस्था के 194 सदस्यों ने मिलकर ब्राजील के जोस ग्रासियानो डे सिल्वा के उत्तराधिकारी के रूप में दोंग्यू को चार साल के कार्यकाल के लिये चुना। उन्हें 108 वोट मिले, जबकि अमेरिकी समर्थक जॉर्जिया के डेविट किर्वालिडजे को मात्र 12 वोट मिले। आपको बता दें कि FAO में 11,500 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और वह वर्ष 2030 तक दुनिया को भुखमरी से मुक्त कराने के लक्ष्य को लेकर संयुक्त राष्ट्र की अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

सामंत कुमार गोयल

केंद्र सरकार ने पंजाब कैडर के 1984 के बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी सामंत कुमार गोयल को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) का डायरेक्टर और असम-मेघालय कैडर के 1984 के बैच के अरविंद कुमार को इंटेलीजेंस ब्यूरो (IB) का डायरेक्टर नियुक्त किया है। अब तक इन पदों पर अनिल धस्माना और राजीव जैन कार्यरत थे तथा 31 दिसंबर, 2018 को इन दोनों अधिकारियों को 6 महीने का अतिरिक्त कार्यकाल दिया गया था। राँ भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर एजेंसी है, जिसका गठन 21 सितंबर, 1968 को हुआ था। राँ के प्रमुख कार्यों में जानकारी एकत्र करना, आतंकवाद को रोकना और सीक्रेट ऑपरेशंस को अंजाम देना शामिल है। IB देश की आंतरिक गुप्तचर एजेंसी के रूप में काम करती है तथा इसे दुनिया की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसियों में से एक माना जाता है। इसका गठन वर्ष 1887 में किया गया था।

महाराजा रणजीत सिंह

27 जून, 2019 को पंजाब में लगभग चार दशकों (1801-39) तक शासन करने वाले महाराजा रणजीत सिंह की 180वीं पुण्यतिथि मनाई गई।

- इस अवसर पर लाहौर में इनकी मूर्ति/प्रतिमा का उद्घाटन किया गया।
- आठ फीट ऊंची इस प्रतिमा में जिसमें रणजीत सिंह को घोड़े पर चढ़ा हुआ दिखाया गया है।
- यह मूर्ति लाहौर किले में माई जिंदियन हवेली के बाहर एक खुली जगह में स्थित है, जिसमें रणजीत सिंह समाधि और गुरु अर्जुन देव के गुरुद्वारा डेरा साहिब की इमारत है।
- रणजीत सिंह की सबसे छोटी रानी के नाम पर स्थित हवेली में अब सिख कलाकृतियों की एक स्थायी प्रदर्शनी सिख गैलरी है।
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में पंजाब क्षेत्र उभर कर आया।
- महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर, 1780 को गुजरांवाला (अब पाकिस्तान में स्थित) में हुआ था। उस समय पंजाब पर शक्तिशाली सरदारों का शासन था जिन्होंने इस क्षेत्र को मिसल्स में विभाजित किया था।
- मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में पंजाब क्षेत्र उभर कर आया।
- रणजीत सिंह ने युद्धरत मिसल को उखाड़ फेंका और वर्ष 1799 में लाहौर पर विजय प्राप्त करने के बाद एक एकीकृत सिख साम्राज्य (Unified Sikh Empire) की स्थापना की।
- रणजीत सिंह को पंजाब का शेर (शेर-ए-पंजाब) की उपाधि दी गई थी क्योंकि इन्होंने लाहौर से अफगान आक्रमणकारियों को निकाल दिया था, लाहौर इनके मृत्यु तक राजधानी बनी रही।

स्थान

सिनाबंग ज्वालामुखी

हाल ही में इंडोनेशिया में माउंट सिनाबंग (Mount Sinabung) जो कि जागृत ज्वालामुखी है, में विस्फोट हुआ है।

- सिनाबंग ज्वालामुखी उत्तरी सुमात्रा प्रांत के कारो जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 2,475 मीटर है।
- यह दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के प्रमुख जागृत ज्वालामुखियों में से एक है।
- बीते लगभग 400 वर्षों तक सिनाबंग ज्वालामुखी सुषुप्तावस्था में था, लेकिन हालिया विस्फोट से पूर्व वर्ष 2010 में भी इसमें अचानक विस्फोट हुआ था।
- इंडोनेशिया में ऐसी ज्वालामुखी घटनाएँ होनी सामान्य बात है क्योंकि यह देश प्रशांत महासागर के 'रिंग ऑफ फायर' पर स्थित है जहाँ पर विवर्तनिक प्लेटों के आपस में टकराने के फलस्वरूप भूकंपीय और ज्वालामुखी घटनाएँ घटित होना एक सामान्य बात मानी जाती है।
- 75% या 750 से अधिक ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर पर स्थित हैं और 90% भूकंप इन्हीं विवर्तनिक प्लेटों के कारण आते हैं।
- जावा, बाली और कई अन्य इंडोनेशियाई द्वीपों के ज्वालामुखी ऑस्ट्रेलिया और सुंडा टेक्टोनिक प्लेटों के बीच टकराव के कारण निर्मित हुए हैं। सुंडा-जावा ट्रेंच (Sunda-Java Trench) का निर्माण ऑस्ट्रेलिया प्लेट (Australia Plate) एवं सुंडा प्लेट (Sunda Plate) के बीच टकराव से होता है जिसमें ऑस्ट्रेलिया प्लेट सुंडा प्लेट के नीचे आ जाती है।
- ऑस्ट्रेलिया प्लेट जब लगभग 100 मील की गहराई तक पहुँच जाती है, तब यह पिघलने लगती है एवं गर्म और पिघला हुआ पदार्थ सतह से ऊपर की ओर बढ़ने लगता है, जिससे इंडोनेशियाई ज्वालामुखी में विस्फोट हो जाता है।

जागृत ज्वालामुखी

- यह ज्वालामुखी लंबा एवं शंक्वाकार होता है जो कठोर लावा, टेफ्रा की पर्तों से मिलकर बना होता है।
- इन ज्वालामुखियों में होने वाले विध्वंसक विस्फोट इनकी प्रमुख विशेषता है।
- इससे निकलने वाले लावा की श्यानता बहुत अधिक होती है, जिस कारण यह ठंडा होने के बाद ज्यादा कठोर हो जाता है।

सतोपंथ

सतोपंथ गंगोत्री हिमालय का सबसे ऊँचा हिमशिखर (लगभग 7075 मीटर) है हाल ही में एक दल द्वारा इसका आरोहण किये जाने के कारण यह चर्चा में आया।

- सतोपंथ एक ऐसा दुर्गम स्थान है जहाँ लगभग वर्ष भर भारी मात्रा में बर्फ जमी रहती है। इसका आरोहण अत्यंत कठिन है।
- यहीं पर एक झील 'सतोपंथ झील' भी है। अभी यहाँ पूरी तरह से बर्फ जमी हुई है।
- उत्तराखंड में स्थित सतोपंथ झील यहाँ की प्राकृतिक झीलों में से एक है। इसके बारे में कई रहस्य और किंवदंतियाँ हैं।
- यह झील न सिर्फ धार्मिक कारणों से बल्कि अपने अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से भी विश्व के पर्यटन मानचित्र में दर्ज है।
- अक्सर प्राकृतिक झीलों का आकार गोल या चौकोर होता है लेकिन यह अद्वितीय झील तिकोने आकार की है, जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है।

नागरी का ऐतिहासिक क्लॉक टॉवर

दो दशकों तक एक जीर्ण-शीर्ण अवस्था में रहने के बाद नागरी शहर (चेन्नई) के बीचों-बीच 54 साल पुराना क्लॉक टॉवर (Clock Tower) फिर से चलाया जाएगा।

- यह ऐतिहासिक क्लॉक टॉवर वर्ष 1965 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की याद में उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर टाउन के बीच में बनाया गया था।
- ए.के. वेंकट रमना, उर्फ थम्बा नायडू ने नागरी (चेन्नई) में इस ऐतिहासिक संरचना का निर्माण करवाया था।
- नायडू कैनेडी के बहुत बड़े प्रशंसक थे तथा उस समय के एक गाँव नागरी (Nagari) के सरपंच थे।
- यह टॉवर नागरी नगरपालिका का प्रमुख स्मारक बन गया है।
- नागरी में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैन्य आंदोलनों तथा ब्रिटिश राज की गतिविधियों का केंद्र था।



पुरस्कार

कान फिल्म महोत्सव

दक्षिण कोरिया के बॉन्ग जून-हू निर्देशित सामाजिक व्यंग्य फिल्म पैरासाइट को हाल ही में आयोजित हुए 72वें कान फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवॉर्ड से नवाजा गया। इस फिल्म की कहानी कोरिया में रहने वाले एक उच्चवर्गीय परिवार की है। 'पैरासाइट' एक ब्लैक कॉमेडी है जिसमें सोशल स्टेटस, महत्वाकांक्षाओं, भौतिकवाद और पितृसत्ता से जुड़े एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। गौरतलब है कि हर साल एक फिल्म को कान के प्रतिष्ठित पाम डि ओर (Palme d'Or) अवॉर्ड से सम्मानित किया जाता है। पिछले वर्ष जापान के डायरेक्टर हीरोकाजु कोरे-एदा की फिल्म शॉपलिफ्टर्स को यह अवॉर्ड मिला था।

स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी'

अमेरिका की प्रतिष्ठित 'स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी' 2019 में भारतीय-अमेरिकियों का बोलबाला बरकरार रहा। इस बार प्रतियोगिता के आठ विजेताओं विद्यार्थियों में सात भारतीय मूल के हैं। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के 94 वर्ष के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि दो से अधिक सह-विजेता घोषित किये गए। 2007 के बाद यह पहला मौका है जब कोई अमेरिकी छात्र (एरविन होवार्ड) विजेताओं में शामिल है। कैलिफोर्निया के ऋषिक गंधश्री, मैरीलैंड के साकेत सुंदर, न्यू जर्सी की श्रुतिका पद्म, टेक्सास के सोहम सुखतंकर, टेक्सास के रोहन राजा, न्यू जर्सी के क्रिस्टोफर सेराओ और होवार्ड के अलबामा को सह-विजेता घोषित किया गया है। इन सभी की आयु 15 वर्ष से कम है। पिछले साल भारतीय अमेरिकी कार्तिक नेम्मानी ने यह प्रतियोगिता जीती थी। इस जीत के साथ वह लगातार 11 वर्ष से प्रतियोगिता जीतने वाले 14वें भारतीय अमेरिकी बने थे। वर्ष 2017 में भारतीय अमेरिकी छात्रा अन्नया विनय ने प्रतियोगिता जीती थी।

ऑर्डर ऑफ द एज़टेक ईगल

देश की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटिल को मेक्सिको द्वारा विदेशी नागरिकों को दिये जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द एज़टेक ईगल (Order of the Aztec Eagle) से नवाजा गया है। भारत में मेक्सिको की राजदूत मेलबा प्रिआ ने पूर्व राष्ट्रपति को यह पुरस्कार प्रदान किया। प्रतिभा पाटिल यह पुरस्कार पाने वाली भारत की दूसरी राष्ट्र प्रमुख हैं। उनसे पहले दिवंगत राष्ट्रपति एस. राधाकृष्ण को यह सम्मान मिला था। यह पुरस्कार मानवता के लिये अच्छे कार्य, मेक्सिको और अन्य देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने के लिये किये गए अहम योगदान के लिये दिया जाता है।

54वाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार

अंग्रेजी के प्रख्यात साहित्यकार अमिताव घोष को वर्ष 2018 के लिये 54वाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले वह अंग्रेजी के पहले लेखक हैं। देश के सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में उन्हें पुरस्कार स्वरूप 11 लाख रुपए की राशि, वाग्देवी की प्रतिमा और प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार गोपाल कृष्ण गांधी ने दिया। आपको बता दें कि दिसंबर 2018 प्रतिभा रॉय की अध्यक्षता में आयोजित ज्ञानपीठ चयन समिति की बैठक में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया था। अंग्रेजी को तीन साल पहले ही ज्ञानपीठ पुरस्कार की भाषा के रूप में शामिल किया गया था। अमिताव घोष साहित्य अकादमी और पद्मश्री सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं में 'द सर्किल ऑफ रीजन', 'दे शेडो लाइन', 'द कलकत्ता क्रोमोसोम', 'द ग्लास पैलेस', 'द हंगरी टाइड', 'रिवर ऑफ स्मोक' और 'फ्लड ऑफ फायर प्रमुख हैं। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी. शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था।

डैनी काये ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड

यूनिसेफ की गुडविल एंबेसडर भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित समारोह यूनिसेफ स्त्रो फ्लेक बॉल में डैनी काये ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह न्यूयॉर्क का सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड समारोह है, जिसमें यूनिसेफ की ओर से मानवता की भलाई के लिये काम करने वाले लोगों को अवॉर्ड्स दिये जाते हैं। इस समारोह का आयोजन 3 दिसंबर को न्यूयॉर्क में किया जाएगा। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का गठन 4 नवंबर, 1946 को हुआ था। इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है। यूनेस्को के 193 सदस्य देश हैं और 11 सहयोगी सदस्य देश और दो पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं। इसके कुछ सदस्य देश ऐसे भी हैं जो अभी तक स्वतंत्र नहीं हुए हैं। इसका मुख्यालय पेरिस में है तथा इसके अधिकांश क्षेत्रीय कार्यालय क्लस्टर के रूप में हैं, जिसके अंतर्गत तीन-चार देश आते हैं। यूनेस्को के 27 क्लस्टर कार्यालय और 21 राष्ट्रीय कार्यालय हैं।

ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड

गूगल के भारतीय मूल के CEO सुंदर पिचई और नैसडाक की प्रेसिडेंट एडीना फ्रीडमन को इस साल के ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के लिये चुना गया है। टेक्नोलॉजी आधारित अग्रणी प्लेटफॉर्म के रूप में दोनों कंपनियों के योगदान को देखते हुए अमेरिकी उद्योग संगठन यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल ने इनका चुनाव किया है। यह पुरस्कार अमेरिका और भारत की उन कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों को दिया जाता है, जो अमेरिका-भारत व्यापारिक क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। गूगल और नैसडाक जैसी कंपनियों के योगदान से अमेरिका और भारत का द्विपक्षीय वस्तु एवं सेवा व्यापार पिछले पाँच वर्षों में करीब 150 फीसदी बढ़कर 2018 में 142.1 अरब डॉलर पर पहुँच गया है। यह वार्षिक पुरस्कार 2007 से दिया जा रहा है।

स्टार ऑफ यरुशलम

फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भारत के नागरिक शेख मोहम्मद मुनीर अंसारी को स्टार ऑफ यरुशलम से सम्मानित किया है। यरुशलम के पुराने शहर में उनके परिवार की मौजूदगी भारतीय और फिलिस्तीनी लोगों के बीच मजबूत पारंपरिक संबंधों को दर्शाती है। शेख अंसारी यहाँ इंडियन हॉस्पिस (भारतीय आश्रम) के निदेशक हैं, जो पिछले 800 वर्षों से भारत की विरासत और यरुशलम के पुराने शहर में उनकी मौजूदगी का प्रतीक है। आपको बता दें कि इंडियन हॉस्पिस में गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों की देखरेख की जाती है। गौरतलब है कि शेख अंसारी को वर्ष 2011 में भारत में भी प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया गया था, जो विदेश में रहने वाले भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। 'स्टार ऑफ यरुशलम' फिलिस्तीन सरकार द्वारा विदेशी नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है।

गंगा क्वेस्ट पुरस्कार, 2019

5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 'स्वच्छ गंगा के लिये राष्ट्रीय मिशन' (NMCG) ने गंगा और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के तरीकों पर चर्चा करने के लिये एकदिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया।

- इस अवसर पर गंगा क्वेस्ट, 2019 के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किये गए।
- ज्ञातव्य है कि NMCG ने नमामि गंगे कार्यक्रम में सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाने और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिये एक अखिल भारतीय गंगा क्वेस्ट 2019 का आयोजन किया था।
- यह गंगा नदी पर पहली राष्ट्रीय स्तर ली ऑनलाइन क्विज़ है।
- गंगा नदी के बारे में जागरूकता और ज्ञान प्रसार के लिये एक महीने तक ऑनलाइन क्विज़ आयोजित की गई।
- यह क्विज़ 22 अप्रैल, 2019 (विश्व पृथ्वी दिवस) को शुरू की गई और 22 मई 2019 (विश्व जैव विविधता दिवस) को समाप्त हुई।
- NMCG द्वारा यह आयोजन वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (Wild Life Institute of India), ट्री क्रेज फाउंडेशन (Tree Craze foundation), GIZ और VA Tech WABAG की साझेदारी में किया गया।

स्वच्छ गंगा के लिये राष्ट्रीय मिशन (NMCG)

- स्वच्छ गंगा के लिये राष्ट्रीय मिशन राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन (NMCG) को 12 अगस्त, 2011 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था।
- इसका कार्यान्वयन जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है।

राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार, 2019

सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान देने वाले पात्र व्यक्तियों एवं संगठनों से राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार, 2019 (National Communal Harmony Awards, 2019) के लिये नामांकन आमंत्रित किये गए हैं।

पात्रता

- व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार के लिये 'राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव' के क्षेत्र में कम-से-कम दस साल की अवधि तक काम कर चुके व्यक्तियों के नामों पर विचार किया जाएगा, जबकि संगठन श्रेणी में 5 साल से अधिक समय तक कार्य करने वाले संगठनों के नामों पर विचार किया जाएगा।

राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार

- राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कारों की स्थापना गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव संस्थान (National Foundation for Communal Harmony-NFCH) द्वारा वर्ष 1996 में की गई थी।
- इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल 26 जनवरी को की जाती है।
- राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव संस्थान एक स्वायत्त संगठन है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 और गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत पंजीकृत है।

दिवस

विश्व दुग्ध दिवस

1 जून को दुनियाभर में विश्व दुग्ध दिवस (World Milk day) का आयोजन किया गया। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य दूध और इससे संबंधित उद्योगों को प्रोत्साहन देना है। इसके अलावा इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्राकृतिक दूध के बारे में लोगों के बीच जागरूकता उत्पन्न करना भी है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा विश्व दुग्ध दिवस की स्थापना की गई थी और पहली बार 1 जून, 2001 को इस दिवस का आयोजन किया गया था। दूध में हमारे शरीर के लिये आवश्यक सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें कैल्सियम, मैगनीशियम, जिंक, फॉस्फोरस, ऑयोडीन, आइरन, पोटेशियम, फोलेट्स, विटामिन-ए, विटामिन-डी, राइबोफ्लेविन, विटामिन-बी12, प्रोटीन, गुड फैट आदि शामिल हैं। इस वर्ष विश्व दुग्ध दिवस की थीम Drink Milk: Today & Everyday रखी गई है।

विश्व साइकिल दिवस

3 जून को दुनियाभर में विश्व साइकिल दिवस का आयोजन किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने पिछले साल ही 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के तौर पर घोषित किया था। दुनियाभर की सरकारों और पर्यावरण की चिंता करने वाले लोग शहरी पर्यावरण की सुरक्षा के लिये साइकिल सवारी को बढ़ावा देने में जुटे हैं। फ्रांस ने अपनी राजधानी पेरिस को वर्ष 2020 तक दुनियाभर की साइकिलिंग राजधानी बनाने के लिये 1.5 करोड़ यूरो की योजना बनाई है। देश की राजधानी नई दिल्ली में विश्व साइकिल दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की जन साइकिल भागीदारी योजना के एक स्मार्ट साइकिल स्टेशन का भी उद्घाटन किया। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र में इस तरह के 50 स्मार्ट साइकिल स्टेशन बनाने की योजना है। इस वर्ष विश्व साइकिल दिवस की थीम Less Cycling Affecting Health & Environment रखी गई है।

विश्व पर्यावरण दिवस

5 जून को दुनियाभर में विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया। पर्यावरण के संरक्षण के लिये कार्य करने और जागरूकता फैलाने की दृष्टि से यह संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण दिवस है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की चिंता करते हुए विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का विचार रखा गया। इसकी शुरुआत स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई, जहाँ पहली बार वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 119 देश शामिल हुए थे। विश्व में लगातार बढ़ते प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं के चलते विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत 1974 में हुई थी। विश्व पर्यावरण दिवस की इस वर्ष की थीम वायु प्रदूषण (Air Pollution) रखी गई है। हर वर्ष इस दिवस की मेजबानी एक अलग देश करता है और इस बार यह मेजबानी चीन कर रहा है।

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस

देश में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा 7 जून को पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अनाज की बर्बादी को रोकना तथा अपने स्तर पर और अपने संस्थानों में खाद्य सुरक्षा में योगदान देना है। नए भारत के विज्ञान में स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और पोषण भी शामिल है। FSSAI ने राज्यों द्वारा सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराने के प्रयासों के संदर्भ में पहला राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स (SFSI) विकसित किया है। इस इंडेक्स के माध्यम से खाद्य सुरक्षा के पाँच मानदंडों पर राज्यों का प्रदर्शन आँका जाएगा, इनमें मानव संसाधन और संस्थागत प्रबंधन, कार्यान्वयन, खाद्य जाँच-अवसंरचना और निगरानी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा उपभोक्ता सशक्तीकरण शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करने वाले FSSAI की स्थापना अगस्त 2011 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

बाल श्रम निषेध दिवस

12 जून को दुनियाभर में बाल श्रम निषेध दिवस आयोजित किया गया। बाल श्रम उन्मूलन को दृष्टिगत रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation) ने बाल श्रम निषेध दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2002 में की थी। बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूकता फैलाने और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को इस काम से निकालकर उन्हें शिक्षा दिलाना इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य है। इस वर्ष बाल श्रम निषेध दिवस की थीम Children shouldn't work in fields, but on dreams रखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, आज भी दुनियाभर में 152 मिलियन बच्चे मजदूरी करते हैं। भारत में जनगणना 2011 की रिपोर्ट बताती है कि देश में एक करोड़ से ज्यादा बाल मजदूर हैं। हर साल हजारों बच्चे ट्रैफिकिंग (दुर्व्यापार) के जरिये एक राज्य से दूसरे राज्यों में ले जाए जाते हैं। सीमापार ट्रैफिकिंग के जरिए नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी गरीब देशों से भी भारत में ऐसे बच्चे हजारों की संख्या में लाए जाते हैं। जबरन बाल मजदूरी, गुलामी और बाल वेश्यावृत्ति आदि के लिये इन बच्चों को खरीदा और बेचा जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस

13 जून को विश्वभर में अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस (International Albinism Awareness Day) मनाया गया। हमारी पृथ्वी के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग रंगों के लोग पाए जाते हैं, इनमें से कुछ प्राकृतिक रूप से काले या सफेद होते हैं तो कुछ किसी तत्व की कमी के कारण अजीब से रंगों के हो जाते हैं। लैटिन शब्द ऐल्बिस यानी (सफेद) से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसे ऐक्रोमिया, ऐक्रोमेसिया या ऐक्रोमेटोसिस (वर्णांधता या अवर्णता) भी कहा जाता है। यह मेलैनिन के उत्पादन में शामिल एंजाइम के अभाव या दोष की वजह से त्वचा, बाल और आँखों में रंजक या रंग के संपूर्ण या आंशिक अभाव द्वारा चिह्नित किया जाने वाला एक जन्मजात विकार है। यह मानव सहित सभी रीढ़धारियों को प्रभावित करता है। यह एक प्रकार का रोग है जिसमें त्वचा में पिगमेंट की कमी हो जाती है और इसकी वजह से त्वचा का रंग हल्का हो जाता है। गौरतलब है कि 18 दिसंबर, 2014 को रंगहीनता के शिकार लोगों के साथ विश्व में होने वाले भेदभाव के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 13 जून को इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी।

विश्व रक्तदान दिवस

14 जून को दुनियाभर में विश्व रक्तदान दिवस का आयोजन किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा वर्ष 2004 में शुरू किये गए इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूक करना और सुरक्षित रक्तदान करने के लिये स्वैच्छिक रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करते हुए उनका आभार व्यक्त करना है। इस दिवस को मनाने का एक अन्य उद्देश्य रक्तदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना भी है। विश्व रक्तदान दिवस मानव विज्ञान में नोबल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टाइन की याद मनाया जाता है, जिन्हें मानव रक्त का वर्गीकरण करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया था। इस वर्ष विश्व रक्तदान दिवस की थीम Safe blood for all रखी गई है तथा रवांडा होस्ट कंट्री है। एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में हर साल लगभग 1.20 करोड़ यूनिट रक्त की जरूरत होती है। लेकिन रक्तदाताओं से केवल 90 लाख यूनिट ही रक्त एकत्रित हो पाता है।

पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस

16 जून को पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस (International Day of Family Remittances) मनाया गया। इस दिवस को प्रवासी श्रमिकों द्वारा अपने परिवारों को और उनके माध्यम से अपने मूल देशों के सतत विकास के लिये किए गए महत्वपूर्ण वित्तीय योगदान की सराहना करने के लिये मनाया जाता है। आपको बता दें कि 16 जून को IFD की गवर्निंग काउंसिल द्वारा वर्ष 2015 में पारिवारिक प्रेषण के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। यह दिन दुनियाभर में अपने लगभग 800 मिलियन परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने लिये 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों के योगदान को मान्यता देता है। इस दिवस के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य उन प्रभावों के बारे में जागरूकता लाना है जो इन योगदानों से लाखों परिवारों, समुदायों, देशों और क्षेत्रों पर भी पड़ता है।

विश्व शरणार्थी दिवस

20 जून को दुनियाभर में विश्व शरणार्थी दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिवस शरणार्थियों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करने और उनकी समस्याओं को हल करने के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु मनाया जाता है। शरणार्थी उन्हें कहा जाता है, जिन्हें युद्ध, प्रताड़ना, संघर्ष और हिंसा की वजह से अपना देश छोड़कर अन्यत्र पलायन करने पर मजबूर होना पड़ता है। दिसंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका शरणार्थी दिवस यानी 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था और वर्ष 2001 से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाता है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) शरणार्थियों की सहायता करने के लिये ही बनी है। इस वर्ष इस दिवस की थीम #StepWithRefugees—Take A Step on World Refugee Day रखी गई है।

विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस

15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस (World Elder Abuse Awareness Day) का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य संपूर्ण विश्व में बुजुर्गों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार एवं उनके कष्टों के विरुद्ध आवाज उठाना है। ज्ञातव्य है कि विश्वभर में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है और उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार में भी बढ़ोतरी हो रही है। बुजुर्गों के साथ होने वाला दुर्व्यवहार आज एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बन चुका है। हेल्लोएज इंडिया ने अपने एक सर्वे के बाद 'भारत में बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार: देखरेख करने में परिवार की भूमिका: चुनौतियाँ और प्रतिक्रिया रिपोर्ट' पेश की है, जिसमें बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के विभिन्न तरीकों को लेकर चिंता जताई गई है। ज्ञातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2011 में पहली बार इस दिवस का आयोजन किया गया था। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस की इस वर्ष की थीम Lifting Up Voices रखी गई है।

विश्व संगीत दिवस

21 जून को दुनियाभर में विश्व संगीत दिवस का आयोजन किया जाता है। इसे Fete de la Musique नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है म्यूज़िकक फेस्टिवल यानी संगीत का उत्सव। विश्व में सदैव शांति बरकरार रखने के लिये फ्रांस में पहली बार 21 जून, 1982 को प्रथम विश्व संगीत दिवस मनाया गया था, जिसका श्रेय वहाँ के तात्कालिक सांस्कृतिक मंत्री जैक लो को जाता है। विश्व संगीत दिवस का आयोजन कुल 110 देशों में ही किया जाता है, जिनमें भारत भी शामिल है। विश्व संगीत दिवस को मनाने का उद्देश्य अलग-अलग तरीके से लोगों को संगीत के प्रति जागरूक करना है ताकि लोगों का विश्वास संगीत पर बना रहे। इसको मनाने का उद्देश्य अलग-अलग तरीके से संगीत का प्रचार करना तथा दक्ष व नए कलाकारों को एक मंच पर लाना है। विश्व भर में इस दिन संगीत और ललित कला को प्रोत्साहित करने वाले कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष विश्व संगीत दिवस की थीम Music at the Intersections रखी गई है।

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस

23 जून को दुनियाभर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का आयोजन किया जाता है। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल 23 जून, 1894 को पेरिस में आयोजित हुए थे और इसी की याद में हर वर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून, 1948 को मनाया गया था, तब सिर्फ नौ देश ही इसमें शामिल थे- ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, ग्रीस, पुर्तगाल, स्विट्ज़रलैंड, उरुग्वे और वेनुज़ुएला। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ग, आयु के लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना है। भारत में इसका प्रमुख आयोजक भारतीय ओलंपिक संघ है तथा वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की देखरेख में इस दिवस का आयोजन किया जाता है। इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के लुसाने में है। फ्रांस के पियरे कुबर्तिन को आधुनिक ओलंपिक का जन्मदाता माना जाता है।

यौन हिंसा उन्मूलन दिवस

19 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौन हिंसा उन्मूलन दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में यौन हिंसा के खिलाफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 19 जून, 2015 को संघर्ष के दौरान यौन हिंसा उन्मूलन के लिये अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया गया था। यौन हिंसा के तहत बलात्कार, यौन दासता, जबरन वेश्यावृत्ति, जबरन गर्भपात, जबरन नसबंदी, जबरन शादी और महिलाओं, पुरुषों, लड़कियों या लड़कों के खिलाफ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यौन हिंसा से जुड़ा कोई अन्य रूप शामिल हैं। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय यौन हिंसा उन्मूलन दिवस की थीम Survivor-centered approach to counter, prevent, and alleviate conflict-related violence in conflict and post-conflict situations रखी गई है।

यौन हिंसा उन्मूलन दिवस

19 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौन हिंसा उन्मूलन दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में यौन हिंसा के खिलाफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 19 जून, 2015 को संघर्ष के दौरान यौन हिंसा उन्मूलन के लिये अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया गया था। यौन हिंसा के तहत बलात्कार, यौन दासता, जबरन वेश्यावृत्ति, जबरन गर्भपात, जबरन नसबंदी, जबरन शादी और महिलाओं, पुरुषों, लड़कियों या लड़कों के खिलाफ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यौन हिंसा से जुड़ा कोई अन्य रूप शामिल हैं। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय यौन हिंसा उन्मूलन दिवस की थीम-Survivor-centered approach to counter, prevent, and alleviate conflict-related violence in conflict and post-conflict situations रखी गई है।

अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस

27 जून को संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) दिवस का आयोजन किया गया। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में MSME व्यवसायों के मजबूत योगदान को दर्शाने के लिये यह दिवस मनाया जाता है। साथ ही यह दिन रोजगार के अवसर पैदा करने के मामले में देश के विकास में MSME के महत्व को भी दर्शाता है। MSME दिवस विकासशील देशों में छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों में अधिकतम निवेश की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने का संदेश देता है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और सभी के लिये नवाचार, रचनात्मकता और सतत कार्य को बढ़ावा देने में MSME के महत्व को पहचानते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 अप्रैल, 2017 को आयोजित अपनी 74वीं आमसभा में 27 जून को MSME दिवस के रूप में घोषित किया। MSME क्षेत्र पिछले कुछ दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अत्यधिक जीवंत और गतिशील क्षेत्र बनकर उभरा है। इसीलिये भारत सरकार में इसके लिये अलग से एक मंत्रालय बनाया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस

वैश्विक कार्रवाई को मजबूत करने और मादक पदार्थों के दुरुपयोग से मुक्त अंतर्राष्ट्रीय समाज के लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग करने के लिये प्रतिवर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य मादक पदार्थों के दुरुपयोग के साथ-साथ मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के खिलाफ संघर्ष के लिये जागरूकता बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1987 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय (UNODC) प्रतिवर्ष विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी करता है। इस वर्ष 17वें अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस की थीम न्याय के लिये स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिये न्याय रखी गई है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस पर पिछले 16 वर्षों से एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मादक पदार्थ निरोध दौड़ का सफल आयोजन किया जाता रहा है।

विश्व महासागर दिवस

8 जून को पूरी दुनिया में विश्व महासागर दिवस (World Ocean Day) के रूप में मनाया गया। यह दिवस महासागरों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिये मनाया जाता है।

- वर्ष 2019 के लिये इस दिवस की थीम 'Gender and oceans' है।
- विश्व महासागर दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित 'पृथ्वी ग्रह' नामक फोरम में लाया गया था।
- इसी दिन विश्व महासागर दिवस को हमेशा मनाए जाने की घोषणा भी की गई थी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने इससे संबंधित प्रस्ताव को वर्ष 2008 में पारित किया था और इस दिन को आधिकारिक मान्यता प्रदान की थी।
- पहली बार विश्व महासागर दिवस 8 जून, 2009 को मनाया गया था।
- इसका उद्देश्य केवल महासागरों के प्रति जागरूकता फैलाना ही नहीं बल्कि दुनिया को महासागरों के महत्व और भविष्य में इनके सामने खड़ी चुनौतियों से भी अवगत कराना है।
- इस दिन कई महासागरीय पहलुओं जैसे- सामुद्रिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग, पारिस्थितिक संतुलन, खाद्य सुरक्षा, जैव-विविधता तथा जलवायु परिवर्तन आदि पर भी प्रकाश डाला जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

21 जून, 2019 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। यह पाँचवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (International Yoga day) है। 21 जून, 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। इस दिन दुनिया भर में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

- प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन 21 जून, 2015 को दिल्ली के राजपथ पर किया गया था। दूसरे, तीसरे एवं चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन क्रमशः वर्ष 2016 में चंडीगढ़, वर्ष 2017 में लखनऊ तथा वर्ष 2018 में देहरादून में किया गया था।
- इस वर्ष पाँचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन झारखंड की राजधानी रांची में किया जा रहा है।
- विश्व योग दिवस 2019 के लिये दो थीम हैं, संयुक्त राष्ट्र (United Nations) द्वारा घोषित थीम 'योग फॉर क्लाइमेट एक्शन' (Yoga For Climate Action) और भारत के आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित थीम 'हृदय के लिये योग' (Yoga For Heart) है।

21 जून ही क्यों ?

- 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति/अयनांत (Summer Solstice) होती है इसलिये इस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में चुना गया है।
- शीतकालीन अयनांत या संक्रांति (Winter Solstice) 21 या 22 दिसंबर को होती है, इस तिथि को दिन की तुलना में रात अधिक बड़ी होती है।
- ग्रीष्म संक्रांति का दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है।

पृष्ठभूमि

- 11 दिसंबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' के रूप में मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।
- भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव को 90 दिनों के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस प्रस्ताव को मंजूर करने के संदर्भ में लिया गया यह सबसे कम समय है।
- योग प्रोत्साहन और विकास में असाधारण योगदान के लिये 2019 का प्रधानमंत्री पुरस्कार इटली के एंटोनियेटा रोज़जी (व्यक्तिगत श्रेणी - अंतर्राष्ट्रीय), जापान योग निकेतन (संगठन - अंतर्राष्ट्रीय), गुजरात के स्वामी राजर्षि मुनि लाइफ मिशन (राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत श्रेणी में) और बिहार स्कूल ऑफ योग (मुंगेर) (संगठन - राष्ट्रीय), को योग के क्षेत्र में प्रचार और प्रसार हेतु उत्कृष्ट योगदान के लिये वर्ष 2019 का प्रधान मंत्री पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- इनका चयन आयुष मंत्रालय (Ministry of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy-AYUSH) द्वारा विभिन्न श्रेणियों के तहत प्राप्त 79 नामांकन के बीच से किया गया था।

विश्व शरणार्थी दिवस

विश्व भर के शरणार्थियों की शक्ति, हिम्मत और दृढ़ निश्चय एवं उनके प्रति सम्मान को स्वीकृति देने के लिये संयुक्त राष्ट्र 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाता है।

विश्व शरणार्थी दिवस 2019 की थीम #StepWithRefugees — Take A Step on World Refugee Day है।

- वर्ष 2018 में इसकी थीम 'Now More Than Ever, We Need to Stand with Refugees' थी।
- प्रत्येक वर्ष 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस दिन उन लोगों के साहस, शक्ति और संकल्प के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है, जिन्हें प्रताड़ना, संघर्ष और हिंसा की चुनौतियों के कारण अपना देश छोड़कर बाहर भागने को मजबूर होना पड़ता है। वस्तुतः शरणार्थियों की दुर्दशा और समस्याओं का समाधान करने के लिये ही इस दिवस को मनाया जाता है।

पृष्ठभूमि

- अफ्रीकी देशों की एकता को अभिव्यक्त करने के लिये 4 दिसंबर, 2000 को संयुक्त राष्ट्र परिषद द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था।
- इस प्रस्ताव में 2001 को शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित 1951 की संधि की 50वीं वर्षगांठ के रूप में चिह्नित किया गया।
- ऑर्गनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी (ओएयू) अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस को अफ्रीकी शरणार्थी दिवस के साथ 20 जून को मनाने के लिये सहमत हो गया।
- इंटरनेशनल रेस्क्यू कमिटी (International Rescue Committee) और एमनेस्टी इंटरनेशनल (Amnesty International) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस दिन निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित करते हैं:
 - ◆ शरणार्थी स्थलों का निरीक्षण।
 - ◆ शरणार्थियों और उनकी समस्याओं से संबंधित फिल्मों का प्रदर्शन।
 - ◆ गिरफ्तार शरणार्थियों की मुक्ति के लिये विरोध प्रदर्शन।
 - ◆ जेल में बंद शरणार्थियों के लिये समुचित चिकित्सकीय सुविधा और नैतिक समर्थन उपलब्ध कराने के लिये रैलियों का आयोजन।

The Vision

खेल

FIH महिला सीरीज़ फाइनल्स प्रतियोगिता

भारत की महिला हॉकी टीम ने हिरोशिमा हॉकी स्टेडियम में जापान को 3-1 से हराकर FIH महिला सीरीज़ फाइनल्स प्रतियोगिता जीत ली। इससे पहले इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में चिली को 4-2 से हराने के साथ ही भारत ने वर्ष 2020 में टोक्यो में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों के लिये क्वालिफायर के अंतिम चरण के लिये क्वालिफाई कर लिया था। फिलहाल भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल के हाथों में है।

पुरुष एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप

भारत के पंकज आडवाणी ने 35वीं पुरुष एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप में थाईलैंड के थनावत तिरपोंगपैबून को पराजित कर खिताब जीत लिया। इस जीत के साथ ही उन्होंने क्यू खेलों (बिलियर्ड्स और स्नूकर) में अपना करियर ग्रैंडस्लैम भी पूरा किया। पंकज आडवाणी ने SCBS एशियाई स्नूकर स्पर्धा- 6 रेड (छोटा प्रारूप) और 15 रेड (लंबे प्रारूप) दोनों प्रारूपों में जीत हासिल की। इस तरह पंकज आडवाणी सभी प्रारूपों में एशियाई और विश्व चैंपियनशिप अपने नाम करने वाले एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति

भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) के समक्ष वर्ष 2023 में होने वाले सत्र की मुंबई में मेज़बानी करने के लिये दावा पेश किया है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा और IOC सदस्य नीता अंबानी ने IOC की संचालन संस्था के 134वें सत्र से इतर IOC प्रमुख थॉमस बाक को औपचारिक बोली पत्र सौंपा। वर्ष 2022-23 में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगाँठ है और भारतीय खेलों के लिये इससे बेहतर क्या हो सकता है कि इस अवसर पर संपूर्ण ओलंपिक समुदाय-परिवार भारत में उपस्थित रहे। भारत पहले वर्तमान सत्र की मेज़बानी चाहता था, लेकिन वह इटली के शहर मिलान से पिछड़ गया था। बाद में इटली ने वर्ष 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी का दावा पेश करने का फैसला किया जिससे मिलान में यह सत्र आयोजित नहीं हो पाया। गौरतलब है कि भारत ने इससे पहले वर्ष 1983 में नई दिल्ली में IOC सत्र की मेज़बानी की थी। IOC की स्थापना आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक माने जाने वाले पियरे डि कुबर्तिन ने 23 जून, 1894 को की थी। इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के लुसाने में है तथा वर्तमान में 205 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियाँ इसकी सदस्य हैं।

सुरक्षा

समुद्री डकैती रोधी गश्त

हाल ही में नौसेना ने ओमान के सलालाह (Salalah) से समुद्री डकैती को रोकने हेतु 'P-8I 'लॉन्ग रेंज मेरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट' (P-8I Long-range Maritime Surveillance Aircraft) तैनात किया है।

- नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region- IOR) में अपनी मिशन आधारित तैनाती (Mission Based Deployments- MBD) के तहत अदन की खाड़ी (Gulf of Aden) में गश्त करने के लिये यह कदम उठाया है।
- MBD अवधारणा के तहत, नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में हर चोक पॉइंट पर किसी भी समय एक जहाज तैनात रखती है।
- 2008 से, भारत व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती रोधी (Anti-Piracy) गश्त कर रहा है।
- P-8I विमान
- 'P-8I लंबी दूरी की पनडुब्बी-रोधी वारफेयर (anti-submarine warfare), एंटी-सर्फेस वारफेयर (anti-surface warfare), इंटेलिजेंस, सर्विलांस और टोही विमान' हैं और व्यापक क्षेत्र (Broad Area), तटीय तथा समुद्री परिचालन में सक्षम हैं। लॉन्ग रेंज पनडुब्बी रोधी, सतह रोधी, खुफिया, निगरानी और टोही विमानों का उपयोग समुद्री और तटीय युद्ध कार्रवाइयों के लिये किया जाता है।
- हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में सभी महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स पर निगरानी रखने के लिये भारत ने वर्ष 2012 में अमेरिका से 12 'P-8I' समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधी विमानों का 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर में सौदा किया था।

खरगा प्रहार

भारतीय सेना और वायु सेना ने 27 मई-4 जून, 2019 तक संयुक्त अभ्यास, खरगा प्रहार (Kharga Prahar) का आयोजन किया।

- यह अभ्यास पंजाब के मैदानी इलाकों में सेना की खरगा कोर की विभिन्न इकाइयों द्वारा किया गया।
- इस अभ्यास के तहत कई महत्वपूर्ण परिचालन पहलुओं को सफलतापूर्वक सुदृढ़ किया गया और बहुमूल्य सबक प्रदान करने के साथ-साथ उच्च स्तरीय परिचालन तैयारियों को भी सुदृढ़ किया गया।

गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय

SFIO कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) के तहत एक बहु-अनुशासनात्मक संगठन (Multi-Disciplinary Organization) है, इसमें सफेदपोश अपराधों/धोखाधड़ी का पता लगाने और उन पर मुकदमा चलाने अथवा इस संदर्भ में संस्तुति करने के लिये अकाउंटेंसी/लेखाकर्म (Accountancy), फॉरेंसिक ऑडिटिंग (Forensic Auditing), कानून, सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology), जाँच (Investigation), कंपनी कानून (Company Law), पूंजी बाजार (Capital Market) और कराधान (Taxation) के क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों को शामिल किया जाता है।

- इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है। वर्ष 2013 में SFIO के अधिकारियों को जाँच कार्यों में सहायता और सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से कंप्यूटर फॉरेंसिक एंड डेटा माइनिंग लेबोरेटरी (Computer Forensic and Data Mining Laboratory- CFDML) की स्थापना की गई।
- भारत सरकार द्वारा 2 जुलाई, 2003 को एक प्रस्ताव के माध्यम से गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (Serious Fraud Investigation Office- SFIO) की स्थापना की गई। उस समय SFIO को औपचारिक रूप से कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं था।

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 211 के अंतर्गत गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (Serious Fraud Investigation Office-SFIO) को वैधानिक दर्जा दिया गया है।
- ◆ SFIO में कंपनी कानून (Company Law) के उल्लंघन के संदर्भ में लोगों को गिरफ्तार करने की शक्तियाँ भी निहित हैं।
- केंद्र सरकार द्वारा एक कंपनी से संबंधित धोखाधड़ी की जाँच की शुरुआत की जा सकती है और निम्नलिखित परिस्थितियों में गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय को यह कार्य सौंपा जा सकता है:
 - ◆ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 208 के तहत रजिस्ट्रार या निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर।
 - ◆ एक कंपनी द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव की सूचना पर, कि उसके मामलों की जाँच किये जाने की आवश्यकता है।
 - ◆ जनहित में।
 - ◆ केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी विभाग के अनुरोध पर।

निर्भया स्क्वाड

नासिक पुलिस ने महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी और अन्य अपराधों पर लगाम लगाने हेतु हाल ही में 'निर्भया स्क्वाड' (Nirbhaya Squad) का गठन किया है जिसमें 10 सदस्य शामिल हैं।

- ◆ इस स्क्वाड में महिला और पुरुष सुरक्षाकर्मी दोनों शामिल हैं जो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मॉल जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर कड़ी निगरानी रखते हुए महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।
- स्क्वाड को दिल्ली में सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई युवती 'निर्भया' का नाम दिया गया है।
- 16 दिसंबर, 2012 की रात दिल्ली में एक चलती बस में युवती के साथ बर्बर सामूहिक बलात्कार किया गया था।
- युवती की बाद में उपचार के दौरान मौत हो गई थी।

रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी (DSRA) की स्थापना को मंजूरी दे दी है जिसे अंतरिक्ष युद्ध हथियार प्रणाली और प्रौद्योगिकी बनाने का काम सौंपा गया है।

- इस एजेंसी को वैज्ञानिकों की एक टीम उपलब्ध कराई जाएगी। यह एजेंसी ट्राई-सर्विसेज इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (Tri-services Integrated Defence Staff Officers) के समन्वय में कार्य करेगी।
- यह रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (Defence Space Agency- DSA) को अनुसंधान और विकास सहायता प्रदान करेगी जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना के सदस्य शामिल हैं।
- रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी का निर्माण देश को बाहरी अंतरिक्ष में युद्ध लड़ने में मदद के लिये किया गया है।
- रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी को बंगलुरु में एक एयर वाइस मार्शल रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में स्थापित किया गया है और यह धीरे-धीरे तीन बलों की अंतरिक्ष संबंधी कार्यवाहियों को संभाल लेगी।

वरुणास्त्र

- भारतीय नौसेना ने स्वदेश विकसित हैवीवेट टॉरपीडो (एक प्रकार का स्वचालित विस्फोटक प्रक्षेपास्त्र) 'वरुणास्त्र' (Varunastra) को अपने शस्त्रागार में शामिल करने का फैसला किया है।
- इस प्रकार के प्रक्षेपास्त्र के शामिल होने के साथ भारत उन आठ देशों के समूह में शामिल हो जाएगा जिनके पास हैवीवेट टॉरपीडो के निर्माण की क्षमता हैं।
- टारपीडो सिंगार के आकार वाली एक स्व-चालित तथा पानी के नीचे लक्ष्य को भेद सकने वाली मिसाइल होती है, जिसे पनडुब्बी, जलीय युद्धपोतों या हवाई जहाज द्वारा प्रक्षेपित किया जा सकता है। यह जलीय युद्धपोतों एवं पनडुब्बियों को नष्ट करने में सक्षम होती है।

- वरुणास्त्र जहाज से प्रक्षेपित की जा सकने वाली, विद्युत-चालित, पानी के अंदर लक्ष्य को भेदने में सक्षम मिसाइल है। यह सर्वाधिक उन्नत स्वचालित और रिमोट-संचालित प्रणालियों में से एक है। यह स्वयं लक्ष्य का पता लगाने में सक्षम है। यह पानी के नीचे स्टेल्थ पनडुब्बियों को भी नष्ट कर सकती है।
- इसकी लंबाई सात से आठ मीटर, वजन 1,500 किलोग्राम तथा व्यास 533 मिलीमीटर है। पनडुब्बी रोधी इलेक्ट्रिक टारपीडो प्रक्षेपित होने पर 40 समुद्री मील या 74 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। लेकिन, इसकी ऑपरेशनल रेंज 40 किमी. है और यह 250 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री ले ले जाने में सक्षम है।
- इस मिसाइल को नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (Naval Science and Technology Laboratory-NSTL), विशाखापत्तनम और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (Bharat Dynamics Limited -BDL), हैदराबाद दोनों ने संयुक्त रूप से विकसित किया है।

नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला (Naval Science and Technology Laboratory-NSTL)

- नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला (Naval Science & Technological Laboratory-NSTL) की स्थापना 20 अगस्त, 1969 को विशाखापत्तनम में हुई थी।
- इसका उद्देश्य भारतीय नौसेना को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रमुख नौसैनिक प्रणालियों (अंडरवाटर माइन्स, टॉरपीडो, फायर कंट्रोल सिस्टम, वेपन लॉन्चर, टारगेट, डिर्कोय, आदि) का विकास करना है।

भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (Bharat Dynamics Limited-BDL)

- यह रक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक उपक्रम है जिसकी स्थापना वर्ष 1970 में हैदराबाद में हुई थी।
- इसका लक्ष्य निर्देशित मिसाइलों और सहयोगी रक्षा उपकरणों का विनिर्माण है।

ऑपरेशन सनराइज 2'

- भारत और म्यांमार की सेनाओं द्वारा एक समन्वित ऑपरेशन चलाया गया जिसे "ऑपरेशन सनराइज 2" नाम दिया गया।
- यह मणिपुर, नागालैंड और असम में सक्रिय कई आतंकवादी समूहों को खत्म करने के उद्देश्य से तीन सप्ताह तक चलने वाला अभियान है।
- "ऑपरेशन सनराइज" का पहला चरण तीन महीने पहले भारत-म्यांमार सीमा पर आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय सेना ने म्यांमार के एक विद्रोही समूह अराकान आर्मी के सदस्यों को निशाना बनाया था, जो कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के विरोध में थे। इस परियोजना को भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता है।
- "ऑपरेशन सनराइज 2", के अंतर्गत दोनों सेनाओं ने एक-दूसरे के साथ मिलकर कामतपुर लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग), यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (I) और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट सहित उग्रवादी संगठनों के शिविरों को नष्ट किया।
- म्यांमार, भारत के रणनीतिक पड़ोसियों में से एक है और इसकी 1,740 किलोमीटर लंबी सीमा भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों के साथ साझा करता है, जिसमें उग्रवाद प्रभावित नागालैंड और मणिपुर शामिल हैं।

ऑपरेशन संकल्प (Operation Sankalp)

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और समुद्री सुरक्षा से संबंधित हालिया घटनाओं को देखते हुए भारतीय नौसेना ने ओमान की खाड़ी (Gulf of Oman) और फारस की खाड़ी (Persian Gulf) में ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत की है।

- इस ऑपरेशन के तहत भारतीय नौसेना ने ओमान और फारस की खाड़ी में युद्धपोत तैनात किये हैं जिनका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में मौजूद और वहाँ से गुजरने वाले भारतीय पोतों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- INS चेन्नई और INS सुनयना को समुद्री सुरक्षा अभियान के लिये ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी में तैनात किया गया है।
- इसके अलावा भारतीय नौसेना के विमान क्षेत्र में हवाई निगरानी भी की जा रही है।
- सूचना समेकन केंद्र- हिंद महासागर क्षेत्र (The Information Fusion Centre - Indian Ocean Region) जिसे भारतीय नौसेना द्वारा गुरुग्राम में दिसंबर 2018 में लॉन्च किया गया था, खाड़ी क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही पर कड़ी नज़र रख रहा है।

विविध

पहला एयर स्क्वाड्रन

17 जून को भारतीय नौसेना के पहले एयर स्क्वाड्रन (INS) 550 ने नौसेना के कोच्चि स्थित बेस में अपनी हीरक जयंती मनाई। 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्क्वाड्रन पर डाक टिकट का फर्स्ट डे कवर भी जारी किया गया। यह स्क्वाड्रन अब तक 14 विभिन्न प्रकार के विमान उड़ा चुका है, जिसमें सी-लैंड एयरक्राफ्ट से लेकर मौजूदा समय के डोर्नियर समुद्री टोही विमान शामिल हैं। स्क्वाड्रन वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध से लेकर दिसंबर 2004 में आई सुनामी, वर्ष 2017 में चक्रवात 'ओखी' और पिछले वर्ष केरल में आई विनाशकारी बाढ़ के दौरान मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों में हिस्सा ले चुका है। इसके साथ ही इस एयर स्क्वाड्रन ने नौसेना के समुद्री टोही पायलटों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

जीव-जंतुओं को विधिक दर्जा

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने जल, थल और नभ में रहने वाले सभी जीव-जंतुओं को विधिक दर्जा प्रदान किया है। कोर्ट ने जीव-जंतुओं के पूरे साम्राज्य को मानव की तरह ही कानूनी अधिकार, कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ दी हैं। कोर्ट ने हरियाणा सरकार और प्रशासन को पशुओं के खिलाफ क्रूरता निवारण अधिनियम को सख्ती से लागू करने के साथ पशुओं को लाने-ले जाने के लिए सीमा, शर्तें, नियम और मानदंडों का निर्धारण करने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि पिछले वर्ष जुलाई में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हवा, पानी व धरती पर रहने वाले जीव-जंतुओं को विधिक दर्जा प्रदान करते हुए उत्तराखंड के नागरिकों को उनका संरक्षक घोषित कर दिया था। कोर्ट ने था कि जीव-जंतुओं के भी मानव की तरह अधिकार, कर्तव्य व जिम्मेदारियाँ हैं।

वित्तीय साक्षरता सप्ताह

रिजर्व बैंक 3 से 7 जून तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कर रहा है। जनसाधारण में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिये रिजर्व बैंक जून के पहले सप्ताह को देशभर में वित्तीय साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाता है। ग्राहकों के बैंकिंग संबंधी जोखिमों से बचाव और अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक करने के लिये रिजर्व बैंक वर्ष 2016 से वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन करता आ रहा है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह रिजर्व बैंक का एक वार्षिक अभियान है, जिसके माध्यम से प्रमुख विषयों पर जागरूकता को बढ़ावा देने की पहल की जाती है। इसके अलावा इस पहल का उद्देश्य वित्तीय उत्पादों और सेवाओं, अच्छी वित्तीय प्रथाओं, डिजिटल और उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इस बार इस दिवस की थीम और पंचलाइन 'Farmers' and how they benefit by being a part of the formal banking system रखी गई है।

ओरांगुटान (वनमानुष) बिन्नी

देश की एकमात्र ओरांगुटान (वनमानुष) बिन्नी की 41 वर्ष की आयु में ओडिशा के नंदन-कानन जूलॉजिकल पार्क में मृत्यु हो गई। पिछले एक साल से कॉलेज ऑफ वेटिनरी साइंस और एनिमल हसबैंडरी के डॉक्टर ब्रिटेन और सिंगापुर के डॉक्टरों की सलाह पर बिन्नी का इलाज कर रहे थे। गौरतलब है कि बिन्नी को 20 नवंबर 2003 में पुणे के राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क से नंदन कानन लाया गया था। उस समय वह 25 साल की थी। एक ओरांगुटान की औसत आयु 45 वर्ष होती है और मूलतः ये इंडोनेशिया और मलेशिया में पाए जाते हैं। मौजूदा समय में ये केवल बोर्नियो और सुमात्रा के घने जंगलों में पाए जाते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) के अनुसार, वनमानुष की तीन तरह की प्रजातियाँ होती हैं— बोर्नियन, सुमात्रन और तपनौली। बोर्नियन और सुमात्रन वनमानुषों के दिखने और व्यवहार में थोड़ा अंतर होता है।

द्वितीय ग्लोबल डिसबिलिटी समिट

6 से 8 जून तक अर्जेटीना के ब्यूनस आयर्स में द्वितीय ग्लोबल डिसबिलिटी समिट का आयोजन किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य दुनियाभर में दिव्यांगजनों के अधिकारिता एवं समावेशन से संबंधित मुद्दों पर विचार करना तथा स्वतंत्र और सम्मानित जीवन जीने में उन्हें सक्षम बनाने के लिये एक तंत्र की रूपरेखा तैयार करना था। प्रथम ग्लोबल डिसबिलिटी समिट का आयोजन पिछले वर्ष जुलाई में लंदन में किया गया था।

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र

प्रधानमंत्री का पदभार दोबारा संभालने के बाद नरेंद्र मोदी दो दिनों की यात्रा पर 8 और 9 जून को पहले मालदीव और बाद में श्रीलंका गए। उन्होंने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सालेह और उप-राष्ट्रपति फैसल नसीम से मुलाकात करने के अलावा पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद से भी मुलाकात की। इसके अलावा भारत के लोक सेवा प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने अगले पाँच वर्षों के दौरान मालदीव के 1000 लोक प्रशासकों को गहन प्रशिक्षण देने के लिये मालदीव सिविल सर्विसेज कमीशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। गौरतलब है कि 2019 में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र अब तक बांग्लादेश, म्यांमार, गांबिया एवं मालदीव के लोक प्रशासकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन कर चुका है। इसके अलावा माले और कोच्चि के बीच की 700 किमी. दूरी तय करने के लिये फेरी (Ferry) सेवा शुरू करने और और माले की जामा मस्जिद के जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण पर भी सहमति बनी। इसके साथ ही भारतीय प्रधानमंत्री को मालदीव के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान इज्जुदीन (Order of the Distinguished Rule of Izzudeen) से सम्मानित किया गया। मालदीव द्वारा विदेशी मेहमानों को दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद नरेंद्र मोदी एक दिन की श्रीलंका यात्रा पर भी गए।

G-20 की मंत्रिस्तरीय बैठक

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 8-9 जून को जापान के इबाराकी प्रांत के त्सुकुबा शहर में व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर आयोजित G-20 की मंत्रिस्तरीय बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस बैठक में वैश्विक व्यापार की स्थिति से संबंधित विभिन्न घटनाक्रमों, विश्व व्यापार संगठन से जुड़े मुद्दों और डिजिटल व्यापार पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि G-20 में कोई बाध्यकारी प्रतिबद्धता नहीं है, लेकिन यह बहुपक्षीय व्यापार संबंधों के लिये एजेंडा निर्धारित करता है। इस बैठक की विशेषता यह रही कि 50 से भी अधिक व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्री G-20 के इतिहास में पहली बार मिले। अनुमान है कि डिजिटलीकरण से वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के साथ-साथ समाज भी निरंतर लाभान्वित होगा और इसके साथ ही समावेशी, अभिनव एवं मानव केंद्रित भावी Society 5.0 का विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। G-20 में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। ये 19 देश हैं-

अर्जेटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, रूस, जापान, मेक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। G-20 के सदस्य देश दुनिया के दो-तिहाई लोगों और 85 प्रतिशत अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं।

टाटा पॉवर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड

टाटा पॉवर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड गुजरात के रघनेसदा सोलर पार्क में 100 मेगावाट की सौर परियोजना का विकास करने जा रही है। इसके लिये उसे गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की अनुमति मिल गई है। इस परियोजना में उत्पादित ऊर्जा की आपूर्ति गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को पॉवर परचेज एग्रीमेंट के तहत की जाएगी, जो निर्धारित वाणिज्यिक परिचालन तिथि से 25 वर्ष तक के लिये वैध होगा। कंपनी को इस परियोजना की शुरुआत पॉवर परचेज एग्रीमेंट के निष्पादन की तिथि से 15 माह के भीतर करनी होगी। इस परियोजना के शुरू होने के बाद टाटा पॉवर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की क्रियान्वयन क्षमता 500 मेगावाट हो जाएगी, जो 2268 मेगावाट की परिचालन क्षमता से जुड़ेगी। यह संयंत्र प्रतिवर्ष 250 MU ऊर्जा का उत्पादन करेगा और वार्षिक आधार पर कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में लगभग 250 मिलियन किग्रा. की कमी करेगा।

बायोडीज़ल

हिमाचल प्रदेश के पालमपुर स्थित CSIR के हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान ने फसलों के अवशेष (पराली) से बायोडीज़ल बनाने की तकनीक तैयार की है। इससे न केवल वायु प्रदूषण कम होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। गौरतलब है कि देश के बड़े राज्यों में फसलों के अवशेषों को खेतों में ही जला दिया जाता है, जिससे वातावरण प्रदूषित होता है। बायोडीज़ल जैविक स्रोतों से प्राप्त और डीज़ल जैसा ईंधन है, जो परंपरागत डीज़ल इंजनों को बिना परिवर्तित किये ही चला सकता है। भारत का पहला बायोडीज़ल संयंत्र ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से आंध्र प्रदेश के काकीनाड़ा SEZ में स्थापित किया गया है।

मिज़ो रेन स्नेक

हाल ही में शोधकर्ताओं ने मिज़ोरम में वर्षा पसंद करने वाली साँप की एक नई प्रजाति की खोज की है। वैसे इस साँप का नाम 'मिज़ो रेन स्नेक' है, लेकिन ब्रिटिश सर्प-विज्ञानी मैलकम ए. स्मिथ के नाम पर इसे स्मिथोफिस एटेम्पोरैलिस (Smithophis Atemporalis) वैज्ञानिक नाम दिया गया है। काले-सफेद रंग का यह साँप जहरीला नहीं है और बारिश होने के बाद अक्सर इसे मानव बस्तियों के आस-पास देखा जा सकता है। शोधकर्ताओं के लिये साँप की यह नई प्रजाति है, लेकिन स्थानीय लोग इसे रूआहलावमरूल नाम से पहले से पुकारते रहे हैं।

डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी

अमेरिका के बाद अब भारत ने भी स्पेस वॉर को ध्यान में रखते हुए अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी ने एक नई एजेंसी गठित करने को मंजूरी दे दी है। इस एजेंसी का नाम डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी (DSRO) रखा गया है, जो उच्च क्षमता के आधुनिक हथियार और तकनीक विकसित करेगी। यह एजेंसी संयुक्त सचिव स्तर के वैज्ञानिक के तहत काम करेगी तथा शीघ्र ही इसे वैज्ञानिकों की एक टीम उपलब्ध कराई जाएगी, जो तीनों सेनाओं के साथ मिलकर काम करेगी। यह डिफेंस स्पेस एजेंसी को R & D सहयोग करेगी, जिसमें तीनों सेनाओं के सदस्य शामिल हैं। ज्ञातव्य है कि डिफेंस स्पेस एजेंसी को अंतरिक्ष में युद्ध (War in Space) लड़ने में सहयोग करने के लिये बनाया गया है। डिफेंस स्पेस एजेंसी को बेंगलुरु में एयर वाइस मार्शल रैंक के अधिकारी के तहत स्थापित किया गया है, जो धीरे-धीरे तीनों सेनाओं की स्पेस से संबंधित क्षमताओं से लैस हो जाएगी। इसके साथ ही एक स्पेशल ऑपरेशंस डिवीज़न भी बनाया जा रहा है जिसका उद्देश्य देश के भीतर और बाहर स्पेशल ऑपरेशन में सहयोग करना है। आपको बता दें कि इसी साल मार्च में भारत ने एक एंटी-सैटेलाइट टेस्ट किया था, जिसमें अंतरिक्ष में सैटेलाइट को निशाना बनाकर नष्ट किया गया था।

समुद्रीय सूचना साझाकरण कार्यशाला

समुद्रीय सूचनाएँ साझा करने के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाने में सहायता प्रदान करने और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्रीय सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने के लिये भारतीय नौसेना ने गुरुग्राम स्थित सूचना संलयन केंद्र (Information Fusion Centre) में 12-13 जून को समुद्रीय सूचना साझाकरण कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें लगभग 30 देशों के 50 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यशाला में भागीदार देशों के विषय वस्तु विशेषज्ञों द्वारा समुद्री डकैती, मानव और मादक पदार्थों की तस्करी तथा इन चुनौतियों से निपटने के लिये कानूनी पहलुओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। भारतीय नौसेना के उप-प्रमुख वाइस एडमिरल एम.एस. पवार ने इस कार्यशाला का उद्घाटन किया। समुद्र में गतिविधियों का पैमाना, क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय स्वरूप समुद्रीय सुरक्षा के लिये एक सहयोगी दृष्टिकोण की जरूरत के मद्देनजर सूचना संलयन केंद्र की शुरुआत पिछले वर्ष दिसंबर में की गई थी।

16वाँ एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन 2019

12 जून को कंबोडिया के सीएम रिप (Siem Reap) में तीन दिवसीय 16वाँ एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन 2019 शुरू हुआ। इस वर्ष इसकी थीम मीडिया के डिजिटलीकरण पर रखी गई। इस शिखर सम्मेलन में 42 देशों के 600 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कंबोडिया के सूचना मंत्रालय ने एशिया-प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के साथ मिलकर किया। ज्ञातव्य है कि एशिया

मीडिया शिखर सम्मेलन अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण कार्यक्रमों में से एक है तथा इसमें मीडिया की गुणवत्ता को बेहतर बनाने तथा चुनौतियों का सामना करने पर चर्चा की जाती है। गौरतलब है कि 15वें एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में 10 से 12 मई 2018 तक भारतीय जनसंचार संस्थान और ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सलटेंट इंडिया लिमिटेड ने मिलकर किया था।

इंटेलीजेंट क्लाउड हब

सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में 10 उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence-AI) संचालित डिजिटल लैब लॉन्च कर दी है। इंटेलीजेंट क्लाउड हब नामक इस कार्यक्रम में BITS पिलानी, SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ट्राइडेंट एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी सहित कई संस्थान शामिल हैं। इस तीन वर्षीय कार्यक्रम में माइक्रोसॉफ्ट चुने गए संस्थानों को श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढाँचे, पाठ्यक्रम और सामग्री, क्लाउड तक पहुँच, AI सेवाओं के साथ-साथ डेवलपर समर्थन भी मुहैया कराएगा। इसके अलावा कंपनी कोर AI इन्फ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स हब की स्थापना के साथ-साथ माइक्रोसॉफ्ट Cognitive सेवाएँ, Azure मशीन लर्निंग और बॉट जैसी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुँच की भी सुविधा प्रदान करेगा। फैकल्टी के लिये डिजाइन किये गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा विज्ञान, AI और IOT पर कार्यशालाएँ शामिल होंगी।

DGX-2

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर DGX-2 भारत में भी आ गया है। इसे IIT जोधपुर में एक विशेष प्रयोगशाला में लगाया गया है। इससे देश में AI प्रशिक्षण गतिविधियों को बल मिलेगा। IIT जोधपुर व अमेरिकी सुपर कंप्यूटर कंपनी NVIDIA के बीच AI क्षेत्र में अनुसंधान के लिये दो साल का समझौता हुआ है और यह कंप्यूटर उसी के तहत लाया गया है। लगभग 2.50 करोड़ रुपए की लागत वाले इस कंप्यूटर में 16 विशेष GPU कार्ड लगे हैं और प्रत्येक की क्षमता 32 GB है तथा इसकी रैम 512 GB है। आम कंप्यूटर की क्षमता केवल 150 से 200 वाट होती है, जबकि इस सुपर कंप्यूटर की क्षमता 10 किलोवाट की है। हर कंप्यूटर प्रोग्राम डेटा विश्लेषण पर आधारित होता है और यह विश्लेषण इस सुपर कंप्यूटर में बहुत तेजी से होगा। कंप्यूटर में लगे 32 GB क्षमता (प्रत्येक) के 16 GPU कार्ड इसे क्षमता के लिहाज से विशिष्ट बना देते हैं। उल्लेखनीय है कि देश में इस समय IISC बंगलुरु सहित कुछ संस्थानों में DGX-1 सुपर कंप्यूटर है, लेकिन DGX-2 सुपर कंप्यूटर पहली बार देश में आया है और इसकी क्षमता पहले वाले वर्जन से लगभग दोगुनी है। DGX-1 से जिस काम को करने में 15 दिन लगते हैं, उस काम को DGX-2 सिर्फ डेढ़ दिन में कर देगा। लगभग डेढ़ क्विंटल वजनी इस कंप्यूटर की इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी 30 TB है।

मंदारिन

नेपाल में काठमांडू घाटी तथा उसके बाहर के कई बड़े निजी स्कूलों ने अपने विद्यार्थियों के लिये मंदारिन (चीनी भाषा) सीखना अनिवार्य कर दिया है। नेपाल में मंदारिन पढ़ाने वाले शिक्षकों के वेतन का भुगतान चीन की सरकार करेगी। माना जा रहा है कि इन स्कूलों ने इस नेपाली प्रावधान की अनदेखी की है कि वे किसी भी विषय को अनिवार्य नहीं बना सकते। नेपाल में स्कूल का पाठ्यक्रम तैयार करने वाली इकाई करिकुलम डिवेलपमेंट सेंटर के दिशा-निर्देश के मुताबिक, नेपाल के स्कूल विद्यार्थियों को विदेशी भाषा पढ़ा सकते हैं, लेकिन वह इसे अनिवार्य नहीं बना सकते। यदि किसी विषय को अनिवार्य किया जाना है, तो यह निर्णय केवल सरकार ही ले सकती है। चीन की तरफ नेपाल का लगातार झुकाव भारत के लिये चिंता का कारण हो सकता है। पिछले पाँच वर्षों में चीन ने नेपाल में भारी निवेश किया है तथा चीन के नेतृत्व वाली अरबों डॉलर लागत वाली मेगा बुनियादी ढाँचा परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में नेपाल भी शामिल है, जिसका भारत लगातार विरोध करता रहा है। गौरतलब है कि इस परियोजना के एक हिस्से के रूप में चीन काठमांडू से जाइगेज को जोड़ता हुआ एक ट्रांस-हिमालयन मल्टी-डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क का निर्माण कर रहा है।

रावन-1

19 जून को श्रीलंका का पहला उपग्रह रावना-1 अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया। इसका प्रक्षेपण अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) ने जापान और नेपाल के उपग्रह के साथ किया। 'रावना-1' का वजन मात्र 1.05 किलोग्राम है और इसका विकास जापान के क्योशो संस्थान में अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे श्रीलंका के दो छात्रों- थरिंडु दयारत्ने और दुलानी चामिका ने किया है। 11.3 x 10 x 10 सेंटीमीटर के इस घनाकार उपग्रह का न्यूनतम जीवनकाल डेढ़ साल का है, लेकिन संभावना है कि यह पाँच साल तक काम करता रहेगा। यह उपग्रह श्रीलंका और उसके आसपास के इलाकों का चित्र लेने में सक्षम है।

ति आयोग

ति आयोग ने 25 जून को नई दिल्ली में स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत के दूसरे संस्करण की रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में दो वर्षों की अवधि (2016-17 और 2017-18) के दौरान राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन को रेखांकित किया गया है। रिपोर्ट में केरल को पहला तथा उत्तर प्रदेश को अंतिम स्थान मिला है। प्रदर्शन का आकलन करते समय स्वास्थ्य संबंधी उपलब्धियाँ, प्रशासन, प्रक्रिया और नीतिगत हस्तक्षेपों के प्रभाव के संदर्भ में स्वास्थ्य पर व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है। यह रिपोर्ट विश्व बैंक की तकनीकी सहायता तथा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से तैयार की गई है। गौरतलब है कि वर्ष 2017 के लिये स्वास्थ्य आधारित सारणी का पहला संस्करण फरवरी, 2018 में जारी किया गया था। इस रिपोर्ट में 2014-15 (आधार वर्ष) से 2015-16 (संदर्भ वर्ष) के दौरान राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वार्षिक प्रदर्शन का आकलन किया गया था।

राष्ट्रीय रणनीतिक योजना

भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक देश से तपेदिक (Tuberculosis-TB) के उन्मूलन के लिये राष्ट्रीय रणनीतिक योजना तैयार की है। मार्च 2018 में प्रधानमंत्री ने टीबी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया था। इसके तहत TB उन्मूलन के लिये राष्ट्रीय रणनीतिक योजना की गतिविधियों को मिशन मोड में आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। राष्ट्रीय रणनीतिक योजना के लिये अगले तीन साल के लिये 12 हजार करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक मरीज को गुणवत्ता संपन्न रोग निदान, उपचार और अन्य सभी प्रकार की सहायता मिल सके। राष्ट्रीय रणनीतिक योजना का उद्देश्य विविध दृष्टिकोण अपनाकर TB के सभी रोगियों का पता लगाना है। भारत में सालाना 27.4 लाख अनुमानित TB के मामले सामने आते हैं, जो निरपेक्ष संख्या के मामले में सबसे अधिक हैं। विश्वभर से TB को समाप्त करने की तय समय-सीमा वर्ष 2030 रखी गई है।

दत्त प्रसाद जोग

प्रकाशन विभाग ने दत्त प्रसाद जोग के मराठी गीतों के संग्रह गीत रामायण का हिंदी रूपांतरण लाने का फैसला किया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत भारत का प्रकाशन विभाग महाकाव्य रामायण की घटनाओं का क्रमवार वर्णन करने वाले 56 मराठी गीतों के इस संग्रह को प्रकाशित करेगा है। गौरतलब है कि वर्ष 1955-1956 में इसका प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो, पुणे द्वारा किया गया था। 'गीत रामायण' को उसके गीत, संगीत और गायन के लिये जाना जाता है। जी.डी. मडगुलकर द्वारा लिखित और सुधीर फड़के की संगीत रचना वाले इन गीतों को मराठी सुगम संगीत में मील का पत्थर और रामायण का सबसे लोकप्रिय मराठी संस्करण माना जाता है।

नम्मा कोल्हापुरी चप्पल

लगभग एक दशक के इंतजार के बाद नम्मा कोल्हापुरी चप्पल को GI यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया है। इसके लिये महाराष्ट्र और कर्नाटक ने संयुक्त रूप से आवेदन किया था। पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क के कंट्रोलर जनरल ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सांगली, सतारा और सोलापुर जिलों तथा कर्नाटक के धारवाड़, बेलगाम, बागलकोट और बीजापुर में बनने वाली कोल्हापुरी चप्पल को GI टैग प्रदान किया है। इससे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पारंपरिक रूप से पहनी जाने वाली कोल्हापुरी चप्पलों को मान्यता मिल गई है। यहाँ के चप्पल निर्माताओं ने बाजार की जरूरतों और ग्राहकों की पसंद के अनुसार अलग-अलग डिजाइन और रंग विकसित किये हैं। हालाँकि चमड़े द्वारा हाथ से चप्पलों को बनाने की मूल प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं आया है और इनको रंगने के लिये वनस्पति रंगों का इस्तेमाल होता है।

बम्बल रोबोट

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का बम्बल (Bumble) नाम का रोबोट अपनी स्वयं की शक्ति से उड़ान भरने वाला पहला एस्ट्रोबी (Astrobee) रोबोट बन गया है। ज्ञातव्य है कि एस्ट्रोबी एक फ्री-फ्लाईंग रोबोट सिस्टम है, जो शोधकर्ताओं को शून्य गुरुत्वाकर्षण में नई तकनीकों का परीक्षण करने और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर तैनात अंतरिक्ष यात्रियों के साथ नियमित काम करने में मदद करेगा। एस्ट्रोबी रोबोट किसी भी दिशा में गति कर सकता है और अंतरिक्ष में किसी भी अक्ष में चालू हो सकता है। ज्ञातव्य है कि 29 जुलाई, 1958 को स्थापित नासा का मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है।

गो ट्राइबल अभियान

28 जून को केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्यमंत्री रेणुका सिंह ने नई दिल्ली में ट्राइब्स इंडिया का गो ट्राइबल अभियान लॉन्च किया। जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न संगठनों के साथ समझौता और सहयोग स्थापित करने हेतु ट्राइफेड ने यह पहल की है। इसके तहत ट्राइब्स इंडिया जनजातीय उत्पादों को Amazon.com के जरिये वैश्विक स्तर पर लॉन्च करेगा। इसके अलावा केंद्रीय रेशम बोर्ड और 'आई एम' खादी फाउंडेशन के साथ भी समझौता किया गया है। गौरतलब है कि ट्राइफेड जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है जो ट्राइब्स इंडिया ब्रांड के तहत जनजातीय कला व हस्तशिल्प सहित जनजातीय उत्पादों के विक्रय व विकास का कार्य करता है।

राष्ट्रीय रक्षा निधि

हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय रक्षा निधि के तहत मृत रक्षकर्मियों के आश्रितों के लिये प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना में परिवर्तन को मंजूरी दे दी है।

प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित बदलावों को मंजूरी दी है-

- छात्रवृत्ति की दरें बालकों के लिये प्रतिमाह 2000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए और बालिकाओं के लिये प्रतिमाह 2250 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दी गई हैं।
- छात्रवृत्ति योजना के दायरे में अब ऐसे राज्य पुलिसकर्मियों के बच्चों को भी लाया गया है, जो आतंकी/नक्सल हमलों के दौरान शहीद हो गए।
- राज्य पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिये नई छात्रवृत्तियों का कोटा एक साल में 500 होगा। गृह मंत्रालय ही इस संबंध में प्रमुख मंत्रालय होगा।

पृष्ठभूमि

- राष्ट्रीय रक्षा से जुड़े प्रयासों को बढ़ावा देने के लिये नकदी या वस्तु के रूप में प्राप्त होने वाले स्वैच्छिक दान को संभाल कर रखने और उनके उपयोग के लिये वर्ष 1962 में राष्ट्रीय रक्षा निधि (National Defence Fund- NDF) बनाई गई थी।
- वर्तमान में इस निधि का उपयोग सशस्त्र बलों, अर्द्ध-सैन्य बलों और रेलवे सुरक्षा बल के सदस्यों तथा उनके आश्रितों के कल्याण के लिये किया जाता है।
- इस निधि का संचालन एक कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री इस समिति के अध्यक्ष हैं और रक्षा, वित्त एवं गृह मंत्री इसके सदस्य हैं।
- इस निधि के तहत 'प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना' (Prime Minister's Scholarship Scheme- PMSS) नामक प्रमुख स्कीम कार्यान्वित की जा रही है, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों, अर्द्ध-सैन्य बलों और रेलवे सुरक्षा बल के मृतक/पूर्व कर्मचारियों के आश्रितों की तकनीकी और स्नातकोत्तर शिक्षा को बढ़ावा देना है।
- छात्रवृत्तियाँ तकनीकी संस्थानों (चिकित्सा, दंत चिकित्सा, पशु चिकित्सा, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए और एआईसीटीई/यूजीसी से समुचित अनुमोदन प्राप्त अन्य समतुल्य तकनीकी पेशा) में शिक्षा के लिये उपलब्ध हैं।
- प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रत्येक वर्ष रक्षा मंत्रालय द्वारा नियंत्रित सशस्त्र बलों के 5500 बच्चों (वार्ड) के लिये, गृह मंत्रालय द्वारा नियंत्रित अर्द्ध-सैन्य बलों के 2000 बच्चों के लिये और रेल मंत्रालय द्वारा नियंत्रित बलों के 150 बच्चों के लिये नई छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं।

किसानों के लिये पेंशन योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना (Central Sector Scheme) को मंजूरी दी है, जो किसानों को पेंशन प्रदान करेगी।

- देश भर के सभी लघु और सीमांत किसानों (Small and Marginal Farmers- SMF) के लिये एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना में प्रवेश की आयु 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है तथा 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर संबंधित व्यक्ति को 3,000 रुपए प्रतिमाह की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दी जाएगी।
- लाभार्थी किसान को 29 वर्ष की आयु में योजना में प्रवेश करने पर प्रतिमाह 100 रुपए का योगदान करना आवश्यक है। केंद्र सरकार द्वारा भी पेंशन फंड में उतनी ही राशि का योगदान किया जाएगा जितना कि पात्र किसान द्वारा दिया जाता है।
- यदि पेंशन प्राप्ति के दौरान अभिदाता (Subscriber) की मृत्यु हो जाने पर SMF लाभार्थी का जीवनसाथी (Spouse) पारिवारिक पेंशन के रूप में अभिदाता को प्राप्त होने वाली पेंशन का 50% प्राप्त करने का हकदार होगा, बशर्ते वह पहले से ही इस योजना के तहत SMF लाभार्थी न हो।
- यदि अंशदाता की मृत्यु अंशदान की अवधि के दौरान होती है, तो पति या पत्नी के पास नियमित योगदान देकर योजना को जारी रखने का विकल्प होगा।

योजनाओं के बीच तालमेल, किसानों के लिये समृद्धि:

- योजना की एक प्रमुख विशेषता यह है कि किसान सीधे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM-KISAN) योजना से प्राप्त होने वाले लाभ से इस योजना में मासिक योगदान का विकल्प चुन सकते हैं।
- वैकल्पिक रूप से एक किसान इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के (Ministry of Electronics and Information Technology) अधीन सामुदायिक सेवा (Common Service Centres- CSCs) के माध्यम से पंजीकरण करके अपने मासिक योगदान का भुगतान कर सकता है।

पीएम-किसान

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) के विस्तार को मंजूरी दे दी है।

- संशोधित योजना में लगभग 2 करोड़ से अधिक किसानों को शामिल किये जाने की उम्मीद है, जिससे लगभग 14.5 करोड़ लाभार्थियों को PM-KISAN के तहत कवर किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

देश के किसानों को आर्थिक मदद देने के लिये किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN Scheme) की घोषणा 1 फरवरी, 2019 को पेश केंद्रीय अंतरिम बजट (Interim Budget) में की गई थी।

- इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की छोटी जोत वाले किसान परिवारों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- योजना वर्ष 2019-20 तक 1 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय के साथ लागू की जाएगी, जिससे 12.50 करोड़ छोटे और सीमांत किसान परिवारों को लाभ होगा।

सुपरनोवा विस्फोट

हाल ही में वैज्ञानिकों ने लगभग 1,800 नए सुपरनोवा या विस्फोट वाले तारे की खोज की है।

- नई खोज यह मापने में मदद कर सकती है कि ब्रह्मांड कितनी तेजी से विस्तार कर रहा है।
- गौरतलब है कि वैज्ञानिकों ने 8 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित 58 टाइप वन ए (Type Ia) सुपरनोवा की खोज की है।

- शोधकर्ताओं ने सुबारू टेलीस्कोप (Subaru Telescope) और 870 मेगापिक्सेल हाइपर सुप्रीम-कैमरा (Hyper Suprime-Cam)/(डिजिटल कैमरा) की सहायता से यह खोज की।
- सुबारू टेलीस्कोप जापान की राष्ट्रीय खगोलीय वेधशाला (National Astronomical Observatory) की दूरबीन है, जो हवाई के मौना कीआ वेधशाला (Mauna Kea Observatory) में स्थित है।

सुपरनोवा

- संलयन (Fusion) की समाप्ति (ईंधन खत्म होने पर) के पश्चात् तारे अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण नष्ट (विस्फोट) होने लगते हैं जिसे सुपरनोवा (Supernova) कहते हैं। आमतौर पर सूर्य के द्रव्यमान से आठ गुना अधिक बड़े तारों में यह विस्फोटक घटना होती है।

औसुडू झील

हाल ही में पुदुचेरी के औसुडू झील (Oussudu Lake) का सुभेद्यता आकलन अध्ययन किया गया। गौरतलब है कि अध्ययन में इस जल निकाय में बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण पर चिंता जताई गई है।

- रिपोर्ट में बताया गया है कि नहरें प्लास्टिक की थैलियों, थर्माकोल, कप, प्लेट, पाइप और बोटल जैसे कचरे का डंपिंग ग्राउंड बन गई हैं।
- औसुडू झील को ऑस्टर झील (Ousteri Lake) भी कहा जाता है जो पुदुचेरी से लगभग 10 किमी. दूर स्थित एक मानव निर्मित झील है।
- इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) द्वारा एशिया के महत्वपूर्ण वेटलैंड/आर्द्रभूमि (Wetlands) में से एक के रूप में मान्यता दी गई है।
- इस झील में जल, आर्द्रभूमि और कीचड़ युक्त भूमि तीनों हैं।
- यह झील पुदुचेरी में ताजे जल के सबसे बड़े जलग्रह (Catchment) के रूप में कार्य करती है।
- गर्मियों और सर्दियों के दौरान इस झील की वनस्पति (छोटी जड़ी-बूटियों से लेकर वृक्षों तक) प्रवासी पक्षियों (Migratory Avifauna) के साथ-साथ देशी पक्षियों को भी उपयुक्त वातावरण प्रदान करती है।

अनिषेक जनन (Parthenogenesis)

हाल ही में अमेरिका स्थित 'न्यू इंग्लैंड एक्वेरियम' ने घोषणा की थी कि एक मादा एनाकोंडा ने निषेचन के बिना ही कुछ बच्चों को जन्म दिया है। वैज्ञानिक शब्दावली में इस प्रकार के जनन को अनिषेक जनन (Parthenogenesis) के रूप में जाना जाता है।

- वैज्ञानिकों के अनुसार, उच्च कशेरुकी जीवों के बीच इस प्रकार का जनन सामान्य नहीं है।
- एनाकोंडा, एक उच्च कशेरुकी प्राणी है। यही वजह है कि एक एनाकोंडा द्वारा इस प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों को जन्म देने की प्रक्रिया को दुर्लभ माना गया है।
- ग्रीन एनाकोंडा में अनिषेक जनन/पार्थेनोजेनेसिस का यह केवल दूसरा ज्ञात मामला है।

परिभाषा

- कुछ जीवों जैसे कि रोटीफर्स (सूक्ष्म जलीय बहु-कोशिकीय जीव), मधुमक्खियों, चींटियों, ततैया और यहाँ तक कुछ छिपकलियों तथा पक्षियों (Turkey) आदि में बिना निषेचन (Fertilisation) अर्थात् नर युग्मक के युग्मन के बिना ही मादा युग्मक नए जीव के निर्माण हेतु विकसित होने लगता है। इस प्रकार की घटना अनिषेक जनन (पार्थेनोजेनेसिस) कहलाती है।
- इस विधि में एक ही जीव अकेले संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है इसके परिणामस्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह बिलकुल अपने जनक के समरूप होती है। आकारिकी एवं समरूपता के कारण ही इसे क्लोन नाम दिया गया है।
- अब तक ज्ञात लगभग 2,000 प्रजातियाँ अनिषेक जनन करती हैं।
- अनिषेक जनन, अलैंगिक प्रजनन के ज्ञात विधियों में से एक है। ग्राफिटिंग (पौधों की) भी अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है।

वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन

वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन (Global Entrepreneurship Summit) का 9वाँ संस्करण नीदरलैंड के हेग (Hague) में आयोजित किया जा रहा है।

- इस शिखर सम्मेलन की थीम 'द फ्यूचर नाउ' (The Future Now) है।
- इसकी मेज़बानी अमेरिका और नीदरलैंड द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। यह यूरोपीय संघ (European Union) में आयोजित होने वाले कार्यक्रम का पहला संस्करण (first edition) है।
- इसका उद्देश्य अगली पीढ़ी के उद्यमियों और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों तथा संस्थानों की सहायता करना है जो वैश्विक चुनौतियों के लिये अभिनव समाधान पेश करते हैं।
- शिखर सम्मेलन का प्रमुख ध्यान जल, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, कनेक्टिविटी और ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित पाँच वैश्विक चुनौतियों पर केंद्रित है।
- वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन के 8वें संस्करण की मेज़बानी नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा हैदराबाद में अमेरिकी सरकार के साथ साझेदारी में की गई थी।

वर्ल्डवाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस

वर्ल्डवाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस (Worldwide Developers Conference-WWDC), सैन जोस (San Jose), कैलिफोर्निया में 'एप्पल कंपनी' (Apple Inc.) द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला एक सम्मेलन है।

- एप्पल इस कॉन्फ्रेंस का उपयोग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को अपने नए सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने के लिये करता है।

चीन का अंतरिक्ष रॉकेट

हाल ही में चीन ने समुद्री पोत से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च किया है। गौरतलब है कि यह चीन का पहला ऐसा रॉकेट है।

- लॉन्ग मार्च- 11 नामक इस रॉकेट को शानडोंग प्रांत में येलो सी (Yellow Sea) से लॉन्च किया गया है।
- यह चीन का समुद्र में स्थित प्लेटफार्म से पहला और लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट श्रृंखला का 306वाँ अभियान है।
- अंतरिक्ष शक्ति बनने के चीन के प्रयासों की दिशा में यह लॉन्च एक नवीनतम कदम है। ध्यातव्य है कि कुछ ही देशों के पास ऐसी क्षमता है।
- रॉकेट ने दो प्रायोगिक और पाँच वाणिज्यिक उपग्रह थे।
- इस वर्ष की शुरुआत में चीन चंद्रमा के सूदूर भाग की ओर रोवर उतारने वाला पहला राष्ट्र बना।
- समुद्र से रॉकेट लॉन्च करने के कई फायदे हैं-
 - ◆ विभिन्न स्थानों से रॉकेट लॉन्च करने की क्षमता
 - ◆ कम लागत
 - ◆ कम जोखिम इत्यादि

ऐडा रोबोट

हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एक प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें मानव सदृश कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले रोबोट की पेंटिंग की कलात्मक गतिविधियों को प्रदर्शित किया गया। गौरतलब है कि इस रोबोट का नाम ऐडा (Aida) रखा गया है।

- ऐडा ऐसी पहली मानव सदृश बहु-यथार्थवादी रोबोटिक कलाकार (First Ultra-realistic Humanoid Artist) है जो अपनी समस्त कलात्मक गतिविधियाँ इन-बिल्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (In-built Artificial Intelligence) तकनीक के माध्यम से प्रदर्शित करती है।
- ऐडा का नामकरण अंग्रेज़ी गणितज्ञ और लेखक ऐडा लवलेस (Ada Lovelace) के नाम पर रखा गया है, जिन्हें दुनिया का पहला कंप्यूटर कोडर (Computer Coder) माना जाता है।
- वर्ष 2017 में सोशल रोबोट सोफिया (Sofia) को सऊदी अरब की नागरिकता दी गई थी। सोफिया दुनिया का ऐसा पहला रोबोट बन गया जिसे किसी देश द्वारा वैधानिक रूप से नागरिकता प्रदान की गई हो।

न्यू स्टार्ट संधि

हाल ही में रूस ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि वह स्टार्ट संधि से बाहर निकल सकता है। ध्यातव्य है कि न्यू स्टार्ट संधि (New START Treaty) शस्त्र नियंत्रण से संबंधित है।

- यह संधि दोनों देशों के मध्य परमाणु हथियारों को कम करने के लिये बाध्य करती है।
- पिछले दिनों अमेरिका ने रूस के साथ इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी (Intermediate-Range Nuclear Force Treaty) से भी खुद को बाहर कर लिया है।
- न्यू स्ट्रेटिजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी (New Strategic Arms Reduction Treaty- New START) पर रूस और अमेरिका ने प्राग में 8 अप्रैल, 2010 को हस्ताक्षरित किया था जो 5 फरवरी, 2011 को लागू हो गई थी।
- न्यू स्टार्ट संधि ने वर्ष 1991 की स्टार्ट-1 ((Strategic Arms Reduction Treaty-1) संधि को प्रतिस्थापित किया था। इसके अलावा इसने वर्ष 2002 की सामरिक आक्रामक कटौती संधि (Strategic Offensive Reductions Treaty-SORT) को भी समाप्त कर दिया था।

निर्वाचन और नियम 49MA

- भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission Of India) एक नियम पर पुनः विचार कर सकता है जिसके अंतर्गत यदि कोई मतदाता ईवीएम (Electronic Voting Machine- EVM) या वीवीपीएटी (Voter Verifiable Paper Audit Trail- VVPAT) मशीन की खराबी के बारे में शिकायत करता है और यह शिकायत गलत पाई जाती है तो उसके खिलाफ मुकदमा चलाने का प्रावधान है।
- निर्वाचन संहिता के नियम 49MA के तहत यदि मतदाता यह दावा करता है कि ईवीएम या पेपर ट्रेल मशीन द्वारा उसका वोट नहीं पड़ा है तब उस स्थिति में उसे टेस्ट वोट डालने की अनुमति दी जाती है।
- अगर मतदाता की शिकायत झूठी पाई जाती है, तो चुनाव अधिकारी शिकायतकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 177 के तहत कार्रवाई शुरू कर सकता है।
- दंड संहिता के इस प्रावधान के अंतर्गत मतदाता को छह माह का कारावास या 1000 रुपए का अर्थदंड या दोनों सजा हो सकती है।

पृष्ठभूमि

- निर्वाचन आयोग ने ऐसी समस्याओं से निपटने हेतु पहले से ही प्रावधान किये हैं।
- हालाँकि इन प्रावधानों का प्रयोग बहुत ही विशिष्ट परिस्थितियों में ही किया जाता है।
- इस प्रकार के प्रावधानों का उद्देश्य ऐसी अफवाहों और शिकायतों को नियंत्रित करना है जो निर्वाचन प्रक्रिया को बाधित करती हैं।
- इससे पहले वर्ष 2019 के अप्रैल माह में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने नियम 49MA को समाप्त करने की मांग वाली याचिका पर निर्वाचन आयोग से प्रतिक्रिया मांगी थी।
- इस याचिका में कहा गया कि यह प्रावधान असंवैधानिक है क्योंकि इसने ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों में खराबी की शिकायत करने वाले को अपराधी बनाने का काम किया है।

सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच

सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच (St. Petersburg International Economic Forum-SPIEF) का आयोजन 6-8 जून, 2019 को किया गया।

- इस फोरम में भाग लेकर भारत ने अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा कि परंपरागत रक्षा, ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्रों की जगह स्टार्ट-अप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विनिर्माण डिजिटलीकरण, भारत-रूस आर्थिक सहयोग और विकास के कारक बनने चाहिये।
- सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच (SPIEF) अर्थव्यवस्था और व्यापार जगत हेतु एक अद्वितीय मंच है। इस मंच की शुरुआत वर्ष 1997 में की गई थी और वर्ष 2006 से यह रूस के राष्ट्रपति के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है।
- यह व्यापारिक समुदाय के प्रतिनिधियों के आपसी संपर्क के लिये तथा उभरती हुई आर्थिक शक्तियों, रूस व पूरे विश्व के समक्ष खड़े महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिये एक अग्रणी वैश्विक मंच है।

कर-मुक्त बॉण्ड

जैसा कि नाम से पता चलता है कर-मुक्त बॉण्ड ऐसे बॉण्ड होते हैं जिनसे अर्जित ब्याज को कर से मुक्त रखा जाता है।

- कुछ सार्वजनिक उपक्रम जो कर-मुक्त बॉण्ड जारी कर धन जुटाते हैं, वे इस प्रकार हैं-
 - ◆ IRFC, PFC, NHAI, HUDCO, REC, NTPC और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी
 - ऐसे बॉण्ड की अवधि आमतौर पर 10, 15 या 20 वर्ष की होती है। ये बॉण्ड निवेशकों को एग्जिट रूट की पेशकश करने के लिये स्टॉक एक्सचेंजों में भी सूचीबद्ध किये जाते हैं।
 - ये बॉण्ड प्रकृति में कर-मुक्त, सुरक्षित, प्रतिदेय और अपरिवर्तनीय हैं।
- बॉण्ड एक निश्चित आय का साधन है जो किसी निवेशक द्वारा किसी उधार लेने वाले निकाय (आमतौर पर कॉर्पोरेट या सरकारी) को दिये गए ऋण को प्रदर्शित करता है।
- इस तरह के बॉण्ड को स्टॉक एक्सचेंजों में भी सूचीबद्ध किया जाता है और केवल डीमैट खातों के माध्यम से इनका कारोबार किया जाता है।
 - प्रकटीकरण और निवेशक सुरक्षा दिशा-निर्देशों के तहत सेबी द्वारा परिभाषित योग्य संस्थागत निवेशक इन बॉण्डों में निवेश कर सकते हैं।
 - ट्रस्ट, सहकारी और क्षेत्रीय बैंक तथा कॉर्पोरेट कंपनियों जैसी संस्थाएँ भी कर-मुक्त बॉण्ड में नियमित रूप से निवेश करती हैं।

समुद्रीय सूचना साझाकरण कार्यशाला 2019

सूचना संलयन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र (Information Fusion Centre-Indian Ocean Region), गुरुग्राम के तत्वावधान में भारतीय नौसेना एक समुद्रीय सूचना साझाकरण कार्यशाला (Maritime Information Sharing Workshop-MISW) की मेज़बानी कर रही है।

- समुद्रीय सूचना साझा करने में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाने तथा हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने के लिये 12-13 जून, 2019 को इसका आयोजन किया जा रहा है।
- इस कार्यशाला में भागीदार देशों के विशेषज्ञों द्वारा समुद्री डकैती, मानव और मादक पदार्थों की तस्करी तथा इन चुनौतियों से निपटने के लिये कानूनी पहलुओं के बारे में संवादमूलक सत्र आयोजित किये जाएंगे।

अल साल्वाडोर के जंगल 'जीवित-इकाई' घोषित

5 जून, 2019 को विश्व पर्यावरण दिवस पर अल साल्वाडोर (El Salvador) की विधानसभा ने जंगलों को 'जीवित-इकाई' (Living Entity) के रूप में मान्यता प्रदान करने की घोषणा की।

- घोषणा में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जंगलों की देखभाल, संरक्षण और अल साल्वाडोर में वनों का विस्तार करने संबंधी ठोस कार्यों को बढ़ावा देने के लिये प्रतिबद्ध होना चाहिये।
- 1960 के दशक के बाद से अल साल्वाडोर के मूल जंगलों का लगभग 85% हिस्सा, जबकि पूरी पृथ्वी के मूल जंगलों का लगभग 80% हिस्सा नष्ट हो गया है।
- अल साल्वाडोर सात मध्य अमेरिकी देशों में से सबसे छोटा और घनी आबादी वाला देश है। इसकी राजधानी सैन साल्वाडोर (San Salvador) है।

खीर भवानी मेला

हाल ही में जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में खीर भवानी मंदिर में ज्येष्ठ अष्टमी के वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया।

- यह त्योहार कश्मीर के पंडितों और मुसलमानों के बीच संबंधों में तेजी से सुधार लाने का माध्यम बनकर उभर रहा है।
- खीर भवानी/क्षीर भवानी एक पवित्र झरने पर निर्मित देवी खीर भवानी (मूल रूप से सिर्फ भवानी) को समर्पित मंदिर है।
- यह मंदिर श्रीनगर से 14 मील की दूरी पर तुलमूल गाँव के पास स्थित है। खीर भवानी देवी की पूजा लगभग सभी कश्मीरी हिन्दू करते हैं।
- पारंपरिक रूप से वसंत ऋतु में इस मंदिर में खीर चढ़ाई जाती थी, इसलिये इसका नाम 'खीर भवानी' पड़ा।

मिक्रीलेट्टा एशानी

हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय और भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों ने इंडोनेशिया और अमेरिका के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर पूर्वोत्तर भारत (असम) में 'धान मेंढक' (Paddy Frog) की एक नई प्रजाति की खोज की है।

- खोजी गई इस नई प्रजाति को मिक्रीलेट्टा एशानी नाम दिया गया है। 'एशानी' संस्कृत भाषा से संबद्ध है जिसका अर्थ 'पूर्वोत्तर' है।
- मिक्रीलेट्टा एशानी (Micryletta Aishani) माइक्रोहॉयलॉइड वंश (Hyloid Genus) के अंतर्गत मिक्रीलेट्टा प्रजाति में रखा गया है।
- माइक्रोहॉयलाइड वंश में वे मेंढक आते हैं जो जिनका मुख संकरा होता है, जिन्हें सामान्यतः धान मेंढक के नाम से भी जाना जाता है।
- माइक्रोहॉयलॉइड वंश की पहली प्रजाति इंडोनेशिया स्थित सुमात्रा के द्वीप में खोजी गई थी।
- ये मूलतः पूर्वोत्तर भारत (विशेष रूप से ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में स्थित विशेष रूप से इंडो-बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र) में ही पाए जाते हैं।
- असम के अलावा, ये त्रिपुरा और मणिपुर में भी पाए जाते हैं।

मिक्रीलेट्टा एशानी अन्य मेंढक प्रजातियों से अलग कैसे ?

- अधिकांश प्रजातियों के मेंढक, मानसून के दौरान प्रजनन करते हैं, मिक्रीलेट्टा एशानी, मानसून की शुरुआत से पहले ही प्रजनन करते हैं।
- मिक्रीलेट्टा एशानी आमतौर पर मानव बस्तियों के आस-पास पाए जाते हैं।
- पीठ का लाल-भूरा रंग, गहरी धारियाँ, पार्श्वीय हिस्सों में धब्बे, थूथन (मुख का अग्र भाग) का आकार और पैरों में पादजाल की अनुपस्थिति इन्हें अन्य मेंढकों की प्रजाति से अलग बनाती हैं।
- मिक्रीलेट्टा एशानी धान मेंढकों के वंश की पाँचवीं प्रजाति है।

काले धन कानून के तहत नए मानदंड

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes- CBDT) ने मनी लॉन्ड्रिंग/धनशोधन, विदेशी संपत्तियों को छुपाने तथा बेनामी संपत्ति के कब्जे के लिये नए दिशा-निर्देश जारी किये हैं। नए दिशा-निर्देशों के तहत नियमों के उल्लंघन को प्रत्यक्ष कर कानून, 2019 के तहत प्रशम्य अपराध नहीं माना जाएगा।

- इन दिशा-निर्देशों को 17 जून, 2019 से लागू किया जाएगा।
- प्रशम्य अपराध (Compounding of Offences) ऐसे अपराध होते हैं, जिन्हें न्यायालय की अनुमति के बिना, विवाद उत्पन्न होने पर पक्षकारों द्वारा ही सुलझाया जा सकता है।

इन दिशा निर्देशों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है

- **पहली श्रेणी:**
 - ◆ स्रोत पर की गई कर कटौती या एकत्रित कर के अंतर्गत चूक।
 - ◆ रिटर्न फाइल करने में विफलता।
- **दूसरी श्रेणी:**
 - ◆ जान-बुझकर की गई कर चोरी।
 - ◆ किसी खोज अभियान में कर वसूली को विफल करने के लिये संपत्ति को छुपाना या उसका स्थानांतरण अथवा वितरण करना।
- **तीसरी श्रेणी:**
 - ◆ किसी व्यक्ति द्वारा किये गए ऐसे अपराध, जिसके लिये उसे प्रत्यक्ष कर कानूनों (Direct Tax Laws) के तहत अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था।
 - ◆ करों से बचने के लिये दूसरे लोगों को सक्षम करना।
 - ◆ मनी लॉन्ड्रिंग/धनशोधन [बोगस इनवॉइस (Bogus Invoices) जेनरेट करके पैसा लूटना]।
 - ◆ काले धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) के तहत अज्ञात विदेशी बैंक खाते या संपत्ति से संबंधित अपराध।
 - ◆ कर अधिनियम, 2015 या बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 के तहत अधिरोपण।

स्पिट्जर स्पेस टेलिस्कोप

नासा के स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप (Spitzer Space Telescope) को लगभग 16 वर्षों के बाद 30 जनवरी 2020 को बंद कर दिया जाएगा यह टेलिस्कोप अवरक्त प्रकाश में ब्रह्मांड की खोज के मिशन पर था।

- स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप नासा के ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज प्रोग्राम में अंतिम मिशन है - इस प्रोग्राम में चार अन्तरिक्ष आधारित वेधशालाएँ हैं, जो चार भिन्न प्रकार के प्रकाश में ब्रह्मांड का अवलोकन करती हैं।
- इस प्रोग्राम के अन्य मिशनो में दृश्य-प्रकाश हबल स्पेस टेलीस्कोप (HST), कॉम्पटन गामा-रे ऑब्जर्वेटरी (CGRO), और चंद्र एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी (CXO) भी शामिल हैं।
- वर्ष 2003 स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप को लांच किया गया था। यह एक अंतरिक्ष-जनित, क्रायोजेनिक इन्फ्रारेड वेधशाला है जो सौर प्रणाली से लेकर ब्रह्मांड की सुदूर पहुंच तक के पिंडों का अध्ययन करने में सक्षम है।
- यह टेलिस्कोप अवरक्त प्रकाश को पकड़ता है जो गर्म पिंड या वस्तुओ से उत्सर्जित होते हैं किंतु यह इतने गर्म नहीं होते की द्रश्य प्रकाश को उत्सर्जित कर सकें
- इस टेलिस्कोप ने शनि गृह के चारो ओर एक नए घेरे की खोज की है 2017 में, इसी टेलिस्कोप ने TRAPPIST-1 तारेके चारों ओर सात ग्रहों की उपस्थिति का भी खुलासा किया था।
- TRAPPIST-1 एक ग्रहीय प्रणाली है, जो सौर मंडल (39 प्रकाश वर्ष) से 12 पारसेक की दूरी पर स्थित है यह तारा सूर्य से 12 गुना छोटा और बृहस्पति ग्रह से थोड़ा ही बड़ा है। इस तारे की परिक्रमा करने वाले कम से कम सात ग्रह हैं।
- जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा द्वारा 2021 में लांच किया जाना है यह टेलिस्कोप स्पिट्जर द्वारा खोजी गई समान तरंग दैर्घ्यों का अध्ययन करेगा।

लिब्रा

हाल ही में फेसबुक ने ई-कॉमर्स तथा वैश्विक भुगतान प्रणाली में कदम रखने के प्रयास के तहत लिब्रा (Libra) नामक क्रिप्टोकॉरेंसी (Cryptocurrency) लॉन्च करने की घोषणा की है।

- लिब्रा ब्लॉकचैन पर आधारित यह क्रिप्टोकॉरेंसी लिब्रा रिज़र्व (Libra Reserve) द्वारा समर्थित है।
- यह क्रिप्टोकॉरेंसी वर्ष 2020 की प्रथम छमाही में लॉन्च की जाएगी।
- फेसबुक ने लिब्रा के प्रबंधन हेतु 28 सहयोगियों के साथ मिलकर लिब्रा एसोसिएशन (Libra Association) बनाया है।
- इसके अलावा फेसबुक कैलिब्रा नामक एक सहायक कंपनी भी लॉन्च कर रहा है जो इसके क्रिप्टो लेन-देन को नियंत्रित करने का कार्य करेगी तथा लिब्रा भुगतान को फेसबुक डेटा के साथ संयुक्त नहीं करेगी। इस प्रकार यह उपयोगकर्ताओं के डेटा की गोपनीयता की रक्षा करती है।
- उपयोगकर्ता व्हाट्सएप और मैसेंजर सहित फेसबुक के स्वयं के मैसेजिंग एप के जरिये भी लिब्रा का उपयोग कर सकते हैं, जिससे इसका उपयोग अधिक सुलभ हो जाता है।
- इस क्रिप्टोकॉरेंसी का नाम प्राचीन रोम में धन की उत्पत्ति से प्रेरित है, जहाँ लिब्रा सिक्के ढालने के लिये प्रयुक्त वज्रन की एक इकाई हुआ करती थी।
- ज्योतिषशास्त्र में 'लिब्रा' न्याय का प्रतीक है और फ्रेंच भाषा में इसका अर्थ 'स्वतंत्रता' है।
- इस नई क्रिप्टो मुद्रा का प्रतीक एक लहर है जो हमारे बीच ऊर्जा के संचरण, जल की सीमा रहित प्रकृति तथा व्यक्तियों, स्थानों और धन के बीच की आवाजाही का प्रतिनिधित्व करती है।

ग्रे वुल्फ

हाल ही में एक इंडियन ग्रे वुल्फ (Indian grey wolf) को बांग्लादेश के किसानों द्वारा मार दिया गया। उल्लेखनीय है बांग्लादेश में आखिरी बार ये मांसाहारी जानवर वर्ष 1949 में देखे गए थे इसलिये संभावना व्यक्त की जा रही है कि जिस ग्रे वुल्फ को मारा गया है यह वही ग्रे वुल्फ था जिसे दो साल पहले पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में देखा गया था।

- ग्रे वुल्फ दुनिया का सबसे बड़ा कैनिड (Canid) है तथा यह दुनिया के सभी हिस्सों पर पाया जाने वाला स्थलीय स्तनी है।
- ये अत्यधिक बुद्धिमान और सामाजिक जानवर हैं जो उत्तरी गोलार्द्ध पर पाए जाते हैं तथा IUCN ने इन्हें रेड लिस्ट के अंतर्गत लीस्ट कंसर्नड (Least Concerned) की श्रेणी रखा है।
- वर्तमान में ग्रे वुल्फ अपने मूल क्षेत्र के सिर्फ दो तिहाई हिस्से और मुख्य रूप से जंगलों या दूरदराज के क्षेत्रों तक ही सीमित हैं।

वर्गीकरण (Taxonomy)

जगत (Kingdom)	संघ (Phylum)	वर्ग (Class)	गण (Order)	कुल (Family)
जंतु (Animalia)	रज्जुकी (Chordata)	स्तनधारी (Mammalia)	मांसाहारी (Carnivora)	कैनिडी (Canidae)

- ग्रे वुल्फ एकसंगमनी (Monogamous) जीव हैं। जो प्रजनन एवं आवास हेतु सघन झुंडों में रहते हैं।
- ग्रे वुल्फ दुनिया में सबसे बड़े जंगली कुत्तों की प्रजाति है।
- शिकार उपलब्धता के अनुसार, ग्रे वुल्फ घने जंगलों से लेकर रेगिस्तान और आर्कटिक टुंड्रा प्रदेशों में भी पाए जाते हैं।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय

राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (National River Conservation Directorate-NRCD) को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment and Forest and Climate Change) से जल शक्ति मंत्रालय (Jal shakti Ministry) में स्थानांतरित कर दिया गया है।

- इस कदम का उद्देश्य प्रशासन को समेकित करना और पानी से संबंधित सभी मुद्दों जैसे- संरक्षण, विकास, प्रबंधन और प्रदूषण को कम करना, आदि को एकल मंत्रालय के अंतर्गत लाना है।
- राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (NRCD) गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को छोड़कर देश भर की सभी नदियों के लिये केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना को लागू करने के लिये जिम्मेदार है (क्योंकि गंगा और उसकी सहायक नदियों से संबंधित मामलों को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत शामिल किया गया है)।

कैट फॉक्स

उत्तरी कॉर्सिका (Corsica) द्वीप के जंगलों में लोमड़ी जैसी दिखने वाली बिल्ली (Cat fox) की एक नई प्रजाति पाई गई है, जो आकार में पालतू बिल्लियों से बड़ी है।

- वैज्ञानिकों के अनुसार, यह बिल्ली अब तक की अज्ञात प्रजातियों का हिस्सा है संभवतः यह हजारों साल पहले अफ्रीका या मध्य पूर्व में उत्पन्न हुई थी।
- इनकी पूंछ चक्राकार और रदनक दांत (Canine Teeth) 'अत्यधिक विकसित' होते हैं। इन्हें चैट-रेनार्ड (Chat-Renard) या 'कैट-फॉक्स' (Cat-Fox) के रूप में भी जाना जाता है।
- शोधकर्ताओं द्वारा इस बिल्ली के डीएनए (DNA) का विश्लेषण किये जाने के बाद यह स्पष्ट किया गया है कि यह यूरोप में पाई जाने वाली जंगली बिल्ली, फेलिस सिल्वेस्ट्रिस सिल्वेस्ट्रिस (Felis silvestris silvestris) की प्रजाति से भिन्न हैं। लेकिन अफ्रीकी जंगली बिल्ली, फेलिस सिल्वेस्ट्रिस लिबिका (Felis Silvestris Lybica) की प्रजाति से इसके लक्षण काफी मिलते जुलते हैं।
- फिलहाल अभी तक इसकी निश्चित पहचान नहीं की जा सकी है।

इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम

हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन के सामने एक नई चुनौती सामने आई है जिसमें युवाओं का इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम (Electronic Nicotine Delivery Systems- ENDS) के प्रति रुझान में वृद्धि देखी गई है।

- ENDS में ई-सिगरेट (e-Cigarettes), हीट-नो-बर्न डिवाइस (Heat-Not-Burn Devices), ई-निकोटीन युक्त फ्लेवर्ड हुक्का (e-Nicotine Flavoured Hookah) और ई-शीशा (e-Sheesha) आदि शामिल हैं।
- इसके अंतर्गत तंबाकू के पत्तों को जलाने के बजाय उपयोगकर्ता द्वारा निकोटीन युक्त विलयन का वाष्प के रूप में सेवन किया जाता है। जिसमें निकोटीन के अलावा स्वाद बढ़ाने वाले एजेंट भी पाए जाते हैं।
- अधिकांश ENDS उत्पाद चीन में बनाए जाते हैं। ये उत्पाद ऑनलाइन एवं पान विक्रेताओं के पास से आसानी से मिल जाते हैं।
- 1 जून, 2019 को हरियाणा FDA ने ड्रग्स कंसल्टेंट कमेटी, दिल्ली की एक बैठक में, ENDS को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (Drugs and Cosmetics Act 1940) के तहत दवा की परिभाषा के तहत लाने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया था।
- हरियाणा FDA ने राज्य की विभिन्न अदालतों में ENDS के उपयोग से संबंधित 37 मामलों की सुनवाई भी शुरू की है।

हाथियों के लिये हाइड्रोथैरेपी उपचार केंद्र

हाल ही में देश के एकमात्र एलीफेंट हॉस्पिटल में अब हाथियों को पुराने दर्द जैसे गठिया, जोड़ों के दर्द और पैरों की बीमारियों से निजात दिलाने को हाइड्रोथैरेपी की सुविधा शुरू की गई है। इस थैरेपी के लिये जंबो पूल का निर्माण किया गया है।

- आगरा-दिल्ली हाईवे पर मथुरा के निकट चुरमरा नामक स्थान पर इस हाइड्रोथैरेपी केंद्र को स्थापित किया गया है। जो हाथी संरक्षण और देखभाल केंद्र (Elephant Conservation and Care Centre-ECCC) के निकट स्थित है।
- यह उत्तर प्रदेश वन विभाग और गैर सरकारी संगठन वन्यजीव एस.ओ.एस. (Wildlife SOS) की एक संयुक्त पहल है।
- इसके लिये वृहद हाइड्रोथैरेपी जलाशय का निर्माण कराया गया है जिसकी गहराई 11 फुट है। इसमें 21 उच्च-दाब वाले जेट स्प्रे लगाए गए हैं जो उपचार के तौर पर हाथियों के पैरों और शरीर की मालिश करता है। यह मांसपेशियों के ऊतकों तक ऑक्सीजन और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति भी करता है।
- हाइड्रोथैरेपी जीर्ण मांसपेशियों के दर्द से राहत देने के साथ-साथ इनमें प्राकृतिक प्रतिरोध की क्षमता में वृद्धि के साथ ही मांसपेशियों को सुदृढ़ करता है।
- वन्यजीव SOS के अंतर्गत भारतीय वन्यजीवों की रक्षा करना, जीवों के अनुकूल वातावरण निर्मित करना, जैव विविधता का अध्ययन एवं अनुसंधान करना और पशु के प्रति क्रूरता के खिलाफ कार्रवाई करना, मानव-पशु संघर्षों को हल करने के लिए काम करना, लोगों में पशुओं से मानवीय व्यवहार करने के प्रति जागरूकता फैलाना इसके प्रमुख कार्य हैं।

सोलेनम प्लास्टिसेक्सम

हाल ही में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों के एक दल ने उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के एक पौधे की प्रजाति को सोलेनम प्लास्टिसेक्सम (Solanum Plastisexum) नाम दिया है।

- इसकी खोज वर्ष 1977 में की गई थी और इसे डंगोवन बुश टोमैटो (Dungowan bush tomato) के नाम से भी जाना जाता है।
- बीते कई दशकों तक, इस पौधे का नामकरण नहीं हो सका क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा इस पौधे की कार्यिकी को समझने में असहजता हो रही थी जिसका कारण अध्ययन के दौरान हर बार इसके फूलों में अस्पष्टता (नर तथा मादा गुणों में परिवर्तन) का होना था।
- इस प्रजाति का नाम सोलेनम प्लास्टिसेक्सम 'ग्रीक' भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ मोल्डेबल या परिवर्तनशील है।
- सामान्यतः फूल उभयलिंगी (Hermaphrodite) होते हैं अर्थात् वे पुष्प जिनमें नर और मादा दोनों प्रजनन भाग पाए जाते हैं, इन्हें पादप जगत के बाइनरी सेक्सुअल नॉर्म्स (Binary Sexual Norms) के अंतर्गत भी नहीं रखा जाता है।
- सोलेनम प्लास्टिसेक्सम विभिन्न प्रकार के पौधों में देखे जाने वाले यौन/प्रजनन रूप की विविधता का ही एक मॉडल है और यह इस बात को भी प्रमाणित करता है कि पृथ्वी पर उपस्थित जीवित प्राणियों के बीच 'मानक' लैंगिक स्थिति की पहचान करना बहुत ही जटिल कार्य है।
- सामान्यतः सजीवों के अंतर्गत पादपों और जीवों में लैंगिक विविधता पाई जाती है उदाहरण के लिये- एक मादा छिपकली की प्रजातियाँ जिनके अंडों के प्रजनन के लिये आवश्यक सभी आनुवंशिक पदार्थ मौजूद होते हैं तथा मसखरा मछली, जो जन्म के समय नर होती हैं लेकिन बाद में मादा में परिवर्तित हो जाती हैं।

वाशी पेपर/कागज

वाशी जापान में निर्मित एक प्रकार का कागज है। वाशी शब्द जापानी भाषा के शब्द 'वा' से जलिया गया है जिसका अर्थ है 'जापानी' और 'शी' जिसका अर्थ है 'कागज'।

- इस हस्तनिर्मित कागज को वागामी के रूप में भी जाना जाता है और इसे तीन प्रमुख घटकों से बनाया गया है:
 - ◆ कोजो या 'शहतूत की छाल' (Kozo or 'mulberry bark')
 - ◆ मित्सुमाता झाड़ियाँ (Mitsumata shrubs)
 - ◆ गम्पी ट्री (Gampi tree)
- इन तीन घटकों का उपयोग अकेले या उनकी विशिष्टता के लिये संयोजन में किया जाता है।
 - ◆ कोजो एक पर्णपाती वृक्ष है जो विश्व के कई हिस्सों में पाया जाता है, यह जापान में क्यूशू द्वीप और शिकोकू में बहुतायत से बढ़ता है। इसकी कठोरता कपड़े के सामान है और जलरोधी के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।
 - ◆ मित्सुमाता एक झाड़ी है यह मूलरूप से चीन का है और इसका उपयोग जापानी मुद्रा बनाने में किया जाता है। यह हाथीदांत के रंग की, महीन सतह वाली होती है और इसका इस्तेमाल छपाई में किया जाता है। इसका उपयोग मीजी काल (Meiji Period) में कागज के पैसे छापने के लिये किया जाता था।
 - ◆ गम्पी वृक्ष मूलतः जापान का ही है। सामान्यतः यह दुनिया के अन्य हिस्सों में नहीं पाया जाता। इसका उपयोग पुस्तकों और शिल्प के लिये किया जाता है।
- कभी-कभी कुछ अन्य रेशे जैसे अबका, रेयान, गेहूँ, चावल, बांस, गांजा, आदि को भी वाशी पेपर बनाने के लिये मिलाया जाता है।
- वाशी एक अत्यंत पतला पेपर/कागज है, जो कभी लेखन और पेंटिंग से लेकर लैंपशेड, छतरियों और स्लाइडिंग दरवाजों आदि के लिये उपयोग किया जाता था। लचीलेपन और टिकाऊपन जैसी विशेषताओं के कारण इसका उपयोग जापान में प्राचीन पत्रों और वृत्तचित्रों को संरक्षित करने के लिये किया जाता है।

कैसिया ओकिडेंटलिस प्लांट और AES

हाल ही में बिहार में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के प्रकोप से कई बच्चों की मृत्यु का मामला सामने आया है। ठीक इसी प्रकार वर्ष 2016 में मलकानगिरी (ओडिशा) में AES से बहुत से बच्चों की मौत हो गई थी।

- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 की इस घटना के बाद ओडिशा सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2017 के बाद से मलकानगिरी (ओडिशा) में जापानी इंसेफेलाइटिस (JE) और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (AES) के कारण किसी भी बच्चे की मौत नहीं हुई है।
- यह ओडिशा सरकार द्वारा उठाए गए एहतियाती कदमों का एक सफलतम प्रयास है।
- ओडिशा में 2016 में AES ज्यादातर उनमें पाया गया था जिन्होंने कैसिया ओकिडेंटलिस फलियों (Cassia occidentalis beans) का सेवन किया था जिसका स्थानीय नाम 'बड़ा चकुंडा' (Bada Chakunda) है।
- इस पौधे में एंथ्राक्विनोन नामक एक विषाक्त पदार्थ पाया जाता है जो जिले में बच्चों में एन्सेफैलोपैथी पैदा करने के लिये उत्तरदाई था।
- इस क्षेत्र में AES से बचने का एक प्रमुख निवारक उपाय कैसिया ओकिडेंटलिस पौधों की झाड़ियों की नियमित सफाई और साथ ही आदिवासियों को इस बात के लिये प्रेरित करना है कि वे अपने बच्चों को पौधे की फलियाँ न खाने दें।

टीकाकरण अभियान

- AES से बचाव के लिये टीकाकरण एक महत्वपूर्ण हथियार है।
- दिसंबर 2016 में, पाँच साल तक की उम्र के 2,18,000 से अधिक बच्चों के टीकाकरण के साथ मलकानगिरी में जापानी इंसेफेलाइटिस (JE) और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (AES) के खिलाफ 15 दिन का सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया था।
- JE और AES से बचाव के लिये पूरे ओडिशा में बच्चों के लिये टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।
- अस्पतालों में अलग से बाल चिकित्सा वार्ड बनाये गए हैं। आशा, स्वयंसेवकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आपात स्थिति में दवाई देने के लिये विशेष किट प्रदान किये गए हैं।
- इस प्रकार के ही कार्यक्रमों की आवश्यकता बिहार में भी है जिससे AES से निपटने का कारगर उपाय किये जा सकें।

‘आरोग्यपाचा’

केरल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में अगस्त्य पहाड़ियों में पाए जाने वाले एक ‘औषधीय पौधे’ ‘आरोग्यपाचा’ के आनुवांशिक बनावट को डीकोड किया है।

- ‘आरोग्यपाचा’ (Arogyapacha) एक चमत्कारिक पौधा है, जिसका वानस्पतिक नाम ट्राइकोपस जेलेनियस (Trichopus zeylanicus) है।
- उल्लेखनीय है कि इस ‘चमत्कारी पौधे’ का उपयोग कनी जनजाति के समुदायों द्वारा पारंपरिक रूप से थकान दूर करने के लिये किया जाता रहा है।
- अध्ययन के अनुसार, इस पौधे में एंटी-ऑक्सीडेंट, एंटी-माइक्रोबियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी, एंटी-ट्यूमर, एंटी-अल्सर, एंटी-हाइपरलिपिडेमिक, हेपेटोप्रोटेक्टिव और डायबिटिक जैसे औषधीय गुणों के विभिन्न वर्णक्रम पाए गये हैं।
- हालाँकि केरल विश्वविद्यालय द्वारा किसी पौधे की प्रजाति के ड्राफ्ट जीनोम अनुक्रमण की यह पहली रिपोर्ट है, वर्तमान में दो और प्रजातियों को अनुक्रमित किया जा रहा है।

ग्लियोमा

हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर (Indian Institute of Technology Jodhpur) और टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई के शोधकर्ताओं ने संयुक्त रूप से किये गए अध्ययन में ग्लियोमा की वृद्धि से जुड़े जैव संकेतकों का पता लगाया गया है जो इस रोग पहचान करने एवं उपचार में सहयोगी हो सकते हैं।

- ग्लियोमा मस्तिष्क (Brain) में होने वाला एक जानलेवा ट्यूमर है।
- शोधकर्ताओं ने जैव संकेतक प्रोटीन NLRP 12 (Nucleotide-binding oligomerization domain, Leucine rich Repeat and Pyrin domain containing- 12) की पहचान की है जो प्रोटीन प्रतिरक्षा संबंधी प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- तंत्रिका तंत्र में न्यूरोन की सहायक ग्लियल कोशिका (Glial Cell) माइक्रोग्लिया (Microglia) में NLRP 12 प्रोटीन की कमी से कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि हो सकती है।
- ग्लियल कोशिकाएँ (Glial Cells) तंत्रिका तंत्र में संतुलन बनाए रखने के साथ-साथ मरम्मत में भी अपनी भूमिका निभाती हैं और इन कोशिकाओं में ही ग्लियोमा ट्यूमर बनता है।
- सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोग्राफी के बावजूद ग्लियोमा से पीड़ित मरीजों के जीवित बचने की दर कम होती है।

NLRP12

- यह जीन एक प्रोटीन बनाने के निर्देश प्रदान करता है जिसे मोनार्क-1 कहा जाता है।
- मोनार्क-1 प्रोटीन के एक परिवार का एक सदस्य है जिसे न्यूक्लियोटाइड-बाईंडिंग डोमेन और ल्यूसीन-युक्त रिपीट युक्त प्रोटीन (Nucleotide-binding domain and leucine-rich repeat containing- NLR) प्रोटीन कहा जाता है, ये कोशिकाओं (साइटोप्लाज्म) के अंदर द्रव में पाए जाते हैं।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी में NLR की भूमिका को समझ कर चिकित्सीय रणनीति और दवाओं के विकास में सहयोग प्राप्त हो सकता है।
- मस्तिष्क को संकेत भेजने वाली प्रोटीन से बनी रासायनिक संरचनाओं को रिसेप्टर्स कहा जाता है NLR समूह के रिसेप्टर्स प्रतिरक्षा तंत्र से जुड़े प्रमुख नियामक होते हैं।
- NLR रिसेप्टर्स को कैंसर के कई प्रकारों के लिये उत्तरदाई माना जाता है। हालाँकि ग्लियोमा में NLR की भूमिका के बारे में जानाकारी सीमित है।

लुलिकोनाज़ोल

हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च (दिल्ली) के शोधकर्ताओं ने एक विशिष्ट पारभासी नाखून रोगन (Novel Translucent Nail Lacquer), लुलिकोनाज़ोल (Luliconazole) विकसित किया है, जो एक प्रकार की कवक-प्रतिरोधी (Antifungal drug) औषधि है तथा ओनिकोमाइकोसिस (नखकवकता) (Onychomycosis) के उपचार में सहायक है।

- इस दवा में, जल्दी सूखने वाले बहुलक (Polymer) मिलाया गया है और इसे नेल पॉलिश की तरह आसानी से प्रयोग किया जा सकता है।
- शोधकर्ताओं ने इस दवा का परीक्षण गौवंशीय पशुओं के खुर्गों पर किया, क्योंकि उनकी संरचना मानव नाखूनों के समान होती है।
- ओनिकोमाइकोसिस (Onychomycosis)
- यह सामान्यतः जीवों के पैरों और हाथों के नाखूनों में होने वाला कवकीय संक्रमण (Fungal Infection) है जो ट्राइकोफाइटन रूब्रम (Trichophyton rubrum) नामक कवक के कारण होता है।
- ओनिकोमाइकोसिस संक्रमण नाखूनों से संबंधित लगभग आधे से अधिक बीमारियों के लिये जिम्मेदार होता है।
- इसके कारण नाखून टूटने लगते हैं, उनका रंग मलिन हो जाता है और नाखूनों के आकार में भी विकृति उत्पन्न हो जाती है।
- यह संक्रमण हाथों के नाखूनों की तुलना में पैरों के नाखूनों को अत्यधिक प्रभावित करता है क्योंकि पैरों के नाखूनों की वृद्धि धीमी गति से होती है, रक्त आपूर्ति कम होती है और प्रायः ये अंधेरे और नम वातावरण के संपर्क में रहते हैं तथा ये सभी परिस्थितियाँ कवक वृद्धि के अनुकूल होती हैं।

मनौरिया इम्प्रेस्सा

हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में लोअर सुबनसिरी जिले के याजाली इलाके में 'इम्प्रेस्ड कछुआ' (Impressed Tortoise) की खोज की गई।

- इसका वैज्ञानिक नाम मनौरिया इम्प्रेस्सा है तथा इसकी वंश/जीनस (Genus) 'मनौरिया' है।
- नर इम्प्रेस्सा कछुआ मादा की तुलना में छोटा होता है।
- मनौरिया इम्प्रेस्सा दक्षिण-पूर्व एशिया में वनों में निवास करने वाले कछुओं की अब तक ज्ञात चार प्रजातियों में से एक है।
- मनौरिया जीनस के तहत कछुओं की केवल दो प्रजातियाँ हैं जिसमें भारत में केवल एक एशियाई वन कछुआ मनौरिया इम्प्रेस्सा (Manouria emys) ही पाया जाता है।
- इससे पहले ऐसा माना जाता था कि यह कछुआ पश्चिमी म्याँमार तक सीमित है, लेकिन यह थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया और दक्षिणी चीन तथा प्रायद्वीपीय मलेशिया के क्षेत्रों में भी पाया जाता है।
- पारंपरिक चिकित्सा एवं व्यापार हेतु अवैध शिकार किये जाने के कारण कछुए की यह प्रजाति खतरे में है।
- इसी वजह से यह CITES परिशिष्ट II के अंतर्गत सूचीबद्ध है, तथा IUCN के रेड लिस्ट में भेद्य (Vulnerable) सूची के अंतर्गत शामिल है।

'जल ही जीवन है' योजना

'जल ही जीवन है' योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य भूमि के गिरते जल स्तर को रोकना है।

- इस योजना का उद्देश्य किसानों को फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करते हुए पानी की अधिक खपत वाली फसलों (जैसे धान) के बजाय कम खपत वाली फसलों (जैसे- मक्का, अरहर आदि) को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना है।
- इस राज्य में धान का लगातार का उत्पादन किये जाने के कारण जल का स्तर प्रतिवर्ष एक मीटर तक गिरता जा रहा है।
- इस योजना के तहत किसानों को 2000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा जिसे सीधे उनके खाते में हस्तांतरित किया जाएगा और इसे दो चरणों में पूरा किया जाएगा।
- पहले चरण में 200 रुपए पंजीकरण के समय तथा शेष 1800 रुपए दो महीने के भीतर बुवाई के आँकड़ों के सत्यापन के बाद।
- इस योजना के तहत मुफ्त में संकर बीज भी प्रदान किया जाएगा।

पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय (Union Environment Ministry) ने आंध्र प्रदेश में पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना (Polavaram Multipurpose Project) के निर्माण कार्य की अवधि दो साल आगे बढ़ा दिया है।

- इस परियोजना के तहत गोदावरी नदी पर मिट्टी एवं पत्थर युक्त बांध बनाने की परिकल्पना की गई है।
- बांध की अधिकतम ऊँचाई 48 मीटर निर्धारित है।
- इस परियोजना से लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, 960 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ पनबिजली उत्पन्न की जाएगी।
- इस परियोजना के आसपास के 540 गाँवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिससे विशाखापत्तनम, पूर्वी गोदावरी एवं पश्चिमी गोदावरी और कृष्णा जिलों में रहने वाले लगभग 25 लाख लोग शामिल होंगे।
- पृष्ठभूमि
- वर्ष 2011 में तत्कालीन सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार को परियोजना का निर्माण कार्य करने से रोक देने का आदेश दिया था।
- वर्ष 2014 में सरकार ने पोलावरम परियोजना को एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया तथा मंत्रालय ने निर्माण कार्यों की अनुमति देकर 'काम रोकने के आदेश' (Stop Work Order) को ठंडे बस्ते में डाल दिया।

मांसाहारी डायनासोर

ब्राज़ील और अर्जेंटीना के जीवाश्म विज्ञानियों को हाल ही में दक्षिणी ब्राज़ील पराना स्टेट (Parana State) के क्रूज़िरो डो ओस्टे (Cruzeiro do Oeste) म्यूनिसिपैलिटी में मांसाहारी डायनासोर (वेस्पेसॉरस पैरानेंसिस- Vespersaurus paranaensis) के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं।

- मरुस्थल में रहने वाले मांसाहारी डायनासोर संभवतः 90 मिलियन वर्ष पहले पाए जाते थे।
- छोटे शिकार को पकड़ने के लिये ये डायनासोर पंजे का इस्तेमाल करते थे।
- वेस्पेसॉरस दो पैरों वाला मांसाहारी टेरोपॉड था, इस समूह की दो और ज्ञात प्रजातियाँ हैं- टायरानोसॉरस (Tyrannosaurus) और वेलोसिरैप्टर (Velociraptor)।
- इसी प्रजाति के डायनासोर के पैरों के निशान की खोज वर्ष 1970 के दशक में ब्राज़ील के क्रूज़िरो डो ओस्टे (Cruzeiro do Oeste) में की गई थी जिसके अवशेष अब प्राप्त हुए हैं।
- डायनासोर के अवशेष से अनुमान लगाया जा रहा है कि पराना का उत्तरपूर्वी क्षेत्र कभी रेगिस्तान रहा होगा जहाँ की जलवायु वेस्पेसॉरस के अनुकूल थी।

सेक्रेड लंगूर

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में लगभग 91 साल बाद विश्व भर में विलुप्त हो चुकी लंगूर की एक प्रजाति पाई गई है।

- इससे पहले वर्ष 1928 में चंबा जिले में यह लंगूर देखा गया था वर्ष 1928- 2012 तक इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं मिली थी।
- चंबा वैली क्षेत्र में मिली इस प्रजाति को चंबा सेक्रेड लंगूर (चंबा पवित्र लंगूर) कहा जाता है।
- यह प्रजाति लंगूर की सात प्रजातियों में सबसे भिन्न है।
- इन लंगूरों के कश्मीर और पाकिस्तान की घाटी में भी पाए जाने की संभावना है।
- ये लंगूर फल, बीज, फूल, जड़ें, छाल और कलियां खाते हैं।
- यह प्रजाति विश्व में मात्र चंबा में ही पाई जाती है। इसलिए इस प्रजाति के संरक्षण को लेकर प्रभावी कदम उठाए जाने की योजना है।

ट्रैगनफ्लाई' ड्रोन

जीवन के निर्माणकारी घटकों की खोज के लिये नासा (National Aeronautics and Space Administration's-NASA) ने 'ट्रैगनफ्लाई' मिशन के तहत शनि के टाइटन पर ड्रोन भेजने की योजना है।

- इस मिशन को वर्ष 2026 में लॉन्च किया जाएगा जो वर्ष 2034 में पृथ्वी पर वापस आएगा।
- ट्रैगनफ्लाई मिशन टाइटन (शनि का उपग्रह) पर अतीत के जीवन की संभावनाओं का भी अध्ययन करेगा।
- नासा द्वारा पहली बार किसी अन्य ग्रह पर एक बहु-रोटर व्हीकल (Multi-Rotor Vehicle) उड़ाया जाएगा।
- मल्टी-रोटर वाहन में आठ रोटर होंगे जो एक बड़े ड्रोन जैसे होंगे।
- पाँच मील (8 किलोमीटर) की लंबी उड़ान के दौरान इसे भूमध्यरेखीय "शांगरी-ला" टिले पर उतारा जाएगा।
- यह टाइटन के वायुमंडलीय और सतह के गुणों की जाँच करेगा साथ ही उप-महासागर सतहों तथा जलाशयों में अतीत के रासायनिक साक्ष्यों की भी जाँच करेगा।

टाइटन

- टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है तथा सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है।
- इसकी सतह पर नदियाँ, झीलें और समुद्र हैं (हालाँकि इनमें मीथेन और एथेन जैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं, पानी नहीं)।
- टाइटन का वातावरण पृथ्वी की तरह नाइट्रोजन से बना है, लेकिन इसका घनत्व पृथ्वी के घनत्व से चार गुना अधिक है।
- पृथ्वी के विपरीत यहाँ पर बादल भी उपस्थित है एवं मेथेन की बारिश होती है।
- यह सूर्य से लगभग 886 मिलियन मील (1.4 बिलियन किलोमीटर) दूर है।
- सूर्य से दूर होने के कारण टाइटन की सतह का तापमान -179 डिग्री सेल्सियस होता है।
- इसकी सतह का दबाव भी पृथ्वी से 50% अधिक होता है।

The Vision